त्रयोदश माला, खंड 14, अंक 3

गुरुवार, 22 फरवरी, 2001
3 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D....51...
Date 11/10/01

(खण्ड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 14, छत्र सत्र, 2001/1922 (शक)]

अंक 3,. गुरुवार, 22 फरवरी, 2001/3 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21, 23 और 24	4-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 22 और 25 से 40	25-50
अतारांकित प्रश्न संख्या 180 से 409.	51-272
सभा पटल पर रखे गए पत्र	272-274
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	274
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन. .	274
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
दसवां से तेरहवां प्रतिवेदन. .	275
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
जम्मू और कश्मीर में एकतरफा संघर्ष विराम	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी .	275-277
लोक लेखा समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण .	277-278
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बागडिगी कोयला खान में पानी भर जाना	
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन .	279-282
समितियों के लिए पूर्वाचन	
(एक) प्राक्कलन समिति .	283
(दो) लोक लेखा समिति .	284-285
(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	285-286
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित *जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति . .	286-287
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर प्रदेश के बांसगांव में राप्ती नदी पर मौजूदा पुल को दोहरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनारायण पासी.	304

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	उत्तर प्रदेश के जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री चिन्मयानन्द स्वामी . .	305
(तीन)	कर्नाटक के होलालकेरे तालुक में बंगलौर-हुबली रेलमार्ग पर अरक्कट्टा में हाल्ट की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा . . .	305
(चार)	दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत आने वाले ताप विद्युत केन्द्रों पर ठेका श्रमिकों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय . . .	306
(पांच)	दिल्ली में भ्रष्ट भवन निर्माताओं के कार्यकलापों की जांच किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विजय गोयल	306
(छह)	बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजो सिंह	306-307
(सात)	कर्नाटक में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा	307
(आठ)	गुजरात में आए भूकंप को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रवीण राष्ट्रपाल .	307
(नौ)	देश में घरेलू उद्योगों विशेषत: कृषि क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां .	307-308
(दस)	विशाखापत्तनम में नेचर पार्क के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति .	308
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश में मुगल सराय लखनऊ-मुरादाबाद रेल मार्ग का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रभाथ सिंह	308-309
(बारह)	गुजरात में भूकंप से प्रभावित लोगों की राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
	कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली.	309
(तेरह)	बुंदेलखंड क्षेत्र में नि:शुल्क "बोरवेल स्कीम" लागू किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम सजीवन.	309
(चौदह)	दलित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी० वेणुगोपाल. . .	309-310

विषय	कॉलम
(पन्द्रह) बंग्लादेश क्षेत्र में इंडियन एन्क्लेव में रह रहे भारतीय नागरिकों की जनगणना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री अमर राय प्रधान	310
भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा० मुरली मनोहर जोशी	310-311
श्री एम०ओ०एच० फारूक	311-312
श्री रूपचन्द पाल . .	312-316
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति .	316-317
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल	318
श्री धर्मराज सिंह पटेल .	318-319
श्री पवन कुमार बंसल .	319-322
डा० रामकृष्ण कुसमरिया .	322
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन .	322-325
श्री राजो सिंह	325
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु.	325-326
खण्ड 2 और 1	340
पारित करने के लिए प्रस्ताव .	341
चिट फंड (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बालासाहिब विखे पाटील .	342-343
श्री ए०सी० जोस .	343-344
डा० मदन प्रसाद जायसवाल . .	344
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति .	344-346
श्रीमती जसकौर मीणा . . .	346-347
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन	347-349
श्री चन्द्र भूषण सिंह	349-350
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु.	350-351
श्री एम०ओ०एच० फारूक	351-352
खण्ड 2 से 4 और 1	354
पारित करने के लिए प्रस्ताव	355

विषय — कॉलम

बीमा विधि (कारबार का अंतरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बालासाहिब विखे पाटील . 356-357

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन . 357-358

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर 358-359

श्री रूपचन्द पाल 359-362

श्रीमती जसकौर मीणा . 362-364

डा० बी०बी० रमैया . 364-365

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु 365-366

खण्ड 2 से 4 और 1 369

पारित करने के लिए प्रस्ताव . 370

कलोनियल प्रिजनर्स रिमूवल (निरसन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री ईश्वर दयाल स्वामी. 370-371

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन. . 371-372

श्री अनादि साहू . 372

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति . 373-374

खण्ड 2 और 1 374

पारित करने के लिए प्रस्ताव . 375

न्यायिक प्रशासन विधियां (निरसन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री अरुण जेटली. 376-378

लोक सभा

गुरुवार, 22 फरवरी, 2001/3 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 21—**श्री मल्लिकार्जुनप्पा** ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान मर रहा है। किसान का आलू सड़ रहा है।....(*व्यवधान*) आज उत्तर प्रदेश और बिहार में धान की खरीदारी हुई है, लेकिन किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।...(*व्यवधान*) यह सरकार देश को गिरवी रखने का काम कर रही है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशली) : किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, मैं आपकी बात सुनुंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर कई अवसरों पर किसानों पर बहस हो चुकी है। सरकार ने किसानों की बर्बादी को गंभीरता से नहीं लिया।...(*व्यवधान*) आलू, धान, कपास, मक्का बाजरा का किसान बर्बाद हो गया है। ... (*व्यवधान*) किसानों की पैदावार की लूट हो रही है। किसान कर्ज से इतना दब गया है कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। ... (*व्यवधान*) क्वश्चन ऑवर को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाए।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी मामला उठाना है, क्वश्चन ऑवर के बाद उठाइए।...(*व्यवधान*)

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर सवाल है। ...(*व्यवधान*) उत्तर प्रदेश का किसान मर रहा है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव जी, मैं आपको शून्यकाल के दौरान अवसर दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(*व्यवधान*)

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक आपके स्थगन प्रस्ताव के नोटिस का प्रश्न है वह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, मैं खड़ा हुआ हूं। यह प्रश्नकाल है कृपया व्यवधान न डालें।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह मैंने आपको बताया कि मैं शून्य काल के दौरान आपको अवसर दूंगा। अभी नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि इस सवाल दर गंभीरतापूर्वक चर्चा करवाएँ। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृर्तात में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(*व्यवधान*)*

***कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको शून्य काल के दौरान अवसर दूंगा, अभी नहीं। कृपया प्रश्नकाल में व्यवधान न डालें। श्री मल्लिकार्जुनप्पा

...(*व्यवधान*)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(*व्यवधान*)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि स्थगन प्रस्ताव हेतु आपकी सूचना अध्यक्ष के विचाराधीन है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, मुझे एक मिनट के लिये निवेदन करने की अनुमति दी जाये।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, इस तरह से यहां तक कि आप शून्य काल के दौरान बोलने का अपना अधिकार भी खो रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि मैं आपको शून्य काल के दौरान अवसर दूंगा अभी नहीं।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बजट सत्र का पहला प्रश्नकाल है। पेश आने का यह कोई तरीका नहीं है। मैं आपके बर्ताव को गम्भीरता से ले रहा हूं।

अब श्री मल्लिकार्जुनप्पा

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइये।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव जी, कृपया अपने सदस्यों को अपना-अपना स्थान ग्रहण करने को कहें।

...(*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि मैं प्रश्नकाल के बाद आपको अवसर दूंगा।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर में मैं आपको एलाऊ करूंगा, अब आप अपनी सीट पर जाइये।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानबूझकर सभा में व्यवधान डाल रहे हैं।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(*व्यवधान*)*

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

लाल किले में सुरक्षा संबंधी चूक

21. +**श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री टी० एम० सेल्वागनपति :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 दिसंबर, 2000 को लाल किला परिसर में आतंकवादियों द्वारा किये गये हमले ने सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा में हुई चूक को उजागर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हताहत हुए व्यक्तियों तथा अब तक की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में हथियार/आयुध-सामग्री बरामद की गई;

(ग) क्या इस मामले में दिल्ली पुलिस और सेना के बीच तालमेल की कमी भी उजागर हुई है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है और जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण

लाल किला परिसर में दिनांक 22.12.2000 को दो घुसपैठियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी के कारण 7 राजपूताना राइफल्स के दो कार्मिक और सेना सेवा कोर का एक सिविलियन चौकीदार मारे गए थे। पुलिस ने दिनांक 26.12.2000 को एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक को गिरफ्तार किया था। एक अन्य व्यक्ति, जिसे लश्करे तोइबा का सदस्य बताया गया था, दिल्ली पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में दिनांक 26.12.2000 को मारा गया था। दिल्ली में गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ पर महत्वपूर्ण सूचना मिली जिसके परिणामस्वरूप एक अन्य आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ श्रीनगर में दिनांक 27.12.2000 को हुई मुठभेड़ में मारा गया था। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जांच पड़ताल के दौरान दो अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। दिल्ली पुलिस द्वारा बरामद किए गए शस्त्रों और गोलाबारूद में तीन ऐके-56 एसाल्ट राइफलें, छह कारतूसों सहित ऐके 0.304 पिस्तौल, नौ हथगोले, आठ मैगजीनें, 100 जिन्दा कारतूस, ऐके-56 राइफलें, ऐके-56 राइफल के 105 खाली कारतूस, एक चाकू और दो कारतूस पेटियां हैं।

2. लाल किले का काफी बड़ा हिस्सा भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अधीन है। यह क्षेत्र आगंतुकों के लिए खुला है। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्र की देख-रेख करने के लिए एक सिविल सुरक्षा एजेंसी को ठेका दिया है लाल किले के भीतर स्थित विभिन्न सेना यूनिटें और उप यूनिटें अपने क्षेत्राधिकार के भीतर अपनी स्थानीय सुरक्षा की व्यवस्था करती हैं।

उपर्युक्त स्थिति के बावजूद सेना और दिल्ली पुलिस कार्यकारी स्तर पर समन्वय बैठकें आयोजित करते हैं।

3. लाल किला में बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटक, उसके भीतर बाजार की अवस्थिति लाइट व साउंड कार्यक्रमों का आयोजन, लाल किला परिसर के भीतर स्मारकों की तरफ बाजार से आगे चलकर एक स्थान से टिकटों की बिक्री जैसे कई कारणों से आतंकवादियों के लिए किले में प्रवेश करना संभव हो सका। उक्त घुसपैठ संबंधी परिस्थितियों की जांच के लिए सेना ने एक जांच अदालत बैठाने का आदेश दिया है। जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं इसी बीच, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुछ तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा अपना पूरक प्रश्न पूछें।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मुलायम सिंह यादव से अनुरोध करूंगा कि अपने सदस्यों को अपना-अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहें।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, आप सीमा पार कर रहें है।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक के लिये मुद्दा उठाने की एक सीमा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही करूंगा।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइये। मैंने आपको बताया है कि मैं शून्यकाल के दौरान आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर में मैं आपको बोलने का चांस दूंगा।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप अपने मैम्बरों को बुलाइये, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। आप फर्स्ट डे ऐसा करवा रहे हैं।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आज बजट सत्र का पहला दिन हैं। मैंने आपको अवसर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं शून्यकाल के दौरान आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : क्वश्चन ऑवर को चलने दीजिए, आप अपने मैम्बरों को जरा संभालिये।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं आपको जीरो ऑवर में चांस नहीं दूंगा। अगर इसी तरह से आप बिहेव करेंगें, तो मैं आपको जीरो ऑवर में भी चांस नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया कि मैं आपको शून्यकाल

के दौरान बोलने अवसर दूंगा। इस प्रकार व्यवधान न डालें।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(*व्यवधान*)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुनप्पा आप कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहते?

...(*व्यवधान*)

श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या लाल किले की सुरक्षा के बारे में रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच मतभेद है। यदि हां, तो क्या मतभेद है?...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्यों ने सारे सदन को हैल्डअप करके रखा है आपसे मैंने अनुरोध किया है कि आप अपनी सीटों पर जाएं, मैं आपको बाद में चांस दूंगा।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : दूरदर्शन का सीधा प्रसारण बंद किया जाए।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलते जाएं।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा और न ही कैमरे से फोटो लिया जायेगा।

...(*व्यवधान*)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुनप्पा, कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस निर्णय को अन्तिम रूप देने में देरी के क्या कारण हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति, आप अपना पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

---

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी० एम० सेल्वागनपति : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पटल पर रखे गये विवरण अस्पष्ट हैं, और मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, जो माननीय मंत्री जी के समक्ष दो बार रखा गया है।...(व्यवधान) एक लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी चूक के बारे में है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना पूरक प्रश्न पूछें, श्री सेल्वागनपति।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : मैं अपना पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। दूसरा रक्षा मंत्रालय और दिल्ली में पुलिस बलों के विभिन्न सतर्कता एककों के बीच समन्वय की कमी के संबंध में है।

महोदय, विवरण में लाल किले के अन्दर बाजार की जगह पर हमले के कारण दिये गये हैं। घटना बाजार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्थान से अलग स्थान पर घटी थी। यह घटना सुरक्षा प्रतिष्ठान में घटी थी। मैं जानना चहूंगा कि क्या माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि सैन्य आसूचना पूछताछ एकक लाल किले में स्थित है, जो राष्ट्र का गौरव और सम्मान सूचक है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर हर वर्ष प्रतिष्ठित तिरंगा झंडा फहराया जाता है, जिसकी वे सुरक्षा नहीं कर पाए।

माननीय मंत्री जी ने मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जो हमने पूछा है। महोदय, जांच आरम्भ किये हुये दो माह बीत चुके हैं। मैं जानना चहूंगा कि रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी और, क्या सरकार ने कारगिल युद्ध से कोई पाठ सीखा है क्योंकि सुब्रह्मणयम समिति, जो युद्ध के बाद गठित की गई थी, में आसूचना चूक संबंधी सभी जानकारियां सामने आई हैं।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस तरह के खतरे, विशेष रूप से राजधानी में जहां विभिन्न संवेदनशील स्थापनाएं है, से निपटने के लिये दीर्घावधि उपाय कर रही है।

यह वक्तव्य लंबी अवधि और अल्प अवधि के उपायों को इंगित करता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे कौन से उपाय हैं जिनपर विचार किया गया है तथा दूसरी बात यह है कि क्या वे राजधानी में अन्य संवेदनशील संस्थापनों के संबंध में उपाय बताएंगें।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : दूरदर्शन का टेलीकास्ट बंद है। आप जो कर रहे हैं, आपको इसका कुछ फायदा नहीं होगा।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, जहां तक सुब्रह्मण्यम समिति की रिपोर्ट का संबंध है, जैसा कि इस वक्तव्य में कहा गया है, समस्त रिपोर्ट पूरी होने की प्रक्रिया में है एक बार जब वह रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है, तो मैं उसपर विस्तृत वक्तव्य दे सकूंगा।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि लंबी अवधि के किन प्रकार के उपायों पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है, ऐसी अनेक एजेंसियां हैं जो लाल किले के अंदर कार्य कर रही हैं तथा इन सभी एजेंसियों के साथ तालमेल कर उस स्थान की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। उदाहरण के लिए, वहां ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम चलाया जाता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक दिन कई हजार दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कार्यक्रम अंग्रेजी और हिन्दी में चलाया जाता है। अब, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से यह देखना होगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे दर्शक के रूप में या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में न आए जो ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम को ऐसे इरादों के साथ देखे जिन्हें बर्दाश्त न किया जा सके। इसी प्रकार, महोदय, इस स्थान पर दुकानें हैं, जो दिल्ली नगर निगम के अधिकार-क्षेत्र में हैं।

कोई भी व्यक्ति उन दुकानों में जाकर कुछ भी खरीद कर ला सकता है। लंबी अवधि की सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देते समय हमें उन मामलों को ध्यान में रखना होगा।

लघु-अवधि की व्यवस्था के संबंध में, हमने सेना और पुलिस दोनों स्तर पर पर्याप्त उपाय किए हैं ताकि यह निश्चित किया जा सके कि किसी के लिए भी वह कार्य करना संभव न हो सके जिसे पिछले महीने की 22 तारीख को करना निश्चित किया गया था।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, कृपया माइक में जोर से बोलिए।

श्री संतोष मोहन देव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से उत्तर की मांग करता हूं। वे एक योग्य मंत्री हैं। मेरा कहना है : "आप प्रतिक्रिया करते हैं परंतु कार्य नहीं करते हैं।" माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि लाल किला न केवल देश की दृष्टि से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी कितना महत्वपूर्ण है। लंदन से किसी ने कहा है: "आपकी सरकार लाल किले तक की भी सुरक्षा नहीं कर सकती"? अब, मेरा मुद्दा यह है कि पुलिस हो या सेना हो, किसी भी परिस्थिति में किसी संदिग्ध व्यक्ति को लाल किला में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। यदि आप उड़ान पर जाने वाले यात्रियों की चार बार जांच कर सकते हैं, तो आप लाल किला में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच क्यों नहीं कर सकते ? यही मेरा प्रश्न है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लिए अब भी यह संभव है कि शाम होते समय ऐसी सुरक्षा प्रणाली अपनाई जाए जिसके द्वारा माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं का निराकरण हो सके।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, कृपया माइक में जोर से बोलिए। आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्थिति देखकर अत्यंत चिंतित हूं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। परंतु वे अब देश के लिए नयी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टत:, लाल किले में हुई घटना से यह पता चलता है कि आतंकवादी अपनी घुसपैठ को एक बड़े सुरक्षित क्षेत्र में सेंध लगाना दिखाकर सनसनी उत्पन्न करना चाहते थे जबकि वास्तव में, ऐसा नहीं था। तथापि, घुसपैठियों को देश के अंदर और बाहर इस घटना को चर्चा का विषय बनाने में सफलता मिली। आतंकवादी एक बड़ी उपलब्धि के लिए स्वयं की प्रशंसा कर सकते थे।

तथापि, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या रक्षा मंत्रालय ने ऐसी सैन्य स्थापनाओं की पहचान की है जो बड़ी सैन्य स्थापनाओं के समान दिखती हों किन्तु जहां ऐसे कई सिविलियन प्रवेश अथवा गतिविधियां हों, जिनपर भविष्य में हमला किया जा सकता है।

श्री के० येरननायडू : वे पूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ? कृपया मुझे एक मिनट बोलने का मौका दें। मुझे श्री मुलायम सिंह यादव से अनुरोध करना है। कृपया मुझे केवल एक मिनट बोलने का अवसर दें।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बताया था कि मैं 'शून्य काल' के दौरान बोलने का अवसर दूंगा। वे सुनना नहीं चाहते हैं। वे प्रश्न काल को बाधित करना चाहते हैं। इसलिए, मैंने भी निर्णय किया है कि मैं प्रश्न काल को जारी रखूंगा।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे सहयोग मांगा था।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैंने उनसे सहयोग मांगा था। वे सुनना नहीं चहाते हैं। कितने सदस्य हैं ? केवल 12 सदस्य ऐसे हैं जो सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री के० येरननायडू : प्रश्न काल के पश्चात्, आप उन्हें बोलने का मौका दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बताया है कि प्रश्न काल के बाद, मैं उन्हें बोलने का अवसर दूंगा। परंतु वे सुनना नहीं चाहते। वे सभा में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, कृपया आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या मैं अपनी बात दोहरा सकता हूं? क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं?

स्पष्टत:, घटना से यह संकेत मिलता है कि आतंकवादी एक बड़े

सैन्य,सुरक्षित क्षेत्र में किए गए हमले को सेंध मारी जैसा कार्य दिखाकर सनसनी उत्पन्न करना चाहते थे, जबकि वास्तव में, ऐसा नहीं था। तथापि, घुसपैठिए इस घटना को देश के अंदर और बाहर चर्चा का विषय बनाने में सफल रहे। आतंकवादी एक बड़ी उपलब्धि के लिए अपनी प्रशंसा कर सकते थे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मै दलों के सभी नेताओं से अपील करता हूं कि वे शिष्टाचार बनाए रखें।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रश्न काल के बाद उन्हें बोलने का मौका दूंगा।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को स्थगित नहीं करूंगा।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूरक प्रश्न पूछा है। अब, माननीय मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज उत्तर दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या रक्षा मंत्रालय ने ऐसी सिविलियन स्थापनाओं की पहचान की है जहां सिविलियन आवा-जाही ज्यादा होती हो।...(व्यवधान)

महोदय, कुछ ऐसे संस्थापन हैं जिनके नाम मैं यहां नहीं लेना चाहता ...(व्यवधान)। तथापि, मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि उनकी कुछ गतिविधियों के माध्यम से उन संस्थापनों के अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रयास किया जाता है और उससे आगे कुछ भी नहीं...(व्यवधान) ऐसे उन संस्थापनों अथवा स्मारकों, जैसा कि मैं उन्हें कहना चाहूंगा जो इस श्रेणी में आएंगे, की पहचान हमने कर ली है और हमने उनकी सुरक्षा के उपाय कर लिए हैं तथा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को गैस की आपूर्ति

***23. श्री राजो सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उस नये समझौते का ब्यौरा क्या है जिसके अन्तर्गत भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड फर्टिलाइजर्स इंडिया लिमिटेड को अपेक्षाकृत कम मात्रा में गैस की आपूर्ति कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स बन्द होने की स्थिति में आ गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा किए गए समझौते का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आर सी एफ) को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति थल में उनके संयंत्र के लिए अस्सी के दशक के आरम्भिक वर्षों से और ट्राम्बे में उनके संयंत्र हेतु सत्तर के दशक के अन्तिम वर्षों से की जा रही है। तथापि, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और आर सी एफ के बीच औपचारिक गैस आपूर्ति संविदा सितम्बर, 1996 में की गई थी। तब से गेल और आर सी एफ के बीच कोई नया करार नहीं हुआ है गेल ''फर्टिलाइजर्स इंडिया लिमिटेड'' नाम की किसी कंपनी को गैस की आपूर्ति नहीं कर रही है।

(ख) मुंबई हाई क्षेत्रों से उरान तक प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में समग्र कमी के मद्देनजर आर सी एफ सहित उरान तक सारे उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति आबंटन से कम है।

(ग) गेल और आर सी एफ के बीच गैस अपूर्ति संविदा में विशेष रूप से यह उल्लेख है कि गैस की आपूर्ति गैस की कुल उपलब्धता के अध्यधीन है। इसलिए गेल द्वारा संविदागत शर्तों को कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, गैस आपूर्ति में कमी के संबंध में आर०सी०एफ० ने लगातार अपनी शिकायत मंत्रालय तक पहुंचाई है परन्तु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, जिससे एक महत्वपूर्ण उद्योग को इस प्रकार घाटा उठाना पड़ रहा हो। मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि गैल और आर०सी०एफ० के बीच हुए समझौते में प्रतिदिन कितनी गैस सप्लाई का निर्णय लिया गया था और वास्तव में कितनी गैस आर०सी०एफ० को दी जा रही है और इस कमी के कारण क्या हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि जो समझौता हुआ है उस समझौते में कमी का क्या कारण है ?

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, जो समझौता हुआ है उसमें मुंबई हाई में 16.6 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे (एमएमएससीएमडी) गैस निकलने का अनुमान था लेकिन न उतना मिला और उसके बाद धीरे-धीरे गैस कम होती जा रही है।...(व्यवधान)

एक फरवरी से प्रारम्भ हुए पखवाड़े में 9.34 (एमएमएससीएमडी) में भी गैस प्राप्त हुई है। यह उत्पादन 25 साल में धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। आर०सी०एफ० को ज्यादा गेस दी है, क्योंकि उस गैस का उपयोग फर्टीलाइजर प्रोडक्शन में होता है लेकिन गैस का प्रोडक्शन कम हुआ है इसलिए प्रपोशनेटली गैस कम हुई है।

श्री राजो सिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि गैस की कमी हो गई है तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो कमी हुई है उस कमी की आपूर्ति करने के लिए सरकार की क्या योजना है और उसे कब तक पूरा करेंगे ?

श्री राम नाईक : मुंबई हाई फील्ड से जो गैस कम हो रहा है उसमें सुधार करने के लिए मुंबई हाई फील्ड में रिडेवल्पमेंट करने की योजना हमने बनाई थी। उस योजना के तहत 7500 करोड़ की लागत का एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है। मुझे यह बताने में खुशी है कि रिडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है और 12 जनवरी, 2001 को जो खुदाई की है उसमें अच्छे पैमाने पर तेल मिला है यह जो प्रोडक्शन का रिडेवलपमेंट का काम है इसे आने वाले दो साल में पूरा कर लेंगे।...(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सरकार किसान विरोधी है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। दस सदस्यों द्वारा पूरे सदन को परेशान किया जा रहा है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : यह जनतंत्र विरोधी सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संसद को चलने नहीं दे रहे हैं यह कौन-सा विरोध है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, किसानों की फसलों की खरीद के बारे में चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश के और दूसरे हिस्से हों, सदस्यों की भावना से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इस प्रकार की दिक्कतें हैं इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मेरी सदस्यों से प्रार्थना है कि आज या कल जब भी स्पीकर साहब तय करें, इस पर एक बहस की तारीख निश्चित की जा सकती है। इस पर जब भी बहस होगी तो इस पर सरकार अपनी योजना रखेगी और सदस्य इस पर अपने-अपने सुझाव दे सकते हैं और सभी मिलकर इस पर कोई एक रास्ता निकाल सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्रश्नकाल को चलने दें और इस पर जब बहस हो तो बहस करें, इतनी मेरी प्रार्थना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैने खुद मुलायम सिंह जी से कहा कि जीरो-आवर में आप इसको उठा सकते हैं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, यह पूरे देश का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : पूरे देश का मामला है यह सभी जानते हैं। मुलायम सिंह जी, मैंने आपको बोलने के लिए कहा और आप बोलेंगे भी, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा। मैंने आपको कहा कि मैं आपको चांस दूंगा। लेकिन आप चांस लेना नहीं चाहते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह बजट सेशन का पहला क्वश्चयन-आवर है और आप नेशनल लीडर हैं और ये आपकी पार्टी के मैम्बर्स हैं। मैंने कहा कि जीरो-आवर में मैं आपको चांस दूंगा। पहले क्वश्चयन-आवर में मैंने आपको चांस दिया। मैंने आपसे अनुरोध किया कि क्वश्चयन-आवर के बाद आपको चांस दूंगा, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं...(व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जैसा कहा है हम उससे सहमत हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, प्रत्येक व्यक्ति सभा में बीच-बीच में इसके बारे में बात कर रहा है। जब कभी मुद्दे उठाए जाते हैं, तो आश्वासन तो दिए जाते हैं किन्तु इस क्षेत्र में कुछ भी कार्यान्वित नहीं किया जाता है। पूरे सदन द्वारा जिस तरह से उन्होंने सारा कार्य किया है, इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री को इसके लिए घेरना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि स्पीकर साहब जैसा चाहेंगे वैसी बहस होगी। लेकिन सवाल यह है कि कई बार इस पर बहस हो चुकी है लेकिन सरकार ने किसानों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है। किसानों की बर्बादी का मतलब है देश की बर्बादी। समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल पार्टी अपने लिए नहीं लड़ रही है, देश के लिए लड़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप खुद ही सीरियस नहीं हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, अगर संसदीय कार्य मंत्री जी ने अनुरोध किया है तो ये आज रघुवंश प्रसाद सिंह जी, अखिलेश

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित किया गया।

सिंह जी और रामजीलाल सुमन जी, इस पर बहस करेंगे। आप इस पर सहमत हो जाएंगे तो हमारे साथी वापस आ जाएंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूँ। श्री मुलायम सिंह यादव, मुझे कुछ कहना है। अब क्या आप अपने सदस्यों को अपनी सीटों पर जाने के लिए कहेंगे ?

पूर्वाह्न 11-36 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मुझे यह बताने दें कि नियमों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही इस सदन में किसी मामले पर चर्चा की जाएगी जैसा कि आप वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जानते ही हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूँ, माननीय सदस्यों।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मैंने कहा कि आपको कोई भी मामला अगर उठाना है तो उसका एक अवसर होता है, क्वश्चयन-आवर में, क्वश्चयन आवर का ख्याल रखना होता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप नहीं चाहते कि यहां तक कि पीठासीन अधिकारी भी कुछ कहे। सारी समस्या यही है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के बाद, शून्य काल भी होगा। मैं आपको अवसर दूंगा। मैंने आपको भी बताया है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको शुरू में कहा और क्वश्चयन-आवर से पहले आपको चांस दिया या नहीं। मैंने आपसे कहा कि जीरो-आवर में मैं आपको चांस दूंगा लेकिन फिर भी आपने-अपने मैम्बर्स को यहां परेड़ करवा दिया। क्या आप यह देखना चाहते है कि मेरा कितना स्टैमना है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए०सी० जोस, आप अपना पूरक प्रश्न पूछें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : पहले सरकार गूंगी बनी बैठी थी, अब सरकार बोली है, अब ठीक है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पूरक प्रश्न के अतिरिक्त कार्यवाही सारांश में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : महादेय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि गैस की कमी उर्वरकों के उत्पादन में कमी के कारणों में से एक है। देश में केरल की एफए सीटी सहित बहुत बड़ी उर्वरक कम्पनियां है। अब वे नाफ्था के साथ उर्वरक का उत्पादन कर रहे हैं। किन्तु नाफ्था बहुत मंहगी है। इसके परिणाम स्वरूप वे भारी घाटा उठा रहे हैं। किसी समय सरकार उर्वरक के उत्पादन के नाफ्था के आयात के लिए स्वयं सहमत थीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वर्तमान परिदृश्य में, जब नाफ्था और गैस की कमी है, तो वह एफएसीटी जैसी कम्पनियों को 'गैल' अथवा इंडियन आयल अथवा सरकारी क्षेत्र की अन्य कम्पनियों के माध्यम के बिना सीधे नाफ्था अथवा गैस के आयात की अनुमति देंगे।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के उत्तर को छोड़कर कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, नैफ्था का आयात पहले ही मुक्त है। उसमें कोई बाधा नहीं है और नैफ्था भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब मुश्किल यह है कि आरसीएफ गैस चाहता है। वे नाफ्था नहीं चाहते और गैस की आपूर्ति कम की गई है। यही मुख्य प्रश्न है। इसलिए नैफ्था प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, चाहे जिसे चाहिए। चूंकि गैस, जो मुंबई हाई में उपलब्ध है, पिछले दस साल में कम हो गई है, मैं तत्काल कुछ नहीं कर सकता। किन्तु हमने मुंबई हाई का पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू किया है, और हम मुंबई हाई में गैस के उत्पादन के विकास के लिए 7,500 करोड़ रुपये निवेश कर रहे हैं।

श्री ए०सी०जोस : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान परिदृश्य में, क्या सरकार कम्पनियों को नाफ्था का सीधे आयात करने की अनुमति देगी? आपका उत्तर यह है कि नौफ्था देश में उपलब्ध है। किन्तु मूल्य बहुत अधिक है। इसी समय, यदि ये कम्पनियां बाहर की कम्पनियों से सौदेबाजी करती हैं, तो सस्ती दर पर प्राप्त कर सकती है। तो क्या आप एफएसीटी को सीधे नाफ्था का सस्ते तरीके से सीधे आयात करने की अनुमति देंगे?

---

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित किया गया।

श्री राम नाईक : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न एक अलग कम्पनी से संबंधित है। किन्तु यह समझना चाहिए कि आयातित नैफ्था क्यों सस्ता है। हम उसी दर पर आपूर्ति करने को तैयार हैं, जिस दर पर नाफ्था बाहर के देशों में उपलब्ध है। किन्तु होता यह है कि जब इसका आयात किया जाता है, तो उस पर कोई बिक्री कर नहीं लगता। यही कारण है कि यह सस्ता हो जाता है। अब हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि यदि वे नैफ्था पर बिक्री कर कम कर दें, जो उर्वरकों और बिजली उत्पादन में प्रयुक्त होता है, तो भारतीय कम्पनियां भी आयातित दर पर ही आपूर्ति कर सकती हैं। इसलिए आपको बिक्री कर कम करने के लिए राज्य सरकारों को राजी करना चाहिए।

"ओपेक द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कमी

***24. +श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "ओपेक" ने कच्चे तेल के उत्पादन में कमी करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या "ओपेक" के इस निर्णय से देश में कच्चे तेल के उत्पादन और उसकी कीमतों पर कोई प्रभाव पड़ेगा,

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और

(घ) देश में कच्चे तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन (ओपेक) ने 17-1-2001 को वियना में आयोजित अपनी बैठक में 1-2-2001 से अपने कच्चे तेल के उत्पादन में 15 लाख बैरल प्रति दिन की कमी लागू करने का निर्णय लिया था।

(ख) और (ग) ओपेक के निर्णय का देश में कच्चे तेल के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, ओपेक द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कमी करने से अर्न्तराष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि से आयात बिल और तेल विपणन कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की प्राप्ति लागत में वृद्धि होती है।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग और आयात निर्भरता लगभग 70 प्रतिशत के वर्तमान स्तर को देखते हुए निकट भविष्य में आत्म निर्भरता की परिकल्पना कठिन है। तथापि, देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए है जिनमें निम्न सम्मिलित हैं :

(1) वर्चित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाएं लागू करके वर्तमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना, विशेषकर आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने 10,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर इस काम के लिए 15 क्षेत्रों पर कार्य आरम्भ किया है जिनसे इन क्षेत्रों से तेल के उत्पादन में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेन्सिंग नीति (एन ई एल पी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने के लिए, नई अन्वेषण नीति (एन ई एल पी) के प्रथम दौर के तहत 24 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इन ई एल पी के दूसरे दौर के अंतर्गत 25 ब्लाक प्रस्तावित किए गए हैं। बोली की अंतिम तारीख 31-3-2001 है।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश आकर्षित करने के लिए भारतीय और विदेशी कम्पनियों के परिसंघों के साथ 23-2-2001 को 11 खोजे गए क्षेत्रों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं हस्ताक्षरित की जा रही हैं। इनमें से 10 क्षेत्र गुजरात में हैं और 1 असम में है।

(4) नए क्षेत्रों विशेषकर गहन जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादक क्षेत्रों की अधिक गहरी परतों में भी अन्वेषण करना।

(5) नए खोजे गए क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर और उत्प्रेरण कार्यों के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाना।

देश में तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपर्युक्त प्रयासों को अनुपूरित करते हुए विदेश से इक्विटी तेल प्राप्त करने के उपाय किए जा रहे हैं। वियतनाम, जहाँ ओ एन जी सी – विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) का 45 प्रतिशत हिस्सा है, के लेन टे/लेन डो क्षेत्रों से गैस 2002 के अन्त तक प्राप्त होने की सम्भावना है। ओ वी एल ने हाल ही में 10-2-2001 को 8000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ रूस में सखलिन-1 अपतट में 20 प्रतिशत हिस्से की प्राप्ति के लिए एक प्रमुख करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ओ वी एल ने इराक में 28-11-2000 को अन्वेषण ब्लाक संख्या 8 के लिए भी एक संविदा हस्ताक्षरित की है। ओ वी एल द्वारा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन में सहयोग के लिए अल्जीरिया, इन्डोनेशिया, वियतनाम और वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह : महादेय, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर का अध्ययन किया है। मेरा केवल एक प्रश्न है। मैं जानना चाहती

हूं कि क्या सरकार पेट्रोल उत्पादों के घरेलू मूल्य को अन्तरराष्ट्रीय मूल्य से जोड़ने जा रही है और (प्रशासित मूल्य तंत्र) को छोड़ रही है।

श्री राम नाईक : महोदय, 1997 में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि प्रशासित मूल्य तंत्र 1 अप्रैल, 2002 तक चलेगा। सरकार का प्रस्ताव इस मूल नियत समय पर डटे रहने का है जिसके द्वारा शासित मूल्य तंत्र चलना है और यह नियत समय 1 अप्रैल, 2002 है। हम उस तिथि पर डटे रहेंगे।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, यह विचार करते हुए कि हमारे तेल का 70 प्रतिशत आयात किया जाता है, हमारे घरेलू उत्पादन के लिए तेल का केवल 30 प्रतिशत उत्पादित किया जाता है, हम यह जानना चाहेंगे कि क्या विकल्प होगा जब भुगतान संतुलन में भिन्नता है, जब अंतरराष्ट्रीय मूल्य बढ़ता है और हमारे मूल्य स्थिर रहते हैं ? यह इसलिए कि चार साल पहले इराक और कुवैत के बीच युद्ध के समय हमारे पास तेल भंडार केवल दो दिनों के लिए था और दो दिन के बाद हम संकट में थे। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संकट दुबारा न हो और यदि यह होता है, तो क्या कदम उठाए जाएंगे कि सरकार इसे तेल भंडार की पर्याप्तता बनाए रखने हेतु क्या करेगी?

श्री राम नाईक : महोदय, केवल एक ही तरीके से हम तेल और गैस के मामले में देश को सुरक्षित कर सकते हैं और वह स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना है। अब यह अलग बात है कि पिछले दस वर्षों में हमने सफल प्रयास नहीं किए है। किन्तु इस समय, जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा, हम मुंबई हाई और अन्य क्षेत्रों में 10,000 करोड़ की लागत से पुनर्विकास कर रहे हैं। यह किया जा रहा है। दूसरे स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए, हमने प्रणाली को गतिशील बनाया है और नई दोहन लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) लाए हैं।

एनईएलपी के पहले दौर में, गहरे समुद्रों, उथले पानी और भूमि में तेल की खोज के लिए हमने पहले ही 24 ठेकों पर हस्ताक्षर किए है। 25 ब्लॉक के अन्य दौर में, हमने बोलियां जमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च पुन: दी है। इसलिए अन्य 25 ब्लॉकों के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है और तीसरी तथा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है तकनीकी तौर पर स्वदेशी उत्पादन की बात नहीं। अगर सभी व्यवहारिक प्रयोजन देखें तो हमारी तेल सुरक्षा बढ़ रही है। अभी हाल ही में, हमने सखलिन, रूस में एक बहुत ही बड़े तेल क्षेत्र के लिए समझौता किया है। इस क्षेत्र में से 20 प्रतिशत उत्पादन हमें दिया जाएगा। हमने सखलिन परियोजना के लिए 8000 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया हैं यह महत्वपूर्ण रहेगा।

इस तरह, हम अन्य देशों जैसे के इराक, इरान, वियतनाम और अल्जीरिया में अतिरिक्त ठेकों के लिए प्रयत्न कर रहे है, जहां हम तेल की खोज और उत्पादन करेंगे। इराक के साथ एक ठेके पर पहले ही समझौता किया जा चुका है। वियतनाम के साथ ठेके में कोई प्रगति नहीं है, जो दस साल पहले किया गया था, किन्तु अब सब कुछ प्रवाहमान है। इस साल के अंत तक, वियतनाम से भी गैस उपलब्ध होगी। इसलिए, हम देश के बाहर सुरक्षा प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं, जहाँ हमारा ओएनजीसी विदेश कार्य करेगा। उन्हीं तरीकों से हम अपना उत्पादन बढ़ाने का प्रत्यन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल था कि ओपेक के कट डाउन से प्रोडक्शन और प्राइसिंग में क्या फर्क आने वाला है ?

[अनुवाद]

ये प्रश्न के दो मुद्दे हैं।

[हिन्दी]

मंत्री जी ने दो पाट्र्स में जवाब दिया है। पहला पार्ट यह है कि देश में कच्चे तेल के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

दूसरा पार्ट यह है कि

[अनुवाद]

पेट्रोलियम मंत्री जी ने विभिन्न कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

लेकिन जो जवाब दिया है।

[अनुवाद]

मै। समझता हूँ यह आधा उत्तर है।

[हिन्दी]

सवाल दो पाट्र्स में प्रोडक्शन और प्राइसिंग के बारे में पूछा गया था। इसमें प्राइस के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री जी ने जो मैजर्स उठाने की बात कही है, उसमें अभी यह बताया कि पिछले दस सालों में वहां कोई तरक्की नहीं हुई है। हमें भूख आज लगी है और हम कल की बात कर रहे हैं। सरकार की शॉर्ट और मीडियम-टर्म पालिसीज क्या हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं का पूरा करना है ?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि भूख आज लगी है। यदि भूख आज लगी है तो अनाज को कर तैयार

होने में छः महीने लगते हैं।

श्री सुबोध मोहिते : दस साल से यही चल रहा है।

श्री राम नाईक : दस साल से ऐसा चल रहा है तो हम इसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। खेत में यदि कुंआ बनाना है तो उसे बनाने में भी छः महीने लगते हैं। आज प्रयास करेंगे तो वहां से तेल निकलने में और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन होने में कम से कम तीन से चार साल लगेंगे। इस भूमिका में जो भी काम का बैकलॉग रहता है, उसे हम पूरा कर रहे हैं। इसके आधार पर वह और बढ़ेगा।

मैं एक बात पहले वाले सवाल के जवाब में बता नहीं पाया कि ऐसी पुरानी 12 डिस्कवर्ड फील्ड्स हैं। इनके कांट्रैक्ट का काम 1994 से पैंडिंग था। ऐसे ब्लॉक्स पैंडिंग थे जिन्हे हमने पूरा किया। मुझे सदन में यह बताते बड़ी खुशी है कि हम इन ब्लॉक्स के प्रोडक्शन शेयरिंग कांट्रैक्ट के लिए दिल्ली में एक समारोह में हस्ताक्षर करेंगे। हम सभी तरह से कोशिश करके इसका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आधार पर जो भी कमियां हैं हम उन्हें पूरा करेंगे। हम आज 70 परसैंट इम्पोर्ट करते हैं तो एकदम सैल्फ सफिसियेंसी अपने आप दस साल में आएगी, ऐसा सम्भव नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं और सदन के सदस्यों की शुभेच्छा से हम इसमें सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, मेरे विचार में, आत्मनिर्भरता हमारे अर्थव्यवस्था का आवश्यक मूल आधार है। मैं जानना चाहता हूँ कि अपने देश को तेल तथा गैस के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या सरकार ने कोई व्यापक योजना स्वीकार की है ? यदि हाँ तो हमारा देश कितने वर्षों में गैस, कच्चा तेल तथा अन्य संबद्ध पेट्रोलियम उत्पादों में वास्तव में आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

एक अन्य मसला जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वह यह है कि हमें बताया गया है कि पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल अर्थात बंगाल बेसिन में तेल तथा गैस का बहुत बड़ा सुरक्षित भंडार है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने तेल की खोज के लिए कोई ठेका देने का निर्णय लिया है? मेरा प्रश्न यह है।

श्री राम नाईक : जहाँ तक दीर्धावधि नीति का संबंध है सरकार ने इण्डो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 तैयार की है जिसमें आगामी पचीस वर्षों के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में हमारी नीति को स्पष्ट किया गया है।

अब, बंगाल से संबंधित विशिष्ट प्रश्न पर आता हूँ। एन०ई०एल०पी० के इस दूसरे दौर में हम बंगाल के दो ब्लॉक ठेके पर दे रहे हैं। हम एक और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जिसमें उन राज्यों को फायदा होगा जिनके पास कोयला है। हम एक गैस विकसित कर रहे हैं जिसे कोल-बेड मिथेन (सी०बी०एम०) कहा जाता है। इस गैस का उत्पादन कोयले से भी किया जा सकता है। 'कोल-बेड मिथेन' की पहली परियोजना पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में शुरू की जा रही है। 'तेल और प्राकृतिक गैस आयोग' ने यह कार्य सफलतापूर्वक किया है तथा ग्रेट इस्टर्न कंपनी के साथ एक अन्य ठेके पर आने वाले दिनों में हस्ताक्षर किए जायेंगे। इस प्रकार बंगाल राज्य में सी०बी०एम० परियोजना भी आरंभ की जा रही है।

मैं अन्य राज्यों से भी अपील करता हूँ क्योंकि यह नीतिगत मामला है कि वे राज्य भी सहमत होने चाहिए। गुजरात पहले से ही सहमत हो गया है, अब मध्य प्रदेश तथा झारखंड को सहमत होना होगा। जैसे ही वे सहमत हो जायेंगे हम अन्य सी० बी० एम० खण्डों पर कार्य आरंभ कर देंगे जैसा कि हम एन०ई०एल०पी० खण्डों में कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि ओपेक देशों की मीटिंग हुई : "कच्चे तेल का उत्पादन 15 लाख बैरल प्रतिदिन घटाने का निर्णय लिया गया।" इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन कम करके वे दाम बढ़ाना चाहते हैं। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि ओपेक देशों का डिसीजन हम पर बाइंडिंग नहीं है। ईराक ने पिछली बार कहा था कि वह कम दाम पर तेल देने को तैयार है। ईराक के साथ जो कांट्रेक्ट हुआ है, उस संबंध में मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने कम दाम में हमें यह क्रूड ऑयल मिलेगा?

श्री राम नाईक : आपका प्रश्न क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न यह है कि क्या कम दाम में किसी और जगह से तेल मिलने वाला है?

श्री राम नाईक : इराक भी ओपेक का एक भाग है। लेकिन ईराक आज एक दूसरी स्थिति में है। ईराक पर यू०एन०ओ० ने कुछ सैक्शन्स लगाये हैं, इसलिये यदि ईराक से कोई तेल खरीदता है तो यह यू०एन०ओ० कमेटी की सैक्शन्स के बाद यू०एन०सैंक्शन्स कमेटी के माध्यम से किया जा सकता है। ईराक से हमने कुछ तेल लिया।

[अनुवाद]

यह 'तेल के बदले खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत है। अब हम जितना अधिक संभव होगा, इराक से तेल लेना जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मार्किट से कितने दाम पर है। मैने जिक्र किया था कि यू०एन०ओ० कमेटी की सैंक्शन्स के बाद. . .

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री जी ने कोई इनफरमेशन देनी होगी तो आपको लिखकर दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : कृष्णा-गोदवारी बेसिन में कितने खण्डों की खोज की गयी है। अब तक कितने खण्डों को पार्टियों को दे दिया गया है और उन्होंने तेल की खोज आरंभ कर दी है या नहीं? यह मेरे पूरक प्रश्न का पहला भाग है।

मेरे पूरक प्रश्न का दूसरा भाग विदेशी मुद्रा बचाने के संबंध में है, क्या भारत सरकार गन्ना से इथेनॉल उत्पादित करने की योजना बना रही है जिसे हम पेट्रोल में मिला सकते है? हम इसके द्वारा काफी मात्रा में पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। क्या सरकार के पास इस बारे में कोई योजना है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं इसका उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, यद्यपि यह इस प्रश्न से सीधे संबंधित नहीं है फिर भी माननीय मंत्री के पास इसकी जानकारी है और वे इससे आपको अवगत करा रहे हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला यह कि कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र में कितने खण्ड हैं? दूसका यह कि चूँकि माननीय सदस्य आंध्र प्रदेश राज्य से हैं, तो कितने आंध्र प्रदेश राज्य के निकट हैं।

पहली एन०ई०एल०पी० के अन्तर्गत 25 खण्ड हैं और दूसरी एन०ई०एल०पी० के अन्तर्गत 25 खण्ड हैं। मैं माननीय सदस्य को 50 खण्डों की पूरी सूची दे दूंगा और इस सूची से वे यह पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितने खण्ड हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर मैं संख्या याद नहीं रख पाता हूं। परन्तु मैं पूरी सूची माननीय सदस्य को दे दूंगा।

इस प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि हम गन्ना से इथेनौल का उत्पादन कर सकते हैं या नहीं। मुद्दा यह है कि यदि यह पेट्रोल में सम्मिश्रण के रूप में मिलाया जाता है तो इसमें गन्ना उत्पादक किसानों को भी उचित मूल्य मिल पाएगा। सरकार ने अब इस कार्य को करने के लिए तीन पायलट परियोजनाएँ शुरू करने का निर्णय लिया है। महराष्ट्र राज्य में दो परियोजनाएँ हैं, जो कि प्रथम प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। एक अन्य परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में है। महाराष्ट्र में पहली परियोजना मार्च के अंत में वह उत्पादन आरंभ कर देगी।

महोदय, मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि जब अन्य राज्यों को इन तीन परियोजनाओं के स्वीकृत होने के बारे में जानकारी मिली तो कई अन्य राज्यों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। आगामी छह महीनों के भीतर जैसे ही इन पायलट परियोजनाओं के परिणाम प्राप्त हो जायेंगे यह सभी गन्ना उत्पादक राज्यों को उपलब्ध होगी।

श्री के० येरननायडू : महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक पायलट परियोजना शामिल किए जाने की सिफारिश की है। मैं यह जनना चाहूँगा कि क्या इसे शामिल किया गया है या नहीं। माननीय मंत्री ने दो परियोजनाओं के बारे में उल्लेख किया है। अन्य परियोजना की क्या स्थिति है?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री के पास जानकारी होगी तो वे आपको अवगत करायेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री येरननायडू, यदि आप इसे सरकार को समर्थन देने के लिए शर्त के रूप में रखेंगे तो वे इसे अनुमोदित करेंगे।

श्री राम नाईक : मैंने पश्चिम बंगाल राज्य को सी०बी०एम० खण्ड बिना आपके समर्थन के ही दिया हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो गुजराती होने के नाते अभी हाल ही में वहां आये भूकम्प से पीड़ित लोगों को जो मदद दी है, उसके लिये आभार प्रकट करने के लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। यहां तक कि बाहर के लोगों ने भी मदद दी है। इस भूकम्प के कारण कई जगह ऐसा महसूस हुआ है कि कोई कैमिकल या गैस निकल रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि गुजरात में कच्छ तथा दूसरी जगहों और मेरी कांस्टीटुवंसी जूनागढ़ जो समुद्र का किनारा है, वहां ऐसा कैमिकल या गैस निकलने की संभावना प्रकट हुई है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि इस बारे में उसकी क्या सोच है। प्रश्न के घ भाग में पूछा गया है देश में कच्चे तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कर रही हे, यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि 1994 में कुछ ब्लाक्स/फील्डज के कांट्रैक्ट ये साइन नहीं हुये थे जिसे हम कल करने वाले हैं। इनमें 12 ब्लाक्स में से 10 ब्लाक्स गुजरात के हैं। इसलिये हम गुजरात के प्रोडक्शन शेयरिंग कांट्रेक्ट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इससे गुजरात को कुछ पैमाने पर लाभ होने वाला है। इसी के साथ-साथ हमने एन०ई०एल०पी० सैकिंड राउंड को कुछ और ब्लाक्स दिये हैं जो गुजरात के समुद्र किनारे में है। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि उसमें जो खम्भात की खाड़ी है जिसे कैम्बे फील्ड कहते हैं, मैं पिछले दो महीने में चार जगह पर नये तेल और गैस के भंडार मिले हैं। ये भी जल्दी से जल्दी केन एनर्जी कंपनी के जरिये डैवलेप हुये हैं। इससे भी गुजरात को काफी लाभ होगा।

[अनुवाद]

श्री समर चौधरी : क्या माननीय मंत्री मुझे यह जानने में सहायता करेंगे कि क्या त्रिपुरा राज्य में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है ? कितनी उपलब्ध है लेकिन उठाई नहीं गई है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उर्वरक पर प्रतिबंध का संमाधान किया जाएगा या नहीं। वास्तविक

स्थिति क्या है?

श्री राम नाईक : महोदय, यह सही है कि त्रिपुरा में गैस उपलब्ध है लेकिन दुर्भाग्यवश इस अर्थ में वहां पर इसके लिए कोई उपभोक्ता उपलब्ध नहीं है कि वहां पर गैस आधारित और औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जानी होगी। जैसे ही त्रिपुरा राज्य तथा अन्य वहां और अधिक औद्योगिक इकाईयां लगाऐंगे त्रिपुरा में गैस उपलब्ध करायी जा सकती है। वहां गैस उपलब्ध है लेकिन उसे बाहर निकाला नहीं जा सकता क्योंकि त्रिपुरा में इसके लिए पर्याप्त उपभोक्ता नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : बांग्ला देश से इसकी मांग की गयी है।

श्री राम नाईक : मैंने कहा कि गैस उपलब्ध थी।

श्री समर चौधरी : उपभोक्ताओं को उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री राम नाईक : महोदय, यह प्रश्न मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मैं गैस की अपूर्त्ति कर सकता हूँ। गैस का उपभोग करने वाले स्वाभाविक रूप से उपक्रम ही होंगे। वे निजी क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्र में हो सकते हैं, या वे राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार के उपक्रम हो सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में मैं गैस की आपूर्त्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रर्वोत्तर के लिए औद्योगिक अवसंरचना हेतु व्यापक पैकेज की क्या स्थिति है? क्या यह उससे जुड़ा हुआ नहीं है ? मंत्री समग्र रूप में बात करें न कि पृथक-पृथक रूप में।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न श्री समर चौधरी द्वारा पूछा गया था।

श्री राम नाईक : यदि प्रश्न त्रिपुरा के बारे में होता और यदि माननीय सदस्य ने इसे 12 बजे मध्याह्न से पहले पूछा होता तो मैं इसका उत्तर देता.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए आरक्षण

***22. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधानमंडलों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने वाले विधेयक को आसानी से पारित करवाने के लिए संसद् में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए, पिछले तीन महीनों के दौरान क्या प्रयास किए गए:

(ख) इन प्रयासों के क्या परिणाम निकले और विधेयक में यदि कोई संशोधन और सुधार किये जाने हों, तो ऐसे संशोधनों और सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) तारीख 22.12.99 को संसद् के दलों/समुहों के नेताओं की बैठक में जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी, अधिकांश राजनैतिक दलों द्वारा, महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति मतैक्य होने और सैद्धांतिक रूप से सहमत होने पर सरकार ने यह उपबंध करने के लिए कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, तारीख 23.12.99 को संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 पुर:स्थापित किया था।

यद्यपि, विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए सूचनाएं, बजट सत्र, 2000 और मानसून सत्र 2000 में दी गई थी। मुद्दे पर एकमत न होने के कारण उस सदन में विधेयक पर विचार किया जाना और उसे पारित किया जाना संभव नहीं था। इसीबीच, भारत-निर्वाचन आयोग ने अन्य प्रस्तावों के साथ निर्वाचन संबंधी सुधारों के लिए तारीख 29.4.2000 को सभी दलों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें ''संसद् और राज्य विधान-मंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व'' विषय पर चर्चा हुई थी। आयोग द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर भी जिसमें यह कहा गया था कि निर्वाचन आयोग से अपनी मान्यता जारी रखे रहने के दौरान दल, महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम तय पाया गया प्रतिशत रखेंगे, आम सहमति नहीं हो पाई थी। उपरोक्त विधेयक के उपबंधों पर चर्चा किए जाने की दृष्टि से, विधेयक को शीतकालीन सत्र, 2000 के दौरान 21.12.2000 और 22.12.2000 को उस सदन में विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए सूची में रखा था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा सका। इस प्रकार सरकार ने संसद् के सदनों में डिबेट और चर्चा कराए जाने के लिए और सभी राजनैतिक दलों के बीच सहमति बनाई जाने के लिए वस्तुत: प्रयास किए थे। तथापि, सहमति पर टाल-मटोल जारी रहा। सरकार ने आवश्यक विधान पुर:स्थापित करके अपना कर्तव्य निभाया है और वह माननीय सदस्यों की ओर से आने वाले किन्हीं भी सुझावों पर उदारतापूर्वक विचार करेगी।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाले कोयले में घोटाला

***25. श्री राम टहल चौधरी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या सरकार ने विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले कोयले के संबंध में हुए घोटाले की कोई जांच कराई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) इस संबंध में कितने कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

1	2	3	4	5	6
3.	सामग्री/उपस्कर की खराबी	38	33	28	03
4.	तोड़फोड़	13	11	21	20
5.	मिले-जुले कारण	3	1		1
6.	आनुषंगिक	9	14	15	25
7.	कारण, जो सिद्ध न हो सके	4	7	7	4
8.	जांचाधीन	—	—	—	1
9.	जोड़	396	397	463	408

*31.01.2001 तक (अंनतिम)

जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार जिम्मेवार पाए गए कर्मचारियों को विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है तथा स्वीकार की गई सिफारिशें कार्यान्वित की जाती हैं–

हताहतों, सरकारी संपत्ति को हुई क्षति का मूल्य तथा भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा इस प्रकार है:

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01*
मारे गए व्यक्तियों की संख्या	332	489	616	182
घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	999	852	1121	398
सरकारी संपत्ति को हुई क्षति का मूल्य (करोड़ रुपए में)	56.50	64.32	81.94	44.48
भुगतान किया गया मुआवजा (करोड़ रुपए में)	3.78	10.41	2.60	8.31

*31-01-2001 तक (अनंतिम)

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों की सूची नीचे दी गई है :

(i) "ए", "बी", "सी", "डी" और "डी विशेष" जहां गति 75 कि०मी० प्र०घ० से अधिक है, समूचे मार्गों पर उल्लंघन चिह्नों से उल्लंघन चिह्नों तक रेलपथ परिपथन पूरा हो गया है। शेष भाग में कार्य प्रगति पर है।

(ii) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(iv) मध्य रेलवे के तुगलकाबाद-मथुरा खंड पर परीक्षण के आधार पर सहायता चेतावनी प्रणाली की एक पायलट परियोजना शुरू की जा रही है। इस संबंध में निविदा आमंत्रित की गई है।

(v) 150 ब्लाक खंडों में धुरा काउंटरों द्वारा अंतिम वाहन जांच आरंभ की गई है तथा इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(vi) ड्राइवर/गार्ड तथा नियंत्रण कक्ष के मध्य डूप्लेक्स रेडियो संचार मुहैया कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर डिजिटल मोबाइल ट्रेन, रेडियो संचार की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को मंजूरी दी गयी है।

(vii) सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को संचार के तीव्र व बेहतर संचार के लिए वॉकी-टॉकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं।

(viii) ड्राइवर तथा गार्डों को लैड आधारित इलेक्ट्रोनिक्स फ्लैश लैंप मुहैया कराए गए हैं, जिनकी दृश्यता परंपरागत मिट्टी के तेल वाले हाथ के सिगनल लैंप की तुलना में बेहतर है।

(ix) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टेपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(x) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(xi) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों को खरीद की गई है। अब स्वचालित पराश्रव्य रेल जांच वाहनों की भी खरीद की जा रही है।

(xii) कई डिपुओं में सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(xiii) धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है ताकि धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों को रोका जा सके।

(xiv) डीजल उपकर से प्राप्त निधियों का उपयोग समपारों से संबंधित संरक्षा संबंधित कार्यों के लिए किया जाएगा।

(xv) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधों व सड़क चिह्न मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(xvi) सड़क उपयोगर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(xvii) भारी घनत्व यातायात वाले समपारों पर योजनागत आधार पर सिगनलों के साथ इंटरलॉकिंग की जा रही है।

(xviii) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाने के उपाय किए गए हैं।

(xix) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंतर्विभागीय दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की है।

(xx) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(xxi) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और यदि किसी में कोई कमी पाई जाती तो उसे त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xxii) कर्मचारियों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(xxiii) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिए एक टक्कररोधी उपकरण की पॉयलट परियोजना की मंजूरी दी गई हैं प्रोटोटाइप टक्कररोधी उपकरण का परीक्षण प्रारंभ हो चुका है। इस पायलट परियोजना के सफल होने पर भारतीय रेलवे के अन्य मार्गों पर भी इसका लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।

(xxiv) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए रेल कर्मियों को भारी दण्ड, यहां तक कि सेवा से बर्खास्त करने/हटाने का दण्ड, दिया जा रहा है।

विद्युत खरीद के लिए 'एनरॉन' के साथ समझौता

***33. श्री सुन्दरलाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चौधरी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत की खरीद के लिए 'एनरॉन' कम्पनी के साथ कोई समझौता किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या जिन ऊंची दरों पर 'एनरॉन संबंद्ध राज्य सरकारों को विद्युत की आपूर्ति कर रही है, उनसे उनके बजट तथा जनता की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एनरॉन द्वारा प्रवर्तित डाभोल पावन कम्पनी (डी०पी०सी०) ने अपनी 2184 मे०वा० की डाभोल विद्युत परियोजना के बारे में महाराष्ट्र रा०वि०बोर्ड (एम०एस०ईबी०) के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं तथा उसने किसी अन्य राज्य सरकार/रा०वि०बो० से पीपीए पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परियोजना (740 मे०वा०) का चरण-1 स्थापित हो गया है और यह 13 मई, 1999 से एमएसईबी को विद्युत की आपूर्ति कर रही है। राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि डीपीसी द्वारा एमएसईबी को सप्लाई की गई विद्युत की ऊंची दर को ध्यान में रखते हुये डीपीसी परियोजना के चरण-1 द्वारा उत्पादित विद्युत का आमेलन बहुत कठिन हो गया है राज्य सरकार के अनुसार इस समय एमएसईबी का मासिक संग्रह 850 करोड़ रुपये है तथा व्यय डीपीसी खरीद के बिना 950 करोड़ रुपये है। अतएव डीपीसी परियोजना के चरण-2 की देयता स्वीकार करना एमएसईबी की वित्तीय क्षमता से परे है।

(घ) भारत सरकार ने मामले के समाधान हेतु महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सलाह दी है कि वे डीपीसी अधिकारियों की एक बैठक बुलाएं। महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 9.2.2001 के अपने संकल्प के माध्यम से भारत सरकार के पूर्ण गृह सचिव डा० माधव गोडबोले की अध्यक्षता में एक ऊर्जा समीक्षा समिति गठित की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ डीपीसी द्वारा विद्युत आपूर्ति के मामले, वितरण हानियों तथा महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति/टैरिफ पर इसके प्रभाव की जांच करेंगी और उक्त कम्पनी तथा एमएसईबी आदि के विचार-विमर्श के पश्चात् डीपीसी के साथ हस्ताक्षरित पीपीए की समीक्षा करेगी। समिति डीपीसी से अन्य एजेंसियों द्वारा विद्युत क्रय को सरल बनाने के उपयुक्त उपाय भी सुझाएगी।

[अनुवाद]

पोत–परिवहन उद्योग को अवसंरचना उद्योग का दर्जा दिया जाना

*34. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पोत-परिवहन उद्योग के आधुनिकीकरण और क्षमता-वर्धन के लिए निवेश आकर्षित करने के उद्देश से पोत-निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग को आधार संरचना का दर्जा देने का विचार है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(घ) क्या सरकार ने पोत-निर्माण उद्योग के लिए राज-सहायता योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है, और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को शुरू करने के समय से अब तक पोत-निर्माण उद्योग ने क्या प्रगति की है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा गठित जहाज निर्माण संबंधी शीर्षस्थ समिति में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग को अवसंरचना का दर्जा देने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिश पर विचार करने के लिए पहले की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां

(ङ) स्कीम की शुरूआत के समय में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० को (i) एक बल्क कैरियर और एक यात्री-सह-कार्गो जलयान के निर्माण के दो आर्डर तथा कोचीन शिपयार्ड लि० को (ii) एक कूड आयल टैंकर के निर्माण का आर्डर प्राप्त हुआ है।

तेल की मांग और आयात

*35. **श्री अशोक ना० मोहोल** :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले 20 वर्षों में देश में तेल की मांग के तीन गुना बढ़कर 300 मिलियन टन हो जाने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो क्या तेल का घरेलू-उत्पादन इस मांग को पूरा करने में असमर्थ है, जिसके फलस्वरूप वर्ष-दर-वर्ष आयात की मात्रा बढ़ती जा रही है,

(ग) यदि हां, तो आयात-भर के कहां तक बढ़ जाने का अनुमान है, और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) भारत हाइड्रोकार्बन झलक 2025 के अनुसार वर्ष 1990-2000 के दौरान लगभग 97 मिलियन टन की खपत के प्रति वर्ष 2024-25 तक तेल की मांग में प्रतिवर्ष 368 मिलियन टन की वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) आगामी 4-5 वर्षों में आयात बोझ में प्रतिवर्ष 5-7 मिलियन टन तक की वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात आयात की आवश्यकता कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणामों पर निर्भर करेगी।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग और आयात निर्भरता लगभग 70 प्रतिशत के वर्तमान स्तर को देखते हुए निकट भविष्य में आत्म निर्भरता की परिकल्पना कठिन है। तथापि, देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं जिनमें निम्न सम्मिलित हैं :–

(1) वर्धित तेल निकासी (ई०ओ०आर)/उन्नत तेल निकासी (आई०ओ०आर०) योजनाएं लागू करके वर्तमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना, विशेषकर आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) ने 10,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर इस काम के लिए 15 क्षेत्रों पर कार्य आरम्भ किया है जिनसे इन क्षेत्रों से तेल के उत्पादन में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेन्सिंग नीति (एन०ई०एल०पी०) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने के लिए, नई अन्वेषण नीति (एन०ई०एल०पी-०1) के प्रथम दौर के तहत 24 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए है और एन० ई०एल०पी० के दूसरे दौर के अंतर्गत 25 ब्लाक प्रस्तावित किए गए हैं। बोली की अंतिम तारीख 31-3-2001 है।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश आकर्षित करने के लिए भारतीय और विदेशी कम्पनियों के परिसंघों के साथ 23.2.2001 को 11 खोजे गए क्षेत्रों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं हस्ताक्षरित की जा रही हैं। इनमें से 10 क्षेत्र गुजरात में हैं और असम में है।

(4) नए क्षेत्रों विशेषकर गहन जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादक क्षेत्रों की अधिक गहरी परतों में भी अन्वेषण करना।

(5) नए खोजे गए क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर और उत्प्रेरण कार्यों के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाना।

देश में तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपर्युक्त प्रयासों को अनुपूरित करते हुए विदेश से इक्विटी तेल प्राप्त करने के उपाय किए जा रहे है। वियतनाम, जहां ओ०एन०जी०सी० विदेश लिमिटेड (ओ०वी०एल०) का 45 प्रतिशत हिस्सा है, के० लेन०टे/लेन०डो० क्षेत्रों से गैस 2002 के अन्त तक प्राप्त होने की सम्भावना है। ओ०वी०एल० ने हाल ही में 10.2.2001 को 8000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ रूस में सखलिन-1 अपतट में 20 प्रतिशत हिस्से की प्राप्ति के लिए एक प्रमुख करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ओ०वी०एल० ने इराक में 28-11-2000 को अन्वेषण ब्लाक संख्या 8 के लिए भी एक संविदा हस्ताक्षरित की है। ओ०वी०एल० द्वारा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन में सहयोग के लिए अल्जीरिया, इन्डोनेशिया, वियतनाम और वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

सरकारी और निजी क्षेत्र में प्रति गारंटियां

***36. श्री रामानन्द सिंह :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में राज्य-वार कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया गया,

(ख) वर्ष 2000 के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया, और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) नौवी पंचवर्षीय योजना (जनवरी, 2001 तक) और आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में विद्युत के वास्तविक उत्पादन के राज्य-वार/क्षेत्रवार आंकड़े क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण–II में दिए गए हैं। अप्रैल 2001 की अवधि के दौरान विद्युत का वास्तविक उत्पादन 415.6 बिलियन यूनिट के कार्यक्रम की तुलना में 415 बिलियन यूनिट रहा है अर्थात् लगभग कार्यक्रमानुसार। संपूर्ण वर्ष (2000-2001) के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 500.7 बिलियन यूनिट है।

विवरण-I

नौवीं योजना के दौरान ऊर्जा उत्पादन (मि०यू०)

क्षेत्र	लक्ष्य (मि०यू०)	वास्तविक (मि०यू०)	लक्ष्य का %
1	2	3	4
केन्द्रीय राज्य	620705.0	679546.0	109.5
डीवीबी	10454.0	9449.0	90.4
ज०एवं कं०	3304.0	2747.0	83.1
एचपीजीसी	15218.0	15799.0	103.8
एचपीएसईबी	5331.0	5049.0	94.7
आरएसईबी	33827.0	33420.0	98.8
पीइसईबी	61785.0	59371.0	96.1
यूपीएसईबी	102095.0	93975.0	92.0
जीईबी	98553.0	90739.0	92.1
जीएसईसीएल	4610.0	4479.0	97.2
एमएसईबी	177263.0	168980.0	95.3
एमपीईबी	81610.0	82317.0	100.9
अपजेनको	110471.0	108980.0	98.7
अप गैस पीसी	4732.0	6480.0	136.9
टीएनईबी	91624.0	89433.0	97.6
पांडिचेरी	384.0	324.0	84.4
के०पीसी	65270.0	66697.0	102.2
के०ईबी	4504.0	2425.0	53.8
केरल एसईबी	30206.0	26240.0	86.9
बीएसईबी	10046.0	9220.0	91.8
तेनुघाट	5300.0	5253.0	99.1
ओएसईबी	17600.0	15277.0	0.0
उड़ीस्ग	9590.0	10841.0	113.0
सिंपिकम	319.0	124.0	38.9
डब्ल्यूबीएसईबी	14641.0	14490.0	99.0

1	2	3	4
पं०बंगाल डे०का०	24040.0	24793.0	103.1
डीपीएल	3265.0	2778.0	85.1
एएसईबी	5208.0	3700.0	71.0
मेघालय	1851.0	2343.0	126.6
अरूणा०प्रदेश	62.0	53.0	85.5
त्रिपुरा	1424.0	1222.0	85.8
कुल एसईबी	994587.0	958570.0	96.4
कुल निजी	144135.0	127681.0	88.6
कुल जोड़	2754014.0	2722795.0	98.9

विवरण-II

आठवीं योजना के दौरान ऊर्जा उत्पादन 1992-97 (मि०यू०)

क्षेत्र	लक्ष्य (मि०यू०)	वास्तविक (मि०यू०)	लक्ष्य का %
1	2	3	4
केन्द्रीय राज्य	626054.0	647448.0	103.4
डीवीबी	14872.0	12560.0	84.5
ज० एवं कं०	4508.0	4055.0	90.0
एचएसईबी	19210.0	17331.0	90.2
एचपीएसईबी	6136.0	5592.0	91.1
आरएसईबी	29775.0	30727.0	103.2
पीएसईबी	58215.0	57066.0	98.0
यूपीएसईबी	112609.0	106211.0	94.3
जीईबी	111020.0	109485.0	98.6
एमएसईबी	186875.0	183202.0	98.0
एमपीईबी	83930.0	82771.0	98.6
ए०पी०	105226.0	106312.0	101.0
टीएनईबी	91179.0	99251.0	108.9
कर्ना०	70730.0	70513.0	99.7
केरल	30320.0	30708.0	101.3
बीएसईबी	21123.0	13694.0	64.8
उड़ीसा	23241.0	23699.0	102.0
सिक्किम	280.0	232.0	82.9
डब्ल्यूबीएसईबी	19647.0	17225.0	87.7
डब्ल्यूबी पी०कार्पो०	31185.0	27906.0	89.5
डीपीएल	4850.0	4708.0	97.1
एएसईबी	8158.0	6029.0	73.9
मेघालय	2388.0	2416.0	101.2
अरूणा०प्रदेश	69.0	52.0	75.4
त्रिपुरा	1057.0	914.0	86.5
कुल एसईबी	1662657.0	1660107.0	99.8
कुल निजी	80769.0	84260.0	104.3
कुल जोड़	1743426.0	1744367.0	100.1

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में प्रति गारंटियां

***37. श्री पुष्प जैन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में मार्च, 2000 से लेकर अब तक कितनी प्रति गारंटियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं,

(ख) इन प्रति गारंटियों की शर्तें क्या-क्या हैं,

(ग) क्या प्रति गारंटियों के संबंध में कोई और अन्य अनुरोध सरकार के पास लंबित है, और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) भारत सरकार की प्रति गारंटी मार्च, 2000 से अभी तक किसी भी निजी विद्युत परियोजना को प्रदान नहीं की गई है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 1994 में आठ परियोजनाओं को प्रति गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया था। उन निजी विद्युत

परियोजनाओं का ब्यौरा जिन्हें पहले ही भारत सरकार की प्रति गारंटी प्रदान की गई है, निम्नवत है।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता मे०वा०	प्रति गारंटी की तिथि
1.	डाभोल संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन चरण-1 मै० डाभोज पावर कंपनी, महाराष्ट्र	740	15 सितम्बर, 1994
2.	जेगरूपाडु कम्बाईड साइकिल गैस टरबाईन, मै० जी०वी०के० इंडस्ट्रीय लि०, आंध्र प्रदेश	216	4 सितम्बर, 1996
3.	भद्रावती ताप विद्युत परियोजना, मै० सेंट्रल इंडिया पावर कं० लि०, महाराष्ट्र	1082	1 अगस्त, 1998
4.	नैवेली (एकल यूनिट लिग्नाइट आधारित) ताप विद्युत परियोजना, मै० एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कं०, तमिलनाडु	250	14 अगस्त 1998
5.	विशाखापटनम ताप विद्युत परियोजना, मै० हिन्दुजा नेशनल पावन कापोरेशन लि०, आंध्र प्रदेश	1040	19 अगस्त 1998

मै० स्पैक्ट्रम पावन जेनरेशन लि०, जो आंध्र प्रदेश में 208 मे०वा० गोदावरी सीसीजीटी के प्रवर्तक हैं, ने प्रति गारंटी के अपने अनुरोध को वापिस ले लिया है।

22 दिसम्बर, 1999 को भारत सरकार ने संशोधित प्रक्रिया के जरिए उड़ीसा में मै० एईएस इब वैली कापोरेशन की 500 मे०वा० इब घाटी ताप विद्युत परियोजना और कर्नाटक में मै० मंगलौर पावर कंपनी लि० की 1013.2 मे०वा० मंगलौर ताप विद्युत परियोजना के मामले में प्रति गारंटी प्रदान किए जाने को अनुमोदित कर दिया है। इन दोनों परियोजनाओं के संबंध में प्रारूप प्रति गारंटी और त्रिपक्षीय करार दस्तावेजों को टिप्पणियों/आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया गया है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए प्रति गारंटी प्रदान करने हेतु आगे की कार्रवाई भारत सरकार की प्रति गारंटी प्रदान करने से संबंधित शर्तों एवं निबंधनों की अनुपालना हेतु संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने के पश्चात की जाएगी।

प्रमुख पतनों का दर्जा बढ़ाया जाना

***38. श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के प्रमुख पत्तनों पर से भीड़-भाड़ को दूर करने और उन्हें अधिक कार्यवह बनाने के लिए एक विस्तृत योजना की रूपरेखा तैयार की है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या इनमें से कुछ पत्तनों का तकनीकी रूप से दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) पर्याप्त बर्थों की अनुपलब्धता, बैकअप क्षेत्र में निकासी न किए गए कार्गो के संचय होने से तथा जलयानों के इकट्ठे आने के कारण घोर क्षमता अभाव के परिणामस्वरूप अधिकांश महापत्तनों में नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत तक भीड़भाड़ हो जाया करती थी। सरकार ने अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए और निकासी न किए गए कार्गो के निपटान से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाया जिसके अच्छे परिणाम निकले और इस समय भारतीय महापत्तनों पर सामान्यतया कोई भीड़भाड़ नहीं होती है।

(ग) और (घ) महापत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस समय शुरू किए जा रहे विकास कार्य, नई बर्थों का निर्माण करके और उन्हें साधन संपन्न बनाकर, कार्गो के अत्याधुनिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए नवीनतम उपस्कर का अधिग्रहण करके, इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज संस्थापित करके, जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित करके, श्रमिक प्रशिक्षण और कल्याण इत्यादि का ध्यान रखते हुए महापत्तनों का स्तर और उनकी उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देते हैं।

रेल-सुरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

***39. श्री रामनायडू दग्गुबाटि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-सुरक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू

करने में रेल विभाग को वित्तीय कठिनाई आ रही है;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त निधियां जुटाने और केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए इस संबंध में रेल विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) रेल दुर्घटनाओं से बचने हेतु पुरानी रेल परिसंपत्तियों तथा वर्तमान चल स्टॉक का नवीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) मुख्यत पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के कारण इस समय रेल वित्त के संबंध में काफी कठिनाई महसूस की जा रही है। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद संरक्षा को उपलब्ध संसाधनों के भीतर, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह संरक्षा पर किए गए खर्च के आंकड़ों से स्पष्ट है, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपए में)

1998-99	2313
1999-2000	2656
2000-01 (सं.अ.)	2902

बहरहाल, और अधिक धन की आवश्यकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर टक्कर रोधी उपकरण के विकास और परीक्षण हेतु 50 करोड़ रुपए की लागत पर एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। संरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु ड्राइवरों तथा गार्डों को वाकीटॉकी सेट मुहैया कराने के अलावा अन्य विभिन्न उपाय भी किए गए हैं।

रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि रेलों की गतायु परिसम्पत्तियों के पुनर्स्थापन के लिए केन्द्र सरकार उन्हें 15000 करोड़ रुपए का एक-बारगी अनुदान मुहैया कराए। इस सिफारिश की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। परन्तु वित्त की समग्र तंगियों के दृष्टिगत सरकार ने अब तक यह विशिष्ट सहायता प्रदान नहीं की है। बहरहाल, सरकार ने बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने तथा ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करने जैसे संरक्षा से संबंधित विशिष्ट कार्यों के सुगम निष्पादन के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से 1999-2000 के दौरान 200 करोड़ रुपए तथा चालू वर्ष के दौरान 300 करोड़ रुपए अलग से अंतरित किए हैं।

सूत बैंकों की स्थापना करना

***40. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में इस समय हथकरघा बुनकरों के लिए राज्य-वार और स्थान-वार कितने सूत बैंक काम कर रहे हैं;

(ख) देश के, विशेषकर महाराष्ट्र के शोलापुर में तथा उसके आस पास के हथकरघा बनुकरों के सहायतार्थ नए सूत बैंकों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार तथा स्थान-वार क्या कदम उठाए गए हैं: और

(ग) ऐसे बैंकों के नेटवर्क के माध्यम से बुनकरों को नियमित और पूरी मात्रा में सूत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्य नीति अपनाई गई है, और सूत बैंक नेटवर्क की मोटी रूपरेखा क्या होगी ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) से (ग) भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए कोई यार्न बैंक नहीं चला रही हैं यद्यपि, मिल गेट कीमत स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन० एच० डी० सी०) हथकरघा संगठनों को उचित कीमत पर यार्न की अपूर्ति करता है। एक स्कीम अर्थात मिल गेट कीमत स्कीम कार्यान्वित कर रही है स्कीम में विद्यमान आधारभूत संरचना जैसे गोदाम, स्टाफ आदि का उपयोग करते हुए प्रति बुनकर को यार्न आपूर्ति हेतु हथकरघा संगठनों द्वारा यार्न डिपो खोलने का प्रावधान हैं इस समय देश में ऐसे 69 डिपो हैं स्थलवार विवरण संलग्न है।

स्कीम के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के संगठनों द्वारा यार्न डिपो खोलने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जिनके पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी तथा आधारभूत सुविधाऐं हैं। महाराष्ट्र सहित संबंधित राज्यों के हथकरघा के प्रभारी निदेशकों द्वारा की गई सिफारिशों पर प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार/एनएचडीसी द्वारा यार्न डिपो खोलने के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

विवरण

क०सं०	राज्य	डिपो का स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम
		विजयनग्राम
		राजामुंदरी
		पालाकोल्ले
		मचीलीपटनम
		मंगलागिरी
		चिराला (न.2)
		पुट्टर

1	2	3
		कुड़ापा
		कुरनोल
		करीम नगर
		कोथोकोटा
		वारंगल
		सिकन्दराबाद
		छेटोप्पल
		भीमावरम
		बेलपुर
		अंगारा
		के० जे० पुरम
		हसनगेंदा
		कीयाल्लगुडम
2.	अरूणाचल प्रदेश	दोईमुख
3.	असम	सुयोलकुच्ची
4.	बिहार	मानपुर
		भागलपुर
5.	गुजरात	पालनपुर
		भुज
6.	कर्नाटक	रामदुर्गा
		बानहट्टी
		रानेबेन्नुर
		गुलबर्ग
		इलकाल
7.	केरल	केन्नूर
		थिरुअनन्थापुरम
		कोजिक्कोडे
8.	मध्यप्रदेश	सारंगपुर
		रायपुर
		सौसर
		मंदसौर
		दुर्ग
9.	तमिलनाडू	कांचीपुरम
		बेल्लौर
		कुडालोर
		करूर
		जयनकोंडाम
		टिर्ची
		धरमपुरी
		सेलम
		तिरूचीनगोडे
		इरोड
		चेन्नीमलाई
		गोबी
		कोयम्बटोर
		गुडियाथम
		नगेरकोइल
		तिरुनेलवेली
		अरपुक्कोटाइ
		सिरबिल्लीपुथुर
		मदुराई
		अराक्कोनम
		चेन्नीमलाई
10.	त्रिपुरा	अगरतला (न०2)
11.	उतर प्रदेश	गोरखपुर
		सीतापुर
		मुगदाबाद
		मेरठ
		सुजावलपुर

[हिन्दी]

गांवों का विद्युतीकरण

180. श्री तरूण गोगोई : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला-वार कितने गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है, और

(ख) विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) असम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा असम में 24685 आवासीय गांवों में से 5666 गांवों के गैर-विद्युतीकृत होने की रिपोर्ट दी गई है। असम के ग्रामीण क्षेत्रों में उन गांवों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम किए जाने की प्राथमिकताओं को संबंधित राज्य सरकारों/ राज्य विद्युत बोर्डों/ विद्युत यूटिलिटियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। गांवों को पूरी तरह से विद्युतीकृत किए जाने हेतु समय-सीमा वितरण प्रणाली के सशक्तीकरण के लिए अवसंरचनात्मक ढांचे के सृजन हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, राज्य में विद्युत की उपलब्धता तथा उपभोक्ताओं की मांग पर निर्भर करेगी।

विवरण

असम में गैर-विद्युतीकृत गांवों को जिला-वार दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	जिला का नाम	कुल आवासीय गांव	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	बारपेटा	1046	98
2.	बोगईगांव	858	42
3.	कच्छार	1024	101
4.	दार्जिलिंग	1328	110
5.	धीमाजी	1110	768
6.	धुबरी	1284	227
7.	डिब्रूगढ़	1306	170
8.	गोलपाडा	745	39
9.	गोलाघाटा	1059	401
11.	हलिया कंडी	327	37
11.	जोरहाट	798	184
12.	कामरूप	1300	66
13.	कारबी लिंगलोंग	2520	1481
14.	करीमगंज	893	353
15.	क्योंझर	923	84
16.	लखिरपुर	1140	286
17.	मोरलगांव	569	137
18.	एन० सी० हिल्स	577	316
19.	नौगांवा	1375	126
20.	नलबाड़ी	803	3
21.	शिबसागर	873	56
22.	सोनीतपुर	1691	265
23.	तिनसुकिया	1136	311

नान्देड़ और मुम्बई के बीच नई रेलगाड़ियां चलाया जाना

181. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अगस्त, 2000 से नान्देड़ और मुम्बई (कुर्ला) के बीच नई रेलगाड़ियां शुरू करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त रेलगड़ियों को शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

(घ) इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पुन:प्रयोज्य ऊर्जा का उत्पादन

182. **श्री जी० एस० बसवराज :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक देश में सबसे अधिक पुन: प्रयोज्य ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य है:

(ख) यदि हाँ, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केवल 10 प्रतिशत के केन्द्रीय लक्ष्य की तुलना में सन् 2010 तक किए जाने वाले कुल विद्युत उत्पादन को 4 से 15 प्रतिशत करने के लिए अपनी अधिष्ठापित पुन:प्रयोज्य ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हाँ, तो पुन: प्रयोज्य ऊर्जा का दोहन करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) जी नहीं। कर्नाटक, भारत में सबसे अधिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य नहीं है।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने 262 मे० वा० की समग्र क्षमता की 40 अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की है जो कि राज्य की कुल स्थापित क्षमता का 6.09 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के माध्यम से स्थापना किए जाने के लिए 1920 मे० वा० की कुल स्थापित क्षमता की 185 अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की भी पेशकश की है।

सड़क उपरिपुलों का निर्माण

183. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने चौकीदार रहित समपार हैं;

(ख) लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए कितने समपारों पर सड़क उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) सरकार द्वारा समपारों पर सड़क उपरिपुलों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ अनुमानित कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 22346

(ख) इस समय 1108 समपारों पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) रेलें मौजूदा नियमों के अनुसार (लाख या अधिक टीवी यू (यात्री गाड़ी इकाइयां) के यातायात घनत्व वाले उन मौजूदा व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माणों के प्रस्ताव पर विचार करती है। जिन्हें लागत भागीदारी के आधार पर संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित किया जाता है, पुल-भाग का निर्माण रेलों द्वारा और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है वर्ष 2000-2001 के दौरान ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए 250 करोड़ रु० निर्धारित किए गए थे।

गाद निकालने के ठेके की जांच

184. **श्री के० येरननायडू :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998 में हैदराबाद की धरती ड्रेजर कंपनी ऑफ हैदराबाद को कांडला पत्तन न्यास द्वारा दिए गए 4.5 करोड़ रुपए के गाद निकालने के ठेके की जांच कराई जा रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ग) इसमें कितने-कितने अधिकारी संलिप्त हैं,

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी हां। कांडला पत्तन न्यास ने कांडला पत्तन की आठवीं कार्गो बर्थ के कैपिटल निकर्षण का कार्य 4,31,35,200/-रु० के ठेका मूल्य पर मै० धरती ड्रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि० हैदराबाद को सौंपा था और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस समय मामले की जांच की जा रही है।

आई०ओ०सी० के साथ
बी०आर०पी०एल० का विलय

185. **श्री एम० के० सुब्बा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्थ ईस्टर्न रीजन आयल वर्कर्स कोआर्डिनेशन कमेटी (नूनमति) ने भारतीय तेल निगम लिमिटेड के साथ बोगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (वी०आर०पी०एल०) का विलय करने और बी०आर०पी०एल० को आई०ओ०सी० की अनुषंगी न बनाने के लिए अभ्यावेदन दिया है,

(ख) यदि हाँ, तो अपनी माँगों के समर्थन में उनके द्वारा क्या

विवरण

अप्रैल 98 से मार्च 99, अप्रैल 1999 से मार्च, 2000 तथा अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2000 तक की अवधि के दौरान प्रवेश टिकटों के माध्यम से एकत्रित राजस्व के ब्यौरे

क्र० सं०	सर्किल का नाम	अप्रैल 1998-मार्च 1999	अप्रैल 1999-मार्च 2000	अप्रैल से दिसम्बर 2000
1.	आगरा	18630272	20359945	115151552
2.	औरंगाबाद	8524582	8401223	24971750
3.	बैंगलोर	2077155	1654138	3602557
4.	भोपाल	1905422	1919015	7431146
5.	भुवनेश्वर	2286446	2550119	6409830
6.	कलकत्ता	268114	618244	825378
7.	चण्डीगढ़			335221
8.	चेन्नई	3242287	3552103	11800630
9.	दिल्ली	14927356	15869764	52264530
10.	धारवाड़	185327	2170571	2830858
11.	गुवाहाटी	36000	28000	126000
12.	गोवा (मिनी सर्किल)			111850
13.	हैदराबाद	1059307	1015684	2117846.5
14.	जयपुर	102390	122786	747632
15.	लखनऊ	339885	370006	324181
16.	पटना	1119644	1112998	7740655
17.	श्रीनगर	4476	6472	6521
18.	त्रीशूर	215035	310128	429862
19.	वड़ोदरा	425732	446472	1199008
जोड़		3266469	3384546	12565705.5

एन०टी०पी०सी० द्वारा कर्नाटक में गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

190. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ताप विद्युत निगम ने कर्नाटक में 2000 मे०वा० गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए अपनी योजना को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कर्नाटक सरकार की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने कर्नाटक में मंगलौर में 2000 मे०वा० की गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापना की संभावना का पता लगाया है। अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि से एल०एन०जी०की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि एल०एन०जी० की कीमत कच्चा तेल कीमत के साथ जुड़ी हुई है। वर्तमान एल०एन०जी० कीमत पर उत्पादन की लागत 4 रुपए प्रति यूनिट से अधिक होने का अनुमान है, जिससे ऐसे विद्युत संयंत्रों से टैरिफ को वहन करना कठिन हो जाएगा।

(ग) नेशनल थर्मल पावन कारपोरेशन से एल०एन०जी० की दर पर विचार-विमर्श करने की सलाह दी गई है, जो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय और मैसर्स पेट्रोनेट एल०एन०जी० के साथ दीर्घकालिक एल०एन०जी० कीमत के आधार पर 20-25 वर्ष की अवधि में तय होने की संभावना है। इसके पश्चात् एनटीपीसी संशोधित टैरिफ तय करेगा और लाभग्राह्य राज्यों के साथ पावर खरीद करार पर विचार-विमर्श करेगा। परियोजना की तकनीकी-आर्थिक शक्यता के आधार पर एनटीपीसी आगे कार्रवाई आरंभ करेगा।

सशस्त्र बलों और डी०आर०डी०ओ० के बीच तालमेल

191. श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री बी० के० पार्थसारथी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के लिए अपेक्षित अत्याधुनिक उपकरणों के उन्नयन के लिए आवश्यकता आधारित रक्षा अनुसंधान करने के मामले में सशस्त्र बलों और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बीच किस तरह तालमेल किया गया है; और

(ख) उक्त को ध्यान में रखते हुए इस समय डी०आर०डी०ओ० द्वारा चलाई जा रही मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं के अनुसार अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियों, उपस्करों, सेंसरों और प्लेटफार्मों के डिजाइन, विकास परीक्षण तथा उत्पादनीकरण के दौरान प्रत्येक चरण में रक्षा अनुसंधान तथा विकास

संगठन, सशस्त्र सेनाओं और उत्पादन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बना रहता है।

(ख) अत्याधुनिक हल्के युद्धक वायुयान (एल०सी०ए०) ने 04 जनवरी, 2001 को अपनी पहली उड़ान के साथ उड़ान परीक्षण में प्रवेश किया है। हल्के युद्धक वायुयान के एयरो इंजन कावेरी और इसके कोर इंजन पर विभिन्न परीक्षण बेड़ों में परीक्षण चल रहे हैं। रिमोट संचालित वाहन निशांत प्रयोक्ता परीक्षण के लिए तैयार हैं सेना और नौसेना के लिए तैयार इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति कार्यक्रम क्रमशः ''संयुक्त'' और ''संग्रह'' विकास के अग्रिम चरण में हैं। बहुनाल प्रक्षेपास्त्र प्रणाली ''पिनाक'' ने उपभोक्ता-सह सैन्य परीक्षण पूरे कर लिए हैं। आई जी एम डी पी कार्यक्रम के अंतर्गत जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी को विकसित कर सेना में शामिल कर लिया गया है। वायुसेना में शामिल करने के लिए पृथ्वी प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए तैयार है मध्य दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश, कम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल और टैंक-भेदी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र नाग कुछ अन्य ऐसे प्रक्षेपास्त्र हैं जो विकास और परीक्षणों के उन्नत चरणों में हैं। लंबी दूरी तक जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र अग्नि-2 के संक्रियात्मक संरूपण को सफलतापूर्वक विकसित कर उड़ान परीक्षण कर लिया गया है।

ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम हेतु निधियां

192. **सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए/प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) स्वीकृत किए गए 860 ब्लॉकों की तुलना में 724 में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं। इसके अतिरिक्त, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के केन्द्रीय घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 19 राज्य स्तरीय तकनीकी बैकअप यूनिटों, 171 जिला स्तरीय तकनीकी बैकअप यूनिटों, 22 राष्ट्रीय पाइलट परियोजनाओं और 5 क्षेत्रीय आई०आर०ई०पी० प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों को भी स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान कार्यक्रम के व्यापक कार्यान्वयन के लिए चुनिंदा आई०आर०ई०पी० ब्लॉकों में 100 गाँवों के समूह को भी लेने का निर्णय लिया गया है।

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान (15.2.2001 तक) आई०आर०ई०पी० के अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को क्रमशः 631.02 लाख रु० और 431.92 लाख रु० की राशि संलग्न विवरण के अनुसार जारी की गई।

विवरण

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 (15.2.2001 तक) के दौरान एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेशवार जारी की गई निधियाँ

(लाख रु०में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1999-2000	2000-2001 (15.2.2001 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	—	34.71
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.35	6.20
3.	असम	11.50	13.95
4.	गोवा	4.10	—
5.	हरियाणा	15.80	12.85
6.	हिमाचल प्रदेश	57.30	56.95
7.	जम्मू व कश्मीर	5.96	12.11
8.	कर्नाटक	20.10	40.21
9.	केरल	18.26	18.26
10.	मध्य प्रदेश	106.63	53.31
11.	महाराष्ट्र	23.79	—
12.	मणिपुर	25.45	12.73
13.	मेघालय	16.33	10.27
14.	मिजोरम	16.64	7.80
15.	नागालैंड	5.35	4.73
16.	उड़ीसा	92.06	28.71
17.	पंजाब	25.64	14.48
18.	राजस्थान	19.12	11.16
19	सिक्किम	3.50	3.50
20.	तमिलनाडु	13.95	—
21.	त्रिपुरा	4.73	2.24
22.	उत्तर पदेश	118.10	74.02

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है। उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) रेलवे प्लेटफार्मों और सवारी गाड़ियों में सिगरेट/बीड़ी की बिक्री पर 5 जून 1999 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जहां तक धूम्रपान का संबंध है सभी उपनगरीय गाड़ियों और वातानुकूल सवारी डिब्बों में इसकी मनाही की गई है।

पेलेस ऑन व्हील्स में आग लगने की घटना

200. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडिवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी 2001 के दौरान पैलेस ऑन व्हील्स् के एक डिब्बे में आग लगने की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) आग लगने की घटना के कारण विदेशी पर्यटकों सहित कितने यात्री घायल हुए हैं; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में कपड़ा मिलों पर भूंकप का प्रभाव

201. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आए हाल के भूंकप से प्रभावित होने वाली कपड़ा मिलें कौन-कौन सी हैं;

(ख) इन कपड़ा मिलों में से प्रत्येक मिल को कितना नुकसान हुआ है;

(ग) इससे प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या कितनी है; और

(घ) मिल-वार इन कपड़ा मिलों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) गुजरात में हाल में आए भूकंप के कारण वस्त्र मिलों को हुई क्षति तथा प्रभावित कामगारों की संख्या की सही सूचना का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे मिलों का पुन: स्थापन सूचना प्राप्त होते ही शुरू कर दिया जाएगा।

जल विद्युत उत्पादन में गिरावट

202. **श्री प्रभात सामन्तराय**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000 और 2000-01 में जल विद्युत के उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और

(ग) विशेषकर उड़ीसा में जल विद्युत के उत्पादन में आई गिरावट के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान 67262 मि०यू० के लक्ष्य (दिसम्बर, 2000 तक) की तुलना में दिसम्बर, 2000 तक जल विद्युत उत्पादन 59817 मि०यू० था, अर्थात् उपलब्धि 88.9 प्रतिशत है। वर्ष 1999-2000 के दौरान जल विद्युत का वास्तविक उत्पादन 81000 मि०यू० लक्ष्य की तुलना में 80637 मि०यू० था, अर्थात् उपलब्धि 99.6 प्रतिशत थी। जल विद्युत उत्पादन का रा०वि० बोर्डवार/यूटीलटीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस वर्ष उड़ीसा तथा देश में जल विद्युत उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारक जलाशय का स्तर कम होना तथा कम अन्त:प्रवाह का होना है।

विवरण

1998-99, 1999-2000, 2000-01 (दिसम्बर, 2000 तक) के दौरान जल विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन

क्षेत्र/संगठन	1999-2000	2000-01 (दिसम्बर, तक)
1	2	3
1. केन्द्रीय क्षेत्र		
बीबीएमबी	12067	8908
एनएचपीसी	8693	7971
डीवीसी	441	248
नीपको	753	762
उप जोड़	21934	17889
2. निजी क्षेत्र		
टाटा	1616	830
शिवपुर	61	72

1	2	3
शाहपुर		3
मनियार	33	25
उप जोड़	1709	930
3. विद्युत बोर्ड/उद्यम		
जे एंड के	603	494
एचपीएसईबी	1197	1073
एचपीजीसी	242	208
आरएसईबी	1003	362
पीएसईबी	3220	2784
यूपीएचपीसी	5272	4350
जीईबी	1089	386
एमएसईबी	2462	1655
एमपीईबी	2462	1655
एपीजेनको	8668	5933
केपीसीएल	11692	7065
केईबी	398	200
केएसईबी	7033	4631
टीएनईबी	4467	4359
बीएसईबी	207	121
ओएचपीसी	4543	3676
डब्ल्यूबीएसईबी	396	375
सिक्किम	11	15
मेघालय	634	518
त्रिपुरा	61	57
अरूणाचल प्रदेश	14	9
उप जोड़	56974	40998
अखिल भारत जोड़	80637	59817

[हिन्दी]

पारेषण और वितरण प्रणाली

203. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित किए जाने हेतु राज्य सरकारों के साथ समझौता करने हेतु कोई कदम उठाया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्युत पारेषण और वितरण को सुव्यवस्थित करने हेतु राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सुधार प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा की सरकारों के साथ समझौता-ज्ञापन/करार-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता-ज्ञापनों में उप-पारेषण और वितरण को सशक्त करने तथा पुरानी ताप-विद्युत/जल-विद्युत यूनिटों के आर एंड एम के लिए सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार अंत:राज्यीय पारेषण लाइनों का प्रावधान करके भी सहायता प्रदान करेगी।

(ग) और (घ) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक मीटरिंग प्रणाली की अधिष्ठापना सहित उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, उप-पारेषण और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए विशिष्ट निर्माणाधीन स्कीमों को पूरा करने हेतु समाप्त न होने वाली निधियों के मूल से सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को 52 करोड़ रु० प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

रेलवे को दो भागों में बांटा जाना

204. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 दिसम्बर 2000 के ''फिनांसियल एक्सप्रेस'' में 'सीआईआई सजेस्ट्स-डिवीजन आफ रेलवे इनटू टू सेपरेट आर्मस्' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गैरमौसम के दौरान मालभाड़े की दर में कमी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) माल यातायात के हिस्से को बढ़ाकर रेलवे के माध्यम से सक्षम वहन सेवाओं के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(च) "ओन योर वैगन स्कीम" की असफलता के क्या कारण है; और

(छ) रेलवे को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाकर उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) जी, हां, भारतीय उद्योग परिसंघ ने दिसंबर, 2000 में आयोजित एक सेमीनार में रेल बजट-2001-02 के लिए कुछ सुझाव दिए थे. ये सुझाव उद्योगों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए उद्योग चैम्बरों के साथ किए जाने वाले परामर्श का एक भाग है।

(ङ) और (छ) रेलें निम्नलिखित नीतियां अपनाकर थोक और गैर-थोक, दोनों, रूप में, मौजूदा यातायात को बनाए रखने और नए यातायात को आकर्षित करने का भरसक प्रयास कर रही है :

(i) साइडिंग को और अधिक उदार और ग्राहकों के अनुकूल बनाने के लिए इनके निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित नियमों/विनियमों को सरल बनाना।

(ii) रेलों के प्रमुख ग्राहकों का प्लेटिनम, स्वर्ण तथा रजत कोटियों में वर्गीकरण करना ताकि विशेष रूप से नामित 'नोडल अधिकारियों' के जरिए उनपर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

(iii) वर्धमान यातायात के लिए मात्रा संबंधी छूट योजना जैसे प्रोत्साहन देना।

(iv) माल बुकिंग/सम्हलाई सुविधाओं तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए निजी उद्यमियों, माल अग्रेषकों आदि द्वारा रेलवे टर्मिनलों की स्थापना करना।

(v) इस्पात यातायात और ऑटोमोबाइल लदान के लिए विशेष माल डिब्बों का विकास।

(vi) आटोमोबाइल यातायात को आकर्षित करने के लिए विपणन प्रयास करना।

(vii) उपर्युक्त विपणन प्रयासों के जरिए उच्च मूल्य वाला गैर-थोक यातायात प्राप्त करना।

(viii) यातायात आकर्षित करने के लिए विपणन उपाय के रूप में रेलवे के मौजूदा टर्मिनलों तथा निजी व्यक्तियों द्वारा परिचालित टर्मिनलों में वेयर हाउसिंग सुविधाओं की व्यवस्था।

(ix) द्वार से द्वार तक माल इकट्ठा करने और इसकी सुपुर्दगी करने के लिए सपाट माल डिब्बों पर ट्रकों मे माल बुलाई की एक नई संकल्पना रॉल आन-ऑफ (आर०ओ०आर०ओ०) शुरू करना।

(x) निश्चित समयानुसूची के अनुसार माल गाड़ियों तथा टर्मिनलों का परिचालन।

(xi) सभी क्षेत्रीय रेलों पर स्थापित किए जाने वाले ग्राहक सेवा कक्षों के जरिए माल परेषणों की बुकिंग, संचलन तथा सुपुर्दगी के संबंध में ग्राहकों को पूछे जाने के समय पर आधारित माल परिचालन सूचना-प्रणाली (एफओआईएस) शुरू करना।

(xii) आगे वाले एसएलआर और वीपी को पट्टे पर देकर पार्सल व्यवसाय का पुनरुद्धार।

(xiii) कार्गो का कंटेनरीकरण और द्वार से द्वार सेवा उपलब्ध कराना।

(च) अपने माल डिब्बे के मालिक बने योजना के संबंध में उद्योगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस योजना के अंतर्गत 17755 चौपहिया माल डिब्बों के लिए आर्डर मिले हैं जिनकी लागत 1109.49 करोड़ रुपए है।

सी-बर्ड नेवल प्रोजेक्ट के विस्थापित लोगों के लिए मत्स्यन पत्तन का निर्माण

205. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक के करवार के निकट 'सी-बर्ड' नौसैनिक बेस के विस्थापित लोगों के लाभ हेतु अमदाहल्लि में 10 करोड़ रुपए की लागत से एक मत्स्यन पत्तन का निर्माण करने का निर्णय लिया है।

(ख) यदि हां, तो अनुमोदित परियोजना और इससे संबंधित बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या पोताश्रयों और पत्तनों को जोड़ने वाली संपर्क सड़कों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से संपर्क किया गया है. और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम समझौता कब तक हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) 'सी-बर्ड' परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए पुन:स्थापन और पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ अमादाहल्ली में लगभग 10.32 करोड़

रुपए की लागत से एक मत्स्य पालन पत्तन का निर्माण भी शामिल है। यह धनराशि पैकेज के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई राशि में शामिल है। राज्य सरकार ने पहले ही इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है जिसका इसके द्वारा कार्यान्वयन किया जाना है।

(ग) और (घ) भारत सरकार या 'सी-बर्ड' परियोजना प्राधिकारियों ने पत्तनों और बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कोई संपर्क नहीं किया है।

रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में विकास

206. **श्री खारबेल स्वाइं :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के वे रेलवे स्टेशन कौन-कौन से हैं जिनका विगत वर्ष में आदर्श स्टेशनों के रूप में विकास किया गया है;

(ख) क्या सरकार के पास भविष्य में खड़गपुर मंडल के बालासोर रेलवे स्टेशन का आदर्श स्टेशन के रूप में विकास करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर आदर्श स्टेशनों के रूप में चुने गए 26 स्टेशनों में से पिछले वर्ष अर्थात् 2000 के दौरान आदर्श स्टशनों के रूप में 16 स्टेशनों को चुना गया था। इन 16 स्टेशनों के नाम इस प्रकार है:– बालासोर, बेरहमपुर, ब्यारी, धेनकनाल, दुर्ग, गोलनथरा, कपिलास रोड, खुर्दा रोड, रहेमा, सुंडली रोड, चक्रधरपुर-संबलेपुर, आद्रा, जाजपुर-क्योंझर रोड और बिलासपुर।

(ख) और (ग) दक्षिण पूर्व रेलवे पर चुने गऐ आदर्श स्टेशनों की सूची में खड़गपुर मंडल के बालासोर रेलवे स्टेशन को पहले ही शामिल कर लिया गया है और रेलवे ने इस स्टेशन पर उन्नत सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं इंटरएक्टिव वायस रिसपांस सिस्टम, स्टेंडर्ड सिगनेज, स्वत: मुद्रण टिकटे मशीनें, बेहतर शौचालय आदि की व्यवस्था करना शामिल है।

सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना

207. **श्री रामजी मांझी :** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया जिले के पंचागपुर में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इसकी स्थापना किए जाने में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में तेजी लाए जाने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) 30 मे०वा० की क्षमता वाली गया और चकाई दो सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) से वर्ष 1989 में प्राप्त हो गई थी उस समय बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को स्थलों के मौसम विज्ञान आँकड़ों के आधार पर व्यवहार्यता रिपोर्टों में संशोधन करने का सुझाव दिया गया था। तब से राज्य सरकार से आगे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का प्रवेश

208. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हाँ, तो गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली बाध्यताएँ एवं तकनीकी आगम क्या हैं,

(ग) क्या "टेलीकाम सर्विसीज" गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की मूल समर्थता का हिस्सा नहीं होगी,

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने गैस अथॉरिटी आफ इंडिया के इस विपथन का अनुमोदन किया है, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हाँ।

(ख) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के पास पाइपलाइन प्रचालनों की निगरानी और नियंत्रण के लिए अपनी वाइपलाइन प्रणाली के आसपास लगभग 1800 कि०मी० का अष्टिकल फाइवर केबल नेटवर्क है विभिन्न टेलीकाम प्रचालकों को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करके इस नेटवर्क की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है जिससे कम्पनी के लिए अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

(ग) कैप्टिव टेलीकाम नेटवर्क पाइपलाइन प्रचालनों का अभिन्न अंग है और इसलिए गेल के पास विशाल संचार नेटवर्क का प्रचालन

करने के लिए आन्तरिक क्षमता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने अपनी नई दूरसंचार नीति 1999 (एन०टी०पी, 1999) में गेल को दूरसंचार की बुनियादी सुविधाओं का प्रदानकर्ता निर्धारित किया है और कम्पनी को श्रेणी-2 बुनियादी सुविधाएं प्रदानकर्ता लाइसेंस प्रदान किया है।

खाली पड़ी रेलवे भूमि को उद्यानों में परिवर्तित किया जाना

209. **श्री ए०ब्रह्मनैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाली पड़ी रेलवे भूमि को उद्यानों में परिवर्तित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा मंडल में खाली पड़ी कुछ रेलवे भूमि को उद्यानों में परिवर्तित किए जाने हेतु हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जहां कही रेलवे की भूमि खाली है, वह रेलों के अपने परिचालनिक और भावी विकासात्मक कार्यों के लिए अपेक्षित है। बहरहाल, मध्यवर्ती उपाय के रूप में रेलवे की खाली भूमि की सुरक्षा के लिए पेड़-पौधे लगाए जाते है। रेल कर्मचारियों के लिए आवश्यक होने पर ऐसी भूमि पर पार्कों का भी विकास किया जाता है।

अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

210. **श्री एम०वी०वी०एस०मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम, 1985 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लाये जाने की संभावना है और इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में प्रस्तावित संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ अवसंरचना विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को करमुक्त बांड जारी करने के लिए अधिकृत करना और सीमित इक्विटी भागीदारी के साथ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को वाणिज्यिक/संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देना शामिल है।

(ग) संसद के चालू बजट सत्र में विधयेक पेश किए जाने की संभावना है। इन उपायों का प्रभाव राष्ट्रीय जलमार्गों के विस्तार के लिए भा०अ०ज०प्रा० को सक्षम बनाने हेतु पूरक योजना सहायता के रूप में होगा। इसके अलावा सीमित इक्विटी भागीदारी से निवेशकों में विश्वास और जोखिम कवरेज बढ़ेगा। परिणामस्वरूप अ०ज०प० क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश बढ़ेगा।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई

211. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के उन समूह 'क' और 'ख' मंत्रालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध विगत तीन वर्षों के दौरान कम और अधिक जुर्माना लगाने के लिए विभागीय कार्रवाई की गई थी;

(ख) उक्त कार्रवाई को किए जाने के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या चयन वर्ष 1993 हेतु सहायक संवर्ग की रिक्तियों की संख्या को 24 से बढ़ाकर 114 करने और सदन को गुमराह करने में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अधिक जुर्माना लगाने हेतु विभागीय कार्रवाई की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को दबाने में शामिल अधिकारियों की पहचान करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) ऐसे अनुसचिवीय कर्मचारियों/अधिकारियों जिनके विरुद्ध बड़ी/छोटी शास्तियां अभ्यारोपित किए जाने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है, की कुल संख्या नीचे दी गई है—

समूह 'क'	—	शून्य
समूह 'ख'	—	3

यह कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(ख) शास्तियां अभ्यारोपित किए जाने के लिए विभागीय कार्रवाई

केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम, 1965 और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के उपबंधों के अनुसार की जाती हैं।

(ग) से (ङ) मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा आरोपों की गंभीरता पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा बड़ी/छोटी शास्तियां अभ्यारोपित करने हेतु कार्रवाई की जा सकती है। वर्ष 1993 के लिए सहायकों की रिक्तियों की सूचना देने से संबंधित मामले को दबाने अथवा सदन को गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

महाकुंभ के लिए विशेष रेलगाड़ियां

212. **श्री रामपाल सिंह :**
डा० जसवंत सिंह यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाकुंभ के अवसर पर सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से इलाहाबाद के लिए चलाई गई अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) इससे सरकार द्वारा अर्जित अतिरिक्त राजस्व का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) महाकुम्भ 2001, 9 जनवरी, 2001 को पोष माह की पूर्णिमा से प्रारम्भ हुआ और 21 फरवरी को महाशिवरात्री के साथ समापन्न होता है। चूंकि महाकुम्भ में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों की भीड़ जारी है, अत: इस स्तर पर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

कोर्ट मार्शल का आदेश दिए जाने में सैन्य अधिनियम का उल्लंघन

213. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जनवरी, 2001 के 'दैनिक जागरण' में 'सेना कानून का उल्लंघन किया अभियोजन पक्ष ने: भटनागर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो समाचार में उठाए गए मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, कि किसी भी सैन्य कार्मिक के साथ अन्याय न हो और कोर्ट मार्शल कार्यवाही को सुव्यवस्थित बनाया जा सके,

(घ) लंबित पड़ी कोर्ट मार्शल कार्यवाहियों की संख्या कितनी है और ये कब से लंबित पंड़ी हैं, और

(ङ) इन पर अंतिम रूप से निर्णय लेने को गति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) कोर्ट मार्शल एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाती है। सेना कार्मिकों के अनुशासनहीनता के कथित कृत्यों के संबंध में कोर्ट मार्शलों का आदेश देते समय सेना अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का बहुत सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है।

'आपरेशन विजय' से संबंधित कोर्ट मार्शल के चार मामले हैं, जिनमें से दो मामलों में पहले ही विचारण शुरू हो चुका है और अन्य दो मामलों में यद्यपि विचारण अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

तमिलनाडु में न्यायालय भवन

214. **श्री वी० वेत्रिसेलवन** : क्या **विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार के अधीनस्थ न्यायालयों के जीर्ण शीर्ण भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का धनराशि कब तक जारी करने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी, नहीं। केंद्र द्वारा न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास से संबंधित प्रायोजित स्कीम में केवल न्यायालय भवनों के नए सन्निमार्ण के लिए निधियों का उपबंध है। केंद्रीय सरकार ने उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार को अब तक 27.44 करोड़ रुपए दिए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाभोल विद्युत परियोजना के संबंध में एनरॉन के साथ नया समझौता

215. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री रामजी लाल सुमन :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री जोरा सिंह मान :

श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने एनरॉन को बिलों के भुगतान में अक्टूबर, 2000 से चूक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनरॉन ने सरकार द्वारा हस्ताक्षरित प्रति गारंटी के अनुसार देयताओं के भुगतान के लिए केन्द्र, सरकार से आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ङ) क्या सरकार ने डाभोल विद्युत परियोजना के संबंध में एनरॉन के साथ कोई नया समझौता किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत की खरीद का समझौता और प्रति गारंटी का विवरण क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) एनरॉन द्वारा प्रवर्तित मै० डाभोल पावर कम्पनी (डीपीसी) ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) को प्रस्तुत अपने बिल के संबंध में लगभग 89 करोड़ रुपये बकाया राशि की वसूली के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई गारंटी हेतु 25.1.2001 को अनुरोध किया गया था। बाद में एमएसईबी द्वारा यह सूचित किया गया कि उन्होंने नवंबर, 2000 माह के बिल के संबंध में डीपीसी को समस्त बकाया राशि का अब भुगतान कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी यह सूचित किया है कि 152 करोड़ रुपये बकाया राशि का भुगतान अब एमएसईबी द्वारा डीपीसी को दिसम्बर, 2000 माह के बिल के संबंध में करने हैं जिसके लिए डीपीसी ने महाराष्ट्र सरकार की गारंटी के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से मांग कर ली है।

(ग) और (घ) डीपीसी ने नवंबर, 2000 के बिल के संबंध में एमइसईबी से बकाया धनराशि की वसूली करने के लिए भारत सरकार की कथित गारंटी के प्रावधानों के अंतर्गत मांग प्रस्तुत करके भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई गारंटी हेतु अनुरोध कर लिया था। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार प्रथम गारंटीदाता के रूप में महाराष्ट्र सरकार की गारंटी के अंतर्गत उन्हें कथित भुगतान नहीं कर पाए थे। एमएसईबी अब नवंबर, 2000 माह के बिल के संबंध में डीपीसी को समस्त बकाया धनराशि का भुगतान कर चुकी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत और पाकिस्तान के नौसेना अधिकारियों के बीच वार्ता

216. **श्री शिवाजी माने :**
श्री एम०थी०थी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाइडे :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में क्वालालम्पुर में भारत और पाकिस्तान के सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारियों के बीच समुद्र संबंधी मामलों पर वार्ता (ट्रेक-टू) हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो चर्चा के मुद्दों का ब्यौरा क्या है और क्या-क्या निर्णय लिए गए?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार क्वालालम्पुर स्थित मलेशियन इंस्टीट्यूट आफ मैरीटाइम ने एक कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें भारत और पाकिस्तान के कुछ भूतपूर्व नौसेना अधिकारियों ने भाग लिया था। सरकार के पास उक्त कार्यशाला की कार्यवाही का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

संयुक्त रक्षा आसूचना अभिकरण

217. **श्री चन्द्रकांत खैरे :**
कुंवर अखिलेश सिंह :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के समूह ने चार कृतिक बलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच है और एक रक्षा आसूचना अभिकरण बनाने सहित विभिन्न मामलों पर उचित प्रस्ताव तैयार किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और आसूचना तंत्र, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और रक्षा प्रबंधन के चार क्षेत्रों में से प्रत्येक में प्रस्तावों को कब तक तैयार कर लिये जाने और क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की विस्तृत समीक्षा करने और विशेष रूप से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते सरकार द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2000 को गठित मंत्री समूह ने आसूचना तंत्र, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और रक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में चार अलग-अलग कार्यदलों का गठन किया था। कारगिल पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट, चार कार्यदलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट एवं अन्य संगत मामलों पर विचार करने के बाद मंत्री समूह द्वारा

की गई सिफारिशों को अब अंतिम रूप दे दिया गया है। मंत्री समूह की रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए व्यापक सिफारिशें की गई हैं।

[हिन्दी]

देश में विद्युत उत्पादन की लागत

218. **श्री नवल किशोर राय :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन की लागत के संबंध में काफी विषमता है,

(ख) यदि हां, तो देश में न्यूनतम और अधिकतम विद्युत उत्पादन लागत क्या है, और

(ग) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु क्या मानदण्ड नियत किए गए हैं और लागत में विषमता के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) देश में विभिन्न विद्युत स्टेशनों के विद्युत उत्पादन की लागत संयंत्र के प्रकार, संयंत्र की स्थलाकृति भू-वैज्ञानिक स्थिति तथा प्रयुक्त ईंधन के प्रकार आदि जैसे घटकों के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। 15 राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, जैसा कि वर्ष 1998-99 के लिए के०वि०प्रा० द्वारा प्राप्त किए गए हैं। जल विद्युत स्टेशनों के विद्युत उत्पादन की औसत लागत 23.16 पैसे/कि०वा०घं० से 153.97 पैसे/कि०वा०घ० और ताप विद्युत स्टेशन के लिए 121.75 पैसे/कि०वा०घं० से 297.57 पैसे/कि०वा०घ० तक भिन्न-भिन्न होती है।

(ग) विद्युत उत्पादन की लागत ईंधन लागत, परियोजना के कार्यशील जीवन के आधार पर मूल्य ह्रास दर, परिचालन एवं अनुरक्षण लागत, इक्विटी पर प्रतिफल तथा निर्माण के दौरान ब्याज समेत पूंजीगत लागत का परिणाम है। विद्युत उत्पादन की लागत में भिन्नता होने के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ नियोजित पूंजी की लागत, संयंत्र निमार्ण की लागत में परिवर्तन का होना और ईंधन लागत में परिवर्तन, ईंधन स्रोत स्थल के आधार पर संवहन लागतों में परिवर्तन होना शामिल है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

219. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री प्रभात सामंतराय :
प्रो० रासासिंह रावत :
श्री पवन सिंह चाटोवार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की मांग के संबंध में कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गांवों में विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा,

(घ) क्या सरकार की देश के सीमावर्ती और दूर-दराज के सभी गांवों में विद्युतीकरण की योजना है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधरी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) 1991 की गणना के अनुसार देश में 5,87,258 आवासीय गाँवों की तुलना में दिसम्बर, 2000 के अंत तक 5,07,481 गाँवों को विद्युतीकृत किए जाने की रिपोर्ट की गई है। देश में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दिसम्बर 2000 के अंत तक गैर-विद्युतीकृत गाँवों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है;

(ग) राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को किए जाने हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जाना है। गाँवों के विद्युतीकरण को पूरा करने हेतु समय-सीमा वितरण प्रणाली के सशक्तिकरण हेतु अवसंरचनात्मक ढाँचे का सृजन करने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, राज्य में विद्युत की उपलब्धता तथा उपभोक्ताओं की माँग पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) दूर-दराज और अगम्य क्षेत्रों में स्थित गाँवों को अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग द्वारा विद्युतीकृत किया जाना होता है। गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय दूर-दराज और अगम्य क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राजस्व तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए काफी आसान शर्तों पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न उपयुक्त गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों जिनमें लघु एवं छोटी जल विद्युत बायो-मॉस, सौर तथा पवन इत्यादि शामिल हैं, पर एक विशिष्ट दूर-दराज के गाँव के लिए उपयुक्तता के अनुसार, पृथक रूप से अथवा विकेन्द्रित उत्पादन आधार पर समूह में विचार करने की आवश्यकता है।

विवरण

31 दिसम्बर, 2000 की स्थितिनुसार भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

क्र० सं०	राज्य	1991 की जनगणनानुसार कुल बसे हुए गांव	दिसंबर, 2000 के अंतक विद्युतीकृत गांव (अनंतिम)	विद्युतीकरण हेतु शेष गांव
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	26586	26565	21(*)
2.	अरूणाचल प्रदेश	3649	2171	1478(घ)
3.	असम	24685	19019	5666(ख)
4.	बिहार	67513	47912	19601(#)(ङ)
5.	गोवा	360	360	—(a)
6.	गुजरात	18028	17940	88(+)
7.	हरियाणा	6759	6759	—
8.	हिमाचल प्रदेश	16997	16881	116(+)
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6477	6315	162(क)
10.	कनार्टक	27066	26694	372(%)(च)
11.	केरल	1384	1384	—
12.	मध्य प्रदेश	71526	68357	3169
13.	महाराष्ट्र	40412	40412	—(@)
14.	मणिपुर	2182	2001	181
15.	मेघालय	5484	2510	2974
16.	मिजोरम	698	691	7
17.	नागालैंड	1216	1196	20(ङ)
18.	उड़ीसा	46989	35232	11757
19.	पंजाब	12428	12428	—
20.	राजस्थान	37889	35571	2318
21.	सिक्किम	447	405	42(#)
22.	तमिलनाडु	15822	15822	—
23.	त्रिपुरा	855	810	45
24.	उत्तर प्रदेश	112803	89353	23450
25.	पं० बंगाल	37910	29573	8337(छ)
	उप जोड़	586165	506361	79366+438**%
	संघ शासित केन्द्र	1093	1090	3(x)
	कुल जोड़	587258	507451	79366+441(x,%)

(*) पूरी तरह विद्युतीकृत शेष विद्युतीकरण हेतु व्यवहार्य नहीं।

(##) अनंतिम रूप से 42 नंबर गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया।

(+) 1991 की जनगणना के अनुसार अनंतिम की पृष्टि जारी हैं

(+) 1981 की जनगणना के अनुसार 100% विद्युतीकृत (%) 329 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने हेतु अव्यवहार्य पाया गया।

($) उपलब्धियां 1981 की जनगणना के अनुसार।

(&) उपलब्धियां 1971 की जनगणना के अनुसार। 1991 में जनगणना नहीं हुई।

(क) 31.3.1998 की स्थितिनुसार (ख) 30.11.1999 के अनुसार (घ) 31.7.2000 के अनुसार (ङ) 30.9.2000 के अनुसार। (च) 31.10.2000 के अनुसार। (छ) 30.11.2000 के अनुसार।

स्रोत : ग्राम विद्युतीकरण के संबंध में के० वि०प्रा० की रिपोर्ट (दिसम्बर, 2000)

दिल्ली में सी०एन०जी०फिलिंग स्टेशन

220. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में स्थानवार कितने सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन हैं,

(ख) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एक अप्रैल, 2001 से दिल्ली में केवल सी०एन०जी० चालित बसे ही चलेंगी,

(ग) क्या एक अप्रैल, 2001 के बाद सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशनों पर दबाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में इन स्टेशनों की वर्तमान संख्या पर्याप्त समझी गई है,

(घ) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली में सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशनों की संख्या को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं या किए जा रहे हैं, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्तमान में दिल्ली में 6.0 संपीडित प्राकृतिक गैस स्टेशन (स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं) प्रचालन कर रहे हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) से (ङ) संपीडित प्राकृतिक गैस खुदरा बिक्री केन्द्रों की विद्यमान संख्या वर्तमान के लिए पर्याप्त से अधिक है तथा 1 अप्रैल, 2001 से किसी संभावित अतिरिक्त आवश्यकता के लिए, 1 मार्च 2001 तक ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं तथा संपीडित प्राकृतिक गैस की संभावित मांग को पूरा करने के लिए आगे और खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की भी योजना है।

विवरण

तेल विपणन कंपनी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर प्रचालनीय संपीडित प्राकृतिक गैस खुदरा बिक्री केन्द्र

क्र० सं०	खुदरा बिक्री केन्द्र का नाम एवं स्थान	ओ०एम०सी०	प्रकार
1	2	3	4
1.	सविता फिलिंग स्टेशन, सराय काले खान	आई०बी०पी०	आन-लाइन
2.	सुपर आटो सर्विस स्टेशन, श्रीनिवासपुरी	आई०ओ०सी०	आन-लाइन
3.	भाटिया सर्विस स्टेशन, सफदरजंग अस्ताल के नजदीक	आई०ओ०सी०	आन-लाइन
4.	बेदी मोटर्स, रेस कोर्स रोड	एच०पी०सी०एल०	पुत्री
5.	जिमखाना सर्विस स्टेशन, रेस कोर्स रोड	बी०पी०सी०एल०	डिस्ट्री-बूस्टर
6.	कार केयर, सेक्टर-12, आर०के०परम	आई०बी०पी०	पुत्री
7.	स्याल सर्विस स्टेशन, कीर्ति नगर	बी०पी०सी०एल०	पुत्री
8.	आर० एस० भोलाराम, श्याम नाथ मार्ग	बी०पी०सी०एल०	डिस्ट्री-बुस्टर
9.	विनोद सर्विस स्टेशन, आई०जी०आई० एयरपोर्ट	जी०पी०सी०एल	पुत्री
10.	बीजे सर्विस स्टेशन, शास्त्री नगर	बी०पी०सी०एल०	पुत्री
11.	दीपक आटोमोबाइल्स,शाहदरा	बी०पी०सी०एल०	पुत्री
12.	राजीव एस०एस०, मथुरा रोड़	एच०पी०सी०एल०	आन-लाइन
13.	प्रगति एस०एस०, अजमेरी गेट	आई०ओ०सी०	पुत्री
14.	वैभव एस०एस०,विकासपुरी	बी०पी०सी०एल०	पुत्री
15.	बग्गा लिंक, लिंक रोड	बी०पी०सी०एल०	पुत्री
16.	एवरग्रीन एस०एस०,ग्रीन पार्क	एच०पी०सी०एल०	पुत्री
17.	बुद सिंह गुलाब सिंह, कुतुब रोड़	बी०पी०सी०एल०	पुत्री
18.	सीवान, एन एच-24	आई०ओ०सी०	पुत्री
19.	किंग्जवे कैम्प, माल रोड	आई०ओ०सी०	पुत्री
20.	स्वीवश एस०एस०, स्वामी नगर	आई०ओ०सी०	पुत्री
21.	सूर्या एस०एस०, सी०जी०ओ०	आई०ओ०सी०	आन-लाइन
22.	मुकुल डीजल, लोनी रोड़	बी०पी०सी०एल०	पुत्री
23.	आई०पी० स्टेशन, आई०पी०एस्टेट, डेसू टर्मिनल	आई०ओ०सी०	आन-लाइन
24.	शंकर एस०एस० गोल मार्किट	आई०ओ०सी०	पुत्री

आई०जी०एल०भूमि पर प्रचालनरत सी०एन०जी० खुदरा बिक्री केन्द्र

क्र०सं०	स्टेशन का नाम/स्थान	प्रकार
1	2	4
1.	सी०एन०जी० मदर, स्टेशन, सराय काले खान	मातृ

1	2	4
2.	ओ०एफ०सी० पाकेट, दिलशाद गार्डन	पुत्री
3.	सरोजनी नगर रिंग रोड़	आन-लाइन
4.	लाडो सराय, कुतुब मिनार के नजदीक	पुत्री
5.	सरिता विहार, रोड नं० 13	पुत्री
6.	मदनपुर खादर, फेट काम्पलेक्स	पुत्री
7.	छत्तरसाल स्टेडियम, रिंग रोड	पुत्री
8.	रोहिणी सेक्टर-9	पुत्री
9.	रामा रोड, जनकपुरी	पुत्री
10.	द्वारका सेक्टर 9	पुत्री
11.	नेल्सन मंडेला रोड, पुष्पांजली पी०पी०	पुत्री
12.	लोनी रोड़, ज्योति नगर पश्चिम	पुत्री
13.	सैन मार्टिन मार्ग, मैत्री कालेज के नजदीक	पुत्री
14.	मयूर विहार डिस्ट्रीक्ट सेन्टर	पुत्री
15.	सी०जी०ओ० काम्पलैक्स	आन-लाइन
16.	सरिता विहार (जसोला)	पुत्री
17.	ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-1	पुत्री
18.	फैसिलिटी सेन्टर, पीतमपुरा, रिंग रोड	पुत्री
19.	महरौली महिपालपुर रोड़	पुत्री
20.	पंजाबी बाग, रिंग रोड़	पुत्री
21.	सी०बी०डी० शाहदरा	पुत्री
22.	आर०के० पुरम, सेक्टर-12	मातृ
23.	ओखला मोड़	मातृ
24.	पुष्पा भवन	पुत्री
25.	नन्द नगरी	पुत्री
26.	नेहरू प्लेस	पुत्री
27.	मंगोलपुरी	पुत्री
28.	मायापुरी	पुत्री
29.	मेटकाफ हाऊस	मातृ
30.	आर०के०पुरम, सेक्टर-3	मातृ
31.	कापसहेड़ा	पुत्री
32.	उदयान मार्ग	पुत्री
33.	पश्चिम विहार	पुत्री
34.	मारूति लैन्ड	पुत्री
35.	डी०टी०सी० डिपो, सरोजनी नगर	मातृ
36.	डी०टी०सी० डिपो, ओखला फेज-2	मातृ

[अनुवाद]

इंडियन आयल के पेट्रोल पम्पों पर डामिनोज पिज्जा विक्रय केन्द्र

221. **श्री मंजय लाल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन आयल कारपोरेशन को देश में अपने पेट्रोल पम्पों पर डामिनोज पिज्जा विक्रय केन्द्र खोलने की अनुमति दे दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस कदम से पेट्रोल पम्पों पर विकट समस्याएं खड़ी होने की संभावना है, और

(ग) इस संविदा से इंडियन आयल कारपोरेशन को कितनी आय होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आई०ओ०सी० ने चुनिंदा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर अपने पिज्जा स्टोरों की स्थापना के लिए इन खुदरा बिक्री केन्द्रों पर आने वाले ग्राहकों को मूल्य वर्धित सेवाओं के बतौर डामिनोस पिज्जा इंडिया लिमिटेड के साथ समझोता ज्ञापन किया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार लौ वाली आग जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पर्याप्त सुरक्षा और अग्नि शमन साधनों के साथ केवल विद्युत चालित ओवनों का उपयोग किया जाना है। इसके अलावा पेट्रोलियम नियम, 1976 के अधीन अपेक्षानुसार खुदरा बिक्री केन्द्र के लाइसेंस वाले परिसर के भीतर पिज्जा स्टोर की स्थापना के लिए संबंधित विस्फोटक विभाग से जरूरी अनुमोदन पहले ले लिया जाएगा।

(ग) आई०ओ०सी० के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पिज्जा स्टोर खोलने से प्राप्त आय स्टोर के स्थान और कारोबार पर निर्भर करेगी। समझौता ज्ञापन के अनुसार आय लिए गए क्षेत्र के लिए बाजार दर पर किराए, ढांचे के निर्माण के लिए आई०ओ०सी० द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिलाभ और पिज्जा स्टोर के बिक्री कारोबार के प्रतिशत के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

पावरग्रिड

222. **डा० रमेश चंद तोमर :**
श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विद्युत की समस्या के समाधान के लिए नेशनल पावरग्रिड की स्थापना करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो नेशनल पावरग्रिड की स्थापना के लिए कितना व्यय होने की संभावना है,

(ग) क्या पावरग्रिह कार्पोरेशन देश में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने में असफल रही है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ङ) क्या एशियाई विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं इस प्रयोजन हेतु सरकार को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमत हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक कर ली जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के गठन के लिए पारेषण प्रणाली का विकास एक सतत प्रक्रिया है। इस समय भारतीय विद्युत प्रणाली पांच क्षेत्रीय ग्रिडों में विभाजित है और प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त अत: संयोजक और पुर्णत विकसित क्षेत्रीय ग्रिड विधमान है। पूरे देश में उत्पादन संसाधनों के लाभ को फैलाने के लिए तथा एक क्षेत्र की अधिशेष विद्युत की कमी वाले क्षेत्र में अंतरित करने के लिए क्षेत्रों के अतं-संयोजन की आयोजन की गई है।

पावरग्रिड का 1989 में गठन किया गया था जिसका मिशन क्षेत्रों के भीतर तथा आर पार विश्वसनीयता, सुरक्षा तथा मित्वययिता के साथ सशक्त वाणिज्यिक सिंद्धातों पर विद्युत के अतंरण को सुविधाजनक बनाना था। पावरग्रिड एक केन्द्रीय पोरेषण यूटिलिटि के रूप में अत: राजीय पारेषण प्रणाली के द्वारा ऊर्जा का पारेषण करने तथा सभी केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों से विद्युत की निकासी करने तथा संघटक राज्यों को आवंटित विद्युत की आपूर्ति करने हेतु उत्तरदायी है। पावरग्रिड ने उत्कष्ठ कार्य निष्पादन किया है तथा इसे शीर्ष दस पीएसयू में से एक में रखकर लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री का एमओयू पुरस्कार प्रदान किया गया है।

पावरग्रिड ने क्षेत्रों के बीच बिना किसी बाधा के विद्युत क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने के लिए एचवीडीसी स्टेशन/बाईपोल एवं 765 केवी एसी रिंगों के माध्यम से सभी क्षेत्रों को संमकित करने के लिए अपनी योजना पहले ही तैयार कर ली हैं पश्चिमी और उत्तरी, पेश्चिमी और दक्षिणी तथा पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच एचवीडीसी अन्त: क्षेत्रीय लिंक पहले से ही विद्यमान है और पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र के बीच एचवीडीसी लिंक निर्माणाधीन है।

वर्तमान में अन्तर क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता को जो कि वर्ष 92-93 में मात्र 500 मे०वा० थी को बढाकार 4350 मे०वा० कर दिया गया हैं राष्ट्रीय ग्रिड और अधिक सशक्त बनाने के लिए उच्च क्षमता के लम्ब एचबीडीसी लिंको तथा एसी लिंको को मेगा परियोजनाओं के हाथ चालू करने की योजना बनाई गई है। इन अन्तर संयोजकों से कुल अन्तर क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता वर्ष 2004 से 05 तक लगभग 4000 मे०वा० तक बढ़ जाएगी। अंतिम चरण में बढ़े विद्युत उत्पादन स्रोतों से विद्युत की निकासी करने के लिए एक ठोस समकालिक राष्ट्रीय ग्रिड की परिकल्पना की गई हैं इसमें चिकन नेक क्षेत्र में उच्च क्षमता की पारेषण सुविधा का विकास और पूर्वी पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों को अन्त: संबंध करने वाले एक 765 केवी लाइन के रिंग की स्थापना शामिल हैं प्रस्ताविक अनंतिम राष्ट्रीय ग्रिट की अन्त: क्षेत्रीय पारेषण क्षमता लगभग 30,000 मे०वा० बढ़ जाएगी।

पावरग्रिड के वर्ष 2012 तक 30,000 मे०वा० विद्युत का अंतरण करने के लिए सक्षम ठोस राष्ट्रीय ग्रिड के विकास हेतु अपेक्षित निवेश समेत परियोजनाओं के लिए क्रियान्वंयन के लिए लगभग 80 हजार करोड़ रु० निवेश की योजना बनाई हैं वृहद निवेश योजना के लिए पावरग्रिड समय-समय पर घरेलू आजार तथा एशियाई विकास बैंक व विश्व बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से ऋण जुटाता रहा है। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में पावरग्रिड को उसके ग्रिड सशक्तीकरण, अन्तरक्षेत्रीय एवं उत्पादन से जुड़ी पारेषण परियोजनाओं के लिए 250 मि० अमेरीकी डालर का प्रत्यक्ष ऋण अनुमोदित किया है। ऋण 10 जनवरी, 2001 से प्रभावी हो गया है। पावरग्रिड अपनी विभिन्न पारेषण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैक से भी 450 मि० अमेरीकी डालर के ऋण के संबंध में बातचीत कर रहा है।

[हिन्दी]

मालगाड़ी में आग

223. **कुंवर अखिलेश सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इलाहाबाद-सतना खण्ड पर मानिकपुर स्टेशन पर एक मालगाड़ी के कई डिब्बे जल कर राख हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और उस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं, परंतु मध्य रेलवे के इलाहाबाद-सतना खण्ड में मदरहा

और जसरा रेलवे स्टेशनों के बीच 27.11.2000 को किमी॰ 1328 पर एक माल गाड़ी पटरी से उतर गई थी। गाड़ी के पटरी से उतरने के परिणामस्वरूप 18 माल डिब्बें में आग लग गई थी। सरकारी सम्पत्ति को हुई हानि का आंकलन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी हां, एक जांच समिति, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य इंजीनियर, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर और मुख्य यातायात प्रबंधक शामिल थे, ने जांच की थी। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को बेचना/पट्टे पर देना

224. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री पी०डी० एलानगोवन:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** आई०टी०डी०सी० होटलों को बेचने के बारे में 28 जुलाई, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को बेचने और पट्टे पर देने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ख) स्थल-वार कौन-कौन से भारत पर्यटन विकास निगम होटलों को बेचा गया है और पट्टे पर दिया गया है;

(ग) स्थल-वार किन-किन भारत पर्यटन विकास निगम होटलों को बेचे जाने और पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम को इससे कितनी आय होने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कांडला पत्तन के विकास हेतु निजी क्षेत्र से प्रस्ताव

225. **श्री हरिभाई चौधरी : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कांडला पत्तन के विकास के संबंध में निजी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं,

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा,

(घ) क्या सरकार को गुजरात के अन्य पत्तनों के बारे में कुछ और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो पत्तनवार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) निजी क्षेत्र के माध्यम से 30 वर्ष की अवधि के लिए बी०ओ०टी० आधार पर कांडला पत्तन न्यास की बर्थ सं 7 पर कंटेनर टर्मिनल के विकास का प्रस्ताव है। पी० एंड ओ० पोर्ट्स आस्ट्रेलिया को परियोजना का विकास करने के लिए चुना गया है। लाइसेंस-करार पर अभी हस्ताक्षर होने शेष हैं। परियोजना में निवेश निजी विकासकर्ता द्वारा किया जाना है।

(घ) और (ङ) कांडला पत्तन गुजरात राज्य में स्थित एकमात्र महापत्तन है। राज्यों के लघु पत्तन, मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार इन लघु पत्तनों का विकास राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में तेल शोधन परियोजना का निर्माण कार्य

226. **श्री अनन्त नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप में तेल शोधन परियोजना के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) कार्य की समीक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में नई विद्युत परियोजनाएँ

227. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या सरकार की देश में, विशेषकर तमिलनाडु में नई विद्युत परियोजनाएं आरंभ करने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार इनका निष्पादन क्या रहा,

(ग) क्या सरकार ने देश में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन को अनुमति दे दी है,

(घ) यदि हां, तो देश में विदेशी सहायता से/विदेशी सहायता के बिना चालू की गई सरकारी और निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं

का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा इस संबंध में कुल कितना व्यय किया गया, और

(ङ) इन परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

11 के०वी० से ऊपर अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा आरंभ करने हेतु केन्द्रीय अधिनियम

228. **श्री राजीव प्रताप रूड़ी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारह के०वी० से अधिक सभी पारेषणों के लिए अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा आरंभ करने हेतु एक केन्द्रीय अधिनियम लाने का है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) ऐसे विधान को लाने की समय-सीमा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) सरकार ने 24 फरवरी, 2000 को लोक सभा में ऊर्जा संवर्धन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया है। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने विधेयक की जांच की है और अपनी रिपोर्ट 28 नवंबर, 2000 को लोक सभा में प्रस्तुत कर दी है। विधेयक को अभी संसद द्वारा पारित किया जाना है।

ऊर्जा संवर्धन विधेयक, 2000 के अधिनियमित हो जाने के उपरांत अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को प्रमुख ऊर्जा लेखा परीक्षकों से लेखा परीक्षा करवाने के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट ऊर्जा की अधिक खपत वाले उद्योगों को निर्देश देने की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। इस अनुसूची में ऊर्जा की अधिक खपत वाले उद्योगों के रूप में विद्युत पारेषण एवं वितरण कम्पनियों को शामिल किया गया हैं।

[हिन्दी]

बिहार में रेल परियोजनाएं

229. **श्री निखिल कुमार चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक बिहार में कितनी रेल परियोजनाएं लम्बित हैं और इसके क्या कारण है; और

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) बिहार में 7 रेल परियोजनाएं लंबित है। ये परियोजनाएं आवश्यक स्वीकृतियां न मिलने के कारण लंबित हैं।

(ख) आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए रेलों द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

यात्रियों के लिए सुविधाएं

230. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे ने कितनी राशि व्यय की है;

(ख) क्या सरकार का दूसरे दर्जे के रेल यात्रियों को मिल रही सुविधाओं में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) यात्री सुविधाएं योजना शीर्ष के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान 115.25 करोड़ रुपए तथा 2000-2001 (अनुमानत: दिसम्बर, 2000 तक) के दौरान 75.14 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

(ख) और (ग) स्टेशनों पर सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए सुविधाओं का ग्रेडोन्नयन करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में अपेक्षित कार्य रेलों के निर्माण मशीनरी एवं चल स्टॉक कार्यक्रम के माध्यम से स्वीकृत किए जाते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।

वर्षों से बेहतर यात्री सुविधा के लिए निम्नलिखित विशेषताएं मुहैया कराकर द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों के डिजाइन में सुधार किया गया है :

(i) सवारी डिब्बों के बीच बेहतर तथा अधिक सुरक्षित अंत: सम्पर्क मुहैया कराने के लिए आरक्षित सवारी डिब्बों में यू०आई०सी० किस्म के वेस्टीब्यूल का प्रावधान,

(ii) पिलफरप्रुफ फाइबर रिइन्फोर्सड् प्लास्टिक की खिड़कियां तथा शटर लगाना।

(iii) शौचालयों में बेहतर पी०वी०सी० फलोरिंग तथा स्टेनलैस स्टील इनले।

(iv) बेहतर रोशनी की व्यवस्था के लिए 24 वोल्ट प्रणाली के स्थान पर 110 वोल्ट बिजली प्रणाली में परिवर्तन करना।

[अनुवाद]

चलती ट्रेन में मोबाइल पुलिस

231. **डा० मन्दा जगन्नाथ** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ट्रेनों में डकैती को रोकने के लिए मोबाइल पुलिस तैनात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या चलती ट्रेन में होने वाले अपराधों से यात्रियों को सुरक्षित करने हेतु मोबाइल पुलिस को जवाबदेह बनाया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं, कुछ गाड़ियों में मोबाइल पुलिस पोस्ट पहले से ही विद्यमान है। चलती गाड़ियों सहित रेलों पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। रेल प्रशासन गाड़ियों में स्थान उपलब्ध कराता है जबकि रा०रे०पु० मोबाइल पोस्टों के लिए अपेक्षित जनशक्ति और अन्य उपस्कर मुहैया कराता है रा०रे०पु० ऐसी मोबाइल पुलिस पोस्टों की व्यवस्था के लिए अपराध की भेद्यता को ध्यान में रखकर गाड़ियों का चयन करती है।

(ग) और (घ) रा०रे०पु० संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करती है। अत: वे यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं हैं।

[हिन्दी]

देश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता

232. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता कितनी है,

(ख) प्रत्येक राज्य में विद्युत संयंत्रों की क्षमता का औसत संयंत्र भारकप्रक (पीएलएफ) कितना है,

(ग) प्रत्येक राज्य में विद्युत की अनुमानित मांग के विरुद्ध नए लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद कितनी अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन लिए जाने की संभवना है, और

(घ) प्रत्येक राज्य में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 31.1.2001 को देश में राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार अधिष्ठापित क्षमता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) अप्रैल, 2000 जनवरी, 2001 की अवधि के दौरान विद्युत संयंत्रों का राज्य-वार औसत संयंत्र भार घटक विवरण-II में दिया गया है।

(ग) नई लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति के पश्चात् तथा के०वि०प्रा०/राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली संभावित अतिरिक्त विद्युत लगभग 70653 मे०वा० होगी तथा प्रत्येक राज्य में विद्युत की आकलित मांग विवरण-III में दी गई है।

(घ) देश के विभिन्न राज्यों में 1999-2000 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

31.1.2001 के अनुसार यूटिलिटियों की श्रेणी-वार अधिष्ठापित क्षमता

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(आंकड़े मे०वा०में)
1	2
राज्य क्षेत्र	
उत्तरी क्षेत्र	
चण्डीगढ़	2.00
दिल्ली	617.00
हरियाणा	1780.32
हिमाचल प्रदेश	322.00
जम्मू व कश्मीर	409.13
पंजाब	4528.94
राजस्थान	2488.83
उ०प्र० और उत्तरांचल	6052.75
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	7230.39
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़	4373.00
महाराष्ट्र	12843.20
गोवा	48.05
दादरा व नगर हवेली	0.0
दमन और दीव	0.00
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	6605.88
कर्नाटक	4456.49
केरल	2156.49
तमिलनाडु	6078.22

1	2
पांडिचेरी	32.50
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार और झारखण्ड	2108.40
डी०वी०सी०	2871.50
एन०एच०पी०सी०	60.00
एन०टी०पी०सी०	3910.00
उड़ीसा	2143.02
पश्चिम बंगाल	4582.89
सिक्किम	37.89
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
अरूणाचल प्रदेश	45.43
असम	621.69
मणिपुर	12.01
मेघालय	188.76
मिजोरम	36.85
नागालैड	5.50
त्रिपुरा	85.36
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	34.05
लक्षद्वीप	9.97
केन्द्रीय क्षेत्र	30440.51
कुल	100377.55

विवरण-II

अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 तक निम्नलिखित प्रत्येक राज्य में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार घटक

क्र०सं०	राज्य	औसत संयंत्र भार घाटक (%)
1.	दिल्ली	50.70
2.	हरियाणा	49.20
3.	राजस्थान	82.80
4.	पंजाब	77.50
5.	उत्तर प्रदेश	56.70
6.	गुजरात	71.40
7.	महाराष्ट्र	71.70
8.	मध्य प्रदेश	65.20
9.	आंध्र प्रदेश	84.70
10.	तमिलनाडु	72.20
11.	कर्नाटक	80.80
12.	बिहार	27.25
13.	उड़ीसा	79.20
14.	पश्चिम बंगाल	35.73
15.	असम	18.20
	राज्य क्षेत्र	64.8
	केन्द्रीय क्षेत्र	72.9
	निजी क्षेत्र	74.8
	अखिल भारत	68.1

विवरण-III

उत्तरी क्षेत्र

(सार्वजनिक यूटिलिटिज)

राज्य	ऊर्जा आवश्यकता मिकिवाघ०				व्यस्ततमकालीन लोड (मे०वा०)			
	2001-02	2006-07	2011-12	2016-17	2001-02	2006-07	2011-12	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	17460	25750	37801	55234	3322	4899	7192	10509

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नागालैंड	270	388	555	790	70	98	141	200
त्रिपुरा	635	997	1559	2427	161	253	396	616
उ०पू०क्षे०	6404	9501	14061	20756	1272	1875	2789	4134

विवरण-IV

वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य-वार विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता

राज्य का नाम	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (कि०वा०घं०)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
चण्डीगढ़	1172.73
दिल्ली	1247.53
हरियाणा	789.96
हिमाचल प्रदेश	469.13
जम्मू व कश्मीर	497.77
पंजाब	1116.69
राजस्थान	451.83
उत्तर प्रदेश	230.14
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	979.86
मध्य प्रदेश	436.31
महाराष्ट्र	760.77
गोवा	900.64
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	570.26
कर्नाटक	498.86
केरल	370.50
तमिलनाडु	581.50
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	84.17
उड़ीसा	311.95
पश्चिम बंगाल	232.89
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
अरूणाचल प्रदेश	102.29
असम	111.99
मणिपुर	181.20
मेघालय	225.33
मिजोरम	238.19
नागालैंड	125.18
त्रिपुरा	158.20
अखिल भारत	454.96

[अनुवाद]

साम्बा जासूसी मामला

233. **श्रीमती रेणूका चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तथाकथित साम्बा जासूसी मामले में, सभी 9 अधिकारियों को दोषमुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में उनके और उनके परिवार द्वारा काटी गई जेल की लंबी सजा और अन्य कठिनाइयां उठाने की क्षतिपूर्ति करने और उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इसमें दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

एन०एच०पी०सी० द्वारा किराए पर भवन लेना

234. श्री महेश्वर सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** एन०एच०पी०सी० द्वारा किराए पर भवन लेने के बारे में 21 नवम्बर, 2000 के अतारांकित **प्रश्न** संख्या 24 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) एन०एच०पी०सी० द्वारा उक्त उत्तर में किस तिथि को नौ भवनों को किराए पर लिया गया था, और

(ख) इसमें चल रहे कार्यालयों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एन०एच०पी०सी०) द्वारा किराए पर लिए गए भवनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	भवन का नाम और स्थल	तिथि जब से किराये पर लिया गया	कार्यालय जो काम कर रहे है
1.	(क) होटल सिल्वर फेस परिसर, नई ब्रिज के नजदीक, भुंतर 175125.	1.12.1998	कार्यपालकों के लिए ट्रांजिट कैम्प-1 और फील्ड होस्टल
	(ख) इसी भवन में एक कमरा और खुला क्षेत्र	1.1.1999	—तदैव—
2.	(क) होटल सिल्वर फेस रेजीडेंशियल काम्प्लेक्स, नये ब्रिज के नजदीक, भुंतर-175125	1.12.1998	महाप्रबंधक (पार्बती) का कार्यालय, मुख्य अभियंता (चरण-1 और 3) एफ एंण्ड ए, पीएंड ए, सिविल ठेका, प्रापण, परियोजना मेडिकल हास्पीटल, पुस्तकालय, योजना और समन्वय विंग
	(ख) इसी भवन में 2 कमरे (अस्थायी)	1.3.1999	—तदैव—
	(ग) गोदाम आदि इसी भवन में	1.1.1999	—तदैव—
	(घ) इसी भवन में प्रथम तल में 2 अतिरिक्त कमरे	24.7.2000	—तदैव—
	(ङ) इसी भवन के दूसरे तल में कमरे।	21.9.1999	—तदैव—
3.	होटल कुल्लू पेलेस, भुंतर-175125.	16.12.1998	ट्रांजिट कैम्प-2 (गैर-कार्यपालकों हेतु)
4.	श्री देवी सिंह सलाह का भवन	26.6.1999	विद्युत गृह चरण-2 परिसर।
5.	श्री फतेह सिंह का भवन, सैंज	1.3.2000	वरिष्ठ प्रबंध का कार्यालय (चरण-13)
6.	ग्रीन वैली गार्डन, श्रीमोतीराम का पेइंग गैस्ट हाउस, गरसा	26.6.1999	फील्ड होस्टल/ट्रांजिट कैम्प
7.	नोबल गैस्ट हाऊस, नये ब्रिज के नजदीक, भुंतर-175125.	1.4.2000	पीएंडए, एफएंडए, भूमि अधिग्रहण विंग, भू-विज्ञान, वैद्युत एवं दूरसंचार, अनुसंधान, योजना और समन्वय।
8.	होटल हॉरीजन, मणिकरण रोड, भुंतर	10.3.2000	ट्रांजिट कैम्प-2/फील्ड होस्टल।
9.	श्री उत्तम सिंह का भवन, थेला, गरसा।	1.6.2000	ट्रांजिट कैम्प, टी एंड एस-2 का कार्यालय. परिसर।

बिहार और मध्य-प्रदेश में सर्वेक्षण पूरा किया जाना

235. **श्री ब्रजमोहन राम :** क्या रेल मंत्री बिहार और मध्य प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं के बारे में 24 फरवरी, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और मध्य प्रदेश में प्रस्तावित सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सर्वेक्षणों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव

236. **श्री पद्मसेन चौधरी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है,

(ख) क्या उत्तर प्रदेश की कोई विद्युत उत्पादन परियोजना सरकार के पास विचाराधीन है,

(ग) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, और

(ङ) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) में जांचाधीन ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र में मै० जवाहरपुर पावर इंडिया लि० द्वारा स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित की गई जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना (2×400 मे०वा०) वर्तमान में के०वि०प्रा० में जांचाधीन है। यह एटा जिले में प्रस्तावित एक कोयला आधारित परियोजना है।

(घ) और (ङ) जवाहरपुर ताप विद्युत स्टेशन के लिए निवेश की व्यवस्था निजी विद्युत उत्पादक द्वारा की जा रही है।

विवरण-I

विचाराधीन ताप विद्युत और जल विद्युत स्कीम का विवरण

क्र०सं०	परियोजना/राज्य का नाम	क्षमता(मे०वा०)
1	2	3
1.	धामवाड़ी सुंडा एचईपी (हिमाचल प्रदेश)	2×35
2.	उहल एचईपी चरण-III (हिमाचल प्रदेश)	2×50
3.	कोलाडाइन एचईपी चरण-I (मिजोरम)	120
4.	मतनार एचईपी (मध्य प्रदेश)	60
5.	रामगढ़ सीसीजीटी चरण-II (राजस्थान)	71
6.	जवाहरपुर टीपीपी (उत्तरप्रदेश)	2×400
7.	सिपत एसटीपीपी चरण-II (मध्य प्रदेश)	660
8.	विंध्याचल एसटीपीपी चरण-III (म०प्र०)	2×500
9.	संजय गांधी टीपीएस विस्तार चरण-II (म०प्र०)	500
10.	धुवन गैस पीपी (गुजरात)	100.0
11.	कच्छ लिग्नाईट टीपीपी विस्तार यूनिट 4(गुजरात)	75
12.	रायगढ़ सीसीपीपी (मध्य प्रदेश)	343.49
13.	झाबुआ सीसीपीपी (मध्य प्रदेश)	360
14.	सिपका टीपीएस विस्तार यूनिट, 3 एवं 4 (गुजरात)	2×250
15.	सुरत लिग्नाइट फेस-II (गुजरात)	2×125
16.	नाथपा आधारित सीसीपीपी (कर्नाटक) हसन	200
17.	नेंजनगुड सीसीपीपी (कर्नाटक)	96.7
18.	श्रीमुशनम लिग्नाइट टीपीपी (तमिलनाडु)	250
19.	तेलगी (बिजापुर) टीपीपी (कर्नाटक)	96.7
20.	कोविलकलप्पल सीसीपीपी (तमिलनाडु)	107.88
21.	वलुथूर सीसीजीटी (तमिलनाडु)	100
22.	केहलगांव एसटीपीपी चरण-II (बिहार)	2×660
23.	बाढ़ एसटीपीएस (बिहार)	3×660
24.	त्रिपुरा गैस आधारित सीसीपीपी (त्रिपुरा)	500
25.	सुरतगढ़ टीपीएस चरण-III (राजस्थान)	250

1	2	3
26.	नई दिल्ली टीपीएस (नई दिल्ली)	350
27.	कोझीकोड भारी ईंधन डीजीपीपी (केरल)	128
28.	कोनासीमा सीसीजीटी (अरूणाचल प्रदेश)	445
29.	एलएनजी आधारित सीसीपीपी एट शिवपुर (कर्ना०)	483
30.	मेजिया टीपीएस विस्तार, यूनिट 4 (डीवीसी) (पश्चिम बंगाल)	210

विदेशों में तेल कंपनियों द्वारा निवेश

237. **श्री रामजी लाल सुमन :**
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की पूंजी को विदेश में निवेश हेतु प्रयोग में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 2000 तक विदेश में इन कंपनियों की कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया,

(ग) मार्च, 1998, 1999 और 2000 तक विदेश में निवेश की राशि कितनी थी और इस निवेश पर इन कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में कितना वार्षिक लाभ अर्जित किया गया, और

(घ) उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान निवेश की तुलना में अर्जन का प्रतिशत अनुपात कितना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के क्रियाकलापों में संलग्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार विदेशों में उद्यम आरम्भ कर दिए हैं–

(1) अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओ०एन०जी०सी० विदेश लिमिटेड (ओ०वी०एल) के माध्यम से आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) वियतनाम में अपने भागीदारों यू०के० की बी०पी०, नार्वे की स्टेट आयल और वियतनाम की पेट्रो वियतनाम के साथ मिलकर दो गैस क्षेत्रों का विकास कर रही है इस परियोजना में ओ०वी०एल० का 45 प्रतिशत हिस्सा है और अब तक इसका निवेश लगभग 190.97 करोड़ रुपये है गैस का उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(2) आयल इंडिया लिमिटेड (ओ०आई०एल०) ने फ्रांस की टोटल फाइना के साथ भागीदारी से ओमान में एक अन्वेषण ब्लाक में भागीदारी हित लिया है। कंपनी अन्वेषण कार्य पर अब तक 27.52 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर चुकी है और यह अन्वेषण कार्य अभी भी प्रगति पर है। अब तक कोई वाणिज्यिक खोज नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल पर शुल्क में कटौती

238. **श्री गंता श्रीनिवास राव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओपेक ने कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क में कटौती हेतु निवेदन किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) इस संबंध में कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दृश्य-श्रव्य स्टूडियो की स्थापना

239. **श्री के०पी०सिंह देव :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की सहायता से कोलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में पहली दृश्य-श्रव्य स्टूडियो की स्थापना का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) जापान द्वारा कुल कितने मूल्य के इलेक्ट्रानिक उपकरणों की आपूर्ति की गई है,

(घ) जापान द्वारा इस संबंध में अन्य क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है, और

(ङ) विभिन्न भारतीय कला रूपों और प्राचीन अवशेषों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन भारतीय संग्रहालय, कोलकाता को भारतीय संग्रहालय, कोलकता में श्रव्य-दृश्य स्टूडियो स्थापित करने के लिए जापान सरकार से सहायता के रूप में मार्च, 1999 में 50 मिलियन जापानी येन (2.05 करोड़ भारतीय रुपये के बराबर) मूल्य के वीडियो कैमरा और संपादन उपस्कर प्राप्त हुए। सहायता केवल इलेक्ट्रानिक उपस्करों की आपूर्ति तक ही सीमित थी।

(ङ) कलाओं, पुरातत्व और मानव विज्ञान से संबंधित विभिन्न कला कृतियों के व्यवस्थित और वर्गीकृत दस्तावेज समुचित और वैज्ञानिक परिरक्षण के लिए प्रलेखित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार की संस्थाएँ, जिनमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, लखनऊ उल्लेखनीय है, जो (i) संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुरातत्व विभागों, आदि की संरक्षण क्षमताओं के विकास: (ii) देश की सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में सेवाएं प्रदान करने; और (iii) संरक्षण मामलों में विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं को सलाह देने में संलग्न है।

राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार

240. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम०वी०वी०एस०मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए किन राज्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है; और

(ख) राज्यों को पर्यटन से संबंधित दिए गए अन्य पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) यात्रा उद्योग, व्यक्तियों, पर्यटन संगठनों तथा राज्य सरकारों को पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पर्यटन विभाग द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिया जाता है। पुर्वोत्तर के राज्यों में से उस राज्य को विशेष पुरस्कार भी दिया जाता है जिसने पर्यटन क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य किया हो। विगत तीन वर्षों तक चालू वर्ष के दौरान जिन राज्य सरकारों को पुरस्कार दिए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं–

वर्ष	पर्यटन क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाला राज्य	पूर्वोत्तर राज्य
1996-97	राजस्थान	–
1997-98	उत्तर प्रदेश	नागालैण्ड
1998-99	केरल	सिक्किम
1999-2000	केरल	सिक्किम

गोंडिया-जबलपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

241. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंडिया-बलपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन अभी भी चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आमान परिवर्तन की धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त लाइन का आमान परिवर्तन कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां,

(ख) इस खण्ड पर गोंदिया से बालाघाट तक चरण-1 में कार्य शुरू कर दिया गया है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण, धन की उपलब्धता के अनुसार इस परियोजना पर कार्य किया जा रहा है।

(घ) लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

पेट्रोल और डीजल की खपत

242. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल :**
श्री एस०पी० लेपचा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पेट्रोल और डीजल की कुल कितनी खपत हुई है,

(ख) सरकारी क्षेत्र में इन मदों की वार्षिक खपत कितनी है,

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में इन मदों की खपत में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) क्षेत्र-वार पेट्रोल और डीजल की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में पेट्रोल तथा डीजल की खपत निम्नवत है–

(टीएमटी)

	1997-98	1998-99	1999-2000
मोटर स्पिरिट	5182	5507	5909
हाई स्पीड डीजल	36071	37217	39295

(ख) सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्रों के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का अनुमान लगाए जाने की कोई प्रणाली नहीं है।

(ग) सरकार ने मितव्ययिता अभियान के भाग के रूप में पेट्रोल तथा डीजल की खपत को कम करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।

(घ) सभी क्षेत्रों में पेट्रोल तथा डीजल की मांग वर्तमान में पूर्णतया पूरी की जा रही है।

केरल में विद्युत की कमी

243. **श्री पी०सी० थामस :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विद्युत की कमी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र में केरल को उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा है,

(घ) यदि हां, तो वोल्टेज में सुधार और ऊर्जा के उत्पादन हेतु केरल के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) कोची रिफाइनरी लिमिटेड केरल में विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जनवरी, 2001 और अप्रैल 2000 से जनवरी, 2001 की अवधि के दौरान केरल में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

ऊर्जा (मि०यू०)

	जनवरी, 2001	अप्रैल, 2000-जनवरी, 2001
आवश्यकता	1172	11211
उपलब्धता	1137	10463
कमी	35	748
प्रतिशत	3.0	6.7

व्यस्ततमकालीन (मे०वा०)

	जनवरी, 2001	अप्रैल, 2000-जनवरी, 2001
व्यस्तमकालीन मांग	2351	2391
व्यस्ततमकालीन पूर्ति	2304	2304
कमी	47	87
प्रतिशत	2.0	3.6

(ग) दक्षिण क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों में केरल 454 मे०वा० सुनिश्चित हिस्सा है, केरल को दक्षिण क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन के अनावंटित विद्युत में से 4 प्रतिशत विद्युत का आबंटन किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त केरल को गजुवाका एचवीडीसी लिंक के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र से आयातित विद्युत में से 11.6 प्रतिशत तथा रामागुण्डम-चन्द्रपर 400 केवी लाईन के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र से आयातित आधिशेष विद्युत में से 15 प्रतिशत विद्युत का आबंटन प्रदान किया गया है।

अप्रैल, 2000 से जनवरी 2001 की अवधि के दौरान केरल ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से 2573.6 मि०यू० की हकदारी की तुलना में 2656.7 मि०यू० विद्युत प्राप्त की है इस प्रकार अपनी हकदारी से अधिक विद्युत प्राप्त की हैं।

(घ) केरल में बोल्टता फ्रोफाइल के सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं।

1. वर्ष 2000-01 के लिए केरल हेतु 579.5 एमवीए और शंट केपेसिटरों की अधिष्ठापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. वर्तमान में केरल को केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत की आपूर्ति उडमलपेट-त्रिचूर 400 केवी डी/सी लिंक से की जा रही हैं अतिरिक्त 400 केवी की आपूर्ति को पावरग्रिड द्वारा मदुरई-तिरूवन्तपुरम 400 केवी डीसी के माध्यम से किया जा रहा है। और इसके दिसम्बर, 2002 तक चालू होने का कार्यक्रम है।

नौवीं और दसवीं योजना के दौरान केरल में निम्नलिखित अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने की प्रत्याशा है जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया हैं।

क्र० सं०	स्कीम का नाम	क्षमता मे०वा०	चालू करने का कार्य
1.	विपिन सीसीजीटी	679.2	वित्तीय समापन की तिथि से 27 माह
2.	कन्नूर सीसीजीटी	513	—वही—
3.	मालनखेड़ा एचईपी	10.5	2002-03
4.	कूट्याडी विस्तार एचईपी	50+100	नौंवी योजना में 50 मे०वा० दसवीं योजना में 100 मे०वा०
5.	भूथाथनकेटू	16	2001-02
6.	अपिरापल्ली एचईपी	160+3	10वीं योजना

(ङ) कोचिन रिफाइनरीज लिमि० द्वारा प्रवर्तित 500 मे०वा० की विद्युत परियोजना को एक सयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में निम्नलिखित इक्विटी पेटर्न के साथ चालू किया जाना था।

केआरएल	—26 प्रतिशत
कन्नसोफ्टयूम ऑफ पीएसईजी/एल एचं टी	—26 प्रतिशत
केएसईबी	—11 प्रतिशत
अन्य	—37 प्रतिशत

मै० के आर एल ने केएसईबी को सूचित किया है कि पट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने के०वि०प्रा० से टी०ई०सी० प्राप्त करने के लिए डी०पी०आर० तैयार करने हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

[हिन्दी]

झारखंड में विद्युत की मांग

244. प्रो० दुखा भगत : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में झारखण्ड राज्य में विद्युत की मांग कितनी है, और

(ख) सरकार द्वारा राज्य में विद्युत की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) इस समय, बिहार राज्य बिजली बोर्ड को डी०वी०सी० के साथ डी०वी०सी० नियंत्रित क्षेत्र में (जो पूर्णत: झारखण्ड क्षेत्र में आता है) बिहार और झारखण्ड दोनों राज्यों में विद्युत आपूर्ति का कार्य सौंपा गया है। तत्कालीन संयुक्त बिहार राज्य की 1200 मे०वा० की कुल मांग की तुलना में झारखण्ड राज्य की विद्युत मांग लगभग 400 मे०वा० आंकी गई है।

(ख) राज्य क्षेत्र के उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की औसत उपलब्धता (भौगोलिक रूप से झारखण्ड राज्य में अवस्थित) लगभग 480 मे०वा० है। उपरोक्त के अलावा, झारखण्ड फरक्का, कहलगांव, तालचेर, एसटीपीएस और रंगित जल विद्युत परियोजना के केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों से, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 3500 मे०वा० है, तथा भूटान में चूखा जल विद्युत परियोजना के हिस्सों में भी हकदार है। अत: यह आशा की जाती है कि झारखण्ड में विद्युत की कोई कमी नहीं रहेगी और यह पूरी तरह से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकेगा।

ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों की स्थापना

245. श्री रवींद्र कुमार पाण्डेय : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे ताप विद्युत घरों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों की स्थापना का निर्देश दिया गया है।

(ख) कुल कितने ताप विद्युत घरों/सुपर ताप विद्युत घरों ने उक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए हैं और उनमें से कितने ऐसे उपकरणों के अभाव में बंद कर दिए गए हैं,

(ग) क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के अभाव के कारण ताप विद्युत घरों के बंद होने से हुई हानि का मूल्यांकन किया है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 79 ताप विद्युत संयंत्रों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का निर्देश दिया गया है।

(ख) बोकारो "क" और हरदुआगंज "क" और "ख" को छोड़कर सभी विद्युत केन्द्रों के पास प्रदूषण नियंत्रण अर्थात् इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर (ईएसपी) है। बहरहाल, केवल 48 विद्युत केन्द्रों ईएसपी का निष्पादन संतोषजनक है तथा शेष 31 विद्युत केन्द्रों ईएलपीज का विस्तार प्रगति पर है ताकि उनकी क्षमता में सुधार हो सके।

(ग) और (घ) बोकारो "क" विद्युत केन्द्र (45 मे०वा० प्रत्येक की 3 यूनिटों तथा पनकी यूनिट-2 (32 मे०वा०) को छोड़कर किसी अन्य संयंत्र को बन्द करने का आदेश नहीं दिया गया है। इस विद्युत केन्द्र को बंद करने से 167 (मे०वा०) उत्पादन क्षमता की हानि हुई है। बहरहाल, 30 विद्युत केन्द्रों को समयबद्ध तरीके से प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने/विस्तार करने के निदेश जारी कर दिए गए हैं।

देश में विद्युत की मांग और खपत

246. प्रो० रासासिंह रावत : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत की कुल आवश्यकता और खपत कितनी है,

(ख) घरेलू उद्योगों और कृषि के उपयोग हेतु कितने प्रतिशत विद्युत की आवश्यकता है और एन०टी०पी०सी० एवं एन०एच०पी०सी० द्वारा अलग-अलग कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है,

(ग) क्या देश के पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है,

(घ) यदि हां, तो इस अतिरिक्त विद्युत को जरूरतमंद राज्यों को न देने के क्या कारण हैं,

(ङ) देश में किसानों को विद्युत उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं, और

(च) सरकार का देश को विद्युत उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की क्या कार्य योजना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) वर्ष 1998-99 के दौरान देश में कुल विद्युत आवश्यकता तथा खपत क्रमश: 429117 मि०यू० और 312401 मि०यू० थी।

(ख) घरेलु उद्योग तथा कृषि उपयोग के लिए कुछ बिजली का अपेक्षित प्रतिशत क्रमश: 21 प्रतिशत 34 प्रतिशत और 31 प्रतिशत था। वर्ष 1998-99 के दौरान एन०टी०पी०सी और एन०एच०पी०सी० द्वारा उत्पादित विद्युत का परिमाण क्रमश: 114368 मि०यू० तथा 9920 मि०यू० था।

(ग) पूर्वी क्षेत्र में व्यस्ततमकालीन और गैर-व्यस्ततमकालीन अधिशेष विद्युत 1500 से 3000 मे०वा० के आस-पास है।

(घ) पूर्वी क्षेत्र की लगभग 1100 के०वी० अधिशेष बिजली उपलब्ध पारेषण लाइनों की क्षमता के अनुसार जरूरतमंद राज्यों/क्षेत्रों को निर्यात की जाती है।

(ङ) उत्पादित विद्युत का लगभग 1/3 कृषि क्षेत्र को दिया जा रहा है।

(च) देश में विद्युत उत्पादन एवं वितरण में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

(1) क्षमता सवर्धन कार्यक्रम का तेजी से क्रियान्वयन और 2012 तक क्षमता को दुगुना करना।

(2) मौजूदा पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।

(3) त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत ताप विद्युत केन्द्रों के प्रचालन व रखरखाव में सुधार के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन के जरिए ऋणों का वितरण।

(4) मिसिंग ट्रांसमिशन लिंकों एवं प्रणाली सुधार तथा अंतत: राष्ट्रीय ग्रिड के विकास के जरिए अंतरर्राज्यीय तथा अंत: क्षेत्रीय विद्युत अंतरण को बढ़ाना।

(5) क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में हाइड्रा, थर्मल, न्यूक्लीयर तथा गैस टरबाईन स्टेशनों का संबंधित प्रचालन।

(6) विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया का तेजी से क्रियान्वयन।

(7) नव-स्थापित उत्पादन यूनिटों का शीघ्र स्थिरीकरण।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

247. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक मांग कितनी है,

(ख) मांग की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कितनी है और ऐसे उत्पादों के आयात के द्वारा कितनी आपूर्ति की गई, और

(ग) देश कब तक पेट्रोलियम उत्पादों को निर्यात करने की स्थिति में आ जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य-मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग या तो स्वदेशी उत्पादन से अथवा आयात से पूर्णतया पूरी की जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इनकी मांग/उत्पादन तथा आयात स्थिति नीचे दी गई है–

(मिलियन मीट्रिक टन)

खपत	97.09
स्वदेशी उत्पादन	82.94
आयात	16.62
इन्वेन्ट्रीगत अन्तरभिन्नता	(+) 2.47

(ग) देश नाफ्था, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल तथा ईंधन तेल जैसे अधिशेष पेट्रोलियम उत्पादों को पहले ही निर्यात कर रहा है।

विवरण-I

पेट्रोलियम उत्पादों की राज्यवार खपत 1999-2000 (सा०क्षे०उ०)

(आंकड़े टी एम टी में)

राज्य	नाफ्था	एल पी जी	एम एस	एस के ओ	ए टी एफ	एच एस डी	एल डी ओ	एफ ओ	एल एस एच एस	अस्फाल	स्नेहक	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जे०एंड के०	0	61	62	154	26	209	7	19	5	19	5	1	566
पंजाब	13	286	398	369	61	2331	35	209	634	163	31	26	4557
पंजाब	526	247	248	455	47	2687	65	178	80	138	27	12	4711
उत्तर प्रदेश	1261	781	493	1420	101	4857	167	339	307	289	68	158	10241
हरियाणा	0	251	206	182	26	2005	63	165	343	118	23	12	3394
हिमाचल प्रदेश	0	56	40	51	0	254	4	16	16	23	4	1	464
चंडीगढ़	0	31	63	14	31	77	4	11	19	29	2	1	283
दिल्ली	0	450	536	206	564	1243	101	9	8	33	32	72	3254
उत्तरी क्षेत्र	1801	2164	2046	2852	857	13662	445	945	1411	812	192	284	27469
असम	50	99	59	279	64	366	3	53	7	29	7	119	1133
मणिपुर	0	12	10	22	3	29	0	0	0	5	0	0	81
मेघालय	0	8	19	21	0	111	0	0	0	10	1	0	170
नागालैण्ड	0	7	10	15	1	21	0	0	0	4	0	0	59
त्रिपुरा	0	11	7	33	2	42	0	1	0	5	1	0	101
अरूणाचल प्रदेश	0	7	15	14	2	57	0	0	0	1	2	0	97
मिजोरम	0	10	8	8	0	22	1	0	0	0	0	0	50
उ० पूर्वी क्षेत्र	50	154	126	393	71	647	4	54	7	54	10	120	1691
बिहार	1	173	169	869	8	1739	88	254	113	99	40	166	3721
उड़ीसा	64	62	96	344	15	723	12	243	1	25	16	9	1610
प०बंगाल	97	320	173	830	109	1925	166	277	0	138	63	457	4553
सिक्किम	0	4	4	12	0	13	1	2	0	0	0	0	36
अं० और नि०	0	2	4	7	5	64	0	0	0	5	1	0	88
पूर्वी क्षेत्र	161	561	445	2062	138	4463	267	777	114	267	119	633	10008
गोवा	294	30	37	28	31	220	5	153	0	10	5	3	815
गुजरात	2614	419	503	838	70	2959	239	650	1353	283	76	260	10265
मध्य प्रदेश	79	264	282	668	24	2366	80	516	32	85	41	80	4516
महाराष्ट्र	1015	941	837	1587	604	4256	337	1284	841	368	198	273	12542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
दादरा और नगर हवेली	0	2	5	3	0	100	9	18	0	0	27	0	165
दमन और द्वीप	0	2	5	5	0	29	4	26	0	3	1	1	75
पश्चिमी क्षेत्र	4002	1658	1669	3129	729	9928	673	2647	2226	748	348	619	28377
आंध्र प्रदेश	439	434	437	682	48	3450	40	486	134	217	52	60	6483
केरल	632	217	289	307	82	1313	5	262	294	95	30	96	3622
तमिलनाडु	759	512	491	742	173	3484	42	1135	428	219	126	170	8282
कर्नाटक	127	310	382	537	98	2155	29	480	149	93	34	14	4408
लक्ष्यद्वीप	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	6
पांडिचेरी	0	16	20	15	0	148	3	29	1	2	2	5	240
दक्षिणी क्षेत्र	1956	1489	1619	2285	401	10556	119	2392	1006	627	244	348	23041

[हिन्दी]

सिलेसिलाये वस्त्र उद्योग का आरक्षण समाप्त करना

248. **श्री मोहन रावले :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई वस्त्र नीति 2000 में सिलेसिलाय वस्त्र उद्योग को अनारक्षित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय से देश के घरेलू और कुटीर उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इससे कितने श्रमिक प्रभावित होंगे, और;

(ङ) उनको संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) जी हां।

(ख) सिलेसिलाये परिधान क्षेत्र को सरकार की दिनांक 1 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 2(ई) द्वारा अनारक्षित कर दिया गया है। ऐसा आरक्षण संबंधी सलाहकार समिति की सिफारिशों और परवर्ती विचार विमर्श के अनुसरण में किया गया है।

(ग) जी नहीं

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

तेलशोधक कारखानों पर भूकंप का प्रभाव

249. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में आए भूकंप के परिणामस्वरूप तेलशोधक कारखानों और अन्य संगठनों को कितना घाटा हुआ,

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में पहले ही एहतियाती उपाय कर लिए थे, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से तेलशोधक कारखानों और गैस लाइनों को होने वाली हानि को न्यूनतम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों द्वारा भूकंप के परिणामस्वरूप रिफाइनरियों को हुए किसी नुकसान अथवा हानि के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों ने गुजरात में अपने कुछ एक प्रतिष्ठापनों पर कतिपय मामूली नुकसान के बारे में बताया है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों ने नुकसानों, यदि कोई हो, की पहचान करने तथा भविष्य में नुकसानों से बचने के लिए तौर तरीके सुझाने हेतु स्वत: तथा विशेषज्ञों के द्वारा सुविधाओं की पुनरीक्षा करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की है।

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यकरण

250. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना को स्वीकृति देने में विलंब और ईंधन की आपूर्ति से संबंधित अन्य मामलों के चलते बहुत सी ताप और जल विद्युत परियोजनाएं निर्धारित समयावधि से 20 वर्ष तक पीछे चल रही है जिससे लागत में 87 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली की भारी कमी के चलते सतत औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में अपना कार्य शुरू करने से हिचकिचा रही है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं की बढ़ती समय सीमा और लागत के लिए जिम्मेदारी निधारित करने हेतु कोई समिति गठित की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) इस समय 4 जल विद्युत स्कीमें तथा 14 ताप विद्युत परियोजनाएं के०वि०प्रा० में जांचाधीन हैं। इन परियोजनाओं की तालिका संलग्न विवरण में दी गई है। पर्याप्त निवेशों के अभाव में परियोजनाओं को अनुमोदन में विलम्ब ही समय एवं लागत में वृद्धि का एकमात्र कारण नहीं है। कई अन्य कारण भी हैं जैसे ईंधन लिंकेज का उलब्ध न होना, काननू एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं, वित्तीय संस्थानों के साथ गठबंधन, रा०वि०बो० की खराब वित्तीय स्थिति के कारण एस्क्रो कवर का उपलब्ध न होना इत्यादि।

(ख) सरकार को इस तरह की किसी भी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता के अंतर्गत जिसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय प्रत्येक से एक प्रतिनिधि शामिल है, ताकि समय एवं लागत में वृद्धि के कारणों की जांच की जा सके तथा विभिन्न अनुमोदित तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की जिम्मेदारी का निर्धारण किया जा सके।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना	राज्य का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1	2		3
1.	धामवाड़ी सुंडा एचईपी	(हि०प्र०)	2x35
2.	उइल एचईपी चरण-III	(हि०प्र०)	2x50
3.	रामगढ़ सीसीजीटी चरण-II	(राज०)	71
4.	जवाहरपुर टीपीपी	(उ०प्र०)	2x400
5.	ध्रुवण गैस पीपी	(गुज०)	107.238
6.	रायगढ़ सीसीपीपी	(म०प्र०)	343.48
7.	झाभुआ सीसीजीटी	(म०प्र०)	360
8.	मतनर एचईपी	(म०प्र०)	60
9.	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	(म०प्र०)	500
10.	नंनियनगुड सीसीपीपी	(कर्ना०)	96.7
11.	हसन सीसीपीपी	(कर्ना०)	189
12.	तेलगी (बिजापुर) टीपीपी	(कर्ना०)	350
13.	कोझीकोंड भारी ईंधन डीजीपीपी	(केरल)	128
14.	श्रीमुसीनाम लिग्नाईट टीपीपी	(तमिलनाडु)	250
15.	कोविलकल्पत सीमीपीपी	(तमिलनाडु)	107.88
16.	कहलगांव एसटीपीपी चरण-II	(बिहार)	2x660
17.	मेजिया टीपीएस विस्तार, यूनिट, 4 (डीवीसी)	(पं०बंगाल)	210
18.	कोलोडाइन एचईपी चरण-I	(मिजोरम)	120

डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में अन्तर

251. **डॉ० अशोक पटेल :**
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल और पेट्रोल में भारी मात्रा में मिट्टी के तेल की मिलावट की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डीजल और पेट्रोल

में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने हेतु मिट्टी के तेल और डीजल की कीमतों के बीच के अन्तर को कम करने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) एम एस और एच एस डी में मिलावट करने के लिए मिट्टी तेल का उपयोग किए जाने के मामले सामने आए हैं। ऐसा, मिट्टी तेल और डीजल तथा पैट्रोल के मूल्यों में अन्तर के कारण है।

(ख) से (घ) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की समाप्ति के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार डीजल और पेट्रोल के उपभोक्ता मूल्य आयात समता की तरफ लाए जाने हैं। सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी तेल में आयात समता मूल्यों की 33.3 प्रतिशत राजसहायता होगी। यह परिवर्तन मार्च, 2002 तक लागू करने का कार्यक्रम है।

निजी क्षेत्र को तेल उत्पादन की अनुमति देना

252. **श्री जोरा सिंह मान :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्रों में तेल उत्पादन करने हेतु निजी क्षेत्र से बोलियां आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन तेल क्षेत्रों से तेल का कितना वार्षिक उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) इन क्षेत्रों में तेल का उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है, और

(घ) इसमें से देश में कितने प्रतिशत खपत होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एल०पी०जी० एजेंसियां/पेट्रोल पम्प

253. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1999 से आज की स्थिति तक उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के लिए कितनी रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का आबंटन किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार को रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के लिए कितने आवेदन मिले, और

(घ) वर्ष 2001 और 2002 के दौरान कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प आबंटित करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) विद्यमान नीति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए निम्नांकित मानदंड अपनाये जाते हैं :

(1) 15 किलोमीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को शामिल करते हुए 10,000 और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थान।

(2) 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और इससे अधिक आबादी वाले शहरी स्थान।

(3) ऐसे मुख्य गांवों, जिनकी आबादी 10,000 और इससे अधिक है, के 15 किलो मीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत आने वाले गांवों का समूह।

(4) ऐसे नगरों, जिनकी आबादी 1 लाख और इससे अधिक है, के चारों ओर 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित गांव।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें स्थापित करने से संबंधित मानदंड परिमाण दूरी मानकों पर आधारित है।

विपणन योजनाओं में शामिल किए गए स्थानों के लिए तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं तथा डीलरों/वितरकों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशीपों को चालू करने में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया 6 से 12 माह तक लगते हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 1 जनवरी, 1999 से आज की तारीख तक एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप आबंटित की गई थी। इस अवधि के दौरान इटावा जिले में कोई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) इटावा जिले में आठ (8) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा दो (2) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों का आबंटन होना है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं का बंद होना

254. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 16 विद्युत परियोजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में गठित संकट समाधन दल ने 15 नवम्बर, 2000 को आयोजित अपनी दसवीं बैठक में विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में की गई प्रगति तथा विभिन्न निवेशों की सुनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समापन हेतु 16 विद्युत परियोजनाओं की पहचान की है। केवल एक परियोजना अर्थात गुजरात में मेसर्स गुजरात मिनरल्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन की 156 मे०वा० की सूरत थर्मल पावर परियोजना के मामले में वित्तीय समापन की सूचना मिली है। शेष परियोजनाओं के बारे में कुछ मामलों का अभी तक परियोजना प्रवर्तकों एवं संबंधित राज्य सरकारों अर्थात भारतीय वित्तीय संस्थानों/बैंकों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच समाधान किया जाना है। इन 16 परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। लगभग 2908 मे०वा० क्षमता की 8 परियोजनाओं ने विद्युत मंत्रालय में संकट समाधान दल के हस्तक्षेप से उसके गठन की तारीख अर्थात जनवरी, 99 से वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है।

विवरण

31 मार्च, 2001 तक वित्तीय समापन के लिए अभिज्ञात परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र० सं०	परियोजना/प्रवर्तक/राज्य का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1	2	3
1.	सुरत टीपीपी, मै० जीएमडीसी, गुजरात	156
2.	कच्छ टीपीपी, मै० जीएमडीसी, गुजरात	250
3.	पातालगंगा सीसीजीटी, मै० रिलायन्स पावर, महाराष्ट्र	447
4.	जामनगर टीपीपी, मै० रिलायन्स पावर गुजरात	500
5.	बीना टीपीपी मै० ग्रासिम इंडिस्ट्रीज, मध्य प्रदेश	578
6.	रामागुण्डम टीपीपी, मै० बीपीएल पावर, आन्ध्र प्रदेश	520
7.	कोनासीमा सीसीजीटी, मै० ईपीएस ओकवैल, आन्ध्र प्रदेश	359
8.	पिदापुरम सीसीजीटी, मै० यूनोकल, आन्ध्र प्रदेश	359
9.	वैमागिरि सीसीजीटी, मै० इस्पात पावर लि०, आन्ध्र प्रदेश	359
10.	एनसीसी सीसीजीटी, मै० एनसीसी पावर कारपोरेशन लि० आन्ध्र प्रदेश	227
11.	जेगरूपाडू सीसीजीटी चरण-II, मै० जीवीके पवार, आंध्र प्रदेश	359
12.	महेश्वर एचईपी, मै० एस०कुमार लि०, मध्य प्रदेश	400
13.	रोसा टीपीपी, मै० इंडो गोल्फ फर्टिलाइजरस, उ०प्र०	567
14.	विष्णुप्रयाग एचईपी, मै० जयप्रकाश इंडिस्ट्रीज लिमिटेड, उत्तर प्रदेश	400
15.	श्रीनगर एचईपी मै० डवरवन्स नौर्थ हाइड्रो पावर कं० लि० उत्तर प्रदेश	330
16.	बट्रावती टीपीपी, मै० सेन्टल इंडिया पावर, महाराष्ट्र	1072

मामलों को स्थगित करना

255. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के न्यायालयों में लगभग 25 मिलियन मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्थगन आदेश देने की संख्या को सीमित करने हेतु नियम बनाने और निर्णयों को कम अवधि के लिए सुरक्षित रखने हेतु प्रावधान करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) भारत के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 2.34 करोड़ मामले लंबित हैं।

(ख) से (घ) तक मामलों के बार-बार आस्थगन और निर्णय देने में विलंब निश्चित रूप से ऐसे कारण हैं जो सरकार और न्यायपालिका

दोनों के लिए चिन्ता का विषय है। न्यायमूर्ति मलिमथ समिति जिसे 'बकाया मामलों संबंधी समिति' के नाम से भी जाना जाता है, ने भी इस बात की उत्तर ध्यान दिलाया है कि अनावश्यक आस्थगन देना भी बकाया मामलों के संचय होने के कारकों में से एक है। इन सिफारिशों के अनुसरण में पंजाब और हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मद्रास, पटना, गुवाहाटी, राजस्थान, सिक्किम, इलाहाबाद और बंबई उच्च न्यायालयों ने सूचित किया है कि वे न्यायालय द्वारा आस्थगन देने को निरूत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2000 अन्य बातों के साथ यह अनुबंध करता है कि वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक आस्थगन नहीं दिया जाएगा। सुसंगत संशोधनों के बारे में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जानी है।

'बकाया मामले संबंधी समिति' ने यह भी सिफारिश की है कि उच्च न्यायालयों द्वारा आरक्षित निर्णय सामान्यत: बहस पूरी किए जाने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर सुना दिए जाने चाहिए। इन सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है।

सामान्य नियमानुसार किसी मामले की सुनवाई हो जाने के पश्चात् एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निर्णय सुना दिए जाने चाहिए। प्रस्तावित साधारण नियम यह है कि निर्णय तुरंत सुनाए जाने होंगे और जहां व्यावहारिक रूप से ऐसा करना संभव नहीं है वहां न्यायालय सुनवाई समाप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्णय सुनाने का प्रयत्न करेगा। जहां मामले की आपवादिक और असाधारण परिस्थितियों के कारण निर्णय तीस दिन के भीतर सुनाना न्यायालय के लिए व्यावहारिक नहीं हैं वहां न्यायालय निर्णय सुनने के लिए एक तारीख नियत करेगा जो सामान्यतया मामले की सुनवाई की तारीख से साठ दिन से अधिक नहीं होगी।

[हिन्दी]

दानापुर मंडल में ठेकेदारों का पंजीकरण

256. **श्री अरुण कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान दानापुर मंडल (पूर्वी रेल) के सिविल इंजीनियरी विभाग में ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) क्या यह सत्य है कि दानापुर मंडल में ठेकेदारों के पंजीकरण में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या सरकार को दानापुर मंडल में ठेकेदारों के पंजीकरण में गड़बड़ी के संबंध में कुछ संसद सदस्यों से अभ्यावेदन/शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कोई नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों में विद्युत सुधार

257. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत सुधारों को लागू करने हेतु राज्य बिजली बोर्डों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य हेतु राज्य बिजली बोर्डों के लिए स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत बोर्डों के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा की राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौता-ज्ञापनों में संबंधित राज्यों ने विद्युत क्षेत्र के सुधार में लक्ष्यों को प्राप्त करने की वचनबद्धता की है। इन लक्ष्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन 100 प्रतिशत मीटरिंग, उर्जा लेखा परीक्षा तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करना इत्यादि शामिल है। भारत सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों के अनावंटित हिस्से से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन करके पारेषण प्रणाली के विकास में सहायता तथा पुराने ताप-विद्युत एवं जल विद्युत संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के साथ-साथ उप पारेषण एवं वितरण के सशक्तिकरण हेतु त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के द्वारा वित्तीय सहायता के जरिए अपनी सहायता प्रदान करने की वचनबद्धता की है।

बंगाल बेसिन में तेल/गैस के भंडार

258. **श्री लक्ष्मण सेठ :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल बेसिन में तेल/गैस के भंडार होने की कोई सूचना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी खोज और दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) अन्वेषी प्रयासों से बंगाल वेसिन के अंतर्गत तेल/गैस भण्डार सिद्ध करना अभी शेष है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निजी और विदेशी कम्पनियों के साथ राज्य विद्युत बोर्डों की विद्युत परियोजनाएं

259. **श्री सी०पी० राधाकृष्णन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य वार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निजी और विदेशी कम्पनियों के साथ विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के कितने सौदे किए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई समझौते हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) इनसे विद्युत का कितना उत्पादन होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती मेहता) : (क), (ख) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जिन 57 निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है (निजी कम्पनियों द्वारा स्थापित किए जाने के प्रस्ताव वाली परियोजनाओं सहित) उनमें से 1.1.1998 से लेकर अब तक पिछले तीन वर्षों में 19 विद्युत परियोजनाओं के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों के साथ विद्युत क्रय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन परियोजनाओं के संबंध में अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) भारत सरकार इन विद्युत क्रय करारों पर एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और सामान्यत: उसे इन पीपीए को अनुमोदित करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, इन पीपीए से भारत सरकार द्वारा जारी टेरिफ अधिसूचना और अन्य मार्गदर्शी सिद्धांतों की अनुपालना करने की आशा की जाती है जो कई घटकों जैसे इक्विटी पर लाभांश की दर कर लगाने से संबंधित धाराएं, मूल्यह्रास, संयंत्र भार अनुपात/उपलब्धता तथा प्रचालनात्मक मानदंडों इत्यादि का निर्धारण करते हैं। सामान्यत: पीपीए परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु शर्तों तथा परियोजनाओं के कार्यकरण को नियंत्रित करने वाली तकनीकी एवं वाणिज्यिक मानदंडों का निर्धारण करते हैं।

(ङ) परियोजनाओं की कुल अधिष्ठापित क्षमता संलग्न अनुबंध में दर्शायी गई है। इन परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली विद्युत की सटीक मात्रा विभिन्न घटकों जैसे संबंधित रा.वि.बो. की ऊर्जा तथा व्यवस्ततमकालीन आवश्यकताओं, टेरिफ पीपीए की शर्तें, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी, यदि कोई हो, मैरिट डिस्पैच आदेशों तथा संयंत्र दक्षता इत्यादि पर निर्भर करती है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	पीपीए पर हस्ताक्षर की तिथि	चालू होने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र				
1.	भद्रावती टीपीएस (मै० सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी) महाराष्ट्र	1072	3.8.1998	वित्तीय समापन से 42-48 माह
2.	पातालगंगा सीसीजीटी, मै० रिलायंस पातालगंगा पावर	447.1	4.2.2000	वित्तीय समापन से 24 माह
	कुल	1519.1		
पश्चिम बंगाल				
3.	बक्रेश्वर टीपीपी (बक्रेश्वर पावर जेन. कंपनी लिमिटेड)	420	10.3.2000	वित्तीय समापन से 33 माह
4.	गौरीपुर टीपपी (मै० गौरीपुर पावर कंपनी) पश्चिम बंगाल	150	15.10.1998	वित्तीय समापन से 32 माह
	कुल	570		

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश				
5.	रोजा टीपीपी (मै० इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स) उत्तर प्रदेश	567	24.9.1998	वित्तीय समापन से 40 माह
6.	श्रीनगर एचइपी (मै० डकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं०लि०) उत्तर प्रदेश	330	28.6.1998	वित्तीय समापन से 62 माह
	कुल	897		
आंध्र प्रदेश				
7.	विजाग टीपीएस (मै० एचएनपीसीएल)	1040	15.4.1998	वित्तीय समापन से 38-44 माह
8.	रामागुंडम विस्तार (मै० बीपीएल ग्रुप) आंध्र प्रदेश (आईसीबी रूट पर)	520	29.1.1999	33-39 माह वित्तीय समापन से
9.	कृष्णापटनम 'बी' टीपीपी (बीबीआई पावर कृष्णापटनम कंपनी) आंध्र प्रदेश (आईसीबी रूट पर)	520	9.7.1999	वित्तीय समापन से 36-42 माह
	कुल	2080		
कर्नाटक				
10.	नागार्जुजन टीपीसी (मै० नागार्जुन पावर कार्पोरेशन लि०) कर्नाटक	1015	23.7.1999	वित्तीय समापन से 38-42 माह
11.	बंगलौर सीसीपीपी (मै० पीन्या पावर) कर्नाटक	107.6	22.10.1999	वित्तीय समपान से 19 माह
तमिलनाडु				
12.	नार्थ मद्रास टीपीएस-2 (मै० वीडियोकोन पावर), तमिलनाडु	1050	2.2.1998	वित्तीय समापन से 42-46 माह
13.	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 (मै० स्पिक) तमिलनाडु	525	12.2.1998	वित्तीय समापन से 39 माह
14.	नार्थ मद्रास टीपीपी-3 (मै० त्रि-शक्ति प्रा०लि०) तमिलनाडु	525	19.7.1999	वित्तीय समापन से 37 माह
15.	समयानल्लूर डीजीपीपी (मै० बालाजी पावर), तमिलनाडु	106	25.5.1998	वित्तीय समापन से 14-17 माह
16.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै० समलपट्टी पावर कं०लि०) तमिलनाडु	106	22.5.1998	- तदैव -
17.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (मै० पीपीएन पावर)	330.5	6.8.1998	वित्तीय समापन से 27 माह
	कुल	2642.5		
हिमाचल प्रदेश				
18.	बास्पा चरण-2 (मै० जेपीआईएल)	300	15.4.1998	जनवरी, 2003
राजस्थान				
19.	बरसिंगसर टीपीपी, (मै० हिन्दुस्तान विद्युत कार्पोरेशन लि०)	500	16.12.1998	वित्तीय समापन से 42 माह

संकेताक्षर : एफसी = वित्तीय समापन

[हिन्दी]

खम्भालिया रेलवे स्टेशन का विकास

260. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल के अंतर्गत जामनगर जिले (गुजरात) से जीर्ण-शीर्ष खम्भालिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के विकास और विस्तार हेतु निर्धारित सामग्री को अचानक द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए भेज देने के कारण खम्भालिया रेलवे स्टेशन का विकास कार्य शुरू नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) खम्भालिया रेलवे स्टेशन के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं;

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इस समय खम्भालिया रेलवे स्टेशन का आगे विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत नियामक को दस्तावेज भेजना

261. **श्री अनंत गुंडे :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 2001 के 'बिजनेस स्टैन्डर्ड' में 'महाराष्ट्र पावर बोर्ड हैस सबमिटिड आल डाक्युमेंट्स टू पावर रेगुलेटर रिट फोसिंस एम.ई.आर.सी. टू स्क्रूटनाइज पी.पी.ए.एस.' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित हुआ है,;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) इसमें उठाए गए मामलों के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र से राज्य में बढ़ती कीमतों के नियंत्रित करने हेतु आयातित मूल्य पर नाफ्था उपलब्ध कराने हेतु एक प्रस्ताव मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उठाए गए मुद्दो की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) प्रकाशित समाचार में महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी) की दायर याचिका का उल्लेख है जिसमें महाराष्ट्र में कुछ निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न ठेकों का विश्लेषण एवं नियंत्रित करने तथा इस प्रकार के सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए आयोग से अनुरोध किया गया है। भारत सरकार मामले में किसी पक्ष संबंधित प्रतीत नहीं होता है और न ही इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार/एमईआरसी से कोई सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) उपरोक्त उत्तर में बताई गई स्थिति के मद्देनज़र प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कम्पनियों की वार्षिक आम बैठक

262. **श्री कीर्ति झा आज़ाद :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि के 6 माह के अन्दर-अन्दर वार्षिक आम बैठक आयोजित करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो जिन कम्पनियों ने इस कानून का उल्लंघन किया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी हां। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) और उपधारा (1) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 166 के नियमानुसार कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से 6 महीने के भीतर वार्षिक आम बैठक की जाए।

(ख) और (ग) कानून तोड़ने वाली कम्पनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का विचार किया जाता है। 31.3.2000 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं करने के लिए धारा 168 के तहत 71 मामलों में अभियोजन दायर किए गए।

जम्मू और कश्मीर से सुरक्षा बलों को वापस बुलाना

263. **श्री सी० कुप्पुसामी :**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शांति की पहल को मजबूत करने हेतु दो वर्ष पूर्व कारगिल में 'ऑपरेशन विजय' के दौरान जम्मू और कश्मीर भेजे गए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को चरणबद्ध तरीके से वापस बुलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भी आपसी विश्वास को मजबूत करने के उपायों के तौर पर अपनी कुछ बटालियनों को भारत-पाक सीमा से वापस बुला लिया है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या सीमा पार चौकसी बनाए रखने हेतु वहां निगरानी रखने और गोपनीय जानकारियां एकत्रित करने का कार्य तेज करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) अतिरिक्त सैन्य बल जिसे 'आपरेशन विजय' के दौरान कारगिल में तैनात किया गया था, को संक्रिया की समाप्ति के बाद तथा मौजूदा संक्रियात्मक स्थिति का सावधानी से मूल्यांकन करने के पश्चात् वापस बुला लिया गया था।

(ग) और (घ) इस आशय की जानकारी है कि दिसंबर, 2000 के तीसरे सप्ताह के दौरान पाकिस्तान द्वारा सेनाओं की आंशिक रूप से वापसी की घोषणा के बाद कतिपय रिजर्व विरचनाएं और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही कुछ विरचनाएं अपने स्थाई ठिकानों की ओर चली गई थीं। तथापि, ऐसे ठोस समाचार नहीं हैं जिनसे यह पता चलता हो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सेनाओं में कमी आई हो।

(ङ) और (च) पूर्ण चौकसी बनाए रखने के लिए सभी समुचित कदम उठाए जा रहे हैं।

तेल भण्डारों की खोज

264. श्री रामशकल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कितने तेल भण्डारों के होने का अनुमान है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया/कराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर तेल खोज परियोजनाएं शुरू की गई और प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) और संयुक्त उद्यम निजी कंपनियों द्वारा 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित कुल स्थानिक तेल लगभग 4163 मिलियन मीट्रिक टन है।

(ख) और (ग) मानक भूवैज्ञानिक पद्धतियों और विभिन्न क्षेत्रों से उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए नियमित अंतराल पर भंडार का अनुमान किया जाता है।

(घ) ओ एन जी सी ने 1997-98 से 1999-2000 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्वेषण किया है जिसमें 81 सम्भावनाओं का वेधन किया गया है जिनमें से 19 हाइड्रोकार्बनयुक्त हैं। 19 नई खोजों में से सात से पहले ही उत्पादन किया जा रहा है और शेष का मूल्यांकन/ निर्धारण किया जा रहा है।

जहां तक ओ आई एल का संबंध है, उन्होंने 1997-98 से 2000-01 (जनवरी, 2001 तक) की अवधि के दौरान 41 सम्भावनाओं में अन्वेषणात्मक वेधन किया है जिनमें से 20 सम्भावनाएं हाइड्रोकार्बनयुक्त पाई गई और इनसे उत्पादन किया जा रहा है।

जहां तक निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालनों का संबंध है 1997-98 से 1999-2000 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान राजस्थान और कृष्णा-गोदावरी अपतट में तीन-तीन ब्लाकों, कैम्बे अपतट में 2 ब्लाकों और गुजरात, कच्छ अपतट तथा मुंबई अपतट में एक-एक ब्लाक में भूकम्पीय सर्वेक्षणों और अन्वेषणात्मक वेधन के संबंध में अन्वेषण कार्य किया गया, इस अवधि के दौरान 9 कूपों का वेधन किया गया जिनमें से 4 तेल/गैसयुक्त थे।

पटसन के थैलों के प्रयोग हेतु विनिर्देश

265. श्री रामसिंह राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पैकेजिंग सामग्री के प्रयोग के मामले में भारतीय उपभोक्ताओं के साथ हो रहे भेदभाव की जानकारी है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन ने यूरिया, खाद्य सामग्री आदि की पैकेजिंग के वास्ते पटसन थैलों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक विनिर्देश बनाने के लिए हाल ही में कोलकता में एक कार्यशाला आयोजित की थी;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यशाला के निष्कर्ष की प्रमुख विशेषाताएं क्या रही; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) पैकेजिंग सामग्री के प्रयोग के मामले में भारतीय उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता।

(ख) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन (आईजेओ) ने कोको, काफी और गोला गिरी की पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाले पटसन बोरों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक विनिर्देशन स्थापित करने के लिए 9 और 10 फरवरी, 1998 को कोलकाता में एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला में 'चुन्निदा खाद्य सामग्री (कोको की फलियां, काफी की फलियां तथा गोला गिरियों) की पैकिंग में प्रयुक्त होने वाले पटसन बोरों का निर्माण करने के विशेष मानदंड (नामक मानक अपनाने तथा नए मानक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की सिफारिश की गयी है। भारत उन क्रेताओं को जो इस प्रकार की मांग करते हैं, इन मानकों के अनुरूप पटसन बोरों का निर्यात कर रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

266. **श्री शिव राज सिंह चौहान :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राज्यों से ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधित कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल मंजूर ऋण में से दिये गए/जारी किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु अनुदान की शेष धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) और (ख) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों से ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित 1479 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिसमें से 1403 परियोजना प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकृत कर लिए गए थे। वर्ष 1999-2000 के दौरान आरईसी द्वारा राज्य को मुहैया कराया गया ऋण/अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा राज्य सरकारों की नीति के अनुसार किए जाते हैं। आरईसी अपने द्वारा प्रायोजित स्कीमों को ऋण सहायता प्रदान करता है और निधियों का मुहैया स्वीकृत परियोजनाओं की वैध अवधि, जोकि सामान्यतः तीन वर्ष तक बढ़ाई जाती है, के भीतर संबंधित यूटिलिटियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किए जाते हैं।

विवरण

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

1999-2000 के दौरान ऋण और सहायता का राज्य-वार संवितरण दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	ऋण	सहायता	कुल (3+4)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	29435	541	29976
2.	अरूणाचल प्रदेश	1481	60	1541
3.	असम	296	0	296
4.	बिहार	0	283	283
5.	गोवा	243	0	243
6.	गुजरात	36160	50	36210
7.	हरियाणा	3420	0	3420
8.	हिमाचल प्रदेश	2734	38	2772
9.	जम्मू और कश्मीर	1568	0	1568
10.	कर्नाटक	25949	1596	27545
11.	केरल	24026	150	24176
12.	मध्य प्रदेश	8508	573	9081
13.	महाराष्ट्र	39842	420	40262
14.	मणिपुर	1761	0	1761
15.	मेघालय	10000	44	10044
16.	मिजोरम	509	115	624
17.	नागालैंड	1143	113	1256
18.	उड़ीसा	8610	16	8626
19.	पंजाब	33183	50	33233
20.	राजस्थान	34636	92	34728
21.	सिक्किम	0	15	15
22.	तमिलनाडु	20727	342	21096

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	1005	124	1129
24.	उत्तर प्रदेश	15106	3	15109
25.	पश्चिम बंगाल	54	84	138
	कुल	300396	4709	305105

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत सुधार

267. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास विद्युत क्षेत्र में सुधारों के कार्यान्वियन हेतु कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से विद्युत कम्पनियों के बकाया ऋणों का भुगतान करने का अनुरोध किया है, और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश ने सुधार अधिनियम लागू करने, एसईआरसी की स्थापना और राज्य विद्युत बोर्डों के विकेन्द्रीकरण के जरिए व्यापक विद्युत क्षेत्र सुधारों की शुरूआत की है। विद्युत क्षेत्र सुधारों के क्रियान्वियन में राज्य ने यथेष्ट प्रगति की है।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार पर एनटीपीसी के बकाया देयों का भुगतान करने और एनटीपीसी के वर्तमान देयों का पूर्ण भुगतान करने हेतु जोर डाला गया है। 10.7.2000 को दक्षिणी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों की बैठक में टेरिफ अधिसूचना आधारित बिलों के लिए संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को पूर्ण भुगतान करने की जरूरत पर बल दिया गया।

(घ) भारत सरकार ने कर मुक्त स्थिति वाले बॉण्डों को जारी करने के लिए विद्युत मंत्रालय और कोयला विभाग के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के देयों के प्रतिभूतिकरण की स्कीम का अनुमोदन कर दिया है।

[हिन्दी]

मंडल, रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति में नामंकन

268. **डा० बलिराम : क्या रेल मंत्री** सलाहकार समितियों के गठन के बारे में 7.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2887 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मंडल रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति और जोनल रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति में नामंकित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इन समितियों की कितनी बैठकें हुईं; और

(ग) इन समितियों के सदस्यों को दिये गये अधिकारों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कानूनी सहायता प्रकोष्ठ

269. **श्री विजय गोयल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने गुजरात में हाल में आए भूकम्प पीड़ितों द्वारा झेली जा रही कानूनी समस्याओं के निराकरण के लिए उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराने हेतु विशेष प्रकोष्ठ गठित करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में इस प्रकार के कानूनी सहायता प्रकोष्ठ खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रमुख मापदंड और दिशानिर्देश क्या हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य न्यायमूर्ति गुजरात उच्च न्यायालय से भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की मदद करने के लिए एक स्कीम तैयार करने और विशेष विधिक सहायता प्रकोष्ठ गठित करने का अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस एजेन्सियां

270. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईंधन की लकड़ी की बचत करने

के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रसोई गैस एजेन्सियां खोलने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए लगभग 1200 स्थानों की पहचान की है।

[अनुवाद]

बिवोल्टिन कच्ची रेशम का उत्पादन

271. श्री जी०एस० बसवराज : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड और कर्नाटक सरकार ने राज्य में बिवोल्टिन कच्ची रेशम के उत्पादन हेतु परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना ने किस हद तक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड की भी अन्य राज्य सरकारों के सहयोग से ऐसी परियोजनाएं शुरू करने की योजनाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी एस बी) जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण की तकनीकी सहायता से उष्ण कटिबंधी स्थितियों के लिए उपयुक्त शहतूत के बाग तथा रेशमकीट पालन प्रौद्योगिकी के लिए उपयुक्त पैकेज अपेक्षाकृत कठोर तथा उत्पादक द्विफसलीय रेशमकीट प्रजातियों को विकसित करने तथा शामिल करने के लिए एक परियोजना क्रियान्वित कर रही है। 1991 और 1997 के बीच क्रियान्वित इस परियोजना ने कतिपय प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है तथा छः द्विफसलीय संकर बीजों को विकसित किया है जिन्हें वाणिज्यिक उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है। द्वितीय चरण अप्रैल, 1997 से कर्नाटक में उपर्युक्त क्षेत्रों में/तथा प्रायोगिक आधार पर प्रौद्योगिकियों के सत्यापन के लिए क्रियान्वयन के अधीन है। 2000-2001 के दौरान, कर्नाटक सरकार ने द्विफसलीय बीज की 18 लाख ब्रशिंग्स के लक्ष्य के साथ एक थ्रस्ट कार्यक्रम को शुरू कर पायलेट परियोजना का विस्तार किया। थ्रस्ट कार्यक्रम अपने लक्ष्य से आगे बढ़कर 19.265 लाख ब्रशिंग्स तक पहुंच गया।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने जेआईसीए परियोजना का पायलेट चरण आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में सफलतापूर्वक बढ़ाया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन

272. श्री रामानन्द सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की टोंस जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) इस समय इस परियोजना से उत्पादित की जा रही कुल विद्युत मैगावाट का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) लक्षित विद्युत की कब तक आपूर्ति किए जाने की संभावना है; और

(ङ) परियोजना की लागत क्या होगी तथा इसमें केन्द्र और अन्य राज्यों का पृथक्कत: कितना अंशदान होगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश अवस्थित बाण सागर टोंस जल विद्युत परियोजना में 3 विद्युत गृह अर्थात् विद्युत गृह 1 (3x105 मे०वा०), विद्युत गृह-2 (2x15 मे०वा०) और विद्युत गृह-3 (3x20 मे०वा०) निहित है। 315 मे०वा० क्षमता के विद्युत गृह-1 को वर्ष 1991-93 में चालू किया गया था। वर्ष 2000-01 के लिए बाण सागर टोंस जल विद्युत स्टेशन (315 मे०वा०) हेतु विद्युत उतपादन का लक्ष्य 425 मि०यू० निर्धारित किया गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान इस स्टेशन से विद्युत का उत्पादन 425 मि०यू० लक्ष्य की तुलना में 675 मि०यू० (अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001) है।

(ग) और (घ) विद्युत गृह-2 (2x15 मे०वा०) को वर्ष 2002-03 में चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया है। विद्युत गृह-3 (3x20 मे०वा०) में यूनिट-1 26.11.2000 को चालू कर दी गई है और यूनिट-2 व 3 को वर्ष 2001-02 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ङ) परियोजना अद्यतन अनुमानित लागत 966.81 करोड़ रुपये है जिसमें से 758.69 करोड़ रुपये मार्च, 2000 तक परियोजना में खर्च किए जा चुके हैं। परियोजना को राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्ड में विद्युत परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता

273. श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के उन अधिकारियों ने जिन्होंने कर्नाटक में विद्युत सुधारों की प्रगति की समीक्षा की थी, सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक राज्य में विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) इस विद्युत परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है; और,

(घ) विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में अब तक कुल कितनी सहायता प्रदान की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विश्व बैंक ने एक स्मरण पत्र के माध्यम से कर्नाटक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) और (ग) विश्व बैंक द्वारा कर्नाटक को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि तथा परियोजना के ब्यौरों के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है।

(घ) शून्य।

असम में तेल और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की रोजगार नीति

274. **श्री एम०के० सुब्बा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम और पूर्वोत्तर में काम करने वाले आयल इंडिया लिमिटेड और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की रोजगार नीति के बारे में उनकी असफलता और बेचैनी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अखिल असम छात्र संघ और ऐसे अन्य संगठनों की यथातथ्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) विभिन्न पक्षों द्वारा मुख्य रूप से असम और उत्तर पूर्व में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों में स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए मांग की जाती है। तेल कम्पनियों के पास उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इस मामले पर संबंधित यूनियन/एसोसिएशन के साथ मामले पर चर्चा करने की प्रणाली है। अखिल असम विद्यार्थी यूनियन (ए ए एस यू) ने आयल इंडिया लिमिटेड से पांच वर्षों के लिए 200 प्रति वर्ष की दर पर अकुशल कर्मचारियों की भरती करने, वेधन और जन प्रबधन के लिए संविदा सेवाओं, क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता आदि की भी मांग की है। ओ आई एल ने तदनुसार राज्य सरकार के परामर्श और समन्वय से ओ आई एल में 300 अकुशल कर्मचारियों की भरती के लिए कार्रवाई आरम्भ की है।

फतेहपुर सीकरी महल का क्षतिग्रस्त होना

275. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'एस०आई० डैमेज्ड पैलेस एट फतेहपुर सीकरी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वह प्रयोजन जिसके लिए उत्खनन किया गया था, प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त उत्खनन के दौरान स्मारक को कोई क्षति पहुंची थी;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मुगल बादशाह अकबर द्वारा स्थापित फतेहपुर सीकरी परिसर में अनूप तालाब के तल के नीचे की गई वैज्ञानिक सफाई से तालाब के मध्य में एक भूमिगत 'शीतल कक्ष' का पता चला है। इस खुदाई से समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों जैसे अबुल फजल के अकबरनामा और बदायुनी के लेखनों की पुष्टि होती है जिनमें इस प्रकार के ऐसे तालाब का उल्लेख मिलता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी समिति की बैठक

276. **श्री वी०एम० सुधीरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2000 से रेलवे में हिन्दी समिति की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ख) प्रत्येक बैठक पर कितना खर्च आया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तीन।

(ख) प्रत्येक बैठक में नीचे दिए अनुसार खर्च हुआ है।

5.4.2000 को आयोजित बैठक	70,282 रु०
11.9.2000 को आयोजित बैठक	65,790 रु०
27.12.2000 को आयोजित बैठक	1,10,981 रु०

गुलबर्गा-बीदर रेल लाइन को स्वीकृति देना

277. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलबर्गा-बीदर रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली है;

(ग) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस समय बीदर-गुलबर्गा नई लाइन के लिए अंतिम निर्धारण कार्य प्रगति पर है जिसके बाद भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।

(ख) जी हां।

(ग) लाइन के पूरा होने की लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

वियतनाम द्वारा भारतीय सैनिकों को जंगल युद्ध कला में प्रशिक्षण देना

278. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम जंगल युद्ध कला में भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस देश में इस समय कुल कितने सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं और कितने सैनिक पहले ही प्रशिक्षण ले चुके हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कुल कितना व्यय किया जा रहा है; और

(ङ) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कब तक जारी रखे जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) जी, नहीं। इस समय वियतनाम द्वारा भारतीय सैनिकों को जंगल युद्ध कला में प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस संभावना के विषय में वर्ष 2000 के दौरान वियतनाम के साथ चर्चा की गई है।

[हिन्दी]

बिहार में फोटो पहचान पत्रों का जारी किया जाना

279. **श्री राजो सिंह** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने मतदाता है;

(ख) बिहार में कितने मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन हेतु बिहार सरकार को व्यय होने वाली धनराशि जारी कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) 58,438,317।

(ख) 21,681,836।

(ग) और (घ) जी, हां। संघ सरकार वर्ष 1994-95 से मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए जाने के लिए उपगत व्यय मद्दे भारत सरकार के हिस्से के रूप में 35,53,92,000 रुपए का अनंतिम अग्रिम संदाय कर चुकी है। उक्त रकम दो किस्तों में अर्थात् वर्ष 1994-95 में 22,76,00000 रुपए और वर्ष 1995-96 में 12,77,92,000 रुपए दी गई है जो राज्य सरकार द्वारा इस मद्दे उपगत होने के लिए संभाव्य कुल व्यय के आंकलन पर आधारित है।

[अनुवाद]

टनभार कर शुरू करने हेतु प्रस्ताव

280. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोत परिवहन कंपनियों के लिए विद्यमान निगमित कर के स्थान पर टनभार कर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय पोत परिवहन कंपनियों की विद्यमान कर की

दर अन्य देशों की विद्यमान कर की दर से अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पोत परिवहन उद्योग के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(च) सरकार द्वारा कर के ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (च) भारत सरकार नौवहन उद्योग के लिए विद्यमान नैगम कर के स्थान पर टनभार कर शुरू करने के इस मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जहां तक अन्य देशों की तुलना में भारत में नौवहन उद्योग के लिए उंची कर दर का संबंध है, यद्यपि प्रत्यक्ष कराधान के भार के आंकलन के लिए कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है। भारतीय नौवहन उद्योग यह अभ्यावेदन देता रहा है कि वह शेष मेरीटाइम देशों के अनुरूप तुलनात्मक नहीं है। जहां तक कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का संबंध है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र वित्तीय माहौल पर निर्भर करता है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में तेल/गैस भण्डारों का सर्वेक्षण

281. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम तेल और गैस भंडारों का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल के अनेक जिलों का सर्वेक्षण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों में सर्वेक्षण और तेल निकालने का कार्य किया जा रहा है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के उत्तर दीनाजपुर जिले में करनडिमी में कुछ तेल भण्डारों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन पश्चिमी बंगाल राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित अपने पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्रों के अंतर्गत हाइड्रोकार्बनों/कोल वेड मीथेन (सी बी एम) के लिए सर्वेक्षण करती रही है। 9वीं योजना अवधि के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के द्वारा मिदनापुर जिले के कन्टाई क्षेत्र में तथा नादिया जिले के ईचापुर क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण किए गए थे। इसके अतिरिक्त आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के द्वारा वर्द्धमान जिले के रानीगंज क्षेत्र में कोल वेड मीथेन के मूल्यांकन के लिए स्लिम छिद्र वेधन आरम्भ किया गया है।

(ग) और (घ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने उत्तर दीनाजपुर जिले में एक कूप, करनदीघी-I का वेधन किया था, जो शुष्क साबित हुआ तथा छोड़ दिया गया।

लुधियाना रेलवे स्टेशन पर भ्रष्टाचार

282. **श्री सिमरनजीत सिंह मान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लुधियाना रेलवे स्टेशन पर भ्रष्टाचार और रेल कर्मचारियों के घटिया कामकाज के कारण व्यापारियों और अन्य लोगों को टिकटों की बुकिंग में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने भ्रष्ट रेल कर्मचारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या रेल विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए लुधियाना रेलवे स्टेशन पर नए बुकिंग काउंटर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इनके कब तक खुल जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) लुधियाना में भीड़-भाड़ के कारण पेश आ रही कुछ कठिनाइयों की सरकार को जानकारी है।

(ग) आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों में कदाचार पकड़ने के लिए नियमित निवारक/आकस्मिक जांच की जाती है। इन जांचों के दौरान जो व्यक्ति कदाचार में जिम्मेदार पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध नियमित रूप से उचित कार्यवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) लुधियाना स्टेशन पर यात्रियों की बुकिंग को आसान बनाने के लिए स्वत: मुद्रण टिकट मशीन स्थापित करने की योजना है। लुधियाना में अतिरिक्त आरक्षण काउंटर खोले जाने की योजना है और ढंढारीकलां में आरक्षण काउंटर खोले जाने की भी योजना है जिसके लिए अगले तीन महीनों में कार्य पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

सड़क उपरिपुल का निर्माण

283. **श्री नामदेव हरबाजी दिबाथे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 फरवरी, 1998 को गोडिया-चन्द्रपुर बड़ी लाइन पर अर्जुनी/मोर नवगांव रोड पर एक रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कारणों का पता लगाने

के लिए अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस स्थान पर दुर्घटनाएं रोकने और यातायात को सुचारु बनाने के लिए सड़क उपरिपुल के निर्माण या चौकीदार युक्त समपार बनाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) चौकीदार रहित समपार को पार करने से पहले बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में सरकार पोस्टरों, अखबारों और इलैक्ट्रानिक माध्यम से व्यापक प्रचार कर रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार ऐसे चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार तैनात किये जाते हैं जहां समपारों पर गाड़ी वाहन इकाइयां कतिपय निर्धारित सीमा से ज्यादा होती है या जहां दृश्यता सीमित होती है, यह चौकीदार रहित समयापार उपर्युक्त के आधार पर चौकीदार वाले समपार में बदले जाने के लिए अर्हक नहीं है।

[अनुवाद]

गया रेलवे स्टेशन पर सड़क उपरिपुल/भूमिगत पुल का निर्माण

234. **श्री रामजी मांझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया रेलवे स्टेशन का एकमात्र उपरिपुल के जर्जर हालत में होने के कारण लगभग 4-5 वर्ष से यह उपयोग में नहीं आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उपरिपुल को अभी तक उपयोग योग्य नहीं बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वहां पर एक और उपरिपुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक निर्मित हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां, गया रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर के समीप सड़क उपरिपुल, जून 1998 से बंद पड़ा हुआ है।

(ख) राज्य सरकार ने 44 लाख रुपए की अनुमानित लागत को अभी तक स्वीकार नहीं किया है;

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

285. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 की तीसरी तिमाही में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन की बिक्री में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिक्री में यह वृद्धि तेल के ऊंचे मूल्यों के कारण हुई है;

(ग) क्या लाभ में भी तदनुरूप वृद्धि हुई है;

(घ) उक्त अवधि में कमाए गए लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संयुक्त क्षेत्र में तेलशोधक कारखानों में एच पी सी एल की पूंजी का विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) अक्तूबर-दिसम्बर, 2000 की तिमाही का निवल लाभ अक्तूबर-दिसम्बर, 1999 की तिमाही के 221 करोड़ रुपए के मुकाबले 338 करोड़ रुपए था।

(ङ) और (च) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम रिफाइनरी में अपने हिस्से का विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हैदराबाद में इनडोर स्टेडियम हेतु रक्षा मंत्रालय की भूमि

286. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हैदराबाद में वर्ष 2002 के राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु मुख्य स्टेडियम, इनडोर स्टेडियम और जलक्रीड़ा परिसर के निर्माण के लिए जी.एल.आर. 708 और 712 में रक्षा मंत्रालय की 38 एकड़ भूमि को लंबी अवधि के लिए पट्टे पर देने की स्वीकृति दी थी, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश

सरकार ने राष्ट्रीय खेल, 2002 के लिए स्टेडियम परिसर के निर्माण के लिए सिकंदराबाद में जी एल आर 708 तथा 712 में रक्षा भूमि पट्टे पर लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। संघ सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

प्रक्षेपास्त्र के प्रदर्शन के दौरान धमाका

287. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री के० येरननायडू :
डॉ० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री वाई०वी० राव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जनवरी, 2001 के हैदराबाद में सतह से सतह पर मार करने वाले कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र 'मिलन' के प्रदर्शन के दौरान एक धमाके के साथ आग लग जाने के कारण एक सुपरवाइजर की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो आग लगने और धमाका होने का क्या कारण है;

(ग) डम्मी मॉडल (प्रतिरूप) की अपेक्षा वास्तविक प्रक्षेपास्त्र के प्रदर्शन के क्या कारण हैं;

(घ) इसमें जान-माल की कितनी अनुमानित क्षति हुई;

(ङ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई; और

(छ) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (छ) 04 जनवरी, 2001 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद में एक लांचर की कार्यप्रणाली बताने और भराई संबंधी जानकारी देने के दौरान एक प्रक्षेपास्त्र अचानक दग गया। इससे आग लग गई और एक गुणता नियंत्रण निरीक्षक की मृत्यु भी हो गई और तीन अन्य अधिकारी घायल हो गए। प्रक्षेपास्त्र में विस्फोट तो नहीं हुआ परंतु विस्फोटक पदार्थ धीरे-धीरे जलने लगा था।

दुर्घटना के कारणों की जांच करने, सुरक्षा और संरक्षा प्रक्रियाओं के उल्लंघनों जिनकी वजह से दुर्घटना हो सकती थी, को सामने लाने और चूकों के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित करने और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के वास्ते तत्काल एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति का निष्कर्ष है कि यह दुर्घना किसी तोड़-फोड़ के परिणामस्वरूप नहीं हुई थी बल्कि प्रक्षेपास्त्र की गलत तरीके से भराई करने में मानव-चूक और इसकी कार्यप्रणाली बताने की प्रक्रिया में लांचर पर पुश बटन (ट्रिगरिंग) दबाने के कारण हुई थी। जांच का यह भी निष्कर्ष है कि प्रक्षेपास्त्रों के समन्वायोजन के लिए प्रयुक्त भवन में लांचर की उपस्थिति भी एक कारण थी। समिति ने कुछ अन्य सुरक्षा और संरक्षा उल्लंघनों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। भवनों, संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत की अनुमानित लागत 54.70 लाख रुपये है। दुर्घटना के दौरान कार्यस्थल पर 26.64 करोड़ रुपये मूल्य के तैयार प्रक्षेपास्त्र और तत्संबंधी निर्माणाधीन सामान रखे हुए थे। इन प्रक्षेपास्त्रों और सामग्री को किस सीमा तक नुकसान और क्षति हुई है उसका पता जांच और पुष्टि होने के बाद चलेगा।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड के चार अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति लगाए जाने की कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए हैं। समिति के ध्यान में आई विभिन्न चूकों पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबंधनिदेशक से स्पष्टीकरण मांगे जाने का भी निर्णय लिया गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के लिए व्यापक संरक्षा नियम-पुस्तक तैयार कराए जाने के वास्ते भारत डायनामिक्स लिमिटेड, आयुध निर्माणी बोर्ड, गुणता आश्वासन महानिदेशालय तथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े संरक्षा उपाय लागू किए जा सकें।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के मालभाड़े में वृद्धि

288. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियां विशेषत: भारत पेट्रोलियम कारपोरशन लिमिटेड ने पेट्रोल और डीजल के सड़क परिवहन में टेंकरों के मालभाड़े में वृद्धि के लिए एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह समझौता किस तारीख को किया गया है;

(ग) क्या यह समझौता लागू हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पेट्रोल और डीजल के परिवहन के लिए निविदाएं सभी तेल विपणन कंपनियों नामत: बी पी सी एल, आई ओ सी, एच पी सी एल और आई बी पी की ओर से सयुंक्त उद्योग सार्वजनिक निविदा

के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में सभी राज्यों के लिए उद्योग समन्वयकों द्वारा जारी किए जाते हैं। परिवहन दरों का निर्धारण निविदा दाताओं द्वारा उद्धृत दरों/परस्पर निर्धारित दरों के अध्यधीन किया जाता है।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने पश्चिमी/पूर्वी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों के लिए पेट्रोल और डीजल के परिवहन के लिए परिवहनकर्ताओं के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि क्रमशः 1.9.1999 और 1.3.1999 से प्रभावी हुए हैं।

(ग) और (घ) करारों का क्रियान्वयन बी पी सी एल के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों द्वारा किया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में उत्खनन कार्य

289. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उड़ीसा में कटक के बाराबती किले में उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस कितना व्यय हो चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उत्खनन कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) बाराबती किला में 1989-90 से खुदाई के आठ सत्रों में 13वीं शताब्दी ई० से 17वीं शताब्दी ई० के अवशेष मिले हैं। प्राप्त अवशेषों में अन्य अवशेषों के साथ-साथ खम्भा वाले चबूतरे और एक महल परिसर हैं। प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेषों में पत्थर के मूर्तिकला संबंधी टुकड़े, वास्तु-कलात्मक अंश, टेरोकोटा पशु आकृतियां, लाल ओपदार बर्तन और चीन के चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। बाराबती किला में खुदाई पर 24.59 लाख रुपए का व्यय हुआ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भगवान महावीर की 2600वीं जयन्ती

290. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 2001 में भगवान महावीर की 2600वीं जयन्ती मनाने के लिए सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इसके तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों का ब्यौरा क्या है और इन पर राज्य-वार कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति ने दिनांक 9 दिसंबर, 2000 को हुई अपनी बैठक में भगवान महावीर की 2600वीं जयंती को दिनांक 6 अप्रैल, 2001 से प्रारंभ करके एक वर्ष तक मनाने का निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने समारोहों के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की है इन समारोहों के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रमों/कार्यकलापों के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

भूकम्प से क्षतिग्रस्त रेल परियोजनाएं

291. श्री राधामोहन सिंह :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हाल के भूकम्प से कौन-कौन से रेलवे स्टेशन, रेल लाइनें, पुल और अन्य सम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेल विभाग को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) अहमदाबाद-भुज रेल लाइन को कितने समय में पुनः चालू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत के लिए रेल विभाग ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष बदले गए रेल मार्गों का जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गुजरात में हाल ही में भुकंप के कारण नष्ट हुई/ढह गई रेल सम्पत्ति का ब्यौरा इस प्रकार है :-

स्टेशन भवन	124 अदद
स्टेशन केबिन	68 अदद
आवासीय क्वार्टर	9820 अदद

पुल	107 अदद
रेलपथ	10 खण्ड

(ख) क्षतिग्रस्त संपत्ति की मरम्मत पुनर्निर्माण की कुल अनुमानित लागत लगभग 75 करोड़ रुपए है।

(ग) अहमदाबाद-भुज रेल लाइन पहले ही बहाल कर दी गई है;

(घ) यातायात बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और दहिंसरा-लखनपुर-नवलाखी को छोड़कर रेलपथ सभी खंड बहाल कर दिए गए हैं। अन्य मरम्मत/पुनर्निमाण संबंधी कार्य भी किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रत्येक विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा किए गए रेलपथ नवीकरण का जोन-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

(संपूर्ण रेलपथ नवीकरण यूनिटों के आंकड़े किमी०में)

रेलवे	1997-98	1998-99	1999-2000
मध्य	506	616	596
पूर्व	351	321	236
उत्तर	467	510	553
पूर्वोत्तर	185	134	71
पूर्वी सीमा रेलवे	83	69	66
दक्षिण	221	222	113
दक्षिण मध्य	170	161	263
दक्षिण पूर्व	615	634	703
पश्चिम	353	300	405
जोड़	2951	2967	3007

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिजली बंद होना

292. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जनवरी, 2001 की रात को दिल्ली रेलवे-स्टेशन पर अचानक बिजली बंद हो जाने के कारण स्टेशन कुछ समय अंधेरे में डूबा रहा और कई यात्रियों को शारीरिक चोटें आई और पैसे की हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसके लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में दिल्ली और अन्य महानगरों के रेलवे स्टेशनों पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। यद्यपि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 4.1.2001 को 20.30 बजे से 21.25 बजे तक दिल्ली विद्युत बोर्ड की विद्युत आपूर्ति विफल हो गई थी, परंतु मुहैया कराए गए डीजी सैट को चालू कर दिया गया और आपातकालीन विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई थी। डीजी सेट को चालू करने और स्विचिंग कार्य में आमतौर पर लगभग 2 मिनट का समय लगता है और इस दौरान स्टेशन पर अंधेरा हुआ था। बहरहाल, विद्युत की विफलता के कारण यात्रियों को शारीरिक चोट लगने या धन की हानि होने की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) दिल्ली तथा अन्य महानगरीय रेलवे स्टेशनों पर डीजी सेटों की मौजूद व्यवस्था विद्युत आपूर्ति विफलता की स्थिति में बिजली का आवश्यक लोड फीड करने के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रिडों का विफल होना

293. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री रामशकल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत बोर्डों की ग्रिड अव्यवस्था ही क्षेत्रीय ग्रिडों की असफलता का मुख्य कारण है।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने संबंधित विद्युत बोर्डों द्वारा ग्रिड अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई थी; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) कई कारणों यथा सुरक्षात्मक संचालन की असफलता, अवांछित

संचालन, उपकेन्द्रों में उपकरणों का खराब रख-रखाव और ग्रिड में अनुशासनहीनता के कारण ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकती है। गत तीन वर्षों से उत्तरी क्षेत्र में तीन बड़ी खराबी आई है, एक बार पूर्वी क्षेत्र में और आठ बार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में। कुछ आंशिक प्रणालीगत बाधाएं भी हैं जिससे क्षेत्रीय प्रणालियों/राज्यों के कुछ हिस्सों को आपूर्ति प्रभावित होती है। ग्रिड में बाधा की कुछ घटनाओं की जांच की गई, बाधाओं/अवरोधों के कारणों का पैता लगाया गया और सभी संबंधितों को उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि इस प्रकार की ग्रिड क्षतिग्रस्त होने के पश्चात् अध्यक्ष के.वि.प्रा. की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई ताकि जांच के उपरांत ग्रिड बाधा के प्रमुख कारणों का पता लगाया जा सके और उपचारी उपाय सुझाए जा सकें। समिति की सिफारिशों के आधार पर ग्रिड क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं को कम करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने आवंटित कोटे तथा ग्रिड की जरूरतों के अनुसार ग्रिड से निकासी प्रतिबंधन के माध्यम से ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित करें।

राजस्थान में चल रही परियोजनाएं

294. श्री पुष्प जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी लागत आएगी;

(ख) प्रत्येक परियोजना में कितनी-कितनी प्रगति हुई है और अब तक इनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राजस्थान में चल रही रेल परियोजना उनकी लागत, किया गया खर्च और प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। परियोजना की स्थिति में पूरा करने की लक्ष्य तिथि जिन मामलों में निर्धारित की गई है, भी दर्शाई गई है।

राजस्थान में परियोजनाओं के लिए किए जा रहे सर्वेक्षणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

सं०	परियोजना का नाम	रेलवे	लागत	मार्च, 2000 तक खर्च (करोड़ रुपये में)	स्थिति
			राजस्थान में चालू परियोजनाएं		
1	2	3	4	5	6
	नई लाइन				
1.	डोसा-गंगापुर	प.रे.	217.93	0.21	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। डोसा-बामनिया पहले खंड के लिए 34 हेक्टेअर के पहला ब्लॉक खंड और बनियाना-नांगल राजावत के बीच दूसरे ब्लॉक खंड के लिए भूमि अधिग्रहण कागजात राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
2.	अजमेर-पुष्कर	प.रे.	67.00	0.00	बजट 2000-01 में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात और दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
3.	रामगंजमंडी-भोपाल	प.रे.	425.00	0.00	बजट 2000-01 में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के लिए अनुमान स्वीकृत हो गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
	आमान परिवर्तन				
4.	**भिलड़ी-समदड़ी**	उ.रे.	185.00	4.35	कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।
5.	**फुलेरा-जोधपुर-पीपाड रोड-बिलाड़**	उ.रे.	45.66	0.85	फुलेरा-जोधपुर का कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। पीपाड़-रोड से भिलाड़ा शेष खंड् को महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है। पीपाड़ रोड-भिलाड़ा खंड पर कम परिचालनिक प्राथमिकता और बहुत कम यातायात के कारण कार्य को अस्थायी रूप से लंबित कर दिया गया है और धन की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेगा।
6.	लूनी-मारवाड़ और जोधपुर लूनी	उ.रे.	111.13	110.14	कार्य पूरा हो गया है। वित्तीय समायोजन किए जा रहे है। घुरा काउंटरों सहित ब्लॉक प्रूविंग का शेष कार्य प्रगति पर है और 2001-02 में पूरा कर लिया जाएगा।
7.	लूनी-मारवाड़-मुनाबाव	उ.रे.	240.00	36.41	लूनी-समदड़ी के बीच (50कि.मी.) मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और समदड़ी और बाड़मेर के बीच कार्य प्रगति पर है। 104 में से 61 छोटे पुलों का कार्य पूरा कर लिया गया है और 9 बड़े पुलों में से तीन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। गिट्टी इक्ट्ठा करने का कार्य प्रगति पर है। 6.25 लाख घन मीटर गिट्टयों में से 2.1 लाख घन मीटर गिट्टी प्राप्त कर ली गई है।
8.	रेवाड़ी-शादुलपुर	उ.रे.	197.76	0.00	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।
9.	श्रीगंगानगर-स्वरूपसर	उ.रे.	68.71	0.00	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।
10.	आगरा-बांदीकुइ	प.रे.	169.30	4.51	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। 193 छोटे पुलों में से 42 पुल, 9 बड़े पुलों में 4 बड़े पुलों की उपसंरचना पूरी कर ली गई है और 3.07 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य में से 1.3 लाख घन मीटर पूरा कर लिया गया। कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।
11.	**अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़**	म.रे.	445.38	9.97	उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच पहले चरण का कार्य प्रगति पर है। 17.41 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य में से 3.65 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य, 72 छोटे पुलों की उपसरंचना का कार्य पूरा कर लिया गया है और कुल 204 बड़े पुलों में 15 पुलों का

1	2	3	4	5	6
					कार्य प्रगति पर है। 8 बड़े पुलों में से 1 का कार्य पूरा कर लिया गया है और 4 और पुलों की उपसंरचना का कार्य पूरा कर लिया गया है। कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।
12.	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद	प.रे.	668.15	616.15	कार्य पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
	दोहरीकरण				
13.	कोटा-गुरला-चंबलपुर	प.रे.	11.70	11.60	कार्य पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।

विवरण-II

क्र०सं०	परियोजना का नाम	योजना शीर्ष	रेलवे	किमी.	स्थिति
1	2	3	4	5	6
		राजस्थान में चल रहे रेल सर्वेक्षण			
	जयपुर से मेड़ता रोड	दोहरीकरण	उत्तर	219	अभी शुरू की जानी है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.3.2002 है।
2.	दिल्ली-अहमदाबाद	दोहरीकरण	पश्चिम	934	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.10.2001 है।
3.	उदयपुर सिटी-हिम्मतनगर-अहमदाबाद	आमान परिवर्तन	पश्चिम	346	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.9.2001 है।
4.	अनूपगढ़ से बीकानेर	नई लाइन	उत्तर	155	अभी शुरू की जानी है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.5.2002 है।
5.	चुरू से तारानगर	नई लाइन	उत्तर	42	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.7.2001 है।
6.	जालौर से फालना	नई लाइन	उत्तर	70	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.3.2001 है।
7.	झुंझुनू-पिलानी	नई लाइन	उत्तर	20	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.7.2001 है।
8.	कोलायत-पोखरन-बाडमेर	नई लाइन	उत्तर	260	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.3.2001 है।
9.	मेड़ता सिटी से ब्यावर	नई लाइन	उत्तर	65	अभी शुरू की जानी है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 28.2.2001 है।
10.	नोखा-सीकर बरास्ता बड़ासर और सुजानगढ़	नई लाइन	उत्तर	180	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.5.2001 है।

1	2	3	4	5	6
11.	डूंगरपुर से रतलाम बरास्ता बांसवाड़ा	नई लाइन	पश्चिम	200	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.9.2001 है।
12.	जैसलमेर से कांडला	नई लाइन	पश्चिम	600	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.12.2001 है।

प्रमुख पत्तनों का विकास

295. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2001 के दौरान आंध्र प्रदेश के प्रमुख पत्तनों के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए अब तक कितनी निधि आबंटित की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में केवल एक महापतन है जो विशाखापत्तनम में है। अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जहां तक विशाखापत्तनम पत्तन के विकास का संबंध है, पत्तन में कुछ विकास स्कीमें हमेशा चलती रहती हैं जोकि एक नियमित कार्य है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान विशाखापत्तनम पतन की योजना स्कीमों के विकास के लिए 138.40 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

दुर्घटनाओं के आंकड़ों में हेराफेरी

296. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने यह नोट किया है कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने वाला एक कारक दुर्घटनाओं के आंकड़ों में बड़े पैमाने पर होने वाली हेराफेरी है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना संबंधी आंकड़ों पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था के तथ्य और अन्य जानकारी क्या है; और

(ग) सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने और विश्वसनीय सुरक्षा वातावरण तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। रेल दुर्घटना संबंधी आंकड़ों में फेर-बदल नहीं किया जाता है। विभिन्न किस्म की दुर्घटनाएं उनकी गंभीरता के आधार पर विभिन्न स्तरों पर दर्ज की जाती हैं। केवल यार्ड डिरेलमेंट आदि की घटनाएं मंडल स्तर तक ही दर्ज की जाती हैं। गंभीर परिणामों वाली छोटी दुर्घटनाएं केवल क्षेत्रीय रेल स्तर तक दर्ज की जाती है। केवल 'परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं' जिनमें टक्कर, गाड़ी का पटरी से उतरना, समपार पर दुघर्टनाएं और गंभीर परिणामों वाली आग लगने से संबंधित मामले रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट किए जाते हैं, अत: यह उनकी गंभीरता पर आधारित विभिन्न दुर्घटनाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर दर्ज करने का मामला है।

एलएनजी का उत्पादन और खपत

297. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एलएनजी के मौजूदा उत्पादन और अन्य देशों से आयात की स्थिति क्या है;

(ख) देश में एलएनजी का उत्पादन अपेक्षित खपत को किस सीमा तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) क्या सभी वाहनों में एलएनजी के उपयोग के संबंध में सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्तमान में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) का न तो देश में उत्पादन किया जा रहा है और न ही भारत में इसका आयात किया जा रहा है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

होटल उद्योग को लाभ/सुविधाएं

298. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए होटल उद्योग को और अधिक लाभ और सुविधाएं देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग की पहल पर पर्यटन उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ उनके प्रस्तावों पर बजट-पूर्व विचार-विमार्श के लिए बैठक की गई जिसमें पर्यटन उद्योग को अवसरंचनात्मक श्रेणी दिया जाना, रेस्तराओं तथा हेरिटेज होटलों और मनोरंजन पार्कों, सम्मेलन केन्द्रों तथा पर्यटन क्षेत्र में साहसिक यात्रा प्रचालकों आदि जैसी पर्यटन से जुड़ी अन्य एजेंसियों को आयकर की धारा 80 एच एच डी के तहत लाभ दिए जाने तथा व्यय कर को समाप्त किए जाने को प्राथमिकता दी गई और उस पर विचार करने की सिफारिश की गई।

रक्षा क्षेत्र में विदेशी निजी भागीदारी

299. **श्री पवन कुमार बंसल :**
डा० मन्दा जगन्नाथ :
श्री राम मोहन गह्डे :
श्रीमती मिनाती सेन :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए विदेशी और घरेलू निजी क्षेत्र को अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी विदेशी इक्विटी की अनुमति है; और

(घ) निजी क्षेत्र में उत्पादन की जाने वाली रक्षा मदों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) मौजूदा औद्योगिक नीति के अनुसार हथियारों, गोला-बारूद, रक्षा उपस्कर की अनुषंगी मदों, रक्षा वायुयानों तथा युद्धपोतों के विनिर्माण को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया है। सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपेक्षित अघातक सामानों तथा आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा अपेक्षित कच्ची सामग्रियों, अर्द्धनिर्मित उत्पादों, संघटकों तथा उप-प्रणालियों की अभिप्राप्ति निजी क्षेत्र से की जा रही है। आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र नीति तथा प्रक्रियाओं जिसमें यथा आवश्यक विदेशी हिस्सेदारी शामिल हो सकती है, में समुचित परिवर्तनों के साथ रक्षा उत्पादन से जुड़ा रहेगा।

गुजरात में तेल और गैस भंडार

300. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंस एनर्जी (इंडिया), तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और टाटा पेट्रोनाइड के साथ संघ ने गुजरात तट पर खंभात की खुदाई में तेल और गैस भंडारों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्र में आकस्मिक सफलताएं और शेल इंडिया की राजस्थान के बाड़मेर जिले में सफलता से देश में भविष्य की खोज के लिए सकारात्मक संकेत मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र में खोज के लिए अधिक प्रोत्साहन देने तथा क्षेत्र में अतिरिक्त रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी हां। केर्न्स एनर्जी (इंडिया) प्रा०लि०, टाटा पेट्रोडाइन और ओ एन जी सी ने खम्बात की खाड़ी में अन्वेषण ब्लाक सं बी-ओ एस-2 में तेल और गैस की खोज की है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. कूप: सी बी-ए 1 (संभावना ए 'लक्ष्मी') कूप से 56/64 चोक के माध्यम से 0.8 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम एम एस सी एम डी) की दर पर गैस निकली।

2. कूप: सी बी-बी-1 (संभावना ख-'गौरी') कूप से दो क्षेत्रों से 1 "चोक के माध्यम से 0.53 एम एम एस सी एम डी और 0.48 एम एम एस सी एम डी की दर पर गैस निकली। कूप में एक अन्य क्षेत्र से भी 32/64" चोक के माध्यम से 1039 बैरल प्रतिदिन तेल और 0.02 एम एम एस सी एम डी की दर पर गैस निकली।

3. कूप: सीबी-सी-1 (संभावना सी 'अम्बे') कूप से दो क्षेत्रों से 96/64" चोक के माध्यम से क्रमश: 0.59 और 0.56 एम एम एस सी एम डी की दर पर गैस निकली। कूप से एक अन्य क्षेत्र से भी 110 से 240 बैरल प्रतिदिन के बीच की दर पर गैस निकली।

4. कूप: सीबी-जी-1जेड (संभावना जी 'पार्वती') कूप से तेल और जल निकला जिसका अस्थिर दर 1200 से 2200 बैरल प्रतिदिन के बीच थी।

इस ब्लाक में और अधिक वेधन और अन्वेषण कार्यों के बाद उपर्युक्त खोजों के तेल और गैस भंडारों की मात्रा का पता लगेगा।

(ग) जी हां।

(घ) से (च) खम्बात की खाड़ी में, खाड़ी के सारे क्षेत्रों को शामिल करते हुए दो अन्वेषण ब्लाकों में सीबी-ओएस/1 और सीबी-ओएस/2 में निजी और राष्ट्रीय कंपनियों के परिसंघ द्वारा सक्रिय अन्वेषण किया जा रहा है।

ओ एन जी सी ने नौवीं योजना के अगले दो वर्षों के लिए अन्वेषण योजना तीव्र कर दी है और इसकी ओ एन जी सी के तहत कृष्णा-गोदावरी गहरे समुद्र रकबे और ओ एन जी सी को प्रदान किए गए ब्लाकों में अन्वेषण जारी रखने का इरादा है।

फिलहाल खम्बात को खाड़ी कृष्णा-गोदवारी बेसिन और राजस्थान के बाड़मेर जिले में कोई नई रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण

301. **श्री शिवाजी माने :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आपीलीय अधिकरण के अनुसार आयकर कानूनों की जटिलता आयकर के मामलों में भारी अनिर्णय का एक प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो आयकर के मामलों के लंबित रहने के लिए जिम्मेदार अन्य कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में आयकर अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्रवाई की गई?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित आय-कर संबंधी मामलों में वृद्धि के लिए कारण, सदस्यों के रिक्त पद, अपीलों के संस्थित किए जाने में वृद्धि आयकर लगाने के आधार का विस्तार करदाताओं की संख्या में वृद्धि आदि हैं। तथापि, लंबित मामलों में अब कमी आती जा रही है। 1.4.2000 तक 2,62,652 मामले लंबित थे जबकि 1.4.1999 को 3,00,597 मामले लंबित थे। 1.2.2001 तक लंबित मामलों की संख्या और घटकर 2,46,782 रह गई है। इस प्रकार उपर्युक्त अवधि के दौरान लंबित मामलों की संख्या में 53,815 मामले की कमी आई है।

(ग) और (घ) अध्यक्ष, आयकर अपील अधिकरण ने ऐसे सदस्यों को जहां निर्धारित आय 5.00 लाख रुपए तक हैं, मामले का निपटान के लिए एकल सदस्यीय मामला (एस.एम.सी.) शक्तियां प्रदान करने की सिफारिश की है। जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और समय-समय पर समुचित आदेश जारी किए गए हैं। मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए, अध्यक्ष, आयकर अपील अधिकरण द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार 1.4.1997 से न्यायपीठों की संख्या भी 38 से बढ़ाकर 53 कर दी गई थी।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

302. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रमुख पोतों पर कामगारों की संख्या में कमी करने तथा पोत तथा गोदी कामगारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारियों की कमी किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। कर्मचारियों और कामगारों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम 1991 में पत्तनों और गोदी कामगार बोर्डों में लागू थी। सरकार ने अभी हाल में सभी महापत्तनों और गोदी कामगार बोर्डों से अनुरोध किया है कि इस स्कीम को 31.3.2001 तक खुला रखा जाए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(1) कोई कर्मचारी जिसने 10 वर्ष की सेवा अथवा 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लिखित अनुरोध करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध कर सकता है।

(2) पत्तन न्यास और गोदी कामगार बोर्डों के पास कुछ कारणों से जिनका लिखित में उल्लेख किया जाएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान न करने का अधिकार होगा।

(3) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारी को निम्नलिखित अंतिम भुगतान प्राप्त होंगे :-

(i) लागू सा०भ०नि०/अं०भ०नि० विनियमों के अनुसार उसके भविष्य निधि खाते में देय शेष धनराशि।

(ii) पत्तन न्यासों/गोदी कामगार बोर्डों के नियमानुसार संचित अर्जित छुट्टियों के बराबर नकद राशि।

(iii) कर्मचारियों पर लागू ग्रेच्युटी अधिनियम अथवा ग्रेच्युटी स्कीम के अनुसार ग्रेच्युटी।

(iv) एक माह/तीन माह का नोटिस वेतन (उस पर लागू सेवाशर्तों के अनुसार)।

(v) पत्तन न्यास/गोदी कामगार बोर्ड के नियमों के अनुसार पेंशन।

(vi) इसके अतिरिक्त, जिस कर्मचारी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाता है, वह कर्मचारी पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए डेढ़ माह की परिलब्धि (वेतन+मंहगाई भत्ता) के बराबर अनुग्रह राशि अथवा बाकी सेवा के शेष महीनों के लिए देय परिलब्धियों का घटे हुए मूल्य (12% की घटी दर पर) जो भी कम हो, का हकदार होगा।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कामगारों/कर्मचारियों की विशिष्ट संख्या देना संभव नहीं है क्योंकि यह पात्र कामगारों और कर्मचारियों द्वारा अनुरोध पेश करने और पत्तन/गोदी कामगार बोर्डों द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें

303. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में मार्च, 2000 की तुलना में कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान में कच्चे तेल की औसम कीमत क्या है और वह दर क्या है जिस पर जनवरी, 2001 में अंतरराष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीदने का समझौता हुआ था;

(ग) क्या सरकार का देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता विक्रय मूल्य को मार्च, 2000 में विद्यमान मूल्यों के बराबर लाने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मार्च, 2001 के अंत में तेल पूल घाटे की अनुमानित राशि कितनी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मार्च, 2000 से जनवरी, 2001 की अवधि के लिए दुबई और ब्रेन्ट (दिनांकित) कच्चे तेल का मासिक औसत प्रकाशित मूल्य निम्नानुसार है :

मास	ब्रेन्ट (डालर/बीबीएल)	दुबई (डालर/बीबीएल)
1	2	3
मार्च, 2000	27.26	25.06
अप्रैल, 2000	22.65	22.11
मई, 2000	27.63	25.75
जून, 2000	29.80	27.24
जुलाई, 2000	28.49	26.08
अगस्त, 2000	30.11	27.00
सितम्बर, 2000	32.73	29.97
अक्तूबर, 2000	30.91	30.52
नवंबर, 2000	32.58	30.31
दिसम्बर, 2000	25.12	21.65
जनवरी, 2001	25.66	22.85

(ग) और (घ) पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता बिक्री मूल्यों मे कमी पर तेल पूल खाते से संचित बकाया राशि के समाप्त होने पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार 31.3.2001 तक तेल पूल खाते से संचित बकाया राशि लगभग 12,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है।

कांडला बंदरगाह को हुई क्षति

304. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री रामदास आठवले :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
प्रो० रासासिंह रावत :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला बंदरगाह को गुजरात में हाल के भूकंप से भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बंदरगाह के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कार्य पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है; और

(च) इसका पुनर्निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है?

Scanned by CamScanner

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी हां। कांडला पत्तन न्यास को विनाशकारी भूकंप के कारण गांधी धाम में कार्गो जेटियों, तेल जेटियों, भंडारगृहों, गोदामों, जल आपूर्ति, तेल पाइप लाइन, प्रशासनिक कार्यालय भवन जैसी स्थायी ढांचों तथा कांडला में पत्तन एवं सीमा शुल्क भवन आवासीय और गैर-आवासीय भवनों की चारदीवारी, सड़कों और चक्रवाती जल निकासी व्यवस्था, विद्युत संस्थापनाओं/उपस्करों, क्वार्टरों आदि को नुकसान पहुंचा है।

(ग) से (ङ) कांडला पत्तन न्यास ने युद्ध स्तर पर तत्काल बचाव और राहत कार्य शुरू किए तथा पत्तन में अब प्रचालन शुरू हो गया है। विशेषज्ञों द्वारा स्थायी नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और तद्नुसार मरम्मत कार्य किए जाएंगे। अनंतिम रूप से कांडला पत्तन न्यास को लगभग 50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

(च) अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि पत्तन की सभी क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों को उनके मूल रूप में लाने में कितना समय लगेगा।

[अनुवाद]

तेल पूल घाटा

305. श्री मंजय लाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार तेल पूल घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की स्थिति के अनुसार उत्पाद-वार सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर राज-सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्ष 2000-01 के अंत में तेल पूल घाटा लगभग 12,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) फरवरी, 2001 शुल्क समायोजित आयात समता रिफाइनरी द्वार मूल्यों पर आधारित नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों पर अनुमानित राजसहायता, सार्वजनिक वितरण वाले मिट्टी तेल पर 3.15 रुपए प्रति लीटर तथा घरेलू एल पी जी पर 152.50 रुपए प्रति सिलेंडर है।

रेलवे सुधारों के संबंध में रिपोर्ट

306. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुधार संबंधी डा० राकेश मोहन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार भारतीय रेल के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने भारतीय रेलवे को निगम बनाने का सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) डॉ० राकेश मोहन की अध्यक्षता में गठित रेल विशेषज्ञ दल ने अंतरिम कार्यकारी सार प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) से (च) अंतरिम कार्यकारी सार का अध्ययन किया जा रहा है।

उत्तरी राज्यों में विद्युत की कमी

307. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अत्यधिक खपत तथा कम खपत की अवधि के दौरान उत्तरी राज्यों को अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने के लिये ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन उत्तरी राज्यों का ब्यौरा क्या है जो विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहे हैं; और

(ग) राज्य सरकारें किस सीमा तक केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन कर रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सापेक्ष कमी, मौसमी एवं संकट कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय सेक्टरों केन्द्रों के 15 प्रतिशत अनावंटित कोटे एवं विशेष आबंटनों में से उत्तरी क्षेत्र के घटक राज्यों/संघीय क्षेत्र राज्यों को निम्नानुसार आवंटित किया गया है।

Scanned by CamScanner

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	18.11.2000 से अनावंटित हिस्से में से आवंटन 5 बजे से 12 बजे 17 बजे से 22 बजे	दिन के अन्य घंटों में	राज्य/संघ शासित क्षेत्र में के दौरान ऊर्जा की कमी (%)		विशेष आवंटन
			अप्रैल, 2000-जनवरी, 2001	जनवरी, 2001	
1	2	3	4	5	6
चण्डीगढ़	0	0	0.1	0	
दिल्ली	11	11	4.7	10.3	व्यस्ततमकाली घंटों के दौरान 8 बजे से 11 बजे एवं 19.00 बजे से 23.00 बजे तक विन्ध्याचल एसटीपीएस चरण-2 के अनावंटित कोटे से 65 मे०वा० (16.1.2001 से प्रभावी)
हरियाणा	22	22	2	6.9	व्यस्ततमकाल के दौरान 1100 बजे से 1800 बजे एवं 2300 बजे से 500 बजे तक विन्ध्याचल एसटीपीएस चरण-2 के अनावंटित कोटे से 85 मे०वा० (8.2.2001 से प्रभावी)
हिमाचल प्रदेश	11	11	1.8	6.6	
जम्मू और कश्मीर	20	20	12.9	29	व्यस्ततमकाल के दौरान 2300 बजे से 500 बजे तक विन्ध्याचल एसटीपीएस चरण-2 के अनावंटित कोटे से 65 मे०वा० (पश्चिमी क्षेत्र से 21.1.2000 से प्रभावी) 2. व्यस्ततमकाल के दौरान 7 बजे से 10 बजे एवं 1900 बजे से 2200 बजे तक 25 मे०वा० (29.1.2001 से प्रभावी)
पंजाब	0	0	1.7	3.9	
राजस्थान	22	33	3.3	10.4	सुबह के व्यस्ततमकालीन घटों के दौरान 500 बजे से 0800 बजे तक विन्ध्याचल एसटीपीएल चरण-2 के अनावंटित कोटे से 65 मे०वा० (25.1.2001 से प्रभावी)। 2. आरएपीपी यूनिट-3 (210 मे०वा०) से तीन वर्षों की अवधि के लिए समीक्षा उपरांत यदि आवश्यक हुआ तो आगामी 2 वर्षों की अवधि हेतु 85% विद्युत आवंटित की जाएगी। शेष 15% अनावंटित विद्युत विशेष मामलों में अग्रिम आदेश के बाद आवंटित की जाएगी।

1	2	3	4	5	6
					3. 28.2.2001 तक आरएपीपी यूनिट-4 (220 मे०वा०) से 50% विद्युत।
उत्तर प्रदेश	14	14	14	21.3	केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत यूटिलिटी को नकद भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सांत्वना पर उत्तर प्रदेश के 460 मे०वा० हिस्से में से 300 मे०वा० विद्युत (भुगतान न करने के कारण) हस्तांतरित की गई।

(ग) घटक राज्य/संघ शासित क्षेत्र विभिन्न कारणों से उच्च आवंटित फ्रीक्वेंसी के दौरान कम फ्रीक्वेंसी पर अधिक निकासी करते रहे हैं। ग्रिड की असफलता के समय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बनाए गए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड की व्यवस्थानुसार आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

दक्षिणी राज्यों में विद्युत संकट

308. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्य विद्युत संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण ग्रिड बहुत संकटपूर्ण अवस्था में कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कमी को दूर करने तथा दक्षिण ग्रिड को बन्द होने से बचाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों ने अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 के दौरान विभिन्न डिग्रियों की विद्युत कमियों का सामना किया जिसका ब्यौरा निम्नवत है :-

(सभी आंकड़े मि०यू० निवल में)

	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	दक्षिणी क्षेत्र(कुल)
आवश्यकता	39112	24401	11211	34920	109644
उपलब्धता	36264	22158	10463	32263	101148
कमी	2848	2243	748	2657	8496
	(7.3%)	(9.2%)	(6.7%)	(7.6%)	(7.7%)

उपरोक्त दर्शायी गई उपलब्धता में पूर्वी क्षेत्र से अनावंटित विद्युत और ऊर्जा का आयात शामिल है।

(ख) दक्षिणी क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी नवंबर एवं दिसम्बर, 2000 के दौरान क्रमश: 82.8% के लिए 48.5 हर्ट्ज से कम तथा 60.6% रही और इसमें 2001 के दौरान काफी सुधार नजर आया जब यह केवल 5.7% समय के लिए 48.5 हर्ट्ज से कम थी।

(ग) 15.11.2000 को आयोजित दक्षिणी क्षेत्र के संघटकों की बैठक के दौरान ग्रिड फ्रीक्वेंसी के सुधार के लिए निम्नलिखित निर्णय लिये गए हैं:-

(i) किसी भी संघटक द्वारा कम फ्रीक्वेंसी पर अधिक आहरण नहीं किया जाएगा, सभी संघटक प्रणालियां वास्तविक समय में लोड शेडिंग को क्रियान्वित करेंगी जैसाकि एसआरएलडीसी द्वारा सलाह दी गई है।

(ii) सभी संघटक प्रणालियां तत्काल ही कम फ्रीक्वेंसी रिले को 47.8 हर्ट्ज पर प्रचालनात्मक एवं प्रभावी बनायेंगी।

(iii) सभी संघटक प्रणालियां 10 दिनों के पश्चात् प्रथम चरण के कम फ्रीक्वेंसी रिले को पुन: जोड़ेगी।

उपरोक्त उपायों के फलस्वरूप, फ्रीक्वेंसी प्रणाली में जनवरी, 2001 में काफी सुधार नजर आया है।

विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिये योजना

309. श्री अनन्त नायक : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 2000-2006 तक विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके लिये संयंत्र वार तैयार किये गये विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नेशलन थर्मल पावर कार्पोरेशन लि० (एनटीपीसी) ने समयपूर्वक लिंकेज/स्वीकृतियों तथा वित्तीय सुनिश्चितता की शर्त पर

वर्ष 2012 तक 20000 मे०वा० विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने की एक निगम योजना तैयार की है। वर्ष 2000-01 से 2006-07 (10वीं योजना का अंत) की अवधि के दौरान परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(आंकड़ा मे०वा० में)

क्र० सं०	परियोजना	स्थित	क्षमता	1.4.2000 से 31.3.2007 की अवधि के दौरान चालू की जाने वाली संभावित क्षमता
1	2	3	4	5
I.	अनुमोदित/निर्माणाधीन			
1.	फरीदाबाद जीपीपी विस्तार	हरियाणा	430	144@
2.	सिमाद्री टीपीपी हरितक्षेत्र	आंध्र प्रदेश	1000	1000
3.	तालचेर एसटीपीपी-II विस्तार	उड़ीसा	2000	2000
II.	नई परियोजनाएं			
	क(के०वि०प्रा० से स्वीकृत परियोजना)			
	रामागुंडम एसटीपीपी-III विस्तार	आंध्र प्रदेश	500	500
	रिहन्द एसटीपीपी-II विस्तार	उत्तर प्रदेश	1000	1000
3.	सिपत एसटीपीपी-I हरितक्षेत्र	चंडीगढ़	1980	1320#
4.	कवास सीसीपीपी-II विस्तार	गुजरात	650	650*
5.	गांधार सीसीपीपी-II विस्तार	गुजरात	650	650*
6.	अन्ता सीसीपीपी-II विस्तार	राजस्थान	650	650*
7.	औरया सीसीपीपी-II विस्तार	उत्तर प्रदेश	650	650*
	ख नई परियोजनाएं एफआर प्रस्तुत की गई			
8.	कहलगांव एसटीपीपी-II विस्तार	बिहार	1320	660#
9.	बहरा एसटीपीपी हरित क्षेत्र	बिहार	1980	660#
10.	विन्ध्याचल-III विस्तार	मध्य प्रदेश	1000	500#
11.	सिपत एसटीपीपी-II विस्तार	चंडीगढ़	660	660
			कुल	11044 मे०वा०

सीईए : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
एसटीपीपी : सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
सीसीपीपी : साईकल आधारित विद्युत परियोजना
जीपीपी : गैस पावर प्रोजेक्ट
टीपीपी : थर्मल पावर प्रोजेक्ट

* पहले चालू हो चुकी है (1.4.2000 से पूर्व चालू की गई शेष क्षमता)

\# शेष क्षमता 31.3.2007 के बाद चालू की जानी है।

* विद्युत खरीद हेतु लाभ भोगी राज्यों से वचनबद्धता और एलएनजी आपूर्ति हेतु शर्तों उपर्युक्त निश्चित कीमत की पुष्टि की शर्त पर।

सीमेंट उत्पादकों का उत्पादक-संघ

310. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) ने देश में सीमेंट उत्पादकों के उत्पादक-संघ के कथित निर्माण और उत्पादन तथा आपूर्ति में कटौती करके मूल्य बढ़ाने के मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमेंट के बढ़ते हुये मूल्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपी आयोग), जोकि एक अर्द्धन्यायिक निकाय है, ने सूचित किया है कि इसने निम्नलिखित तीन आर टी पी (प्रतिबन्धित व्यापार प्रथाएं) जांचें संस्थित की हैं :

(i) **आर टी पी ई सं० 83/2000** : यह मै० गायत्री एजेन्सिज द्वारा सीमेन्ट उत्पादक संघ, चेन्ने के विरुद्ध एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 10(क) (i) के अंतर्गत दायर की गई एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीमेंट निर्माता संघ के सदस्य :

(क) आवेदक को कीमतों, बिक्री और सीमेंट के वितरण के मामलों में छूट नहीं देते तथा विभिन्न प्रतिबन्ध लगाते हैं;

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा मांगे गए टेंडरों के जवाब में वैसी ही कीमतें निर्धारित करना;

(ग) डीलरों को उनके द्वारा निर्धारित कीमतों पर सीमेंट बेचने से रोकते हैं; और

(घ) भिन्न पार्टियों को भिन्न कीमतों पर सीमेंट बेचते हैं।

महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण द्वारा मामले की जांच की गई जिन्होंने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट जनवरी, 2001 में प्रस्तुत की है। आयोग ने अधिनियम की धारा 12-क के अंतर्गत व्यादेश का नोटिस/अंतरिम आवेदन को जारी किए जाने के आदेश दिए हैं। मामला निर्णयाधीन है और 28.2.2001 को आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

(ii) **आर टी पी ई सं० 174/2000** : यह कपितय अग्रणी सीमेंट निर्माताओं के विरुद्ध मुख्य आयुक्त, कस्टम एण्ड सेन्ट्रल एक्साईज, हैदराबाद के कार्यालय से प्राप्त एक शिकायत पर आधारित है जिसमें आरोप है कि उन्होंने इस तरह से सीमेंट की कृत्रिम कमी पैदा करके तथा कीमतें ऊंची करके एक बन्दी विनिमय करार बना लिया है। आयोग ने एसीसी लिमिटेड, गुजरात अम्बुजा लिमिटेड, लारसेन एण्ड टूबरो लिमिटेड, इण्डिया सीमेंट लिमिटेड और ग्रासीम सीमेंट लिमिटेड के विरुद्ध जांच के नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिये हैं। मामला निर्णयाधीन है तथा 15.3.2001 के लिए सूचीबद्ध है।

(iii) **आर टी पी ई सं० 21/2001** : यह सीमेंट निर्माता संघ और 10 अन्य निर्माताओं के विरुद्ध एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 10(क) (i)/36-ख(क) के अन्तर्गत श्री सरबंजीत एस० मोखा और एक अन्य द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित है जिसमें आरोप है कि इन निर्माताओं ने एक बन्दी विनिमय करार बना लिया है तथा कीमतों में वृद्धि की है। आयोग ने 11 प्रतिवादियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं जिनका उत्तर 08.05.2001 तक दिया जाना है। मामले को सुनवाई के लिए 28.02.2001 के लिए सूचीबद्ध किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 12-क के अंतर्गत व्यादेश के अन्तरिम लागू होने पर विचार किया जाएगा।

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने कहा है कि सरकार स्थिति पर नियंत्रण रख रही है कि कीमतें मॉनीटर की जा रही हैं तथा सीमेंट निर्माताओं के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

सेलम/बंगलौर रेल लाइन का दोहरीकरण

311. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेलम-बंगलौर रेल लाइन, वाया धर्मपुरी और होसुर रेलवे स्टेशन के दोहरीकरण का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके दोहरीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या सरकार को धर्मपुरी जिले में मोरापुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहरने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को सेलम-बंगलौर बड़ी लाइन पर धर्मपुरी और बंगलौर के बीच एक डीजल कार चलाने का अनुरोध भी प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं। बहरहाल, इस लाइन का आमान परिवर्तन हाल ही में पूरा हुआ

है। जिससे इस खंड पर लाइन की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) प्रश्न नहीं उठता। इस लाइन पर यातायात इस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि दोहरीकरण का औचित्य बन सके।

(ग) और (घ) जी हां। इस संबंध में माननीय सदस्य श्री पी० डी० इलानगोवन्न से प्राप्त अभ्यावेदन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में जल विद्युत संयंत्र

312. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पूर्णिया जिले में कई बड़े जलाशय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी जलाशयों से जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूर्णिया में जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सीमेंट के बढ़ते हुए मूल्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले में कोई बड़ा जलाशय नहीं है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

पूर्वी राज्यों में पटसन उद्योग को प्रोत्साहन

313. **श्री प्रभात सामन्तराय : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी राज्यों के पटसन उत्पादक पटसन उत्पादों के निर्यात में भारी कमी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में पटसन उत्पादकों को सहायता देने तथा पूर्वी राज्यों में पटसन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं। पिछले दो वर्षों में पटसन के सामान के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आयी है और वास्तव में निर्यात में मामूली सी वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 1998-99 में 5822.89 मि० रुपए से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 6411.84 मि० रुपए हो गए हैं।

(ख) सरकार ने पटसन उपजकर्ताओं को सहायता देने और पूर्वी राज्यों में पटसन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए हैं। इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं :

* पटसन पैकेजिंग (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 बनाना जिसमें खाद्यान्नों, चीनी और उर्वरक को पटसन बोरों में पैक करने का प्रावधान है।
* सी ए सी पी की सिफारिशों के आधार पर कच्चे पटसन/मेस्टा की न्यूनतम समर्थन कीमतों का निर्धारण करना।
* पटसन उत्पादों की चुनिन्दा थ्रस्ट मदों पर निर्यात बाजार सहायता योजना की स्वीकृति देना।
* क्रेताओं के बीच पटसन उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए देश और विदेश में जेएमडीसी द्वारा विभिन्न व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।
* पटसन उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने और उसकी लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्राप्त करने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना शुरू करना।
* राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र की योजनाओं के अंतर्गत विविध पटसन उत्पादों को बढ़ाना।

[हिन्दी]

सेना मुख्यालय में मजदूर संघ

314. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना मुख्यालय द्वारा सी.सी.एस.(आर.एस.ए.) नियामवली, 1993 के तहत मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के नाम क्या हैं;

(ख) इन संघों को मान्यता दिए जाने की तारीख सहित इन्हें किस तिथि को मान्यता प्रदान की गई और क्या इन मजदूर संघों को अपेक्षित सदस्यता से 85 प्रतिशत से अधिक सहायता हासिल हो चुकी है।

(ग) क्या सेना मुख्यालय ने कुछ अन्य मजदूर संघों द्वारा प्रस्तुत किए गए सदस्यता संबंधी प्राधिकार पत्र वापस लौटा दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ङ) क्या उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के तहत मजदूर संघ प्राधिकार पत्र को अप्रैल माह में वापस ले सकते हैं/परिवर्तित/प्रस्तुत कर सकते हैं; और

Scanned by CamScanner

(च) यदि हां, तो क्या वापस किए गए प्राधिकार पत्र/सदस्यता फार्म को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (आर.एस.ए.) नियमावली, 1993 के प्रावधानों के तहत एसोसिएशन, जिनमें कम से कम 35 प्रतिशत सदस्य नामांकित हैं, मान्यता की तारीख सहित निम्नवत हैं :

i) ए एफ एच क्यू सिविलियन अधिकारी एसोसिएशन 01 नवंबर, 1995;

ii) ए एफ एच क्यू सिविल सेवा (डी आर जी) अधिकारी एसोसिएशन 01, नवंबर, 1995.

iii) ए एफ एच क्यू आशुलिपिक एसोसिएशन, 01 नवंबर, 1995

iv) ए एफ एच क्यू ए सी एस ओ एसोसिएशन, 01 नवंबर, 1997;

v) ए एफ एच क्यू, एसोसिएशन 01 नवंबर, 1997;

vi) ए एफ एच क्यू (ई डी पी) कर्मचारी एसोसिएशन, 01 नवंबर, 1997;

vii) ए एफ एच क्यू कैंटीन कर्मचारी एसोसिएशन, 01 नवम्बर,1997; तथा

viii) ए एफ एच क्यू/आई एस ओ समूह 'घ' कर्मचारी एसोसिएशन, 01 नवंबर, 1997

(ग) से (च) जी, हां। ए एफ एच क्यू कर्मचारी एसोसिएशन (अमान्यता प्राप्त) ने 1996 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें नियमानुसार मान्यता प्रदान किए जाने की मांग की गई थी। क्योंकि आवेदक एसोसिएशन के पास 01 नवंबर, 1997, जिस तारीख से एसोसिएशन की मान्यता प्रभावी होनी थी, को अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत सदस्यों की संख्या नहीं थी, इसलिए उनके द्वारा दिया गया आवेदनपत्र वापस कर दिया गया था।

[अनुवाद]

निवेशक सुरक्षा कोष

315. श्री किरीट सोमैया :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निदेशक सुरक्षा कोष से संबंधित प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(घ) यह किस प्रकार निवेशकों के हितों की सुरक्षा और सहायता करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग में उल्लिखित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष भारतीय समेकित कोष भारतीय पब्लिक लेखों में पोषितार्थ अपेक्षित एक सांविधिक कोष है तथा संविधान एवं इससे संबंधित अन्य कानूनों एवं नियमों के अनुरूप पोषित होना चाहिए। कोष से संबंधित प्राप्ति/व्यय को प्रक्रिया को लेखा नियंत्रक/वित्त मंत्रालय (बजट प्रभाग/सी एंड ए जी ऑफ इंडिया) के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) समिति, जो निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष को प्रशासित करेगी, समय-समय पर निवेशक जागरूकता, शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों में लगे विभिन्न एसोशियेसनों/वाणिज्य चैम्बरों/संस्थानों/ संगठनों/व्यक्तियों की पहचान करेगी जिन्हें प्रत्यक्ष शिक्षा कार्यक्रम चलाने, सेमिनार संगोष्ठियां आयोजित करने, अनुसंधान गतिविधियों समेत निवेशक सुरक्षा हेतु विशेषीकृत प्रोजेक्ट चलाने तथा सही निवेशक वादियों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने हेतु फण्ड उपलब्ध कराये जाएंगे।

तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता

316. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल की वार्षिक मांग का कितना प्रतिशत आयात किया जाता है और इस पर कितनी लागत आती है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है और आयात लागत में विदेशी मुद्रा के पदों में अपेक्षाकृत कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप तेल पूल उपकर में कितना घाटा हुआ है; और

(घ) आयत पर निर्भरता कम करने के लिए देश में तेल खोज की प्रक्रिया तेज करने हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1999-2000 के दौरान, 40,028 करोड़ रुपए की लागत से 57.81 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल (संयुक्त उद्यम और निजी रिफाइनरियों द्वारा आयात सहित) का आयात किया गया था जोकि घरेलू रिफाइनरियों की कुल मांग के 60 प्रतिशत से अधिक है।

(ख) जनवरी, 2000 से जनवरी, 2001 की अवधि के लिए

Scanned by CamScanner

कच्चे तेल दुबई और ब्रेन्ट (डी टी डी) के औसत पोत पर्यंत नि:शुल्क प्रकाशित मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1999-2000 और 2000-2001 (अप्रैल-दिसंबर, 2000) के दौरान अमेरिकी डालरों में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों की लागत में वृद्धि की मात्रा निम्नानुसार है:

	1999-2000	2000-2001 (अप्रैल-दिसंबर, 2000)
मूल्य (अमेरीकी डालर)	9315.840	7242.120

(ग) जो तेल पूल घाटा 31 मार्च, 2000 को 6300 करोड़ रुपये था 31 मार्च, 2001 तक उसके 12000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान है।

(घ) देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) वर्द्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा मौजूदा प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना। ये क्षेत्रों से तेल उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता करेगी।

(2) उत्पादनशील क्षेत्रों में गहरी परतों में अन्वेषण के द्वारा भंडारों में वृद्धि करना।

(3) नए क्षेत्रों में विशेषकर गहरे पानी वाले और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना।

(4) नए खोजे गए तेल क्षेत्रों का तीव्रतर विकास करना।

(5) वर्कओवर और उद्दीपन प्रचालनों में वृद्धि करना।

(6) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना।

(7) नए और उत्पादनशील क्षेत्रों में त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण के प्रयोग में वृद्धि करना।

विवरण

मूल्य रूझान - कच्चा तेल

इकाई डालर प्रति बेरल

माह	कच्चे तेल के मूल्य और जनवरी, 2001 के मूल्यों के ऊपर प्रतिशत वृद्धि			
	दुबई	जनवरी, 2001 के मूल्यों के ऊपर प्रतिशत वृद्धि	ब्रेन्ट (दिनांकित)	जनवरी, 2000 के मूल्यों के के ऊपर प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
जनवरी,2000	23.39	0 प्रतिशत	25.55	0 प्रतिशत
फरवरी,2000	24.68	6 प्रतिशत	27.89	9 प्रतिशत
मार्च,2000	25.06	7 प्रतिशत	27.26	7 प्रतिशत
अप्रैल,2000	22.11	-5 प्रतिशत	22.65	-11 प्रतिशत
मई,2000	25.75	10 प्रतिशत	27.65	8 प्रतिशत
जून,2000	27.24	16 प्रतिशत	29.80	17 प्रतिशत
जुलाई,2000	26.08	11 प्रतिशत	28.49	12 प्रतिशत
अगस्त,2000	27.00	15 प्रतिशत	30.11	18 प्रतिशत
सितम्बर,2000	29.97	28 प्रतिशत	32.75	28 प्रतिशत
अक्तूबर,2000	31.09	33 प्रतिशत	31.57	23 प्रतिशत

1	2	3	4	5
नवम्बर,2000	30.31	30 प्रतिशत	32.58	28 प्रतिशत
दिसम्बर,2000	21.65	-7 प्रतिशत	25.12	-2 प्रतिशत
जनवरी,2001	22.85	-2 प्रतिशत	25.66	0 प्रतिशत

प्रथम श्रेणी के कोचों को हटाया जाना

317. श्री के०पी० सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के कोचों की सुविधा हटा ली गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के कोचों की सुविधा फिर से शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गत वर्ष (01.04.2000 से 15.2.2001 तक) के दौरान उन गाड़ियों के नाम जिनसे प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बे हटाए गए हैं:-

क्र०सं०	गाड़ी संख्या और नाम
1	2
1.	4311/4312 बरेली-गांधीधाम आला हजरत एक्सप्रेस
2.	4313/4314 दादर-बरेली एक्सप्रेस
3.	5665/5666 गुवाहाटी-लमडिंग एक्सप्रेस
4.	6525/6526 कन्याकुमारी-बैंगलूरू एक्सप्रेस
5.	6339/6340 मुंबई-नागरकोइल एक्सप्रेस
6.	6323/6324 तिरुवनंतपुरम-हावड़ा एक्सप्रेस
7.	6331/6332 मुंबई तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस
8.	6349/6350 तिरुवनंतपुरम-मंगलौर एक्सप्रेस
9.	7045/7046 हैदराबाद-हावड़ा ईस्ट कॉस्ट एक्सप्रेस
10.	7429/7430 हैदराबाद तिरूपति रॉयलसीमा एक्सप्रेस
11.	7049/7050 सिकंदराबाद-मछलीपट्टनम एक्सप्रेस (सिकंदराबाद-मनुगुरु स्लिप सर्विस)
12.	8439/8440 पुरी-तिरूपति एक्सप्रेस
13.	8449/8450 पुरी-पटना एक्सप्रेस
14.	8005/8006 हावड़ा-संबलपुर एक्सप्रेस

प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों को हटाए जाने की नीति और मुख्य कारण प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों को वाता.-3 टियर/वाता-2 टियर के सवारी डिब्बों से बदलकर उच्च श्रेणी के यात्रियों को अधिक स्थान तथा बेहतर वातानुकूल सुविधा प्रदान करना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संविधान समीक्षा आयोग

318. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री मोहन रावले :

क्या विधि, न्याय मंत्री कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तारीख 31 अक्तूबर, 2001 तक का समय दिया गया है।

मोटर वाहनों के लिए सी एन जी की आपूर्ति

319. श्री ए० ब्रह्मनैया :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को मोटर वाहनों के लिए सी एन जी उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) कौन-कौन सी एजेंसियां इस संपीड़ित प्राकृतिक गैस ईंधन की आपूर्ति कर रही है;

(ग) क्या यह आपूर्ति इनकी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या कठिनाइयां हैं, और

(ङ) देशभर में सी एन जी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सी एन जी वर्तमान में महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात राज्यों में उपलब्ध है।

(ख) मुंबई -महानगर गैस लिमिटेड

दिल्ली -इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

वडोदरा -गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड

सूरत -गुजरात गैस कंपनी

अंकलेश्वर -गुजरात गैस कंपनी

(ग) और (घ) इस समय मुंबई, दिल्ली और वडोदरा में मांग पूरी करने के लिए सी एन जी की आपूर्ति पर्याप्त है।

(ङ) संभारतंत्रीय, प्रचलानात्मक और आपूर्ति की कठिनाइयों के कारण पूरे देश में सी एन जी उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है।

गडचिरोली-देसाईगंज रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

320. श्री नरेश पुगलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में गलचिरौली-देसाईगंज रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लम्बाई सहित तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस लाइन को पूरा करने में कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ङ) इस लाइन का कार्य कब तक पूरा होने और इसे कब तक यातायात के लिए खोल दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) वाडसा (देसाईगंज)-गढ़चिरौली (49.50) के बीच एक नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया है रेलों से परामर्श करके सर्वेक्षण रिपोर्ट की अब जांच की जा रही है। सर्वेक्षण के नतीजों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

प्रशासित मूल्य व्यवस्था से मुक्त विमानन टर्बाइन ईंधन

321. श्री ए० नरेन्द्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए पहले से ही बनाए गए सड़क मानचित्र के अनुसार विमानन टबाईन ईंधन को प्रशासित मूल्य व्यवस्था से मुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मुक्त विमानन टबाईन ईंधन के रूप में व्यय/घाटे के खालीपन को दूर करने हेतु कोई दिशानिर्देश बनाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) प्रशासित मूल्य पद्धति (ए पी एम) को चरणों में समाप्त किए जाने के अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ए टी एफ को चालू वित्त वर्ष के दौरान नियंत्रणमुक्त किया जाना है।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड की विकास परियोजना

322. श्री पी०सी० थामस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने कच्चे मालों की ढुलाई के लिए कोच्चि में एस वी एम विकास परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना, अनुमानित लागत और इससे होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (के आर एल) पूर्व में कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने अपनी रिफाइनरी के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किया है। परियोजना की सुविधाओं में कच्चे तेल की प्राप्ति के लिए सिंगल बुआय मूरिंग (एस वी एम) की स्थापना सम्मिलित है। एस वी एम सुविधाओं में उप समुद्री पाइपलाइन के साथ-साथ एस वी एस विशेष सम्मिलित है। एस वी एम की अनुमानित लागत 258 करोड़ रुपए है। अनुमानित लाभ में कच्चे तेल की परिवहन लागत में अत्यधिक कमी है।

(ग) से (च) के आर एल की विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजना निवेश अनुमोदन प्रदान करने के लिए सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

शिल्पकारों के लिए ऋण-योजना

323. **प्रो० दुखा भगत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए शिल्पकारों को कम ब्याजदर पर ऋण मुहैया कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इससे कौन-कौन से शिल्पकार लाभान्वित हुए हैं;

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए कारीगरों को रियायती ब्याज पर पुन:वित के आधार पर ऋण उपलब्ध कराते हैं।

(ग) नाबार्ड और सिबडी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित कारीगरों के नाम-बार आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान 20598 हस्तशिल्प युनिटें लाभान्वित हुई।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश के बुनकरों की कठिनाइयां दूर करना

324. **श्री के० येरनायडू** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में न बिकने वाले और बेकार पड़े हथकरघा वस्त्र के बुनकरों को उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के बुनकरों को क्षति पूर्ति प्रदान करने की कोई योजना है; और,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) भारत सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा हथकरघा उत्पाद जिसमें पड़ा हुआ स्टाक शामिल है उसके विपणन के लिये दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत बुनकरों को प्रतिपूर्ति करता है। राज्य सरकारों को जिसमें आंध्र प्रदेश शामिल हैं, जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय एक्सपों एवं मेले जिसमें बुनकर अपने माल को बेचने के लिए हिस्सा लेते हैं, आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

डी.वी.सी. में ठेका श्रमिकों की सेवाएं नियमित किया जाना

325. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) के ताप विद्युत केन्द्र में ठेका श्रमिकों के संबंध में उन्हें नियमित करने और पदोन्नति देने संबंधी नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे ठेका श्रमिकों की सेवाएं नियमित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) दामोदर घाटी निगम के प्रत्येक ताप विद्युत केन्द्र में अब तक कितने श्रमिकों की सेवाएं नियमित की जा चुकी हैं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) निगम के परिपत्र संख्या पी.एल. 28/226 (कन) IV/पी.टी.-I (बी) पी.टी.-II-57 दिनांक 7.2.1995 के द्वारा 15% कोटे के तहत ठेका श्रमिकों को नियमित किया जा रहा है। अभी तक बोकारो ताप विद्युत स्टेशन में 49 व्यक्तियों, चन्द्रपुर ताप विद्युत स्टेशन में 39 व्यक्तियों और दुर्गापुर ताप विद्युत स्टेशन में 14 व्यक्तियों को नियमित प्रस्ताव दिए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

भुज और गुजरात में ओएनजीसी द्वारा तेल की खोज

326. **श्री सुनील खां :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने बिना किसी सुरक्षा उपाय के भुज और गुजरात के अन्य क्षेत्रों में तेल की खोज की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खोज के समय भूतल पर कठोर मिट्टी वाले भूमिगत तेल संभावित क्षेत्र का बचाव भू-भौतिकी के नियमानुसार नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जवाबदेही तय की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) ओ एन जी सी प्रचलित उद्योग मानक सुरक्षा सावधानियों के साथ अन्वेषण कार्य चलाती है। भूभौतिकीय/भूवैज्ञानिक हाईड्रोकार्बन अन्वेषण विषय के अनुसार तेल अंचल के ऊपर सख्त चट्टान की मौजूदगी को तेल के संरक्षण के लिए एक अनुकूल मानदंड समझा गया है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

ईरान से जामनगर तक गैस पाइपलाइन

327. **श्री मोहन रावले :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विचार ईरान के आसुलियेह गैस फील्ड्स से पाकिस्तान हो कर गुजरात में जामनगर केन्द्र तक पाइपलाइन बनाने और ईरान से गैस भी खरीदने तथा बदले में इसे भारत में बेचने का है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) ईरान सरकार ने पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले एक जमीनी पाइपलाइन मार्ग के माध्यम से भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव भेजा है। ईरान से भारत को गेस प्रेषण के विभिन्न पाइपलाइन विकल्पों, जिनमें गहन जल पाइपलाइन तथा इनके राजनीतिक, तकनीकी एवं वित्तपोषण संबंधी पहलू सम्मिलित हैं, की जांच करने के लिए एक भारत-ईरान संयुक्त समिति गठित की गई है।

तिरुवनन्तपुरम में हिन्दी परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया जाना

328. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 दिसम्बर को तिरुअनन्तपुरम में आयोजित हिन्दी परामर्शदात्री समिति की बैठक में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सहित कई रेल अधिकारियों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस पर कुल कितना खर्च किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक रेल राज्य मंत्री, श्री दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में 27.12.2000 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई थी जिसमें रेल राज्य मंत्री, श्री ओ० राजगोपाल तथा अध्यक्ष रेलवे बोर्ड सहित 22 अधिकारियों ने भाग लिया था। उपरोक्त के अलावा 2 संसद सदस्य तथा रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के 6 गैर-सरकारी सदस्य भी इस बैठक में उपस्थित थे।

रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का गठन रेल मंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है। समिति के संविधान के अनुसार, इसकी बैठकें सामान्यत: रेल भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाती है किन्तु इन्हें दिल्ली से बाहर भी आयोजित किया जा सकता है। समिति के सदस्यों की मांग पर यह बैठक तिरूवनंतपुरम में आयोजित की गई थी। इससे पहले, 6 वर्ष पूर्व 26.9.1994 को रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक बैंगलूर में आयोजित की गई थी। अत: रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें बहुत कम दिल्ली से बाहर आयोजित की जाती है। वर्तमान रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का गठन 26.10.1998 को किया गया था और तब से इसकी 7 बैठक आयोजित की जा चुकी है। और इन 7 बैठकों में से केवल एक ही बैठक दिल्ली से बाहर आयोजित की गई है।

(ग) रेलवे द्वारा 1.10.981.00 रुपये व्यय किए गए।

एरोस्पेस कमाण्ड स्थापित किया जाना

329. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइलों की तैनाती के लिए एक एरोस्पेस कमाण्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) प्रस्तावित कमाण्ड के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(घ) भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) यह सूचना देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(घ) भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय वायुसेना की सामर्थ्य और गोलाबारी की शक्ति बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जाते हैं। बलवर्धकों सहित नए वायुयान, भू-उपस्कर और अन्य हथियार प्रणालियां शामिल करके बल स्तरों में वृद्धि की जा रही है।

[हिन्दी]

सी-किंग हेलीकॉप्टर के लिए ब्रिटेन से कल-पुर्जे

330. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री बी०के० पार्थसारथी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन को अमेरिका में नए राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने के बाद भारतीय नौसेना को सी-किंग हेलीकॉप्टर के कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अमेरिकी सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय नौसेना को सी-किंग हेलीकॉप्टर के कलपुर्जे कब तक मिलने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा 19 जनवरी, 2001 को चुनिंदा अमरीकी गोलाबारूदों की सूची, अमरीकी मूल के हेलिकॉप्टर के हिस्से-पूर्जों का ब्रिटेन से भारत स्थानांतरण किए जाने के लिए प्रतिबंधों में छूट दिए जाने के बारे में राष्ट्रपति का संकल्प जारी किया गया था। इससे सी-किंग हेलिकॉप्टरों की 33 संघटक किस्मों की कुल 169 मदों, जो मैसर्स जी के एन-डब्ल्यु एच एल, ब्रिटेन द्वारा प्रतिबंधों के कारण अलग रखे गए हैं, को भारत वापस किए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। तथापि, मैसर्स जी के एन डब्ल्यु एच एल, ब्रिटेन प्रतिबंधों में सीमित छूट की वजह से सी-किंग हेलिकॉप्टरों के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की आपूर्ति अथवा उसके लिए उत्पाद सहायता मुहैया नहीं करा पाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के संकल्प के तहत नहीं आते हैं।

(ग) ओ ई एम द्वारा 33 संघटक किस्मों की कुल 169 मदों की वापसी के लिए अभी तक कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है।

[अनुवाद]

वाष्प इंजनों का बनाया जाना

331. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अब भी वाष्प इंजनों का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) कितने वाष्प इंजन अब भी परिचालन में है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन इंजनों का परिचालन बंद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय 25 भाप इंजन भारतीय रेलों पर पहाड़ी खण्डों/पर्यटक गाड़ियों में कार्यरत हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मानव बमों से खतरा

332. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी रक्षा बल मानव बमों के खतरों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या मानव बमों पर अंकुश लगाने के लिए विश्व में कोई तकनीक उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उस तकनीक को अपनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कश्मीर में अब तक कितने मानव बमों के प्रहार हो चुके हैं और इनमें कितने लोग मारे जा चुके हैं;

(ङ) क्या कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में मानव बम अब भी सक्रिय है और क्या इन खतरों से निपटने के लिए कोई रणनीति बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें मानव बमों द्वारा सशस्त्र सेनाओं पर हमले किए गए हों।

(ख) और (ग) सरकार को इस प्रकार के हमलों का सामना करने के लिए विश्व में किसी प्रौद्योगिकी के उपलब्ध होने की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल, ऐसे हमलों को रोकने के लिए यथा उपलब्ध गेट टाइप तथा हाथ मे मेटल डिटेक्टरों का इस्तेमाल, जामा-तलाशी के लिए किया जा रहा है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

जेलों में विशेष अदालत

333. **डा० अशोक पटेल** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए छोटे मामलों को निपटाने के लिए जेल परिसरों में पृथक अदालतें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेल परिसरों में कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए विशेष प्रकोष्ट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) सरकार और न्यायपालिका, दोनो ही जेलों में पड़े हुए विचाराधीन कैदियों की समस्या से संबद्ध है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायमूर्तियों को सुझाव दिया है कि प्रत्येक जिले में यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को उन विचाराधीन कैदियों के जो छोटे-मोटे अपराधी हैं और अपना अपराध स्वीकार करने के इच्छुक हो सकते हैं, मामले निपटाने के लिए मास में एक बार या दो बार संबंधित जेलों में अपने न्यायालय लगाने चाहिए। उपरोक्त के अनुसरण में तारीख 1.1.2000 से 31.3.2000 के बीच केवल आठ (8) उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन जेलों के भीतर विचाराधीन कैदियों के लगभग 8083 मामले निपटाए गए। केंद्रीय जेल, दिल्ली में मात्र तीन बैठकों के दौरान लगभग 300 मामले निपटाए गए।

कुछ राज्यों में, ''विधिक सहायता सेल'' जेलों में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं जो अपराधियों को विधिक सहायता और सलाह प्रदान करते हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

334. **श्री रामदास अठावले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के अलग-अलग मूल्य क्या थे;

(ख) वर्ष 1995 से लेकर आज की तिथि तक उक्त पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में किस-किस वर्ष में वृद्धि की गयी और इनके मूल्यों में किस सीमा तक वृद्धि की गयी;

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि से उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बार-बार होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल (पी डी एस), एल पी जी (घरेलू) आदि सहित नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण स्थल पर मूल्य 1.1.1995 से 22.11.2000 तक प्रत्येक मूल्य संशोधन पर वृद्धि/कमी की मात्रा सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) नवंबर, 1997 में सरकार ने प्रशासित मूल्य पद्धति को चरणों में समाप्त करने का निर्णय लिया था। तदनुसार घरेलू एल पी जी और सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी तेल के मूल्यों में उपयुक्त समायोजन किया जाना है ताकि मार्च, 2002 तक वे आयात समता के क्रमश: 15 प्रतिशत और 33.33 प्रतशत के राजसहायता स्तर पर पहुँच सके। अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

विवरण

भंडारण स्थल पर मूल्यों में परिवर्तन

	डीजल	पेट्रोल	मिट्टी तेल (पी०डी०एस०)	एल०पी०जी० (पैक्ड घरेलू)	ए०टी०एफ० अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के अलावा
	रु० प्रति कि०लो०	रु० प्रति कि०लो०	रु० प्रति कि०लो०	रु० प्रति कि०लो०	रु० प्रति कि०लो०
	1	2	3	4	5
01.01.1995	5717.28	12844.34	2001.40	5309.19	9852.33
03.07.1996	7432.46	16055.43		6901.95	10837.56
वृद्धि	1715.18	3211.09		1592.76	985.23
07.07.1996	6574.87				
कमी	-857.59				
02.09.1997	8374.87	17055.43		7958.29	
वृद्धि	1800.00	1000.00		1056.34	
07.11.1997	7918.04				
कमी	-456.83				
25.12.1997	7996.84				
वृद्धि	78.80				
01.03.1998	7839.24				
कमी	- 157.60				
04.04.1998	7645.47				
कमी	- 193.77				
20.051998	7536.89				
कमी	- 108.58				
03.06.1998		15495.43			
कमी		1560.00			
09.01.1999	6722.37				
कमी	-814.52				
01.02.1999				8944.421	
वृद्धि				985.92	
28.02.1999	6621.76	15399.01		8732.87	70759.32
कमी	- 100.61	-96.42		-211.34	-78.24
20.04.1999	6882.15				
वृद्धि	260.39				
06.101999	9634.60				
वृद्धि	2752.45				

	1	2	3	4	5
23.032000			4501.40	10845.55	12759.32
वृद्धि			2500.00	2112.68	2000.00
30.09.2000	11934.60	18999.01	7001.40	13028.65	14759.32
वृद्धि	2300.00	360000	2500.00	2183.10	2000.00
22.11.2000			6110.00	12426.76	
कमी			-891.40	-601.89	

टिप्पणी : भंडारण स्थल पर मूल्यों शुल्क, भाड़ा और स्थानीय उद्ग्रहण आदि शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

निजी पार्टियों को रक्षा भूमि का आबंटन

335. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा संपदा के महानिदेशक को अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि का आबंटन वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए निजी पार्टियों को करने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में किस मूल्य पर भूमि का आबंटन किया गया;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान आबंटियों द्वारा उक्त भूमि के दुरुपयोग से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के प्रावधानों के अनुसार, रक्षा संपदा अधिकारियों तथा छावनी बोर्ड को अपने प्रबंधाधीन भूमि को सामग्री भण्डारण, सचल सर्कस, प्रदर्शनी तथा मेला आदि के कार्यों के लिए अल्प अवधि लाइसेंस के आधार पर निजी पक्षों को आबंटित किए जाने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

(ग) से (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

मुरादाबाद – दिल्ली रेल लाइन का दोहरीकरण

336. **श्री चन्द्र विजय सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की मुरादाबाद-दिल्ली रेल मार्ग पर प्रतिदिन कितना रेल यातायात होता है;

(ख) क्या सरकार के पास भीड़-भाड़ से बचने के लिए इस मार्ग पर दोहरी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गाजियाबाद-गजरौला खंड पर दोनों दिशाओं में प्रतिदिन औसतन 21 गाडियां चलती हैं और गजरौला-मुरादाबाद खंड पर दोनों दिशाओं में प्रतिदिन औसतन 22 गाडियां चलती हैं।

(ख) से (घ) क्रमश: दिल्ली और साहिबाबाद के बीच और नई दिल्ली और साहिबाबाद के बीच दोहरी लाइन मौजूद है, गाजियाबाद और साहिबाबाद के बीच 4 लाइनें उपलब्ध हैं, गाजियाबाद और हापुड़ के बीच दूसरी लाइन का काफी निर्माण कार्य हो चुका है, मुरादाबाद और कांकाथेर के बीच दोहरीकरण भी चालू कर दिया गया है, हापुड़ और गंगा पुल से पहले गढ़मुक्तेश्वर के बीच बाकी शेष खंड का दोहरीकरण पर धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात में भूकम्प से मारे गये और घायल हुए कर्मचारी

337. **श्री बाबूभाई के० कटारा** :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हाल ही में आये भूकम्प से मारे गये और घायल हुए रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मृत/घायल रेलवे कर्मचारियों के प्रत्येक निकट संबंधी को कितना मुआवजा दिया गया और कितना मुआवजा दिये जाने की संभावना है; और

(ग) गुजरात से भूकम्प के शिकार हुए लोगों को लाने के लिए और उनके संबंधियों को गुजरात ले जाने के लिए चलाई गयी विशेष रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :

(क) मारे गए रेल कर्मचारियों की संख्या 3

मारे गए रेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की संख्या 18

गंभीर रूप से घायल रेल कर्मचारियों की संख्या 10

गंभीर रूप से घायल रेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की संख्या 35

(ख) गुजरात में भूकंप में मारे गए रेल कर्मचारियों के परिवारों को प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की दर से वित्तीय राहत दी जा रही है, एक रेल कर्मचारी जो ड्यूटी करते समय मारा गया था, की विधवा को 20 हजार रुपए की अनुग्रह राशि का भी भुगतान किया गया है।

इसके अलावा तत्काल वित्तीय सहायता के रूप में निम्नलिखित राशि भी प्रदान की गई है/प्रदान की जानी है :

	महाप्रबंधक की राहत निधि से	पश्चिम रेलवे महिला समाज सेवा समिति द्वारा
i. मृत रेल कर्मचारी के निकट संबंधी	10,000 रुपए प्रत्येक को	5,000 रुपए
ii. रेलवे कर्मचारियों को गंभीर चोट लगने के मामले में	2,000 रुपए प्रत्येक को	

(ग) गुजरात से अन्य राज्यों को चलाई गई विशेष गाड़ियों की स्थिति:

क्र०सं०	कहां से	कहां तक	प्रस्थान समय	दिनांक	आगमन समय	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद	मुंबई सेंट्रल	23.10	27.1.2001	10.42	28.1.2001
2.	अहमदाबाद	दिल्ली	23.20	28.1.2001	20.15	29.1.2001
3.	अहमदाबाद	मुंबई सेंट्रल	23.10	28.1.2001	07.55	29.1.2001
4.	अहमदाबाद	मुंबई सेंट्रल	23.30	29.1.2001	11.25	30.1.2001
5.	गांधीधाम	मुंबई सेंट्रल	19.00	29.1.2001	12.15	30.1.2001
6.	अहमदाबाद	दिल्ली	00.45	30.1.2001	21.45	30.1.2001
7.	अहमदाबाद	हवड़ा	17.35	30.1.2001	15.10	1.2.2001
8.	गांधीधाम	मुंबई सेंट्रल	14.10	30.1.2001	14.10	31.1.2001
9.	अहमदाबाद	पुरी	19.20	30.1.2001	24.00	1.2.2001
10.	अहमदाबाद	कानपुर	00.25	31.1.2001	17.40	1.2.2001
11.	अहमदाबाद	बैंगलूरु	01.55	31.1.2001	18.40	1.2.2001
12.	अहमदाबाद	दिल्ली	01.50	31.1.2001	22.00	31.1.2001
13.	अहमदाबाद	हवड़ा	17.20	31.1.2001	14.40	2.2.2001
14.	अहमदाबाद	मुंबई सेंट्रल	23.55	31.1.2001	10.45	1.2.2001
15.	गांधीधाम	तिरुवनंतपुरम	18.40	31.1.2001	05.25	3.2.2001
16.	गांधीधाम	हवड़ा	16.20	31.1.2001	03.40	3.2.2001
17.	अहमदाबाद	मुंबई सेंट्रल	23.45	1.2.2001	09.20	2.2.2001
18.	अहमदाबाद	मुजफ्फरपुर	22.40	1.2.2001	21.20	3.2.2001
19.	अहमदाबाद	दिल्ली	01.15	2.2.2001	23.10	2.2.2001

1	2	3	4	5	6	7
20.	अहमदाबाद	हवड़ा	17.50	1.2.2001	17.00	3.2.2001
21	गांधीधाम	जयपुर	18.45	1.2.2001	22.20	2.2.2001
22.	गांधीधाम	अहमदाबाद	00.10	2.2.2001	16.00	2.2.2001
23.	गांधीधाम	चेन्नै	07.45	2.2.2001	16.35	4.2.2001
24.	गांधीधाम	मुंबई सेंट्रल	10.05	2.2.2001	08.25	3.2.2001
25.	गांधीधाम	अहमदाबाद	22.30	2.2.2001	10.45	3.2.2001
26.	गांधीधाम	मुंबई सेंट्रल	22.00	3.2.2001	13.50	4.2.2001
27	अहमदाबाद	गांधीधाम	15.30	3.2.2001	11.05	4.2.2001
28.	गांधीधाम	तिरुवनंतपुरम	22.15	4.2.2001	06.30	7.2.2001
29.	गांधीधाम	मुंबई सेंट्रल	18.10	8.2.2001	14.15	9.2.2001
30.	गांधीधाम	मुंबई सेंट्रल	21.50	10.2.2001	19.00	11.2.2001

अन्य राज्यों से गुजरात के लिए चलाई गई विशेष गाडियों की स्थिति

क्र०सं०	कहां से	कहां तक	प्रस्थान समय	दिनांक	आगमन समय	दिनांक
	चेन्नै	अहमदाबाद	16.05	27.1.2001	07.00	29.1.2001
2.	बेंगलूरू	अहमदाबाद	16.00	27.1.2001	05.25	29.1.2001
3.	हवड़ा	अहमदाबाद	17.00	17.1.2001	15.00	29.1.2001
4.	मुंबई	भ्रांगधरा	18.00	27.1.2001	08.55	28.01.2001
5.	दिल्ली	अहमदाबाद	17.15	27.1.2001	16.15	28.1.2001
6.	दिल्ली	अहमदाबाद	17.00	28.1.2001	15.15	29.1.2001
7.	मुंबई सेंट्रल	समख्याली	17.00	28.1.2001	15.15	29.1.2001
8.	हावड़ा	अहमदाबाद	17.00	28.1.2001	12.25	30.1.2001
9.	चेन्नै	अहमदाबाद	17.00	28.1.2001	13..35	30.1.2001
10.	बेंगलूरु	अहमदाबाद	18.00	28.1.2001	09.10	30.1.2001
11.	भोपाल	अहमदाबाद	19.35	28.1.2001	10.00	29.1.2001
12.	मुंबई सेंट्रल	गांधीधाम	17.00	29.1.2001	23.10	30.1.2001
13.	सिकंदराबाद	राजकोट	19.20	30.1.2001	24.00	1.2.2001
14.	इलाहबाद	अहमदाबाद	17.00	31.1.2001	00.30	2.2.2001
15.	मुंबई सेंट्रल	गांधीधाम	23.45	1.2.2001	09.20	2.2.2001
16.	मुंबई सेंट्रल	गांधीधाम	23.15	1.2.2001	05.25	3.2.2001
17.	जयपुर	अहमदाबाद	09.15	3.2.2001	03.25	4.2.2001
18.	वड़ोदरा	गांधीधाम	02.10	4.2.2001	20.50	4.2.2001
19.	पटना	अहमदाबाद	15.40	5.2.2001	17.30	7.2.2001

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में स्थिरता

338. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में स्थिरता आ गई; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार रही है :–

	मिलियन मीट्रिक टन	प्रतिशत वृद्धि
1998-99	90.56	7.4
1999-2000	97.09	7.2

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि लगभग 2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

आई पी सी एल का आई ओ सी को हस्तांतरण

339. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई पी सी एल को बडौदा इकाई को आई ओ सी को हस्तांतरित करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आई पी सी एल की अन्य दो इकाइयों की संभावित स्थिति क्या होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई पी सी एल) के विनिवेश के मामले में पहले के निर्णय के आंशिक संशोधन में सरकार ने निर्णय लिया है कि इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की गुजरात रिफाइनरी के साथ सहयोगिता रखने वाला आई पी सी एल का वदोदरा संयंत्र समुचित मूल्यांकन के बाद इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड को अंतरित कर दिया जाए। शेष आई पी सी एल का विनिवेश पहले लिए गए निर्णयानुसार, 25 प्रतिशत इक्विटी की कार्यनीतिक बिक्री के माध्यम से किया जाए।

[हिन्दी]

खम्भालिया रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

340. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान प्रैस क्लब ऑफ जाग-खम्भालिया की ओर से खम्भालिया रेलवे स्टेशन से संबंधित पत्र और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां, खम्भालिया रेलवे स्टेशन पर ओखा-देहरादून एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को ठहराव देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) और (ग) खम्भालिया स्टेशन इस समय 5 जोड़ी गाडियों द्वारा सेवित है, जो इस स्टेशन पर प्राप्त मौजूदा यातायात के स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं,

खम्भालिया स्टेशन पर ओखा-देहरादून एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को ठहराव देने की जांच की गई है, लेकिन अहमदाबाद से आगे दिल्ली की तरफ के स्टेशनों के लिए टिकटों की बहुत कम बिक्री के कारण इसे वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्य पूर्ण नहीं पाया गया, इसके अलावा इस गाड़ी के ठहरावों को बढ़ाने से उसकी रफ्तार मंद होगी, जो यात्रियों के समग्र हित में नहीं होगा।

लखनऊ-गोरखपुर रेल लाइन का दोहरीकरण

341. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत आने वाली लखनऊ-गोरखपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) अब तक इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और भविष्य में कितनी धनराशि खर्च किये जाने का अनुमान है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) लखनऊ से बाराबंकी पहले से ही दोहरी लाइन है। बुढ़वल से जारवाल रोड और जारवाल रोड से गोंडा तक दोहरीकरण का कार्य टुकड़ों में किया जा रहा है।

(ख) संशोधनों की उपलब्धता के आधार पर यह कार्य 10वीं योजना के भीतर कर लिया जाएगा।

(ग) क्रमश: 26.08 करोड़ रुपए और 119.91 करोड़ रुपए।

रांची, झारखंड के लिए रसोई गैस की आवश्यकता

342. श्री राम टहल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड राज्य के रांची जिले में इस समय रसोई गैस की अनुमानित मासिक आवश्यकता और आपूर्ति की क्या स्थिति है

(ख) उक्त जिले में रसोई गैस की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रसोई गैस की आपूर्ति के मामले में उक्त जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) झारखंड राज्य के रांची जिले में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के पास पंजीकृत एल पी जी ग्राहकों की अनुमानित मासिक आवश्यकता लगभग 1700 एम टी है। तेल विपणन कंपनियों ने इस जिले में किसी बैंकलाग की सूचना नहीं दी है। इस जिले में पंजीकृत ग्राहकों की मांग कमोवेश रूप से पूर्णतया पूरी की गई है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के पास विभिन्न विपणन योजनाओं के अंतर्गत इस जिले में 10 नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजनाएं हैं।

जल विद्युत और ताप विद्युत का उत्पादन

343. श्री शिवराजसिंह चौहान : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान जल विद्युत और ताप विद्युत का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) राज्यों में मांग के मुकाबले में विद्युत की कितनी कमी है;

(ग) इस कमी को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) वर्ष 1197-98 से 1999-2000 तक देश में ताप विद्युत और जल विद्युत केन्द्रों का राज्य-वार उत्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) अप्रैल, 2000-जनवरी, 2001 के दौरान विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। देश में विद्युत की कमी को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं ताकि विद्युत की मांग और पूर्ति के बीच अंतर को पूरा किया जा सके।

(i) आवश्यक पारेषण नेटवर्क स्थापित करके विद्युत का अंतर-क्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना।

(ii) विद्युत उत्पादन को अधिकतम बनाने के लिए ताप विद्युत और जल विद्युत स्टेशन की विद्यमान पुरानी यूनिटों का जीवन विस्तार और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।

(iii) कम निर्माणावधि वाली विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(iv) मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा संवर्धन उपाय।

(v) विविध उपाय करके पारेषण व वितरण हानियों में कमी लाना।

(vi) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र भागेदारी को प्रोत्साहित करना।

(vii) लघु और सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने तथा तेज गति से जल विद्युत शक्यता का दोहन करने के लिए अगस्त, 1998 में जल विद्युत नीति को तैयार किया जाना।

(viii) पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना और प्रणाली की पुनर्संरचना में सुधार लाना।

(ix) विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना व सुधार।

(x) सन् 2012 तक लगभग एक लाख मे०वा० की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता को दोगुना करना।

(घ) नौवीं योजना अर्थात् 1997-2002 के लिए योजना आयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र के संबंध में 124526.41 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसके केन्द्रीय क्षेत्र में 53299.41 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 71227 करोड़ रुपये शामिल हैं।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा उत्पादन
(1997-98 से 1999-2000)

ताप विद्युत व न्यूक्लीयर				जल विद्युत			
केन्द्र क्षेत्र	लक्ष्य (मि०यू०)	वास्तविक (मि०यू०)	लक्ष्य %	केन्द्र क्षेत्र	लक्ष्य (मि०यू०)	वास्तविक (मि०यू०)	लक्ष्य का %
1	2	3	4	5	6	7	8
एनटीपीसी	413734.0	458919.0	110.9	बीबीएमबी	42044.0	46336.0	110.2

1	2	3	4	5	6	7	8
एनएलसी	49266.0	51757.0	105.1	एनएचपीसी	34937.0	35683.0	102.1
डीवीसी	29076.0	28572.0	98.3	डीवीसी	1445.0	1405.0	97.2
नीपको	4504.0	4411.0	97.9	नीपको	4929.0	3402.0	69.0
केन्द्रीय क्षेत्र ताप विद्युत	496580.0	543659.0	109.5	कुल जल विद्युत केन्द्रीय क्षेत्र	83355.0	86826.0	104.2
कुल							
राज्य क्षेत्र (ताप विद्युत)				राज्य क्षेत्र (जल विद्युत)			
डीवीबी	10454.0	9449.0	90.4	डीवीवी	0.0	0.0	
ज० एवं क०	211.0	65.0	30.8	ज० एवं क०	3093.0	2682.0	86.7
एचपीजीसी	14342.0	14820.0	103.3	एचपीजीसी	876.0	979.0	111.8
आरएसईबी	29028.0	29290.0	100.9	एचपीएसईबी	5331.0	5049.0	94.7
पीएसईबी	48383.0	47082.0	97.3	पीएसईबी	13402.0	12351.0	92.2
यूपीएसईबी	81195.0	72426.0	89.2	आरएसईबी	4799.0	4130.0	86.1
जीईबी	93183.0	86666.0	93.0	यूपीएचपीसी	20900.0	21549.0	103.1
जीएसईसीएल	4610.0	4479.0	97.2	जीईबी	5370.0	4073.0	75.8
एमएसईबी	162478.0	155091.0	95.5	एमएसईबी	14785.0	13889.0	93.9
एमपीईबी	72595.0	73113.0	100.7	एमपीईबी	9015.0	9204.0	102.1
अपजेनको	76578.0	78591.0	102.6	अपजेनको	33893.0	30389.0	89.7
एपी गैस पीसी	4732.0	6480.0	136.9	केपीसीएल	1774.0	1510.0	85.1
टीएनईबी	73031.0	69988.0	95.8	केईबी	1774.0	1510.0	85.1
पांडिचेरी	384.0	324.0	84.4	केरल	27321.0	24562.0	89.9
केमीसीएल	27750.	26761.0	96.4	टीएनईबी	18593.0	1445.0	104.6
केईबी	2730.0	2425.0	88.8	बीएसईबी	1206.0	875.0	72.6
केरल एसईबी	2885.0	1678.0	58.2	उड़ीसा	17600.0	15277.0	86.8
बीएसईबी	8840.0	8345.0	94.4	डब्ल्यूबीएसईबी	1396.0	1446.0	103.6
तेनुघाट	5300.0	5253.0	99.1	सिक्किम	319.0	124.0	38.9
उड़ीसा पीजीसी	9590.0	10841.0	113.0	मेघालय	1851.0	2343.0	126.6
डब्ल्यूबीएसईबी	13245.0	13044.0	98.5	त्रिपुरा	199.0	224.0	112.6
डब्ल्यूबीपी – डीईवीसी	24040.0	24793.0	103.1	अरुणा० प्र०	62.0	53.0	95.5
डीपीएल	3265.0	2778.0	85.1				
एएसईबी	5208.0	37700.0	71.0				
त्रिपुरा	1225.0	998.0	81.5				
कुल एसईबी	775282.0	748480.0	96.5	कुल एसईबी	219305.0	210090.0	95.8
कुल निजी	138014.0	122136.0	88.5	कुल निजी	6121.0	5545.0	90.6

विवरण-II

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति
अप्रैल, 2000-जनवरी, 2001 की अवधि

(सभी आंकड़े % में)

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	ऊर्जा कमी	व्यस्ततमकालीन कमी
1	2	3
उत्तरी		
चंडीगढ़	0.1	0.0
दिल्ली	4.7	13.3
हरियाणा	2.0	3.3
हि०प्र०	1.8	0.0
जम्मू एवं कश्मीर	12.9	16.8
पंजाब	1.7	2.0
राजस्थान	3.3	2.9
उ०प्र०	14.0	15.0
उ०क्षे०	6.7	8.6
पश्चिमी		
गुजरात	10.0	11.5
म०प्र०	11.2	25.3
महाराष्ट्र	11.5	18.4
गोवा	12.5	10.5
प०क्षे०	11.0	19.1
दक्षिणी		
आंध्र प्रदेश	7.3	12.0
कर्नाटक	9.2	6.4
केरल	6.7	3.6
तमिलनाडु	7.6	8.3
द०क्षे०	7.7	8.6
पूर्वी		
बिहार	5.8	14.1
डीवीसी	-2.1	-1.8
उड़ीसा	-3.7	-2.2
पं० बंगाल	-1.4	10.0
प०क्षे०	-0.7	3.1
अरूणाचल प्रदेश	-2.5	0.0
असम	-9.3	-2.7
मणिपुर	0.8	3.3
मेघालय	-9.0	-5.7
मिजोरम	-3.5	1.4
नागालैंड	-3.4	0.0
त्रिपुरा	-6.4	0.7
उ०पू०क्षे०	-7.4	-1.6
अखिल भारत	7.6	11.6

[अनुवाद]

पंजीकरण शुल्क का संग्रह

344. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पूर्व-अर्हता प्राप्त निविदा-दाताओं और मान्यताप्राप्त ठेकेदारों से पंजीकरण शुल्क प्राप्त कर लिया है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1998 से पहले कितने निविदाकर्ताओं और ठेकेदारों से वापस न किया जाने वाला पंजीकरण शुल्क और वार्षिक शुल्क नहीं लिया गया है और इनमें कितनी धनराशि संलिप्त है;

(घ) इस धनराशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या इन चूकों की जांच करने का कोई प्रस्ताव है और जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) मंत्रालय की मौजूदा नीति के अनुसार पूर्व अर्हता पाने के इच्छुक निविदाकारों से न लौटाए जाने वाला शुल्क प्रभारित किया जाता है। विभिन्न कोटियों में अनुमोदित ठेकेदारों के रूप में पंजीकरण चाहने वाले ठेकेदारों से पंजीकरण शुल्क वसूल करना अनिवार्य नहीं है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्रों की स्थापना

345. श्री रामानन्द सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और कुल कितने विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) राज्य में इस समय विद्युत की कुल मांग और आपूर्ति कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) मध्य प्रदेश में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को गत तीन वर्षों के दौरान चालू किया गया है :–

परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)
विन्ध्याचल एसटीपीपी चरण-2 (यूनिट-7 और 8)	2×500 मे०वा०
संजय गांधी विस्तार टीपीपी (यू-1 से 3)	420 मे०वा०
राजघाट एचईपी (यू 1 व 3)	45 मे०वा०
1997-98	44598 मि०यू०
1998-99	46709 मि०यू०
1999 2000	48256 मि०यू०

(ख) त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एपी एंड एसपी) स्कीम के अंतर्गत, जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 4% ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन ने मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के विभिन्न विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु 645.32 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।

(ग) जनवरी, 2001 के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, विद्युत आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है :–

ऊर्जा आवश्यकता	3734 मि०यू०
ऊर्जा उपलब्धता	3216 मि०यू०
कमी	518 मि०यू० (13.9%)
व्यस्ततमकालीन मांग	6409 मे०वा०
व्यस्ततमकालीन पूर्ति	5101 मे०वा०
कमी	1308 मे०वा० (20.4%)

मूगा और ऐरी रेशम का संवर्धन

346. श्री एम० के० सुब्बा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन० डी०पी०) के सहयोग से असम, मेघालय और नागालैंड में मूगा और ऐरी रेशम उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा इसमें केन्द्रीय भागीदारी कितनी है और इसके अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने यू०एन०डी०पी० के सहयोग से वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए यू०एन०डी०पी० देशीय सहयोग ढांचागत कार्य-1 के फाईबर तथा हस्तशिल्प कार्यक्रम के अंतर्गत असम, मेघालय, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में गैर-शहतूती रेशम जैसे तसर, मूगा और ऐरी के विकास का एक उप-कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का कुल परिव्यय 11.99 करोड़ रुपये है (यू०एन०डी०पी० का अंश 800.08 लाख रुपये+भारत सरकार का अंश 398.2 लाख रुपये)। इस उप-कार्यक्रम के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में, रोजगार का सृजन, निर्धनता में कमी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। इस उप-कार्यक्रम के उद्देश्य उच्चकोटि के अण्डों के उत्पादन में बढ़ोतरी और उनका वितरण, कृषकों को विशेषतौर पर महिलाओं के लिए कुशलता उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, रेशम की रीलिंग, कताई व प्रसंस्करण सहित कोया पूर्व तथा पश्चात प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करना और उद्यमशीलता के दोहराऐ जाने योग्य आदर्श प्रदान करना, डिजाईन उन्नयन, विपणन और मानव संसाधन विकास हैं।

एर्णाकुलम जंक्शन पर रेल परिसर का निर्माण

347. श्री वी०एम० सुधीरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस समय विभिन्न छोटे-छोटे अपर्याप्त भवनों/शेडों में कार्यरत सभी कार्यलयों को एक ही स्थान पर लाने के लिए एर्णाकुलम जंक्शन पर रेल भवन परिसर का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"के-राइड" का कार्यकरण

348. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त उद्यम कंपनी के-राइड ने कर्नाटक में कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और के-राइड द्वारा कितना धन जुटाया गया है;

(ग) कर्नाटक में रेलवे और राज्य सरकार द्वारा पहचान की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कंपनी ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निश्चित की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) और (घ) प्रस्तावित कंपनी द्वारा निष्पादन किए जाने के लिए प्रारंभ में निम्नलिखित चार परियोजनाओं की पहचान की गई है :–

1) हुबली-अंकोला नई लाइन

2) मोलापुर-गडग आमान परिवर्तन

3) हसन-मंगलौर आमान परिवर्तन

4) गुंतकल-होसपेट दोहरीकरण

इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

पोर्टब्लेयर में फॉर इस्टर्न कमांड

349. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 जनवरी, 2001 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'फॉर इस्टर्न कमांड एट पोर्ट ब्लेयर ऑन एनविल' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के अनुसार 'हाइसर्विस फॉर कमांड' के गठन को हरी झंडी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नये कमांड के अन्तर्गत कुल कितना कार्य क्षेत्र है;

(घ) इस कमांड के गठन के पीछे क्या विचार है; और

(ङ) इस पर कुल कितना वार्षिक व्यय होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) इस समय, 1977 में स्थापित फोरट्रस कमांडर अंडमान व निकोबार द्वीपों में रक्षा सेनाओं और तट-रक्षक बलों की संक्रिया का समन्वय करता है। इसका उन्नयन करके इसे फार ईस्टर्न नौसेना कमान किए जाने के एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का पुनरूद्धार

350. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शेखपुरा, लखीसराय, किऊल और बिहार के अन्य जिलों में रेलवे स्टेशन जीर्ण-शीर्ण हालत में है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्टेशनों के पुनरूद्धार के लिये कोई योजना बनायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं, जिनका पुनरूद्धार किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यात्री सुख सुविधाओं का उन्नयन रेलवे के मशीनरी एवं चल स्टाक कार्यक्रम के जरिए स्वीकृत कार्यों द्वारा किया जाता है, जिसे प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) बिहार राज्य में आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत उन्नत सुविधाएं मुहैया करने के लिए दानापुर, भागलपुर, गया, नालंदा, मोकामा, पटना, छपरा जं., मोतिहारी, बरौनी जं., दरभंगा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर जं., हाजीपुर जं., समस्तीपुर, सीवान जं., कटिहार स्टेशनों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। बिहार राज्य के अन्य स्टेशनों पर सुख सुविधाओं के इसी प्रकार के कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं।

(घ) बिहार राज्य तीन क्षेत्रीय रेलों अर्थात् पूर्व, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा द्वारा सेवित है। निधियां क्षेत्रीय रेलवे वार आबंटित की जाती हैं जिन्हें आगे क्षेत्रीय रेलों द्वारा मंडल वार आबंटित किया जाता है। खर्च के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

विद्युत आपूर्ति ठप्प हो जाना

351. श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड के ठप्प हो जाने से 2 जनवरी, 2001 को समूचे उत्तरी रेलवे जोन में विद्युत आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कुल कितना घाटा हुआ है और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिये क्या निवारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) यह 2.1.2000 को उत्तरी क्षेत्र ग्रिड, जो कि रेल मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं है, में खराबी आ जाने के कारण हुआ।

(ग) बिजली फेल हो जाने के कारण 118 गाड़ियों का समयपालन प्रभावित हुआ।

(घ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह रेल मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

रेलगाड़ियों के किन्हीं स्थानों पर ठहराव और रेलगाड़ियों में कुछ अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु संसद सदस्यों का अनुरोध

352. **श्री रामजी मांझी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत 6 महीनों के दौरान रेलगाड़ियों के विभिन्न स्थानों पर ठहराव सुनिश्चित करने के लिये संसद सदस्यों से लिखित अनुरोध प्राप्त हुए हैं?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गया नहीं रुकती हैं जबकि अन्य दो राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रुकती हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त रेलगाड़ियों को गया में रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) क्या संसद सदस्यों ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में बिस्तरों की खराब सुविधा/स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन आदि के बारे में भी शिकायत की है; और

(च) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में बेहतर सुविधायें और अच्छा भोजन उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और **(ख) जी हां, गाड़ियों के ठहरावों** के लिए अनुरोधों का प्राप्त होना एक सतत् प्रक्रिया है। इनकी जांच की जाती है और व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाए जाने के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) राजधानी गाड़ियां प्रमुख सेवाएं हैं जो प्रारंभिक और गंतव्य स्टेशनों के बीच न्यूनतम परिवहन समय में ध्रु-यात्रियों के लिए निर्धारित की गई हैं। चूंकि गति और समय प्रमुख तत्व होते हैं और केवल कुछ मध्यवर्ती ठहरावों की व्यवस्था की जाती है और ये भी दूर-दूर होते हैं।

(ङ) और (च) रेलवे ने लम्बी दूरी की गाड़ियों में एल्यूमिनियम कैसरोल में पैकड पूर्व निर्धारित दरों पर पका हुआ पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने सहित भोजन की गुणवता में सुधार करने के उद्देश्य से कुछेक नीतियां आरंभ की है और स्वास्थ्यकर बनाए रखने के लिए ट्रे में परोसा जाता है। विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण किए जाते हैं और शिकायत के मामले में सख्त कार्रवाई की जाती है।

माजुली द्वीप का विकास

353. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री एम०के० सुब्बा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम के ब्रह्मपुत्र में माजुली द्वीप को राष्ट्रीय धरोहर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्ययोजना बनाई गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा असम में ब्रह्मपुत्र में माजुली द्वीप का पर्यटक रिजार्ट के रूप में विकास करने के लिए संभाव्यता अध्ययन करने हेतु वर्ष 2000-2001 के दौरान असम राज्य सरकार को पहले ही 10.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा 5.00 लाख रु० की राशि रिलीज कर दी गई है।

उड़ीसा से प्राप्त रेल परियोजनायें

354. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में अब तक उड़ीसा से प्राप्त रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं पर कब तक काम शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

355. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 दिसम्बर, 2000 को हुई बैठक में बिहार और झारखण्ड राज्यों में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विशेष पैकेज हेतु ज्ञापन सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार की इन दोनों राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु मंजूर की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मंजूर न की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में मंजूरी न देने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी हाँ। बी०एस०ई०बी० द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में निहित प्रस्ताव के अन्तर्गत आर०ई०सी० को देय ब्याज तथा दण्ड ब्याज को फ्रीज करने तथा आर०ई०सी० द्वारा इसे माफ करने के बारे में विचार किया गया। इसमें मूल बकाये का 10 वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का प्रस्ताव भी है।

(ग) और (घ) 31.12.2000 के अनुसार इस समय बी०एस० ई०बी० द्वारा आर०ई०सी० को कुल बकाया क्रय एवं देय 431.79 करोड़ रु० है, जिसमें से 132.97 करोड़ रु० मूल तथा 298.82 करोड़ रु० ब्याज है, इसमें 66.90 करोड़ रु० का दण्ड ब्याज भी शामिल है। ग्राम विद्युतीकरण निगम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी०एस०ई०बी०) द्वारा भारी चूक (डिफाल्ट) के कारण बिहार को कोई राशि वितरित करने में समर्थ नहीं हो सका है। आर०ई०सी० देय के भुगतान में लगातार चूक (डिफाल्ट) के कारण आर०ई०सी० ने 1996-97 में बी०एस०ई०बी० को 40.83 करोड़ रु० के ऋण परिव्यय से ग्राम विद्युतीकरण की 39 नई परियोजनाएँ मंजूर की। बहरहाल, वे ऋण दस्तावेज तैयार नहीं कर सके और न ही सरकारी गारंटी दे सके। अतएव, मंजूर दावों के मुकाबले ऋण की निकासी नहीं हो सकी। सरकार ने 2000-2001 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए आर०ई०सी० के जरिए राशि देने की पुरानी प्रथा के बजाय सीधे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को 37.67 करोड़ रु० की राशि आबंटित की।

बकाया देय राशि के मुद्दे का समाधान करने और ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु बिहार के लिए नए सिरे से ऋण प्रवाह प्रारंभ करने के लिए आर०ई०सी० ने कई अवसरों पर अपनी बकाया राशियों का पुन: कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें बकाया राशियों के आंशिक भुगतान को एकमुश्त नकद राशि में प्रदान करना तथा शेष मूल राशि व ब्याज को पारस्परिक रूप से सहमत वर्षों की संख्या में भुगतान करने का पुन: कार्यक्रम बनाना शामिल है। बकाया राशियों के पुनर्कार्यक्रम बनाने के बारम्बार प्रस्तावों और प्रदान की गई अनुकूल शर्तों के बावजूद भी बी०एस०ई०बी० ने इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई और विगत कई वर्षों से वह लगातार चूक करता रहा है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड के बकाया ऋणों पर केवल 9.71% वार्षिक साधारण ब्याज दर (प्रभारित औसत) देय है। जबकि भारत सरकार आर०ई०सी० को वर्ष 93-94 से 12% वार्षिक दर पर (2.75% वार्षिक की दर से अतिरिक्त दण्ड ब्याज सहित) निधियाँ प्रदान करती है। इसके अलावा आर०ई०सी० के लिए बाजारी स्रोतों की निधियों की ब्याज लागत 11.50% से 12% वार्षिक आती है। यद्यपि बी०एस० ई०बी० को दिए गए ऋणों 9.71% वार्षिक की प्रभारित औसत ब्याज दर में 2.75% वार्षिक का दण्ड ब्याज शामिल है। फिर भी, कुल 12.46% वार्षिक ब्याज से केवल निगम की निधियों की लागत ही पूरी होती है।

ब्याज तथा पैनल ब्याज को समाप्त करने तथा हटाने के अनुरोध के संबंध में यह कहा जा सकता है कि आर०ई०सी० एक वित्तीय संस्थान के रूप में अपने ऋण प्रदान करने के प्रचालनों को करने के लिए भारत सरकार सहित विभिन्न स्रोतों से नकदी उगाहती है और इसे वचनबद्धताओं के अनुरूप मूल राशि तथा ब्याज के लिए सरकार तथा बाजार के अन्य ऋणदाताओं को भुगतान की अपनी देयता का निरंतर रूप में निर्वाह करना होता है।

विद्युत मंत्री ने बिहार के सांसदों के साथ 11 दिसम्बर, 2000 को एक बैठक का भी आयोजन किया ताकि बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण तथा विद्युत क्षेत्र विकास की मंद गति को सुधारने के बारे में उनसे परामर्श करके उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकें। इस बैठक में, इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि एक कार्यकारी व्यवस्था को शीघ्र ही तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिसके अनुसार बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम आगे बढ़ सके और उसके साथ-साथ आर०ई०सी० कुछ समय में अपनी बकाया राशियों की वसूली करने योग्य हो सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार से निधियाँ प्राप्त करने की आर०ई०सी० की क्षमता प्रभावित न हो। बैठक के पश्चात् विद्युत मंत्री ने इस मामले को बिहार की मुख्यमंत्री के साथ भी उठाया है जिसमें उन्होंने लंबित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए उन्हें आमंत्रित किया है ताकि इनका समाधान किया जा सके। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रतिक्षित है।

[हिन्दी]

यात्रियों को परेशान किया जाना

356. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुरक्षा के नाम पर तलाशी लेते समय सूटकेस आदि खुलवाकर सुरक्षाकर्मियों द्वारा यात्रियों को परेशान किया जा रहा है, और उन्हें लूटा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बिना सामान खुलवाये गोपनीय तलाशी सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं, यात्रियों को परेशान करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

357. श्री सुबोध मोहिते :
डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे की खाली भूमि और स्थलों का वाणिज्यिक उपयोग हेतु कोई कोई कार्य; योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने ऐसी भूमि और स्थलों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी भूमि और स्थलों के प्रयोग हेतु क्या मानदण्ड नियत किये गये हैं;

(ङ) क्या जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को ऐसी भूमि और स्थल निर्मुक्त करने हेतु विवेकाधीन अधिकार दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है :

मध्य रेलवे	थाणे, कल्याण, दादर, कुर्ला, करनाक बंदर
पूर्व रेलवे	सियालदह(नई इमारत), सियालदह(पुरानी इमारत), हावड़ा स्टेशन, साल्ट गोला(कोलकाता), विधान नगर स्टेशन, ओल्ड डायमंड हर्बर, जाधवपुर स्टेशन
उत्तर रेलवे	नई दिल्ली, चाणक्य पुरी, विधान सभा मार्ग/लखनऊ, निराला नगर(कानपुर), दिल्ली सराय रोहिल्ला, सहारनपुर, कानालामपुर यार्ड, (सहारनपुर), अम्बाला कैंट स्टेशन, चण्डीगढ़, किशनगंज टी.ए. आफिस, पी आर एस बिल्डिंग (चारबाग लखनऊ),
पूर्वोत्तर रेलवे	बादशास नगर (लखनऊ)
पूर्वोत्तर सीमा	सिलिगुड़ी उजान बजार (गुवाहाटी)
दक्षिण रेलवे	चेन्नै सेंट्रल स्टेशन, एमटीपी स्टेशन (चेन्नै), बेंगलुरू कैंट, कोयंबतूर जं., सेलम मतूर, कोविल पट्टी, ओडानचातरम, चेन्नै बीच, माउंट रोड बुकिंग आफिस (चेन्नै), विक्टोरिया क्रिसेंट (चेन्नै)
दक्षिण मध्य रेलवे	सिकंदराबाद, हैदराबाद, बेगमपेट स्टेशन, ओल्ड, गोदावरी रेलवे स्टेशन, एफ एंड ए सी ए ओ आफिस के पास भूमि (सिकंदराबाद)
दक्षिण पूर्व रेलवे	आद्रा, टाटीचेटलापेलम और चावूलामडम (विशाखापट्टनम)
पश्चिम रेलवे	अंधेरी, बोरीबली, बांद्रा, ओल्ड जामनगर स्टेशन
मेट्रो रेलवे कोलकाता	मेट्रो मुख्यालय और मेट्रो रेलवे (कोलकाता) के स्टेशन

(घ) और (ङ) महाप्रबंधकों को 4 महानगरों के अलावा 1000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र की सीमा तक वाणिज्यिक स्वरूप की छोटी योजनाओं का निष्पादन करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। उन्हें मैसर्स राइट्स/मैसर्स इरकॉन, रेलवे के दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संपत्ति के विकास से संबंधित अध्ययनों/परामर्श प्रदान करने के लिए भी 50 लाख प्रति मामलें की सीमा तक बशर्ते कि वर्ष में 2.5 करोड़ रुपए से अधिक न हों, प्राधिकृत किया जाता है।

(च) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग का विनिश्चय व्यावसायिक अध्ययन के आधार पर किया जाता है जिससे रेलें संपत्ति से संभावित प्रतिफल और लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति

358. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विद्युत वित्त निगम किस प्रकार राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति सुधारने में सहायता कर रहा है;

(घ) विद्युत वित्त निगम द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को कितनी सहायता दी गई; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति किस सीमा तक सुधरी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हाँ। अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड बराबर हानि में हैं। वर्ष 1998-99 के लिए रा०वि० बोर्डों के वित्तीय निष्पादन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। रा०वि० बोर्डों की हानि के लिए उत्तरदायी मूल कारक निम्नानुसार हैं:-

(1) बिजली की चोरी,

(2) अत्याधिक पारेषण व वितरण हानियाँ,

(3) गैर वाणिज्यिक ढाँचा, जो आपूर्ति लागत को पूरा नहीं करता है और कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु भारी सब्सिडी देना पड़ता है।

(4) विभिन्न रा०वि० बोर्डों के ताप विद्युत संयंत्रों की कम क्षमता/पी०एल०एफ०।

(ग) से (ङ) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी०एफ०सी०) रा०वि० बोर्डों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है ताकि विद्युत क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहित किया जा सके और उनका पुनर्गठन किया जा सके। तकनीकी सहायता में अन्य बातों के साथ साथ ये शामिल हैं :- हानि में कमी के लिए पारेषण तथा वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रणाली विकास, ऊर्जा ऑडिट और मीटरिंग के जरिए गणना, बिलिंग एवं संग्रह, संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसे वितरण प्रबंधन आदि। पी०एफ०सी० द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

में शामिल है : राज्यों की निवेश योजनाओं के आधार पर वित्त सहयोगी, चुनींदा परियोजनाओं के लिए रियायती क्रय, रेट ऑफ रिटर्न आदि पर राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए पात्रता शर्तों में शिथिलता और प्रचालनात्मक तथा वित्तीय कार्य योजनाओं (ओ०एफ०ए०पी०) आदि की जरूरत।

गत 3 वर्षों के दौरान पी०एफ०सी० द्वारा रा०वि० बोर्डों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

पी०एफ०सी० द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का लक्ष्य उप-पारेषण, वितरण प्रणालियों तथा ऊर्जा ऑडिट का सुदृढ़ीकरण करना है ताकि बिजली की चोरी को रोका जा सके। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए पी०एफ०सी० की सहायता का लक्ष्य है :– टैरिफ का यौक्तिकरण, विद्युत चोरी की रोक, उन्नत मीटरिंग के जरिए नकद प्रवाह में वृद्धि, बिलिंग एवं संग्रह क्षमता और संयंत्र भार घटक में सुधार।

विवरण–I

वर्ष 1998-99 के दौरान रा०वि० बोर्डों की वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

क्र० रा०वि०बोर्ड सं०	पूंजी आधार अर्थात वर्ष 1998-99 के आरंभ में प्रयुक्त स्थाई परिसम्पतियों का मूल्य	आर्थिक सहायता समेत कमी/ अधिशेष	लेखों में अंकित आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता समेत कमी/ अधिशेष	आर्थिक सहायता के साथ आरओआर (%)	बिना आर्थिक सहायता के आरओरआर का (%)
1. एपीएसईबी (ए)	4513.09	112.83	2074.66	-1961.83	2.50	-43.47
2. एएसईबी (यू)	953.72	-549.76	52.33	-602.09	-57.64	-63.13
3. बीएसईबी (यू)	1326.57	-2522.47	483.07	-3005.54	-190.15	-226.56
4. जीईबी (ए)	4209.00	126.45	2092.88	-1966.43	3.00	-46.72
5. एचएसईबी (ए)	1487.54	-271.47	96.53	-368.00	-18.25	-24.74
6. एचपीएसईबी (ए)	637.76	-6.27	0.00	-6.27	-0.98	-0.98
7. केईबी (ए)	2233.07	66.99	914.79	-847.80	3.00	-37.97
8. केएसईबी (ए)	1291.72	38.75	301.71	-262.96	3.00	-20.36
9. एमपीईबी (ए)	3897.74	116.93	1723.65	-1606.72	3.00	-41.22
10. एमएसईबी (ए)	8358.83	376.15	355.14	21.01	4.50	0.25
11. एमईएसईबी (ए)	196.94	-23.29	9.50	-32.79	-11.83	-16.65
12. पीएसईबी (ए)	2435.22	50.90	927.88	-876.98	2.09	-36.01
13. आरएसईबी (ए)	2193.38	65.80	1196.46	-1130.66	3.00	-51.55
14. टीएनईबी (ए)	5819.44	334.94	1076.22	-741.28	5.76	-12.74
15. यूपीएसईबी (ए)	9988.51	410.64	2157.55	-1746.91	4.11	-17.49
16. डब्ल्यूएसईबी (ए)	703.10	-717.79	186.36	-904.15	-102.09	-128.59
सभी रा०वि०बोर्ड	50245.63	-2390.67	13648.73	-16039.40	-4.76	-31.92

ए – लेखापरीक्षित यू – गैर लेखापरीक्षित

विवरण-II

पीएफसी द्वारा विद्युत यूटीलिटियों का प्रदान किया गया ऋण

1. रुपए ऋण

ए. आवधिक ऋण

(लाख रु० में)

उधारकर्त्ता	1997-98 के दौरान	1998-99 के दौरान	1999-2000 के दौरान
1	2	3	4
एएसईबी			4474
अपजेनको			16393
अपट्रान्सको			7642
एपीएसईबी	8713	15017	
बीएसईएसएल		4750	
डीपीएल	377	3050	4284
डीवीसी			1508
जीईबी	1358	1250	1820
गोवा सरकार	9	372	984
हरियाणा सरकार	92	215	1210
हि०प्र० सरकार	6	13	72
मणिपुर सरकार			
मिजोरम सरकार		1171	32
नागालैंड सरकार	2584	1266	1402
राजस्थान सरकार	40	74	650
जीआईपीसीएल	92	292	
ग्रिडको	2723	5477	2108
जीएसईसीएल	5000	20000	
एचपीएसईबी	1593	2909	9614
एचपीजीसीएल		8339	18552
एचएसईबी	1579		0
एचवीपीएनएल		176	487
जय प्रकाश हाइड्रो		6000	3000
केईबी	8681	16790	
कोंडापल्ली पावर		2500	14149
केपीसीएल	18516	14273	8210
केपीटीसीएल			15382
केएसईबी	5129	2482	613
एमईएसईबी	3		
एमपीईबी	22901	22391	25816
एमएसईबी	42025	42915	37390
एनजेपीसी			13800
नीपको			13558
ओएचपीसी	7097	11328	7196
ओपीजीसीएल	179	165	
पीएसईबी	34133	17060	4378
आरएसईबी	22678	22489	21911
श्री महेश्वर		2000	2463
टीएनईबी	10410	14496	17277
यूपीजेवीएनएल			
यूपीआरवीयूएनएल			4022
यूपीपीसीएल			638
यूपीएसईबी		5155	
डब्ल्यूएनएल			1847
डब्ल्यूबीपीडीसीएल			
डब्ल्यूबीएसईबी	3025	2182	279
कुल (ए)	198944	246617	264959
ख. कार्यशील पूंजी ऋण			
अपजेनको			17000
जीईबी			10000
ग्रिडको			1943

1	2	3	4
पंजाब		5000	24000
आरएसईबी	5000	13000	7000
कुल (ख)	5000	18000	59943
ग. बिल रियायत			
भेल/आरजेनको			5000
भेल जीईबी	3050		
कुल (ग)	3050		5000
घ. कम वित्त			
एपीएसईबी	256	9	462
एमपीएसईबी	322	107	63
कुल घ	578	1166	525
II. विदेशी मुद्रा ऋण			
एपीएसईबी	54		
एचपीएसईबी			
टीएनईबी			
बीएसईएस केरल पावर			9993
कुल (II)	54		9993
कुल(I-II) जोड़	207626	264733	340420

विभिन्न किस्मों के कपास का आयात

359. श्री पुष्प जैन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उच्च गुणवत्ता के लंबे रेशे वाले और अन्य किस्मों की कपास की किस्म-वार और देश-वार कितनी मात्रा में आयात की गयी और उनका मूल्य क्या था; और

(ख) कपास आयात के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कपास (अपशिष्ट कपास सहित) की मात्रा निम्न अनुसार है :–

मात्रा : हजार टन में मूल्य : करोड़ रु० में

1997-98 (अक्तूबर-सितंबर)		1998-99 (अक्तूबर-सितंबर)		1999-2000 (अक्तूबर-सितंबर)	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
45.8	313.73	101.2	578.72	325.8	1659.07

स्रोत : फोरन ट्रेड स्टेटिक्स आफ इण्डिया

अधिकांशत: लम्बे रेशे और अत्यधिक लम्बे रेशे वाली कपास का भारत में आयात किया जाता है। जिन प्रमुख देशों से कपास का आयात किया जाता है, वे हैं आस्ट्रेलिया, मिस्र, सूडान, टर्की, उजबेकिस्तान, सं. राज्य अमेरिका और पश्चिम अफ्रीकी देश।

(ख) कपास का आयात, अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता मापदण्डों और मूल्य संबंधी अवधारणाओं पर निर्भर करता है।

आबूधाबी की अल-महल के साथ गेल का समझौता

360. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबूधाबी के अल-महल समूह ने गेल के साथ गोपालपुर उड़ीसा से आंध्र प्रदेश में एल एन जी टर्मिनल तक एल०एन०जी० की ढुलाई हेतु उत्तरी और दक्षिणी भारत में 1.5 बिलियन मूल्य की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु कोई बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो इस सौदे की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम की इस उद्यम में प्रस्तावित हिस्सेदारी क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1998 के अंत और 1999 के आरंभ में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने उड़ीसा में गोपालपुर से आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक गैस पाइपलाइन पद्धति के विकास के लिए मैसर्स वावासी आयल और गैस इंडिया लिमिटेड व आबूधाबी की मैसर्स अल-मनहल के साथ केवल प्राथमिक चर्चाएं की थीं। यह परियोजना प्रारंभिक चरण में है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आई बी पी. में शेल की हिस्सेदारी

361. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 2001 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "शेल कीन ऑन बाइंग स्टेक इन आईबीपी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण उक्त आईबीपी लिमिटेड के निजीकरण का फैसला करना पड़ा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने सितंबर, 1996 में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ-साथ आई बी पी कं० लिमिटेड का मामला सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग को भेजा था। इस आयोग के नवंबर, 1997 में सरकार को प्रस्तुत अपनी पांचवी रिपोर्ट में आई बी पी की 33.9 प्रतिशत समांशता का किसी कार्यनीतिक क्रेता के पक्ष में विनिवेश करने की सिफारिश की थी। सरकार ने कार्यनीतिक विक्रय के माध्यम से 33.6 प्रतिशत समांशता के विनिवेश तथा 26 प्रतिशत समांशता अपने पास रखने के लिए अक्तूबर, 2000 में सिद्धांत: अनुमोदन दे दिया है।

अग्नि-2 और लक्ष्य की स्थिति

362. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री सी० कुप्पुसामी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किस तारीख को अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र और चालकरहित लक्ष्य/निशांत का अंतिम बार परीक्षण किया गया और उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिये ये तैयार हैं;

(ग) यदि हां, तो ये प्रणालियां कब तक पूरी संचालन हेतु तैयार हो जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो आज की तारीख के अनुसार इन परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र अग्नि 2 का दूसरा उड़ान परीक्षण उड़ीसा स्थित रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की परीक्षण रेंज से 17 जनवरी, 2001 को किया गया। परीक्षण संक्रियात्मक संरूपण में था और मिशन उद्देश्यों को पूर्णत: पूरा किया गया। चालकरहित लक्ष्यभेदी वायुयान 'लक्ष्य' जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, की परीक्षण उड़ानों की कोई योजना नहीं है। वायुसेना ने 11 नवंबर, 2000 को बालेश्वर में संक्रियात्मक प्रशिक्षण उड़ान आयोजित की थी। वायुसेना स्टेशन, येलहंका में 7 फरवरी, 2001 से 10 फरवरी, 2001 तक एयरो इंडिया 2001 के भाग के रूप में आयोजित हवाई प्रदर्शन के दौरान युद्धक्षेत्र टोह संबंधी मानवरहित हवाई वाहन, निशांत की तीन उड़ानें भरी गई थीं। ये उड़ानें सफल हुईं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों वैमानिकी विशेषज्ञों द्वारा फ्लाइट ऐनवेलप और रीअल टाइम वीडियो इमेजरी अवलोकन किया गया था।

(ख) से (घ) 'लक्ष्य' को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। निशांत को भारतीय सेना के लिए विकसित किया जा रहा है और प्रयोक्ता परीक्षण फरवरी, 2001 में शुरू होने की संभावना है। निशांत का उत्पादन उसे शामिल करने और उसके संचालन की कार्रवाई प्रयोक्ता परीक्षण पूरे होने के बाद की जाएगी। अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का सीमित उत्पादन शुरू हो गया है और इसे 2001-2002 के दौरान शामिल किए जाने की योजना है।

कांडला पत्तन से तेल का रिसाव

363. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी, 2001 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "अर्थक्वेक काउजेज मेजर आयल स्लिक ऑफ कांडला पोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल का और ज्यादा गहराई तक रिसाव हो रहा है और यह समुद्र में तेजी से फैल रहा है;

(घ) क्या तेल रिसाव वाणिज्यिक पोतों से हो रहा है या भूमिगत टैंक फट गये हैं और तेल समुद्र में फैल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, और

(च) ऐसी पारिस्थितिकी की समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) हिन्दुस्तान टाइम्स के समाचार के अनुसार भूकम्प के कारण कांडला पत्तन में तेल की कोई चिकनाई नहीं थी।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

संसद और विधानसभाओं का नियत कार्यकाल

364. **श्री शिवाजी माने :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद् और राज्य विधान सभाओं के लिए कार्यकाल नियत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों से कोई मलाह-मशवरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम फैसला ले लिये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी

365. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों के साथ मिलकर विद्युत परियोजनाओं को चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनाएं क्रियान्वयन हेतु लंबित पड़ी हैं जिनके संबंध में राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र अब भी जारी नहीं किए गए हैं;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र को ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने में हो रही देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार को ये प्रमाण पत्र कब तक मिल जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं देश में राज्य सरकारों के साथ कार्यान्वयनाधीन हैं :–

1. नाथपा-झाकरी जल विद्युत परियोजनाएं (6×250 मे०वा०) (हिमाचल प्रदेश) भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम)।

2. टिहरी जल विद्युत परियोजनी चरण-1 (4×250 मे०वा०) उत्तर प्रदेश भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम।

3. इंदिरा सागर जल विद्युत परियाजना (8×125 मे०वा०) मध्य प्रदेश") एन०एच०पी०सी० और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम)।

4. ओंकारेश्वर (520 मे०वा०) मध्य प्रदेश (एन०एच० पी०सी० और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम)।

संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निम्नलिखित परियोजनाओं के निष्पादन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे :–

1. लखवर व्यासी चल विद्युत परियोजना (420 मे०वा०) (उत्तर प्रदेश) अब उत्तरांचल)।

2. मनेरी भाली चरण-2 (304 मे०वा० (उत्तर प्रदेश में) अब उत्तरांचल)।

ये परियोजनाएं अब उत्तरांचल राज्य में स्थित हैं। इन परियोजनाओं पर उत्तरांचल सरकार का विचार अपेक्षित है।

(ख) से (घ) परियोजनाओं के विकास संबंधी संयुक्त उद्यम राज्यों के साथ संबद्ध राज्य सरकारों के परामर्श में लिया गया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश

366. श्री मंजय लाल :
श्री अरुण कुमार :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्त दलित वर्ग के न्यायाधीशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में दलित वर्ग के न्यायाधीशों का अनुपात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुरूप नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नियुक्ति भारत में संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है जिनमें किसी जाति या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है। अतः,

जाति या वर्ग आदि की बाबत कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

तथापि, सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को समय-समय पर पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि वे बार से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

अंकोला-हुबली रेल लाइन का निर्माण

367. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक में अंकोला से हुबली तक रेल लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित लागत क्या है और उसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) क्या उस लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 991.91 करोड़ रुपए है और 2000-01 के दौरान मुहैया कराया गया परिव्यय 6 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) कार्य के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अभिग्रहण इस समय प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

कार्य में तेजी लाने के लिए रेलवे और कर्नाटक सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए जाने वाले स्पेशल परपज व्हीकल (एस०पी०वी०) के माध्यम से शेष कार्य शुरू करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं इस एस०पी०वी० की स्थापना के लिए तौर-तरीकों का हल निकाला जा रहा है।

राज्यों पर एन०एच०पी०सी० की बकाया राशि

368. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और 31 अगस्त, 2000 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन०एच०पी०सी०) को देय राज्य-वार कुल बकाया राशि कितनी है;

(ख) भुगतान किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन०एच०पी०सी०) ने राज्य-वार राज्य सरकारों से कुल कितनी राशि वसूल की; और

(घ) भुगतान न करने वाले राज्यों से नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की बकाया राशि की वसूली के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 31 अगस्त, 2000 को राज्य सरकारों द्वारा एन०एच०पी०सी० को देय बकाया राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) चूककर्ता राज्यों द्वारा बकाया राशियों के भुगतान में विलंब का प्रमुख कारण राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति है।

(ग) 1999-2000 के दौरान एन०एच०पी०सी० द्वारा राज्य सरकारों से वसूल की गई राज्य-वार कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एन०एच०पी०सी० की बकाया राशियों की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(i) 31 दिसम्बर, 1996 तक की बकाया राशियों की वसूली वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को आबंटित केन्द्रीय योजना की सहायता से की जा रही है।

(ii) चूककर्ता लाभभोगियों को बॉण्ड जारी करके/प्रतिभूतिकरण/नकद भुगतान के द्वारा वार्ता तय समझौते के जरिए सरचार्ज सहित अपनी बकाया राशियों का परिसमापन के लिए तैयार किया जा रहा है। एन०एच०पी०सी० समझौते की शर्तों के आधार पर सरचार्ज के एक हिस्से को छोड़ सकता है।

(iii) वर्तमान बकाया राशियों की वसूली के लिए चूककर्ता को साख-पत्र खोलने के लिए कहा जा रहा है।

(iv) वर्तमान भुगतानों के लिए बेहतर रियायतों का प्रस्ताव है।

विवरण-I

31.8.2000 के अनुसार एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएचपीसी को देय बकाया

क्र०सं०	लाभार्थी	31.3.98 के अनुसार			31.3.99 के अनुसार			31.3.2000 के अनुसार			31.8.2000 के अनुसार		
		मूल	अधिभार	कुल	मूल	अधिभार	कुल	मूल	अधिभार	कुल	मूल	अधिभार	कुल
1.	पीएसईबी	7091.89	7964.00	15055.89	8448.25	11617.47	20065.72	11484.98	14009.30	25494.28	14124.32	15399.09	29523.41
2.	एचवीपीएनएल	36080.57	22249.00	58329.57	32334.39	36611.71	68946.10	38554.65	44631.49	83186.14	42231.56	49252.10	91483.66
3.	एचपीएसईबी	1770.36	807.00	2577.36	4122.01	1368.83	5490.84	4641.71	2168.60	6810.31	4120.02	2703.93	6823.95
4.	डीवीबी	13409.05	9310.00	22719.05	19142.40	16168.82	35311.22	22699.25	20779.94	43479.19	23749.26	23478.64	47227.90
5.	ज० एवं क०	9529.64	8823.00	18352.64	24918.21	13841.66	38769.87	45047.55	19434.00	64481.55	53956.57	24745.07	78701.64
6.	यूपीपीसीएल	43865.17	11170.00	55036.17	53930.37	29373.66	83304.03	36923.65	42692.04	79615.69	40137.73	47519.03	87656.76
7.	आरएसईबी	1777.48	3146.00	4923.48	2045.34	5578.03	7623.37	12235.63	1350.00	13585.63	10838.59	1215.75	12054.34
8.	चंडीगढ़	514.09	124.00	638.09	105.56	323.29	428.85	529.49	411.39	940.88	529.38	466.00	995.39
9.	मणिपुर	259.71	1297.00	1556.71	290.84	43.00	333.84	863.33	431.64	1294.97	1103.56	513.18	1616.75
10.	नागालैंड	270.64	13.00	283.64	419.13	21.23	440.36	550.71	126.55	677.26	537.93	178.24	716.17
11.	असम	55.23	3238.00	3182.77	52.97	21.11	74.09	80.59	21.11	101.70	6.38	21.11	27.49
12.	नीपको	92.18	759.00	851.18	92.18	758.72	850.90	92.18	758.72	850.90	92.18	758.72	850.90
13.	त्रिपुरा	8.63	214.00	222.63	243.12	129.05	372.17	278.42	174.28	452.70	370.41	203.37	573.77
14.	मिजोरम	44.69	70.00	114.69	242.47	25.40	267.87	200.47	45.15	245.62	266.10	64.10	330.20
15.	अरुणाचल प्रदेश	85.72	1.00	86.72	42.00	1.40	40.60	156.63	13.59	170.22	208.97	28.87	237.84
16.	मेघालय	78.75	21.00	99.75	171.32	61.05	232.37	232.61	100.08	332.69	164.49	120.59	258.08
17.	डब्ल्यूबीएसईबी	-0.08	1692.00	1691.92	0.08	1470.16	1470.08	0.08	1164.16	11640.08	345.72	1164.16	1509.88
18.	डीवीसी	17.82	2098.00	2115.82	17.82	2117.27	2135.09	0.00	0.00	0.00	142.39	0.00	142.39
19.	बीएसईबी	24.16	2942.00	2966.16	0.84	3308.99	3308.15	0.84	2941.99	2914.15	815.25	2914.99	3730.24
20.	ओएसईबी	86.88	1113.00	1199.88	86.88	1150.97	1237.85	89.64	1174.64	1264.28	742.51	1174.64	1917.14
21.	सिक्किम	-8.85	26.00	17.15	8.85	25.51	16.66	8.85	25.51	16.66	480.80	25.51	506.31
	कुल	114943.27	77077.00	192020.27	146589.54	123972.31	270561.85	174490.54	152384.94	326875.48	194951.35	171904.89	366856.23

Scanned by CamScanner

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान वसूली का विवरण

(फरवरी, 2000 तक आपूर्ति की गई उर्जा तथा मार्च 2000 तक प्राप्त किए गए भुगतान के लिए)

(लाख रु० में)

क्र० सं०	लाभभोगी	1999-2000 के दौरान प्राप्त भुगतान
1.	पीएसईबी	22769.09
2.	एचएसईबी	15800.97
3.	एचपीएसईबी	2993.54
4.	डीवीबी	12949.38
5.	जम्मू एवं कश्मीर	1698.00
6.	यूपीएसईबी	38944.39
7.	आरएसईबी	10847.91
8.	चंडीगढ़	2561.34
9.	मणिपुर	0.00
10.	नागालैंड	88.48
11.	असम	793.60
12.	नीपको	0.00
13.	त्रिपुरा	366.09
14.	मिजोरम	247.67
15.	अरूणाचल	55.00
16.	मेघालय	46.35
17.	डब्ल्यूबीएसईबी	306.00
18.	डीवीसी	1115.72
19.	बीएसईबी	394.00
20.	ग्रिडको	0.00
21.	सिक्किम	0.00
	कुल	109967.53

नोट : यूपीपीसीएल द्वारा बॉण्ड जारी करके 3000 करोड़ रुपये की प्राप्ति की गई है।

रेल मार्ग में परिवर्तन किया जाना

369. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से बंगलौर और दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी तमिलनाडु से बंगलौर के बीच चलाई जाने वाली रेल गाड़ियों का मार्ग जोलारपेट और बंगारूपेट के वर्तमान मार्ग को बदल कर धर्मपुरी और होसूर बी.जी.लाइन से करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां, इस संबंध में माननीय सांसद श्री पी.डी. एलानगोवन सहित कुछ लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) फिलहाल धरमपुरी तथा होसूर के रास्ते मार्ग बदल कर अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वस्त्र निर्यातकों की कठिनाइयां

370. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यातकों के लिए वचन पत्र या आगे की तारीख वाले चैकों को बैंक गारंटी, डिमांड ड्राफ्ट या सावधि जमा पत्र से प्रतिस्थापित करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति में बदलाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या परिधान और हथकरघा निर्यातक एसोसिएशन ने सरकार से नीति की समीक्षा के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो संशोधित नीति से सहमत होने में निर्यातकों ने कौन सी मुख्य समस्याएं व्यक्त की हैं; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.धनंजय कुमार) : (क) से (ङ) दिनांक 20-11-2000 को, एक अधिसूचना अपीलीय निकायों द्वारा जारी ई एम डी /बी जी जब्ती आदेशों के विरुद्ध अपीलों को निर्धारित करने वाले प्रावधानों को कारगर बनाने के लिए जारी की गयी है। अधिसूचना में यह निर्धारित किया गया है कि कोटा संचालन करने वाले प्राधिकारी द्वारा ई एम डी/ बी जी की जब्ती से क्षुब्ध निर्यातक अपील दायर कर सकते हैं यदि वे जब्ती की राशि का खर्च देने के लिए बैंक गारंटी/फिक्स्ड डिपोजिट/डिमांड ड्राफ्ट देते हैं। साथ ही, विधिक वचन (एल यू टी) की प्रस्तुति की सुविधा उन पात्र निर्यातकों को दी गई है जिन्होंने निर्दिष्ट समय के भीतर उन पर लगाए गए जब्ती के जुर्माने का भुगतान कर दिया है। अधिसूचना का उद्देश्य सरकारी राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने तथा साथ ही पात्र निर्यातकों द्वारा एल यू टी सुविधा की प्राप्ति में व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करने के दो उद्देश्यों को पूरा करना है। हालांकि अपैरल और हथकरघा निर्यातक संघ ने माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नई में इस प्रावधान की पूर्वव्यापि को चुनौती दी है तथा मामला विचाराधीन है।

Scanned by CamScanner

[हिन्दी]

जूट का निर्यात

371. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में, किन किन किस्मों के और कितने रुपये मूल्य के जूट का निर्यात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें निर्यात किया गया और चालू वर्ष के लिए अनुमानित निर्यात कितना है;

(ख) इसके निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित पटसन उत्पादों की मात्रा, किस्म और मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन प्रमुख देशों को भारतीय पटसन का सामान निर्यात किया गया है, वे है :– सं०रा० अमेरिक, बेल्जियम, यू०के०, जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया, घाना, टर्की, मिस्र और सऊदी अरब।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान हुए निर्यात की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्यात में मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, बंग्लादेश से समग्र प्रतिस्पर्द्धा के कारण निर्यात में पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि भारत की तुलना में उनकी निर्माण लागत कम है।

(ग) सरकार पटसन के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इसमें पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जे०एम०डी०सी०) माध्यम से क्रियान्वित की जा रही बाहय बाजार सहायता योजना के अंतर्गत सहायता शामिल है। परिषद विशेषीकृत वस्त्र मेलों क्रेता बिक्रेता बैठकों तथा संपर्क संवर्धन कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है जिसमें यार्न, खाद्य ग्रेड के पटसन उत्पादों, फलोर कवरिंग्ज आदि जैसे क्षमतावान पटसन उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

विवरण

पटसन सामान का निर्यात

मात्रा : हजार मीटर टन
मूल्य : रु०/मिलियन

पटसन उत्पाद की किस्म/ श्रेणी	1997-98 (अप्रैल-मार्च)		1998-99* (अप्रैल-मार्च)		1999-2000* (अप्रैल-मार्च)		2000-2001** (अप्रैल-दिस० 00)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हिसैन	103.5	2942.42	65.3	1993.86	शून्य	2246.27	50.5	1840.34
सैकिंग	17.9	405.79	8.0	204.49	शून्य	103.91	13.2	423.26
सी बी सी	13.5	406.98	15.3	468.76	शून्य	274.86	4.7	137.79
यार्न	95.4	2319.68	69.5	1854.00	शून्य	2361.16	58.6	1544.99
जे डी पी	शून्य	641.84	शून्य	933.77	शून्य	775.22		650.00
अन्य	8.5	229.87	11.6	368.01	शून्य	650.42	9.6	254.20
कुल	238.7	6946.58	169.7	5822.89	शून्य	6411.84	136.5	4850.58

*अनन्तिम
**अनुमानित

[अनुवाद]

सी०एन०जी० की कमी

372. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 2001 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "सी एन जी" शारटेज डिस्ट्रप्ट्स लाइफ इन कैपिटल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में सी एन जी पाइपलाइनों में आग लगने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं के कारण किस सीमा तक सी एन जी की आपूर्ति बाधित हुई है;

(ङ) क्या सी एन जी की आपूर्ति का किसी वैकल्पिक प्रणाली पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी हां।

(ख) यह आग आर०के० पुरम में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन पर हुई टूट फूट के कारण लगी थी, जो इस क्षेत्र में प्रकाशीय तन्तुक-लिकायें बिछाते समय मेसा प्राधिकारियों के संविदाकार द्वारा किए गए अनुप्रस्थ दिशपरक वेधन के कारण हुई थी, जिससे दुर्घटनावश प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में छेद हो गया था।

(ग) जी, हां। पाइपलाइन के समीप अनधिकृत खुदाई की रोकथाम करने के लिए इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की चौबीस घंटे निगरानी तथा लाइन पेट्रोलिंग की जाती है। ऐसी आग की दुर्घटना को रोकने के लिए अधिक दबाव वाली गैस पाइपलाइन के आस-पास विभिन्न सार्वजनिक उपयोजिताओं के द्वारा अनुमत खुदाई क्रियाकलापों के विषय में सूचना गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है। किसी आग दुर्घटना की स्थिति में आपूर्ति विच्छेद करने के लिए कई अंत:निर्मित रोक थाम उपाय हैं।

(घ) इस आग दुर्घटना के पश्चात बारह घंटे के लिए केवल उपांतिक रूप से संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में व्यवधान हुआ था।

(ङ) संपीडित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मोबाइल कैस्केड के माध्यम से भी हो सकती है।

(च) उपर्युक्त "ग" के अनुसार ही।

[हिन्दी]

तेल कंपनियों की तेल शोधनशालाएं

373. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तेल कंपनियों के स्वामित्व में कंपनीवार कितनी तेल शोधनशालाएं हैं,

(ख) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक तेल शोधनशाला की स्थिति क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार इन तेल शोधनशालाओं के प्रबंधन के पुनर्गठन का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) विभिन्न तेल कंपनियों के स्वामित्व वाली 17 रिफाइनरियां निम्नानुसार हैं :–

सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियां

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०एल०)	–	7
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी० एल०)	–	2
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल)	–	1
चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सी०पी०सी०एल)	–	2
कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (के०आर०एल०)	–	1
बोगाइगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी०आर०पी०एल०)	–	1
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एन०आर०एल०)	–	1

संयुक्त क्षेत्र/निजी तेल कंपनियां

मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एल०आर०पी०एल)	–	1
रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आर०पी०एल)	–	1

(ख) सभी रिफाइनरियां संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की अपनी तरह की अलग रिफाइनरियों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है। इस करार के तहत चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सी०पी०सी०एल०)) और बोगाइगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी०आर०पी०एल०) को इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०एल०) और कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (के०आर०एल०) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एन० आर०एल०) को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०) को सहायक कंपनियां बनाया जाएगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस से संबंधित सुरक्षा पहलू

374. श्री ए० ब्रहमनैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस कंपनियां रसोई गैस के ग्रामीण उपभोक्ताओं को सुरक्षा पहलुओं संबंधी समुचित प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान देश में रसोई गैस सिलेंडरों के विस्फोट की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) क्या इन सिलेंडरों को और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु कोई प्रयास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन सिलेंडरों को और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु अपनाई जाने वाली नई तकनीक क्या है; और

(ङ) रसोई गैस कंपनियां उन उपभोक्ताओं को कितनी क्षतिपूर्ति करती है जो रसोई गैस के प्रयोग से दुर्घटनाग्रस्त हुए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां और उनके एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर एल पी जी उपभोक्ताओं के लाभार्थ नियमित रूप से एल पी जी सुरक्षा क्लिनिक आयोजित कर रहे हैं। एल पी जी सुरक्षा क्लिनिकों और इससे संबंधित ऐसे कार्यक्रमों के दौरान ग्राहकों को सुरक्षा के विभिन्न पहलू बताए जाते हैं। इसके अलावा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों को नए एल पी जी कनेक्शन जारी करते समय नए ग्राहकों को एल पी जी के उपयोग की विधि बताने/दिखाने के अनुदेश हैं।

(ख) तेल विपणन कंपनियों ने पिछले दो वर्षों और अप्रैल से दिसम्बर, 2000 के दौरान एल पी जी सिलेंडरों से संबंधित दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार सूचित की है :–

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1998-99	53
1999-2000	77
अप्रैल से दिसंबर, 2000	68

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां उन अनुमोदित सिलेंडर विनिर्माताओं से सिलेंडर प्राप्त कर रही हैं जिनके पास सी सी ओ ई और बी आई एस की सांविधिक अनुमोदन है। तेल उद्योग तकनीकी दल गुणवत्ता विनिर्देशों का पता लगाने के लिए सिलेंडर विनिर्माण इकाइयों का आवधिक निरीक्षण भी करते हैं।

(ङ) तेल क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने ग्राहकों/परिवहनकर्ताओं के हित में "बिना दोष की उत्तरदायित्व बीमा योजना" नामक बीमा नीतियां उद्योग आधार पर ले रखी हैं। इस नीति में घरेलू उपभोक्ताओं, डिस्ट्रीब्यूटरों और एल पी जी सिलेंडरों के परिवहन में लगे परिवहनकर्ताओं को शामिल करते हुए तीसरे पक्षकार के लिए कानूनी दायित्व और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

स्मारकों पर भूकंप का प्रभाव

375. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री अनन्त नायक :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 2001 को गुजरात और देश के अन्य भागों में आए भयंकर भूकंप से स्मारकों को पहुंची क्षति का विवरण क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे प्रत्येक स्मारक को पहुंची क्षति का आकलन करने हेतु प्रभावित राज्यों में कोई विशेषज्ञ दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन क्षतिग्रस्त स्मारकों के संबंध में कोई पुनरुद्धार योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो स्मारक-वार इनके पुनरुद्धार हेतु आवश्यक धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस पुनरुद्धार योजना को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है; और

(छ) भविष्य में भूकंप से स्मारकों को बचाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए भारी भूकंप से भिन्न-भिन्न मात्रा में नुकसान वहन करने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या इस प्रकार है :–

(1)	गुजरात	–	50
(2)	राजस्थान	–	1
(3)	संघ राज्य क्षेत्र दीव तथा दमन	–	2

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दो निदेशकों ने गुजरात में अहमदाबाद, डेलमल, मोंधेरा, पाटन और सरखेज में क्षतिग्रस्त स्मारकों का निरीक्षण किया है।

(घ) से (च) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को हुए नुकसान का मूल्यांकन किया गया है और वर्तमान संकेतों के अनुसार दो करोड़ से अधिक की धनराशि इनके संरक्षण के लिए आवश्यक होगी। इनके जीर्णोद्धार के लिए अपेक्षित समय लगभग दो वर्ष हो सकता है। प्रभावित स्मारकों के नाजुक हिस्सों को मजबूत करने और स्थापत्य अंशों को निकालने के उपाय शुरू किए गए हैं।

(छ) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण तथा परिरक्षण पुरातत्वीय मानदंडों के अनुसार किया जाता है। जब भी आवश्यक समझा जाता है, नाजुक स्मारकों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए विशेषज्ञ के विचार प्राप्त किए जाते हैं और यदि व्यावहारिक होता है तो सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाता है। गुजरात के भूकम्प प्रभावित स्मारकों का अध्ययन करने के लिए यूनेस्को ने एक विशेषज्ञ को प्रतिनियुक्त किया है।

इराक द्वारा कच्चे तेल की बिक्री

376. **श्री जी० एस० बसवराज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक ने भारत को कच्चे तेल की बिक्री जारी रखी है,

(ख) यदि हां, तो इराक द्वारा कितनी मात्रा में कच्चे तेल की आपूर्ति किए जाने की संभावना है, और

(ग) इराक द्वारा किस मूल्य पर कच्चा तेल देने का प्रस्ताव किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) इराकी क्रूड का भारत के लिए निर्यात संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित "भोजन के लिए तेल" योजना, जो 10 दिसंबर,1996 को आरंभ हुई थी, के अंतर्गत किया जाता है। अब तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित 8 छमाही "भोजन के लिए तेल" योजनाएं प्रचालित की गई है। इराक से बसरा लाइट कच्चे तेल की निम्नांकित मात्राएं आयात की गई हैं :—

वर्ष	मात्रा (मिलियन मीट्रिक टन में)
1996-97	0.17
1997-98	1.50
1998-99	1.50
1999-2000	1.16
2000-2001	1.50

(ग) अप्रैल से दिसंबर, 2000 तक के दौरान इराक से आयातित कच्चे तेल का औसत पोतपर्यन्त नि:शुल्क मूल्य 25.31 डालर प्रति बैरल था।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा जलपोतों की खरीद

377. **श्री पी०सी० थामस : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने पिछले दस वर्षों के दौरान कोई जलपोत खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलपोत खरीदने के संबंध में कोचीन शिपयार्ड या भारत के किसी अन्य सरकारी उपक्रम को कोई क्रयादेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय नौवहन निगम लि० ने पिछले दस वर्षों में 24 नए और 8 पुराने जलयानों का अधिग्रहण किया है।

(ग) जी हां।

(घ) भा०नौ०नि० ने पिछले दस वर्षों के दौरान कोचीन शिपयार्ड लि० से तीन क्रूड आयल टैंकरों और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० से पांच बल्क कैरियरों का पहले ही अधिग्रहण कर लिया है। इसके अतिरिक्त भा० नौ० नि० ने कोचिन शिपयार्ड लि० को एक क्रूड आयल टैंकर (एल आर-II आकार) के निर्माण का आर्डर भी दिया गया है।

[हिन्दी]

परिवारों का पुनर्वास

378. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षों से रेलवे भूमि पर या उसके आस-पास रह रहे परिवारों और व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए वर्तमान व्यवस्था क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति की समीक्षा की है और रेलवे भूमि पर रह रहे या व्यवसाय कर रहे लोगों और परिवारों को वहां से हटाया है; और

(ग) यदि हां, तो इनके पुनर्वास हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) रेलवे भूमि से अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं को हटाना एक सतत प्रक्रिया है। रेलों के पास अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं को अपनी भूमि से हटाकर उनके पुन: स्थापन और पुर्नवास के लिए कोई नीति नहीं है।

[अनुवाद]

कुतुब मीनार की मरम्मत

379. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुतुब मीनार के मरम्मत कार्य में मूल लिपी को कायम नहीं रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) लिपि की मौलिकता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुतुब मीनार का संरक्षण तथा मरम्मत कार्य करते समय उसमें उत्कीर्ण लिपि को मूलानुसार अनुरक्षित किया गया है।

(घ) कुतुब मीनार परिसर में पिछले तीन वर्षों के दौरान संरक्षण तथा मरम्मत कार्य पर हुआ व्यय निम्न प्रकार है :—

1997-98	रु० 12,88,037.00
1998-99	रु० 06,32,889.00
1999-2000	रु० 03,01,463.00

[हिन्दी]

रक्षा-उत्पादन में आत्म-निर्भरता

380. **श्री रामदास आठवले :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 के "दैनिक जागरण" के नई दिल्ली संस्करण में भारत में रक्षा उत्पादन की तथाकथित दयनीय दशा के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और उसके मित्र देशों के साथ रक्षा उपकरणों का आर्डर देते समय संभावित प्रतिबन्धों के संबंध में सही आकलन किया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भारत के रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की बड़ी परियोजनाओं पर पोखरन परीक्षण के पश्चात लगाये गये प्रतिबन्धों का अब तक क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीकी प्रतिबंधों का मुख्यत: थोड़ा प्रभाव रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के कुछ बड़े कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने पर पड़ा था। प्रथम प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (टी डी आई) हल्का युद्धक वायुयान (एल सी ए) का पहला उड़ान परीक्षण प्रतिबंधों के बावजूद सफलतापूर्वक किया गया था। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत बनाए जा रहे प्रक्षेपास्त्रों पर प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अन्य बड़ी परियोजनाओं पर भी संतोषप्रद रूप से कार्य किया जा रहा है।

(ग) और (घ) कुछ संघटकों और उप-प्रणालियों की अधिप्राप्ति के वैकल्पिक स्रोत विकसित कर लिए गए हैं जिनकी अधिप्राप्ति पर प्रतिबंधों की वजह से प्रभाव पड़ा है अथवा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ङ) रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विशेषज्ञता और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाओं, अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, अकादमियों और सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उद्योग में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रात्रि उड़ान हेतु भारतीय वायु सेना के एयर फिल्ड्स पर नई रोशनी व्यवस्था

381. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2.80 करोड़ रुपये के निवेश और 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद एयरफिल्ड रोशनी व्यवस्था को जो कि रात्रि उड़ान के लिए आवश्यक है, कुछ एयरफिल्ड्स में अब तक नहीं लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन एयरफिल्ड्स का ब्यौरा क्या है जहां इसे नहीं लागू किया गया है;

(ग) क्या इससे भारतीय वायु सेना को रात्रि उड़ान के दौरान मिट्टी के तेल से जलने वाली बत्तियों के उपयोग जैसी पुरानी व्यवस्था को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। यह सही है कि अण्डरग्राउण्ड केबलों और आईसोलेटिंग ट्रांसफार्मर्स के खराब हो जाने के कारण अब तक भारतीय वायुसेना के एक एयरफील्ड में एयरफील्ड रोशनी व्यवस्था की शुरूआत करना संभव नहीं हो पाया है।

(ख) कारनिकोबार स्थित भारतीय वायुसेना का एयरफील्ड।

(ग) रात्रि उड़ान के दौरान मिट्टी के तेल से जलने वाली बत्तियों का इस्तेमाल एक सुस्वीकृत परिपाटी है, जिसका संक्रियात्मक कारणों से एक उद्यत उपाय के रूप में भारतीय वायुसेना के उन एयरफील्डों में भी जहां कि सर्विसबेल एयरफील्ड रोशनी की व्यवस्था है, इस्तेमाल किया जाता है।

(घ) कारनिकोबार में रनवे के दोनों सिरों के विस्तार का कार्य प्रगति पर है जिससे रोशनी व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार रनवे के विस्तार के बाद एयरफील्ड की रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

लोहर दग्गा झारखंड में एलपीजी डीलर

382. **प्रो० दुखा भगत :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड के लोहारदगा जिले में एलपीजी वितरण केन्द्र खोलने का कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में एलपीजी वितरण केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्तमान में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की वितरण योजना। 1996-98 के अंतर्गत लोहारदगा जिला मुख्यालय में एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की योजना है।

(ग) और (घ) जी, हां। पहले की एल पी जी वितरण योजनाओं के अलावा सरकार ने देश के विभिन्न भागों में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए एल पी जी वितरण योजना 1997-2012 का अनुमोदन कर दिया है। इस मंत्रालय द्वारा गठित डीलर चयन बोर्ड पहले ही दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न वितरण योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन की परिक्रिया में संलग्न है। एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करने की प्रक्रिया में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया लगभग 9 से 12 महीने का समय लग जाता है।

[अनुवाद]

टेलीफोन तथा पानी की लाइनों को बिछाना

383. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में रेल लाइनों के नीचे टेलीफोन तथा पानी की लाइनें बिछाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त व्यवस्था को पूर्णत: उपयोगी और सुरक्षित पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त व्यवस्था को महाराष्ट्र में भी आरम्भ किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) रेल पथ तथा विभिन्न स्थापना और सरकारी विभागों के निकटवर्ती भूमि के स्वामी और कब्जा करने वालों की वास्तविक आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए रेलें कतिपय किराए का मार्गाधिकार सुविधाएं और भोगाधिकार बनाती है और उनका अनुरक्षण करती हैं, ऐसी सुविधाओं में पानी की पाइप लाइन टेलीफोन लाइन बिछाना शामिल है। यह सुविधा कतिपय शर्तों के अध्यधीन है जो रेलवे की सुरक्षा की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती है तथा सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, में प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

चालू रेलवे परियोजनाएं

384. श्री शिवराजसिंह चौहान :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि प्राप्त की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राशि का उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन विदेशी संस्थाओं को प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने कितनी राशि का भुगतान किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) निम्नलिखित चालू रेल परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता का उपयोग किया जा रहा है :–

(i) ए डी बी कर्ज (सं० 857 आई एन डी) का उपयोग हाई हॉर्स पावर बिजली के इंजन तथा इन इंजनों के देश में निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी स्थानांतरण की खरीद के लिए किया जा रहा है। ए डी बी कर्ज की कुल राशि यू एस डॉलर 181.40 मिलियन में से यू एस डॉलर 175.50 पहले से ही बांटे जा चुके हैं।

(ii) सऊदी फंड फॉर डेवलेपमेंट से कोरा पुट और रायगढ़ के बीच बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए आंशिक रूप से वित्त की व्यवस्था करने के लिए कर्ज (कर्ज सं. 3/188) लिया है। परियोजना की अंतिम प्रत्याशित लागत 475 करोड़ रुपए है। कर्ज की कुल राशि सऊदी रियाल 103.2 मिलियन लाख है जिसमें से सउदी रियाल 73.38 मिलयन पहले से ही बांटे जा चुके हैं।

(iii) क्रेडिटानस्टालट फुट वइडराफ्बयू (के एफ टब्ल्यू) जर्मनी ने गाजियाबाद और कानपुर के बीच सिगनल के आधुनिकीकरण परियोजना के लिए डी एम 185 मिलयन का कर्ज दिया है। यह कर्ज अभी तक आहरित नहीं किया गया है।

(iv) उपरोक्त के अलावा, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ई डी सी) कनाडा से 52 मिलियन अमरीकी डॉलर भारतीय रेल वित्त निगम (आई आर एफ सी) द्वारा उपयोग किया जा रहा है ताकि जनरल मोटर्स कार्पोरेशन, यू एस ए से हाई हॉर्स पावर डीजल बिजली माल गाड़ी इंजन के आयात

के लिए वित्तीय व्यवस्था करने तथा संबंधित प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण किया जा सके। इस ऋण में से 42.5 मिलियन अमरीकी डालरों का वितरण किया जा चुका है यह व्यावसायिक ऋण है जो केन्द्र सरकार के माध्यम से नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) एडीबी कर्ज बकाया अंसवितरित कर्ज पर प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत का प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान प्रदान करता है तथा इस कर्ज पर प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में यूस डालर 9.18 मिलियन की राशि अभी तक खर्च की जा चुकी है। एसएफडी कर्ज के अंतर्गत जो बकाया निकाला नहीं गया है उस पर किसी प्रकार का प्रतिबद्धता प्रभार का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इस कर्ज के अंतर्गत कोई भुगतान नहीं किया गया है। ईडीसी मे निर्यात क्रेडिट के अंतर्गत जो बकाया निकाला नहीं गया है पर कोई प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

स्लीपरों की खरीद में धोखाधड़ी

385. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय में रेलवे प्राधिकारियों की सांठ-गांठ से किसी न किसी तरह की धोखाधड़ी जारी है और कई वर्षों के बीत जाने के बाद भी इनमें से कई मामले जांचाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्लीपर घोटाले की जांच कर ली है और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) रेलवे से सभी प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने और इसकी कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने प्रस्तावित है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, यदि कोई शिकायत होती है तो उसकी रेलवे सतर्कता या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जाती है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामले की जांच स्व-प्रेरित होकर पर अथवा रेलों द्वारा दिए गए विशिष्ट संदर्भों के आधार पर कर सकती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, इस समय एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो लकड़ी के स्लीपरों की खरीद में अनियमितताओं की जांच कर रही है। एचटीएस तार, जो कि कंक्रीट स्लीपरों में इस्तेमाल की जाती है, की खरीद में अनियमितताओं की जांच-पड़ताल करने के लिए सितम्बर, 2000 में एक पत्र भेजा गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997 में पंजीकृत मामले के आधार पर हाई टेनसाइल स्टील वायर की खरीद में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पहले कुछ अनियमितताओं की जांच की गई थी, लेकिन जांच के बाद मामला बंद कर दिया गया था तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नवम्बर, 2000 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। बहरहाल, इस दौरान प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट के आधार पर जिसमें स्लीपरों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप शामिल है, सितम्बर, 2000 के केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले में जांच करने के लिए एक पत्र भेजा था।

(ङ) किसी अनियमितता का पता लगाने के लिए नियमित निवारक जांचें की जाती हैं और कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

प्रमुख पत्तन न्यासों में अध्यक्षों/ उपाध्यक्षों की नियुक्ति

386. **श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग और पत्तन अधिकारियों में से विभिन्न प्रमुख पत्तन न्यासों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों के चयन और नियुक्ति के लिए किन नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) क्या श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' पत्तनों के पत्तन अधिकारियों में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चयन और नियुक्ति हेतु नियमों को बार-बार परिवर्तित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे परिवर्तनों के कारण और उनका औचित्य क्या है;

(घ) क्या पत्तनों के निगमीकरण, निजीकरण और वाणिज्यीकरण के मद्देनजर इन पदों पर नियुक्ति के लिए पत्तन के अधिकारियों के मामलों पर विचार किए जाने की संभावना नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) केन्द्र सरकार में महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1) (क) और (ख) के अधीन महापत्तन न्यासों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के पदों पर नियुक्तियां करने की शक्तियां निहित है। केन्द्र सरकार ने इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने दिनांक 11-8-2000 के पत्र सं० ए-12022/1/2000-पी.ई.। के तहत उन दिशा निर्देशों को जारी किया है जिनका पालन ऐसे उम्मीदवारों की उपयुक्तता और पत्तनों की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्रीय सेवाओं/अखिल भारतीय सेवाओं अथवा पत्तन सेवा से लिए गए अधिकारियों की नियुक्ति करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चयन करने के लिए किया जाना है।

(ख) और (ग) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चयन और नियुक्ति के लिए 1986 में दिशा निर्देश तैयार किए गए थे जिन्हें पत्तन अध्यक्षों और पत्तन अधिकारियों से प्राप्त सुझावों पर यथोचित विचार करने के पश्चात बाद में 22.1.1987 और 15.7.1996 में संशोधित किया गया था। महापत्तनों में उच्चस्तरीय पदों की अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ख'

के सार्वजनिक उद्यमों के समकक्ष दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने के फलस्वरूप अगस्त, 2000 में नए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।

(घ) जब किसी महापत्तन के निगमीकरण के फलस्वरूप उसे कंपनी बनाया जाता है तो बोर्ड स्तर की नियुक्तियां सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड कि प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। तथापि, पत्तन अधिकारी आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

असम में क्षतिग्रस्त रेलवे पुलों की मरम्मत

387. श्री एम०के० सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि असम में प्रति वर्ष बाढ़ के बाद रेल पुलों को भारी क्षति होती है और वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें अच्छी दशा में बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान पुलों की मरम्मत पर कितना व्यय हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेल-पथ और पुलों की हालत पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है और ऐसी निगरानी बाढ़ के दौरान ज्यादा रखी जाती है, बाढ़ मे पुलों को किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी तुरंत मरम्मत की जाती है ताकि यथाशीघ्र यातायात बहाल किया जा सके। तत्पश्चात स्थायी पुनर्वास की योजना बनाई जाती है। इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाती है।

(ग) जनवरी, 2001 तक 8.12 करोड़ रुपए।

आई बी पी द्वारा ल्यूबरिकेन्ट्स कारोबार में विकास दर दर्शाना

388. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में आई बी पी ल्यूबरिकेन्ट्स के वार्षिक कारोबार में लगातार विकास दर दर्शाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में आई बी पी का कुल कारोबार कितना है;

(ग) क्या इसके कारण सरकार को पैट्रोलियम विपणन कंपनी, आई बी पी से 3.58 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निजी क्षेत्र द्वारा क्या रुचि दिखाई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्नेहकों की बिक्री और स्नेहकों की बिक्रीयों के संबंध में आई बी पी के कुल कारोबार का ब्यौरा निम्नवत् है :–

वर्ष	बिक्रियाँ (कि०ली०)	वृद्धि (प्रतिशत)	बिक्री कारोबार (करोड़ रुपये में)
1997-98	27091	10.6	116.37
1998-99	31423	16.0	143.87
1999-2000	35198	12.0	160.82

(ग) और (घ) आई बी पी के विनिवेश से सरकारी धन संग्रह, आई बी पी की विपणनीयता और इसकी समग्र कारबार शक्ति पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

बिहार में ऑपटिकल फॉइबर केबलों को बिछाना

389. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बिछाए गए ऑपटिकल फाइबर केबलों की लम्बाई क्या है;

(ख) उन रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है जहां अभी ऑपटिकल फॉइबर केबलें बिछाई जानी हैं; और

(ग) शेष क्षेत्रों में इन केबलों को कब तक बिछाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) बिहार (अविभाजित) में कुल 782 मार्ग किमी. आप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई हैं।

(ख) और (ग) परिचालनिक आवश्यकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर मार्गों में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। इस समय बिहार (अविभाजित) में ऐसे 782 मार्ग किमी, जिस पर पहले ही आप्टिकल फाइबर केबुल मौजूद है, के अलावा और 824 मार्ग किमी., के लिए यह कार्य स्वीकृत है और वहां यह कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

गड़क और गुलबर्ग के बीच नई रेल लाइन

390. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गड़क और गुलबर्ग के बीच बरास्ता, गजेन्द्रगड़, कुशगी और लिंगसुगर में नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कार्य को वर्ष 2000-2001 के दौरान आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस लाइन के लिए अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसके अलावा, संसाधनों की अत्यधिक तंगियों के कारण फिलहाल परियोजना पर विचार करना कठिन होगा।

कमजोर वर्गों से न्यायाधीशों की नियुक्ति

391. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कमजोर वर्गों के लोगों की सिफारिश करने का निर्देश दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न उच्च न्यायालयों में कमजोर वर्गों के लोगों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है, जिनमें किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण की बाबत कोई उपबंध नहीं है। विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पहल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। संविधान के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने के लिए निदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं।

तथापि, सरकार ने समय-समय पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखकर उनसे यह अनुरोध किया है कि वे बार से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से, ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त हों।

एर्णाकुलम-कायमकुलम रेल लाइन का दोहरीकरण

392. **श्री वी०एस० सुधीरन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एर्णाकुलम-कायमकुलम रेल लाइन को वरास्ता एलेप्पी और कोट्टायम दोनों लाइनों के दोहरीकरण को मंजूरी देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) एर्णाकुलम से कायमकुलम के बीच दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वह सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों की सुविधा

393. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बालासोर से बेरहमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर स्थित पेट्रोल पंप वाहन मालिकों को हवा भरने, जल तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार का इन पेट्रोल पंप मालिकों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : क और (ख) बालासोर और बेरहमपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर स्थित सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर वाहन मालिकों को मुफ्त जल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों में स्थान की कमी, पट्टादाताओं द्वारा न्यायालय में मामला ले जाने, पट्टागत समस्याओं तथा सड़क चौड़ी किए जाने, इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों से हवा तथा प्रसाधन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तेल विपणन कंपनियों के द्वारा ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों जहां हवा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, के डीलरों को यह खुदरा बिक्री केन्द्र तत्काल प्रचालनीय बनाने के लिए पत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं, जिसमें विफल होने पर तेल विपणन कंपनियों के द्वारा डीलरशिप करार के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विद्युत वितरण का पुनर्गठन और निजीकरण

394. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री राजीव प्रताप रूड़ी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत वितरण नेटवर्क और निजीकरण के बारे में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा निर्णय लेने से पूर्व इस मामले पर राज्य सरकारों की राय भी ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों का प्रत्युत्तर क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई कानून बनाए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) राज्य विद्युत बोर्डों (रा०वि०बो०) की खराब वित्तीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र का सुधार व पुनर्संरचना आवश्यक हो गया है। यह माना गया है कि विद्युत क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए वितरण क्षेत्र की व्यवहार्यता को पुन: बहाल करना मुख्य है। फरवरी, 2000 को आयोजित किए गए मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि सुधार कार्य निश्चय, उत्साह और अनिवार्य चेतना से आरंभ किए जाने चाहिए सुधार नीति के मुख्य घटक निम्न हैं :-

(क) सभी स्तरों पर ऊर्जा ऑडिट।

(ख) दिसम्बर, 2001 तक सी उपभोक्ताओं का समयबद्ध ढंग से शत-प्रतिशत मीटरिंग,

(ग) निर्धारित समयावधि में विद्युत चोरी में कमी एवं अंतत: इसका उन्मूलन।

(घ) उपकेन्द्रों को यूनिट के रूप में मानकर उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का प्राथमिकता आधार पर सुदृढ़ीकरण/उन्नयन।

यह निर्णय लिया गया है कि यदि मौजूदा व्यवस्था में उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाये, वितरण का निगमीकरण/सहकारीकरण/निजीकरण करना होगा।

उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों ने अपने सुधार कानूनों का अधिनियमन कर लिया है और अपने रा०वि० बोर्डों का विकेन्द्रीकरण कर लिया है। दिल्ली और मध्य प्रदेश ने अपने सुधार कानूनों को पारित कर दिया है। उड़ीसा ने वितरण का निजीकरण कर लिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली वितरण का निजीकरण करने की योजना रखते हैं। उत्तर प्रदेश ने कानपुर में वितरण का निजीकरण करने के लिए बोलियां आमंत्रित की है।

राज्यों द्वारा अपने सुधार कानूनों का अधिनियम करने की आवश्यकता और सुधार प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से विद्यमान विद्युत कानूनों को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नये कानून के संबंध में विभिन्न स्टेक-होल्डर के साथ विचार-विमर्श किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मैहर नगर में सड़क उपरि पुल का निर्माण

395. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर रेलवे मंडल के मैहर नगर में सड़क उपरि पुल के निर्माण के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या रेलवे का विचार व्यापक जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 में सड़क उपरि पुल के निर्माण का है;

(ग) क्या रेलवे ने इस सड़क उपरि पुल के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संसाधन अभाव के कारण अपना शेयर देने की असमर्थता के बाद किसी अन्य विकल्प पर विचार किया है;

(घ) क्या रेलवे का विचार लोक निर्माण विभाग की सहायता से बी.ओ.टी योजना के तहत सड़क उपरि पुल के निर्माण के लिए कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक इस सड़क उपरि पुल का निर्माण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) रेलों द्वारा निक्षेप शर्तों पर पुल खास के निर्माण के लिए मुख्य इंजीनियर (एन०एच०) मंडल, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ने 2.45 करोड़ रुपए का अनुमान स्वीकृत किया है। जैसे ही रेलों के पास मुख्य इंजीनियर (एन०एच०) लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा धन जमा कराया जाएगा, निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तरांचल में पेट्रोल पम्प

396. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल में 25,000 कि०मी० लंबी सड़कों के नेटवर्क की तुलना में कुल पेट्रोल पम्पों की संख्या नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में कुल कितने पेट्रोल पम्प हैं और कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) उन स्थानों का नाम क्या है जिनके लिए पेट्रोल पम्पों के आवंटन का विज्ञापन दिया गया है;

(घ) क्या इन स्थानों के लिए आवंटन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) विद्यमान नीति के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र परिमाण-दूरी

मानकों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में उत्तरांचल राज्य में 192 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन में है।

वर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए उत्तरांचल में 38 और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें स्थापित करने का प्रस्ताव है। निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें, विज्ञापन जारी करना, चयन बोर्डों के द्वारा आवेदकों का साक्षात्कार किया जाना तथा तत्पश्चात तेल कंपनियों के द्वारा आशय पत्र जारी किए जाना, इत्यादि सम्मिलित हैं, के अनुसार डीलरों के चयन की प्रक्रिया जारी है।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को नई परियोजनाओं के लिए जर्मन बैंक द्वारा ऋण

397. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रमुख जर्मन बैंक ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए शासकीय गारंटी की सामान्य शर्तों के बिना 300 मिलियन डालर का ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उक्त ऋण की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण के लिए निर्धारित शर्तें निगम द्वारा अमेरिका, यूरोप और जापान से आयात हेतु निर्धारित मानदण्डों के विरुद्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस ऋण को स्वीकार कर लिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उक्त बैंक द्वारा भारत को ऐसे ऋण कब तक दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (छ) जी, हाँ। राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम (एन एच पी सी) को आर्थिक सहयोग एवं विकास (ओ ई सी डी) देशों के लिए सभी यूरोपीय देशों/संगठनों में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं हेतु निर्यात ऋण हेतु एक जर्मन बैंक से 300 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा यूरो में इसके समान राशि के ऋण का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस प्रस्ताव के साथ संबंधित निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) द्वारा प्रदान की गई बीमा योजना तथा यदि ईसीए को आवश्यक हो तो अतिरिक्त समानांतर/बैंक गारंटी भी है। ऋण करार, करार पर हस्ताक्षर होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। प्रस्ताव में दर्शाई गई शर्तें एवं निबंधन निगम के मानदंडों के खिलाफ हैं।

नगर निगम द्वारा एकत्रित अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन

398. **श्री पी०डी० एलनगोवन** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में नगर निगम द्वारा एकत्रित ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन की अनुमति निजी फर्मों को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मौजूदा विद्युत परियोजनाओं और पिछले दो वर्षों के दौरान उनके कार्यनिष्पादन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विदेशी सहायता से/के बिना कार्यान्वित सरकारी और निजी क्षेत्र की इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना पर राज्यवार कुल कितना व्यय हुआ; और

(घ) सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, तमिलनाडु सरकार ने म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन के लिए चेन्नई में एक परियोजना की स्थापना हेतु मैसर्स एनर्जी डेवलपमेंट्स लिमि०, आस्ट्रेलिया की एक सहायक कंपनी मैसर्स ई डी एल इंडिया प्राइवेट लिमि०, नई दिल्ली नामक एक प्राइवेट फर्म को चुना है।

(ख) मैसर्स ई डी एल ने 142.30 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत पर प्रतिदिन लगभग 600 टन पृथक किए गए म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से 14.85 मे० वा० विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव किया है। यह संयंत्र स्टीम गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा। देश में ऐसी कोई अन्य विद्युत परियोजनाएं नहीं चल रही हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कोई ऐसी विद्युत परियोजनाएँ स्थापित नहीं की गईं।

(घ) सौर, पवन, बायोमास, लघु पनबिजली और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाओं की स्थापना हेतु राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन तथा उदार ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मंत्रालय अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए संवर्द्धनात्मक तथा राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत के लिए खरीद मूल्य के निर्धारण हेतु राज्य सरकारों को मार्ग-निर्देश जारी किए हैं।

एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन

399. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के पास एक ऐसा प्रस्ताव है जोकि पूर्णत: 'एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन पर केन्द्रित है;

(ख) यदि हां, तो एक ही क्षेत्र पर इसको केन्द्रित किए जाने के क्या लाभ हैं;

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम कंटेनर और पोत क्षेत्र से धीरे-धीरे हाथ खींच रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय नौवहन निगम द्वारा इन दोनों ही क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भा०नौ०नि० उन क्षेत्रों में जिनमें यह पहले से सेवा प्रदान कर रहा है, अपनी उपस्थिति में वृद्धि करने के लिए कंटेनर नौवहन क्षेत्र सहित नौवहन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले अवसरों की नियमित समीक्षा करता है। कंटेनर क्षेत्र में भा० नौ० नि० ने उपयुक्त प्रतिष्ठित भागीदारों के साथ संधि करके संयुक्त सेवाएं/पोत भागीदारी व्यवस्थाएं शुरू की हैं। भा० नौ० नि० अन्य बाजारों/रूटों में अपनी कंटेनर सेवाएं शुरू करने के लिए भी अवसरों का निरंतर पता लगाता है।

जहां तक ऊर्जा परिवहन का संबंध है, भा०नौ०नि० के पास पोतों का अत्यधिक विविध बेड़ा है जिसमें दोनों पारम्परिक क्षेत्रों जैसे तेल टैंकर और बल्क कैरियरों के टनभार के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्र जैसे एल पी जी, अमोनिया कैरियर, कैमिकल कैरियर आदि शामिल हैं। भा०नौ०नि० बेड़े के विस्तार और आधुनिकीकरण की नीति का अनुसरण कर रहा है ताकि भारतीय विदेशी/तटीय व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके तथा परस्पर व्यापार में भी भाग ले सके। भा०नौ०नि० ने भारत की एल एन जी की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एल एन जी की ढुलाई में भाग लेने हेतु संयुक्त उद्यम रूट को सफलतापूर्वक अपनाया है।

[हिन्दी]

पंढरपुर में एल पी जी और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति

400. श्री रामदास आठवले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंढरपुर जिले में एल पी जी और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग कितनी रही और इस जिले को तत्संबंधी कितनी वास्तविक आपूर्ति की गई;

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा तैयार की गई विपणन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान पंढरपुर जिले में एल पी जी, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में नए डीलरों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए तेल चयन बोर्ड का गठन किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के द्वारा पंढारपुर, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल तथा एल पी जी की मांग कमोवेश रूप से पूरी की गई थी। मिट्टी तेल की आपूर्तियां नागरिक आपूर्ति प्राधिकारियों के आवंटन/निर्देशों के अनुसार रहीं।

(ग) वर्तमान में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने पंढारपुर में एक मिट्टी तेल/लाइट डीजल आयल डीलरशिप तथा एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने की योजना बनाई है।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के लिए 4 डीलर चयन बोर्डों समेत देश में 59 डीलर चयन बोर्ड (डी० च० बो०) गठित किए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में शोलापुर जिले की पंढारपुर तहसील में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री

वर्ष	मोटर स्पिरिट	हाई स्पीड डीजल आंकड़े कि०ली० में	मिट्टी तेल	एलपीजी आंकड़े एम०टी० में
1997-98	1634.75	12749.67	4620	1402
1998-99	1853.43	13189.64	6432	1523
1999-2000	2265.27	13950.83	5460	1752

[अनुवाद]

पावरग्रिड कार्पोरेशन के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव

401. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पावर ग्रिड कारपोरेशन की पूंजी का पुनर्गठन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए धन किस प्रकार उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विनिवेश आयोग ने सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की है कि मौजूदा में टी०एफ०सी०आई०एल० का विनिवेश नहीं किया जाना है। बहरहाल, आयोग ने सिफारिश की है कि टी०एफ०सी०आई०एल० को विनिवेश प्रक्रिया आरंभ करने से पहले प्रबंधकीय पुनर्गठन के साथ पुनर्गठन के विकल्पों का अध्ययन करना चाहिए। मैसर्स आई०सी०आई०सी०आई० और एस०बी०आई० कैपिटल मार्केट पहले विद्युत सेक्टर में केन्द्रीय विद्युत सेक्टर उपक्रमों की वित्तीय इंजीनियरिंग के अध्ययन में लगे थे ताकि उन्हें निवेश के लिए विशाल संसाधन व्यवस्था में समर्थ बनाया जा सके। मैसर्स आई०सी०आई० सी०आई० और एस०बी०आई० कैप को पावरग्रिड के पुनर्गठन के लिए उपयुक्त मॉडल सुझाने हेतु संयुक्त अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया है।

सेवानिवृत व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पुन: नियोजित किया जाना

402. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या प्रत्येक उपक्रम में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नियोजित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उपक्रम वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन उपक्रमों में खुले-बाजार से राजपत्रित और गैर-राजपत्रित पदों पर स्टाफ को नियुक्ति के लिए कोई भर्ती नियम है; और

(ङ) यदि हां, तो उपक्रम वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उपक्रम अर्थात् राइट्स लि०, इरकॉन इंटरनेशनल लि०, भारतीय कंटेनर निगम लि०, भारतीय रेल वित्त निगम लि०, कोंकण रेल निगम लि०, मुंबई रेल विकास निगम लि०, भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम लि०, तथा भारतीय रेलटेल निगम लि० हैं।

(ख) और (ग) राइट्स लि० में 15, इरकॉन इंटरनेशनल लि० में 7, कोंकण रेल निगम लि० में 6 तथा मुंबई रेल विकास निगम में 3 सहित इन उपक्रमों में केवल 31 पुन: नियोजित व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

(घ) रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजपत्रित तथा गैर-राजपत्रित के रूप में परिभाषित किए गए कर्मचारियों की कोई कोटियां नहीं हैं। बहरहाल, कार्य पालक तथा गैर-कार्य पालक पदों के लिए खुले बाजार से भर्ती रोजगार कार्यालयों के जरिए तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे सर्कुलेशन वाले चुनिंदा समाचार पत्रों में विज्ञापनों के जरिए की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चालू रेलवे परियोजनाएं

403. **श्री शिवराजसिंह चौहान**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल
श्री जयभान सिंह पवैया
श्री ब्रह्मानन्द मंडल

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 के दौरान और वर्ष 2000-01 में 31 दिसंबर, 2000 तक बिछाई गई/बदली और दोहरीकरण की गई रेल लाइनों का जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू परियोजनाओं की समाप्ति के लिए निर्धारित समय सहित इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजनाओं में अब तक हुई प्रगति का जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) उन रेल लाइनों के संबंध में जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके विषय में नई लाइन बिछाए जाने/आमान परिवर्तन और रेल मार्गों को दोहरा किए जाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है;

(ङ) परियोजनावार निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है;

(च) क्या केन्द्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान रेल लाइनों के दोहरीकरण किए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में नौभार व्यवस्था

404. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में नौभार सम्भालाई कामगारों के अनैमित्तीकरण के लिए कोई त्रिपक्षीय समझौता किया है और पोर्ट के कर्मचारियों को सभी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नौभार सम्भलाई कामगारों को पोर्ट के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं दी जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नौभार सम्भालाई कामगारों की स्थिति क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां। पारादीप पत्तन न्यास ने मुख्य सूची के कार्गो हैंडल करने वाले कामगारों को अन्य नियमित पत्तन कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया था।

(ख) समझौते के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं :–

(i) कार्गो हैंडल करने वाले कामगारों को पत्तन कर्मचारी माना जाए।

(ii) कार्गो हैंडल करने वाले कामगारों को मासिक आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाए।

(iii) कार्गो हैंडल करने वाले कामगारों को पत्तन कर्मचारियों के समान ही अन्य सभी सुविधाएं दी जाएं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त समझौते के अनुसार पारादीप पत्तन न्यास ने सरकार से प्रस्ताव किया है कि मुख्य सूची के कार्गो हैंडल करने वाले कामगारों को अन्य पत्तन कर्मचारियों के समान ही सुविधाएं दी जाएं जैसे कि :

(i) सामान्य भविष्य निधि

(ii) पेंशन सुविधाएं

(iii) 30 दिन के अर्जित अवकाश की सुविधा

(iv) अर्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान

(v) छुट्टी यात्रा रियायत (एल० टी० सी०)

(vi) चिकित्सा अवकाश

(vii) 16 बंद अवकाश दिन, 12 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का वैकल्पिक अवकाश

(viii) मोटर साईकल अग्रिम/मकान निर्माण अग्रिम

तथापि, कार्गो हैंडल करने वाले कामगारों को श्रेणी-III अथवा श्रेणी-IV कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट

405. श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में हाल ही में आई गिरावट का हमारे आयात बीजक(बील) पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो चालू वर्ष की शेष अवधि में हमारे आयात बीजक में किस हद तक कमी आई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी हाँ।

(ख) कच्चे तेल के मूल्य में एक डालर प्रति बैरल की गिरावट से अक्तूबर, 2000 से मार्च, 2001 की अवधि के लिए निवल आयत बिल में 1310 करोड़ रुपए (288 मिलियन डालर) की कमी आने का अनुमान है।

ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल

406. श्री वी०एम० सुधीरन : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन में बल्लारपदम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) इस टर्मिनल को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में तलचर और गोपालपुर के बीच नया रेल संपर्क

407. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में तलचर और गोपालपुर पोर्ट के बीच नया रेल संपर्क उपलब्ध कराने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) तालचेर और गोपालपुर के बीच नई ब० ला० रेल लिंक की व्यवस्था के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट इस वर्ष के मध्य में प्राप्त होने की संभावना है।

समझौता एक्सप्रेस का चलाया जाना

408. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री अनन्त नायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को तीन और वर्षों तक चलाए जाने के लिए रेल समझौते का नवीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते में जिन मुद्दों को ध्यान में रखा गया है, उनके सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस गाड़ी के माध्यम् से की जा रही तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिएं सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(च) क्या दोनों देशों के बीच माल गाड़ी चलाए जाने का कोई प्रस्ताव था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह समझौता भारतीय रेल और पाकिस्तान रेलवे के बीच सेवाओं के दायरे और गाड़ियां चलाने के तकनीकी तौर-तरीकों से संबंधित है नए समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच माल गाड़ी और यात्री सेवाएं चालू रखने की परिकल्पना की गई है।

(ग) यह समझौता केवल रेल परिचालन के तकनीकी ब्यौरे से संबंधित है। यह तस्करी और उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) (i) अटारी रेलवे स्टेशन और वाघा चेकपोस्ट पर आप्रवासन का कार्य आप्रवासन ब्यूरो, द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है।

(ii) बिचौलियों को हटाने के उद्देश्य से अटारी रेलवे स्टेशन पर कुलियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और यात्रियों को अपना सामान ले जाने के लिए ट्रालियां मुहैया कराई गई हैं।

(iii) सड़क मार्ग द्वारा पाकिस्तान से आने वाले विदेशी पर्यटकों (भारतीय और पाकिस्तानियों सहित) का ड्यूटी फ्री अलाउंस घटाकर 3000 रुपये कर दिया गया।

(iv) समझौता एक्सप्रेस के यात्रियों द्वारा ले जाए जाने वाले सामान की सीमा फ्री अलाउंस सीमा जो श्रेणी-I के यात्रियों के लिए 50 किग्रा० और श्रेणी-II के यात्रियों के लिए 35 किग्रा० है, तक ही रखने का निर्णय लिया गया है ताकि सुरक्षा बलों द्वारा सामान की 100 प्रतिशत जांच की जा सके।

(v) अटारी/वाघा में तैनात सभी संबंधित एजेंसियों को तस्करी आदि रोकने के लिए अपने अधिकारियों की इनमें संलिप्तता को रोकने के लिए अपने सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करने को कहा गया है।

(च) और (छ) दोनों देशों के बीच माल गाड़ियां पहले ही चल रही हैं।

निजाम के आभूषण न्यास का अनमोल संग्रह

409. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 1997 में उच्चतम न्यायालय से वायदा किया था कि निजाम के आभूषण न्यास से वर्ष 1995 में सरकार द्वारा खरीदे गए रत्न और आभूषण के अनमोल संग्रह को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो वायदा को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में उक्त अनमोल संग्रह को कब तक प्रदर्शित किए जाने की संभावना है; और

(घ) अनमोल प्रदर्शन की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा निजाम के आभूषणों के अधिग्रहण से संबंधित मुकदमें की सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत दिया कि ये वस्तुएं इनके अधिग्रहण के पश्चात् सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगी और इसलिए, जनता को अधिग्रहीत की जा रही इस विरासत का अवलोकन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस समय, राष्ट्रीय संग्रहालय को छोड़कर, संस्कृति विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कोई अन्य संग्रहालय इन मूल्यवान वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिहाज से सज्जित नहीं है। राष्ट्रीय संग्रहालय की सुरक्षा को भी और बढ़ाना पड़ेगा और निजाम के आभूषणों को आर बी आई बोल्ट्स, मुम्बई, जहां ये इस समय रखे हुए हैं, से लाने के लिए सुरक्षा योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये सुरक्षा योजनाएं सतर्कता ब्यूरो, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, आदि के साथ परामर्श करके तैयार की जाती हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : महोदय, मैं श्री जगमोहन की ओर से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000

के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3244/2001]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) 5 जनवरी, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय विश्व क्रियाकलाप परिषद अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3245/2001]

(2) 3 फरवरी, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कराधान विधि (संशोधन), अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 2)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3246/2001]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद्, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3247/2001]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्लैंड वाटरवेज अथारिटी ऑफ इंडिया अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अन्तर्गत इन्लैंड वाटरवेज अथारिटी ऑफ इंडिया (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 जो कि 23 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 514 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3248/2001]

अपराह्न 12.01½ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 15 दिसम्बर, 2000 को सभा को सूचित करने के पश्चात तेरहवीं लोकसभा के पांचवे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2000;

(2) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2000; और

(3) विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2000

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा राज्य सभा के महासचिव द्वारा अधिप्रमाणित निम्नलिखित सात विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2000;

(2) पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर .विस्तारण संशोधन) विधेयक, 2000;

(3) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2000;

(4) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2000;

(5) केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक, 2000;

(6) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000; और

(7) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) विधेयक, 2000।

अपराह्न 12.01¾ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं एन्ड्रयू यूले एंड कम्पनी लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

दसवां से तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(2) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(3) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(4) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू और कश्मीर में एक तरफा संघर्ष विराम

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा, राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए अपने अभिभाषण में जम्मू और कश्मीर के पूरे मामले पर सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। 58 हजार सिख परिवार वहां से हिजरत करके आ रहे हैं, यह बहुत ही सीरियस मामला है। वहां उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनके बच्चों की जान सुरक्षित नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह बहुत गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है, आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने उस समय अन्य बातों के साथ साथ, माननीय संसद सदस्यों के समक्ष यह बात भी रखी थी कि :-

"सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए एक बहुकोणीय नीति अपना रही है। इसके एक भाग के रूप में इसने 19 नवम्बर, 2000 को रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान राज्य में संघर्ष की पहल न करने की एकतरफा घोषणा करके एक प्रमुख शांति मिशन आरंभ किया है। इस सार्हमिक पहल की अवधि दो बार बढ़ाकर 26 फरवरी, 2001 तक रखी गई है। जैसी कि प्रत्याशा थी, इसका जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भरपूर स्वागत किया जो अपने इस सुंदर राज्य में उग्रवाद और हिंसा की समाप्ति के लिए उत्सुक हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पूरा समर्थन दिया है क्योंकि वह इसे कश्मीर मामले के शांतिपूर्वक और स्थायी समाधान के लिए भारत की सच्ची वचनबद्धता के एक और प्रमाण के रूप में देखता है।"

राष्ट्रपति जी ने तब माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराया था कि :-

"जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अधिकाधिक भाड़े के विदेशी गुटों तक सीमित होकर रह गया है। इससे राज्य में लोकतांत्रिक कार्यकलाप की गुंजाइश बढ़ गई है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में राज्य के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैं फिर से यह दोहराता हूं कि सरकार राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले किसी भी समूह से वार्ता के लिए तैयार है।"

सरकार ने जम्मू व कश्मीर में विभिन्न गुटों से बातचीत शुरू करके इस मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।

सरकार ने शांति प्रक्रिया को जारी रखने तथा हमारे सुरक्षा बलों द्वारा सैनिक कार्रवाई को स्थगित रखने की अवधि को और आगे बढ़ाने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया है। इस संबंध में सरकार ने 21 फरवरी, 2001 को सभी राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक में स्थिति की विस्तारपूर्वक जानकारी दी और उनसे सलाह-मशविरा किया।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूरे मामले के सभी पहलुओं पर गहराई से सोच-विचार करने के बाद सरकार ने इस अवधि को मई के अंत तक और बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी लोगों जो शांति चाहते हैं, को यह मौका नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि हमारे धैर्य की भी कोई सीमा है।

मैं यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शांति प्रक्रिया केवल उन लोगों के लिए है जो इससे लाभ उठाना चाहते हैं। हम इस प्रक्रिया में न तो बाधा आने देंगे, न ही इसमें कोई कमी आने देंगे या इसका दुरुपयोग होने देंगे। ऐसे संगठनों या तत्वों, जो शांति प्रक्रिया को बाधित करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं या जम्मू व कश्मीर में हिंसा को जारी रखने और निर्दोष लोगों की हत्या करने का इरादा रखते हैं, के लिए मेरा संदेश साफ और स्पष्ट है। अगर आप जम्मू व कश्मीर राज्य में या कहीं भी किसी भारतीय नागरिक को चोट पहुंचाएंगे अथवा हिंसा या आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई करेंगे तो सुरक्षा बलों को स्पष्ट हिदायतें दी गई हैं कि वे निर्णायक कार्रवाई करें और ऐसे दुष्कृत्यों को विफल कर दें। कानून और व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। जो लोग यह सोचते हैं कि आज हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद का खात्मा करने के लिए कम दृढ़-संकल्प हैं, तो वे केवल अपने-आप को धोखे में रखे हुए हैं।

मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अभी भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा और हिंसा का रास्ता छोड़ देगा, भारत के खिलाफ अपने निरंतर शत्रुतापूर्ण प्रचार को रोकेगा, सीमा-पार से आतंकवाद को शह और मदद देना बंद करेगा तथा शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के तहत द्विपक्षीय बातचीत का रास्ता अपनाएगा। इस तरह से एक अनुकूल माहौल बनेगा ताकि एक व्यापक बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सके जिससे समस्याओं का स्थायी हल निकल सकेगा।

शांति प्रक्रिया से जम्मू व कश्मीर में हमारे नागरिक चैन से रह सकेंगे। वे यही चाहते हैं और उनकी बात सुनी जानी चाहिए न कि आतंकवादियों या भाड़े के विदेशी सैनिकों की।

शांति बहाल करना ही हमारा उद्देश्य है, शांति और बातचीत के लिए हम हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं क्योंकि जम्मू व कश्मीर के लोग वास्तव में यही चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मद सं 7-श्री नारायण दत्त तिवारी।

अपराह्न 12.08 बजे

लोक लेखा समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : महोदय, मैं "सीमा-शुल्क प्राप्तियां-गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क लगाना-ऊनी अपशेष अथवा ऊन" संबंधी लोक लेखा समिति (आठवीं लोक सभा) के 111वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : सिख परिवार अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। *(व्यवधान)* वहां सिख मारे जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। सभा में विवरण के पश्चात प्रश्न उठाने की कोई परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : देश के किसान मर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। हमने टी वी में भी देखा, आप सुबह से हाउस को डिसटर्ब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं किसी उचित समय पर जम्मू-कश्मीर मामले पर चर्चा की मांग करता हूं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जे०एस० बराड़, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सरकार ने उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री जे०एस० बराड़ : महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सर, सिक्योरिटी फोर्सेस में जो टरबन पहने हुए हैं, उन सबको खतरा पैदा हो गया है। उनकी सिक्योरिटी का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। इस प्रकार का खतरा 140 गांवों में है। उनकी सिक्योरिटी के बारे में आज तक क्या किया गया है? *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.10 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बागडिगी कोयला खान में पानी भर जाने के संबंध में वक्तव्य

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : अध्यक्ष महोदय, 2 फरवरी को लगभग 12.15 बजे अपराह्न में बागडिगी सीम सात विकास क्षेत्र में अचानक पानी का अंतर्वाह देखा गया। दुर्घटना के समय विभिन्न कार्यों में लगभग 100 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। इस क्षेत्र को "साइड डिसचार्ज लोडर" द्वारा विकसित किया जा रहा था। यह क्षेत्र सीम सात में है जो सीम आठ के नीचे है और इसके बीच 10.6 मीटर का विभाजक है। सीम सात, सीम आठ के साथ दो ड्रिफ्टों से जुड़ी है। पानी का अंतर्वाह जयरामपुर कोलियरी में सीम सात के खदान में रुके हुए पुराने पानी से हुआ जो बागडिगी कोलियरी की ऊंची साइड में है। 70 व्यक्ति दो ड्रिफ्टों के द्वारा वहां से निकलने में सफल रहे, प्रबंधक और सहायक प्रबंधक सहित 30 व्यक्ति जमीन के भीतर फंस गए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : दुर्घटना होने के तत्काल बाद खान सुरक्षा महानिदेशक और माइन्स रेस्क्यू स्टेशन धनसार, भारत कोकिंग कोल लि० को सूचित किया गया। बचाव दल 1.10 बजे (अपराह्न) जयरामपुर पहुंचा। निदेशक (तकनीकी), बी० सी० सी० एल०, डी० जी० एम० एस० के अधिकारी लगभग 2.30 बजे (अपराह्न) पहुंचे। निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लि० और अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बी० सी० सी० एल० कोलकता से हवाई जहाज द्वारा गए और दूर्घटना स्थल पर 6.30 बजे (सायं) पहुंचे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : बचाव दल ने 2.2.2001 को जयरामपुर खदान से अपना पहला निरीक्षण कार्य लगभग 3 बजे अपराह्न पूरा किया और पाया कि क्षेत्र में पहले से ही पानी रुका हुआ था और काला डैम्प से भरा था और वहां नहीं जाया जा सकता था। उसके तत्काल बाद बचाव दल ने काला डैम्प को साफ करने के लिए वायु संचार की प्रक्रिया का सहारा लिया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : इसके साथ-साथ, बी०सी०सी०एल० की दूसरी खानों तथा ईस्टर्न, नार्दर्न और महानदी कोलफील्ड्स में तथा टिस्को की खानों में आपातकालिक आधार पर पम्प और सहायक सामग्री प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की गई ताकि बागडिगी के जलमग्न क्षेत्र से पानी निकालने के लिए विद्यमान पम्पिंग क्षमता को बढ़ाया जा सके। तत्पश्चात् जयरामपुर कोलयरी में चार पम्प और बागडिगी कोलयरी में 8 पम्प चालू किए गए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बराड़, बहुत हो गया। सरकार सभा में चर्चा के लिए भी सहमत हो गई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : रात दिन दोनों तरफ से पम्पिंग मानिटरिंग और भूमिगत निरीक्षण जारी रखा गया ताकि फंसे हुए लोगों की खोज-बीन का काम शीघ्र किया जा सके। इसके साथ साथ जलमग्न क्षेत्र में फंसे संभावित जीवित व्यक्तियों से हवाई संपर्क स्थापित करने के लिए तीन ड्रिल मशीनें भी लगाई गईं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस मामले पर चर्चा कराने के लिए सहमत हो गई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मुम्बई और विशाखापत्तनम से भारतीय नौ-सेना के गोताखोरों की सेवाएं ली गई। नौ सेना का प्रथम दल नई दिल्ली से हवाई जहाज द्वारा 4 फरवरी को गया और घटना स्थल पर 12.30 बजे अपराह्न में पहुंचा। इस गोताखोर दल ने अपनी पहली सर्वेक्षण उड़ान 10 बजे रात में पूरी की। पहले नौ-सेना दल की सहायता के लिए विशाखापत्तनम से दूसरा दल आया। उन्होंने दूसरी उड़ान स्थल पर पहुंचने के तत्काल बाद पूरी की। फिर भी, नौ सेना दल किसी जीवित व्यक्ति का पता नहीं लगा पाया। *(व्यवधान)*

---

*सभा पटल पर भी रखा गया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3250/2001]

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सरकार इस मामले पर सभा में चर्चा कराने के लिए सहमत हो गई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : एक कामगार श्री अंसारी को दिनांक 8 फरवरी को जीवित बचा लिया गया। अन्य 29 फंसे खान कर्मियों के शव प्राप्त कर लिए गए हैं और उनके निकट संबंधियों को सौंप दिए गए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए। हम इस मामले पर सभा में चर्चा करने जा रहे हैं। सरकार इसके लिए सहमत हो गई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मैंने 9 फरवरी को कोयला मंत्री का कार्यभार संभाला। उसके अगले ही दिन मैं तुरन्त वागडिगी पहुंचा। मैं 225 मीटर नीचे खान में गया और राहत कार्यों की प्रगति को देखा। चूंकि कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता था इसलिए मैंने बी० सी० सी० एल० के तीन कार्यकारी अधिकारियों के तत्काल निलंबन के आदेश दिए। कोल इंडिया लि० के आंतरिक सुरक्षा संगठन से तुरन्त इसकी जांच करने का निदेश दिया गया है। श्रम मंत्रालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में खान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत एक जांच न्यायालय नियुक्त कर रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : इन तथ्यों को सदन के सम्मुख रखते समय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराये गए सभी अधिकारियों के खिलाफ समुचित एवं अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : हम सरकार से प्रतिक्रिया चाहते हैं। (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मृतकों के परिवार के सदस्यों को 2,30,000/- रुपए की अनुग्रह राशि और साथ ही ग्रेच्युटी, कामगारों का मुआवजा, बीमा हितकारी निधि एवं भविष्य निधि जैसे अन्य मेवान्त लाभ दिए गए हैं। उनके निकट संबंधी को रोजगार दिया जाएगा। एक मात्र जीवित बचे श्री सलीम अंसारी को, जिन्हें मानसिक आघात पहुंचा, उसके लिए उन्हें भी 50 हजार रुपए दिए गए हैं। मैंने सी०आई०एल० और बी०सी०सी०एल० के अधिकारियों को सभी भूमिगत खानों का नए सिरे से सर्वेक्षण करवाने के आदेश भी दिए हैं। मैं यूनियन के पदाधिकारियों और अधिकारियों की एसोसिएशन से मिला हूं और उन्हें आश्वासन दिया है कि खानों मे कार्य की समुचित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया है कि मानव जीवन की कीमत पर कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा। मैं शीघ्र ही कोल इंडिया और डीजीएमएस के अधिकारियों के साथ संपूर्ण सुरक्षा कार्यों की समीक्षा करने जा रहा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मद सं० 11, प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, हम मंत्रीजी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन चर्चा कराना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझने का प्रयास करो कि कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। यदि कोई महत्वपूर्ण मुद्दे हों तो आप उसे बैठक में उठा सकते हैं और हम सभा में उन पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

ऐसे मामलों पर सभा में चर्चा करने की प्रक्रिया है। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, हम इस विषय पर चर्चा कराना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में आपकी पार्टी के नेता का प्रतिनिधित्व है। कृपया अपनी पार्टी के नेता को कहो कि वह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इसे उठाएं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.16 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्यों को 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप मे कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्यों को 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महराजगंज, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, आज देश के अंदर किसानों की हालत बहुत खराब है। *(व्यवधान)* हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। *(व्यवधान)* आज चारों ओर किसान के धान की खरीद में लूट हो रही है। अभी तक भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोलिये।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज आलू का किसान मर रहा है। कपास का किसान मर रहा है। हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

(दो) लोक लेखा समिति

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए लोकलेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए लोकलेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, कोयला खानों के बारे में गम्भीर आशंका है। महोदय, मंत्री जी ने अभी-अभी जो वक्तव्य दिया था वह *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने दूसरा विषय ले लिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम कोयला खानों में औद्योगिक कामगारों की ऐसी मौतों और मारे जाने की अनदेखी नहीं कर सकते। *(व्यवधान)* पहले भी गम्भीर खामियां पायी गई हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह सूचना पहले से थी कि कोल इंडिया माइन्स में घपला है फिर भी इस सूचना पर भारत सरकार ने गौर नहीं किया, कोल इंडिया ने गौर नहीं किया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्होंने उनपर ध्यान ही नहीं दिया। *(व्यवधान)*

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए इस सभा की-लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्यसभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए इस सभा की-लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्यसभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डिसकशन करने का एक प्रोसीजर है। क्या आप प्रोसीजर के बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल बिजनेश एडवाइजरी कमेटी में डिमाइड करेंगे। अभी आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए उप सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्यों को 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्यों को 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2001 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ० प्र०) : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर सवाल है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि प्रधान मंत्री जी के बयान के बाद हम आपको मौका देंगे। हम अपने सभी सदस्यों को शान्त करके वापिस लाए। उपाध्यक्ष जी ने निर्णय लिया था और संसदीय कार्य मंत्री भी बोले थे। इसलिए अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। किसान का सवाल मामूली नहीं है। इस वक्त धान और आलू का किसान, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा *(व्यवधान)* आप सुन तो लीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे जीरो ऑवर में रेज़ कर सकते हैं। सबको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने क्वश्चन ऑवर में हाउस को क्यों डिस्टर्ब किया? क्वश्चन ऑवर में डिस्टर्ब किया और ज़ीरो ऑवर में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने कह दिया कि मुफ्त में आलू ले जाइए। मुफ्त में आलू लेने को कोई तैयार नहीं है। कोल्ड स्टोरेज खाली नहीं हैं। आलू की पैदावार कहां जाए। प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, पूरी सरकार बैठी है। आखिर कितनी बार बहस हो। हम क्वश्चन ऑवर को चलाना चाहते थे और चलवाया। इसलिए मैंने अपने सदस्यों को वापिस लिया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने आधे घंटे तक तो डिस्टर्ब कर दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव : आलू का किसान आलू कहां ले जाएगा। कन्नौज और फरूखाबाद के कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने कह दिया कि आलू मुफ्त में ले जाइए लेकिन मुफ्त में आलू लेने को कोई तैयार नहीं है। जगह खाली नहीं हो रही है तो आलू कहां जाए। धान का किसान वैसे ही बर्बाद हो गया, मक्का और बाजरे का भी हो गया। हम चाहते हैं कि कम से कम बारह हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के लिए किसानों को सबसिडी देनी चाहिए वरना किसान बर्बाद हो जाएगा, हो गया है और आत्मदाह करेगा। वह कर्ज में डूब गया है, लड़कियों की शादी नहीं कर सकता, कर्जा दे नहीं सकता। गन्ना किसानों पर गोली भी चलती है। प्रधान मंत्री जी आपको जान कर ताज्जुब होगा कि सारे किसान बर्बाद हो गए। हम आपसे अपील और प्रार्थना करते हैं कि सारे कार्यक्रम को रोक कर इस पर तत्काल बहस करनी चाहिए। जब तक डब्ल्यू० टी० ओ० में नीतियां नहीं बदलेंगे, प्रधान मंत्री जी, कृपा करके छः महीने का नोटिस देकर किसानों को उससे निकाल दीजिए। आप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार संगठन से घी भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे तो हम गाय, भैंस भी नहीं पाल पाएंगे। किसान के यही साधन थे। अब विदेशी दूध और घी भी बेचेंगे। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इसे करिए।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका मिलेगा। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। पिछले सत्र में कांग्रेस ने मांग रखी थी कि इस पर चर्चा हो और उस समय निश्चित रूप से चर्चा हुई लेकिन उसके बाद कोई ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाए। सरकार ने इस पर कोई रीएक्शन नहीं किया, कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे कुछ राहत पहुंचे। आज भी पूरे देश में किसान समाज में त्राहि-त्राहि मची हुई है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इतवार को लाखों किसान इस देश की राजधानी में आ रहे हैं। कांग्रेस की एक रैली हो रही है और हम इस बात को बहुत ही जोर से उठाने वाले हैं, बहुत बुलन्दी से उठाने वाले हैं। हमारी पूर्ण तरह से मांग है कि जब तक इस मुद्दे के संतोषजनक रूप से समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाऐंगे, तब कांग्रेस बोलती रहेगी, इस विषय को उठाती रहेगी और किसानों की आवाज को बुलन्द करती रहेगी। हमारी मांग होगी कि इस सैशन में भी इस पर विस्तृत चर्चा हो और कोई न कोई कदम उठाए जाएं ताकि हमारे किसान अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि किसानों के बारे में *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा० विजय कुमार मल्होत्रा का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, इस सभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा० विजय कुमार मल्होत्रा को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

आपको मौका मिलेगा, बैठ जाइये।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, सरकार की ओर से प्रमोद महाजन जी ने यह बात रखी कि किसानों के बारे में जब कभी भी बहस होगी, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आश्चर्य है कि इसके बारे में कांग्रेस पार्टी *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, इस बारे में आपको बुलाएंगे आप बैठ जाइये।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : जी हां, मैं आपकी बात ही कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता ने और कांग्रेस पार्टी के उपनेता ने किसानों की समस्या पर बहस की मांग की है। हमारी सरकार भी और हमारी पार्टी भी किसानों की समस्या पर पूरी बहस करना चाहती है, किन्तु अपने पापों पर परदा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी लाखों किसानों को दिल्ली में इकट्ठा करे, जिसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं, डब्लू० टी० ओ० पर साइन करने वाले ये लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं और आज उसकी वजह से जो कुछ हो रहा है, उसके लिए किसानों को लाकर इस तरह की राजनीति करें, यह उचित नहीं है। जब बहस होगी, सरकार अपना पक्ष इनके सामने रखेगी।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन में किसानों के सवाल पर बहस होती है, लेकिन बहस के बाद भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उदाहरणस्वरूप बिहार के किसानों ने 123 लाख टन अनाज पैदा किया, लेकिन एफ० सी० आई० ने अभी केवल पांच हजार टन की ही खरीद की है। बिहार में गेहूं और मक्का की खरीद हुई ही नहीं है। वहां गेहूं और मक्का की खरीद नहीं हुई और धान की भी नगण्य खरीद हुई। इस कारण किसानों को आधे दाम पर अपना सामान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। आज दूध के किसान आतंकित हैं, तिलहन और दलहन के सब किसान तबाह हो रहे हैं, इसीलिए हमने बार-बार *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस नहीं दिया।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने बार-बार मांग की है कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए सदन की समिति बनाई जाये। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस इस विषय पर नहीं है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं मांग करता हूं कि केबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर बनाई जाये, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केबिनेट कमेटी बनाई जाये, जो किसानों की समस्याओं का समाधान करे। केबिनेट कमेटी ऑन इकोनोमिक अफेयर्स है, लेकिन किसानों के सवाल पर केबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर बनाई जाये, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करें, चूंकि किसानों को सारी चीजों की जरूरत होती है यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : यह केवल किसानों के कष्टों का प्रश्न नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ अभी शून्य काल है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, आपने जीरो ऑवर प्रारम्भ करते ही मेरा नाम पुकार लिया, अब मुझे आप बुला नहीं रहे। अब यह क्या शुरू हो गया?

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलाएंगे।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : किसानों पर से आप कहां चले आये?

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : हमारे देश का कृषक-वर्ग अत्यन्त गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। केवल इतना ही नहीं, जबकि संसद का सत्र चल रहा है, सरकार बालको जैसे फायदे में चल रहे उपक्रमों को बेच रही है। कल ही, सरकार ने बालको को बेचने का निर्णय लिया है *(व्यवधान)* जबकि संसद का सत्र चल रहा है, सरकार इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में नहीं ला रही है। हम बालको जैसे लाभप्रद संगठनों को बेचे जाने की सरकार की नीति का विरोध करते हैं। सरकार को इस बारे में संसद में स्पष्टीकरण देना होगा *(व्यवधान)* न केवल कृषक-वर्ग *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : मैंने भी बालको पर एक नोटिस दिया हैं।

श्री रूपचन्द पाल : सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। वह मूल्यांकन की कोई पद्धति अपना रही है या नहीं? ऐसा लगता है कि वह केवल किसी विशेष संगठन या एक विशेष औद्योगिक घराना को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।

महोदय संसद ने बार-बार सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, सरकार को सरकारी क्षेत्र के लाभप्रद संगठनों को बेचना बंद करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार किसानों के मुद्दे पर कुछ कहना चाहती है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : सरकार ने शून्य काल के दौरान ही यह कहा है कि वह किसानों के मुद्दे पर किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : मान्यवर, मेरा भी नाम है, यह बहुत गम्भीर सवाल है। हमने भी सूचना दी है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामानन्द सिंह के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में इस समय सूखे और अकाल की भयावह स्थिति है। मध्य प्रदेश में एक तिहाई जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की है, जो ज्यादातर खेत मजदूर हैं। इस वर्ष मध्य प्रदेश में वर्षा औसत से बहुत कम हुई और राज्य के दो तिहाई जिले सूखे से प्रभावित हो गए हैं। इस कारण मध्य प्रदेश में रीवा सम्भाग में, सतना रीवा, शहडौल सीधी, उमरिया, छतरपुर, कटनी में भयंकर सूखा है, इस क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बहुत कम है। पूरे मध्य प्रदेश में देश की औसत सिंचाई से आधी सिंचाई होती है। लेकिन रीवा सम्भाग में केवल तीन प्रतिशत ही सिंचाई है। वहां हर दूसरे-तीसरे वर्ष सूखा पड़ता है। इस वर्ष बहुत कम वर्षा होने से स्थिति भयावह हो गई है। सतना जिले में रैगांव, मैहर, अमरपाटन में हजारों लोग राहत कार्यों के अभाव में सूरत, मुम्बई आदि दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.32 बजे

[डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

इस सम्भाग में पेयजल का संकट है। यूं तो यह संकट पूरे मध्य प्रदेश में है, लेकिन रीवा संभाग के सतना, रीवा, सीधी शहडोल जिलों में वाटर लैवल नीचे आ गया है। वहां करीब 50-60 प्रतिशत हैंड पम्प खराब पड़े हैं, जिनमें पानी नहीं है। राज्य सरकार के पास उनको मरम्मत के लिए पैसा नहीं है। राज्य सरकार इस्टैब्लिशमेंट में ही पूरे बजट का 91.98 प्रतिशत खर्च कर रही है और निर्माण, विकास तथा राहत कार्यों के लिए पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री केवल प्रधान मंत्री और भारत सरकार को कोसते हैं, जबकि विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र पैसा वहां भेज रहा है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। राज्य के हजारों लोग सूखे और अकाल में भूखे मर रहे हैं। मैहर में भूख से अभी एक वृद्धा की मौत हुई है। इसी तरह चित्रकुट क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में भी एक वृद्धा के मरने का समाचार आया है। मेरी प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर सतना, रीवा, सीधी, शहडोल और उमरिया में तत्काल राहत कार्य खोलने के लिए भारत सरकार मध्य प्रदेश को दिशा-निर्देश दे और भारत सरकार यथासम्भव यहां से भी मदद करे, ताकि लोगों का पलायन रुके और उस क्षेत्र के लोगों को राहत कार्य, खाद्यान्न तथा पीने का पानी मिल सके।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति महोदय, शेष बिहार में कोशी और पूर्णिया कमिश्नरी जूट उत्पादन का सबसे बड़ा इलाका है। आज से नहीं, देवेगौड़ा जी की सरकार ने भी वहां कई जूट मिल लगाने का निर्णय लिया था। एशिया की सबसे बड़ी जूट मिल कटिहार में स्थित है। वह भी बंद है। उसमें एक इकाई दियाराचंद चालू है। आज तक उस चालू जूट मिल में 1991 से लेकर 2001 के बीच वहां के सी०एम०डी० ने कितने ही प्रबंधकों को बदला है।

आज तक जितने भी घपले हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। 662 मशीनों में से मात्र 105 मशीनें वहां चालू हालत में हैं और बाकी जितनी मशीने हैं, सभी बंद हो गई हैं। 105 मशीनें भी नियमित रूप से नहीं चलती। कोलकता में जो सी०एम०डी० हैं, वे वहां बैठकर कटिहार इकाई और बीएनएम मिल के सारे पैसे रख लेते हैं या फिर गोलमाल हो जाता है। आज तक इसकी जांच नहीं हो सकी है। सारी प्रक्रिया भारत सरकार के तहत यहां निर्धारित है और यहां से पैसे जाते भी हैं लेकिन कोलकाता स्थित जो सीएमडी का इलाका है, वे उस पैसे को रोक लेते हैं। स्थिति इतनी बुरी है कि वहां 78 मजदूरों की रिटायरमेंट भी हो गई, वे वहां मर गए लेकिन उनकी भविष्यनिधि भी नहीं दी गई। पैसे के कारण उन्होंने जान दे दी, उनका परिवार बिलख रहा है। नियम यह है कि रिटायरमेंट से पहले वहां भर्ती की जाएगी लेकिन 1991 के बाद आज तक भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं शुरू की गई जिसके चलते वहां 662 मशीनों में से मात्र 105 ही चल रही हैं। स्थिति इतनी बुरी है जिसको शब्दों में कहना असंभव है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि शेष बिहार में जितनी भी फैक्टरी हैं और डालमिया नगर फैक्टरी, जो देश विदेश की सबसे बड़ी फैक्टरी है, वह 27 साल से बंद है लेकिन न भारत सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है और न बिहार सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही है चाहे भागलपुर की सिल्क मिल हो चाहे गया की सिल्क मिल, स्थिति काफी खराब है और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूं, वहां जूट की और गन्ने की सबसे ज्यादा खेती होती है। वहां एक तरफ बिहार की 28 चीनी मिलों में से 18 चीनी मिलें बिहार सरकार ने बंद कर दी और 10 के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, आज तक किसानों को भुगतान समय पर नहीं किया जाता। मेरा आपसे आग्रह है कि आर बीएनएम जूट मिल कटिहार की जो स्थिति है,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसकी सभी बंद पड़ी मशीनें चालू होनी चाहिए। 1991 के बाद आज तक सीएमडी ने उस मिल के मामले में घपला किया है, यह जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। 78 मजदूर रिटायर कर देने के बाद वहां कैसे मर गये, उनको भविष्यनिधि क्यों नहीं मिली, मजदूरों की बहाली आज तक वहां क्यों नहीं हुई और सीएमडी मैनेजमेंट के बीच कितने बड़े घपले हुए हैं, इन सब मामलों की जांच की जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप बैठिए। आपने अपना विषय रख दिया है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : मेरा आग्रह है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी कटिहार की जूट मिल बंद है। छोटी आर बीएचएम मिल चालू है, उसकी स्थिति यह है कि वह बंद होने के कगार पर है। सीएमडी और मैनेजमेंट की जब इच्छा होती है, वे मजदूर को धमकी देकर यूनियन के साथ मिलकर उस आर बीएचएम मिल को बंद कर देते हैं। यहां भारत सरकार के मंत्री महोदय बैठे हैं, *(व्यवधान)* आर बीएचएम मिल बंद नहीं हो और कटिहार जूट मिल चालू हो, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)* देवेगौड़ा जी ने और राजीव गांधी जी ने *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। आपका जब नाम आएगा, आपको बुला लेंगे। आप कृपया बैठिए। राजेश रंजन जी, अब आप समाप्त करिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : फारबिसगंज में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने एक जूट मिल का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के बावजूद भी आज तक फारबिसगंज में जूट मिल चालू नहीं हुई और चालू करवाने के लिए कोई प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। आपने अपना विषय पूरी तरह से रख दिया है, अब आप कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, सीएमडी और मैनेजमेंट घपला कर रहे हैं, *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, मैं रेल मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री लक्ष्मण सेठ जो कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आप बैठ जाइए। सरकार को यदि अपनी बात कहनी होगी, तो वह कह देगी। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मुझे ये कागज सभा पटल पर रखने की इजाजत दी जाए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसके लिए आपको पहले लिख कर देना चाहिए था। आप मंत्री जी से बात कर लीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मंत्री जी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आपको पूरा मौका दिया गया है। आप सदन की कार्यवाही को इस तरह से डिस्टर्ब न करें। आप बैठ जाइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मंत्री जी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मुझे ये कागज रखने की इजाजत दी जाए।

सभापति महोदय : ये कागज नहीं रखे जा सकते हैं। इसकी एक प्रक्रिया है। आप मंत्री जी से बात कर लीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मैं किससे बात कर लूं? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप संसदीय कार्य मंत्री जी से बात कर लीजिए, वे बतायेंगे।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, कुछ दिन पहले दक्षिण-पूर्व रेलवे ने गैंगमेन पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजन किया था।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लक्ष्मण सेठ]

इसके अनुसार लगभग एक हजार उम्मीदवारों का चयन करके दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में गैंगमेन के पद पर नियुक्ति करने के लिए उनका पैनल बनाया गया।

महोदय, बाद में जो हुआ, वह बहुत ही चिंता का विषय है। इस पैनल की अनदेखी करते हुए दक्षिण-पूर्व रेलवे ने गैंगमेन के पद पर कुछ उम्मीदवारों की भर्ति कर ली है। यहाँ यह स्पष्ट है और हमें बताया गया है कि यह जो भर्ती की गयी है वह भर्ती के मानदंडों और प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए कलकत्ता से की गई है। इस पर पैनल में शामिल उम्मीदवारों ने आंदोलन शुरू कर दिया और मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। किंतु रेलवे पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया जिससे कुछ लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल भेजा गया। हमें पता लगा है कि रेल मंत्री ने रेलवे में भर्ती करने के मानदंडों और प्रक्रिया का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। रेलवे के अधिकारियों की चयन समिति थी। किंतु इस चयन समिति को समाप्त कर दिया गया है और रेल मंत्री ने रेलवे में विभिन्न पदों पर भर्ती करने का काम अपने हाथ में ले लिया है। इतना ही नहीं बल्कि बनाए गए पैनल की अनदेखी करते हुए रेलवे ने चयन प्रक्रिया और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए गैंगमैन के पद पर पहले ही उम्मीदवारों को भर्ती कर लिया है। अब उन उम्मीदवारों का भविष्य क्या होगा जिन्हें साक्षात्कार और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद पैनल में रखा गया था? वे आंदोलन कर रहे हैं और भूखे मर रहे हैं।

मैं केन्द्रीय रेल मंत्री और प्रधान मंत्री का दखल चाहता हूं ताकि पैनल में शामिल उम्मीदवारों को गैंगमैन के पद पर भर्ती किया जा सके। महोदय, यह मेरा आपसे नम्र अनुरोध है।

श्री रमेश चेन्नितल्ला (मवेलिकारा) : महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। केरल में हमेशा भूकंप के झटके आते रहते हैं कोट्टायम, ऐर्नाकुलम और अलेप्पी में निश्चित रूप से भूकंप के झटके आने से जनता में भय व्याप्त है।

लोग भूकंप के झटकों के बारे में शिकायतें कर रहे हैं। राज्य के विभिन्न भागों में आ रहे भूकंप के झटकों के बारे में गम्भीरतापूर्वक अवलोकन करने के लिए भूगर्भ और मौसम विभाग से कहना चाहिए। पहले राज्य सरकार ने इस मामले के बारे में केन्द्र सरकार को बताया था। केन्द्रीय अभिकरणों ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है। राज्य के अंदरूनी भागों में भी लोग हर रात भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं पूरे राज्य में पहले से ही भय का वातावरण है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को बहुत ही गम्भीरता से लें। भूगर्भ और मौसम विभाग को विभिन्न सर्वेक्षण करने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्हें इस मामले को बहुत ही गम्भीरता से लेना चाहिए। जनता को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि भूकंप आने के संकेत नहीं हैं। यदि ऐसा महसूस हो तो शीघ्र ही ऐहतियाती उपाय किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : महोदय, जबलपुर, म०प्र० में विगत महीनों से जबलपुर नैनपुर गोंदिया मार्ग को ब्राडगेज में परिवर्तन करने हेतु समस्त राजनैतिक पार्टियां, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारी संगठन, आम जनता एवं स्कूल कालेज के छात्र-छात्राओं द्वारा शहर बंद, चक्का जाम, रेल रोको, धरना, अनशन एवं पद यात्रा आदि आंदोलन किए जा रहे हैं। सभी की मांग है कि इस कार्य हेतु 515 करोड़ स्वीकृत कर जबलपुर से शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाए ताकि महाकौशल क्षेत्र का विकास हो सके। *(व्यवधान)*

महोदय, ब्राडगेज के बारे में मेरा यह कहना है कि इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसके बारे में शासन को जल्दी निर्णय लेकर उसे करना चाहिए।

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को संसदीय परम्परा, पद्धति और जो कंवेंशंस होते हैं, उनके प्रति कोई कदर है ही नहीं। आज कल जैसे आदत हो गई है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तब भी संसद सदस्य सरकारी निर्णयों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह संसद में नहीं बल्कि अखबारों से प्राप्त करते हैं, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज हमें इस निर्णय के बारे में समाचारपत्रों से जानकारी मिली कि बाल्को जैसी कैश रिच कम्पनी, जो संपन्न स्वस्थ कम्पनी है, उसे बहुत ही कम दाम में बेचा जा रहा है, यह देख कर हम बहुत स्तब्ध और आश्चर्य चकित रह गए। इस पर एक भारी प्रश्न-चिन्ह लगता है।

महोदय, कांग्रेस पार्टी ने बार-बार सरकार के सामने यह मांग रखी है कि विनिवेश नीति पर एक श्वेतपत्र प्रस्तुत किया जाए और उस श्वेत-पत्र में हमें कम से कम यह मालूम हो कि किस मापदंड के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि ये पब्लिक सैक्टर यूनिट बेचे जाएंगे और ये नहीं बेचे जाएंगे। उस निर्णय के बाद किस तरह की प्रक्रिया उसके बेचने के मामले में अपनाई जाएगी। इसके अलावा हमने यह भी सुझाव दिया था कि निर्णय लेने के बाद जो विनिवेश की प्रक्रिया है, डिसइनवेस्टमेंट प्रोसेस है उसे कमीशन करे और सरकार उस प्रोसेस से अपनी थोड़ी दूरी रखे ताकि सरकार के इरादों पर कोई प्रश्न-चिन्ह न आए, लेकिन सरकार उन सम्पन्न कम्पनियों को कम कीमतों में बेचने पर इतनी दिलचस्पी दिखा रही है कि निश्चित रूप से हम संदेह की निगाह से आपकी ओर देखते हैं। आपका क्या इरादा है इस पर हमें पूरी तरह से आशंका है। पूर्व में यह कहा गया था कि जो विनिवेश किया जाएगा, जो यूनिट्स घाटा बना रहे हैं, क्रोनिक लॉस मेकिंग यूनिट्स, जो वित्तीय स्थिति के ऊपर भार है, उनका किया जाएगा।

लेकिन हम देख रहे हैं कि बार-बार संपन्न यूनिट्स जो भारी मुनाफे में हैं उनको बेचा जा रहा है। आज यह जो कटिंग्स पेपर में आई है।

[अनुवाद]

"गवर्नमेंट मेक्स कटरेट सेल ऑफ बालको। स्टरलाइट ग्रेब्स 51 परसेंट स्टेक इन बाल्को फॉररुपीज 551 करोर।"

महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। इसलिए मैं कुछ बातें रिकार्ड में लाऊंगा।

[हिन्दी]

551 करोड़ रुपये में इसको बेचा जा रहा है। इसका 51 प्रतिशत भाग स्टर्लाइट को दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

इस कंपनी की आरक्षितियां 460 करोड़ रुपए हैं। यह मूल्यांकन किसने किया है? राष्ट्र को इसका पता लगना चाहिए।

[हिन्दी]

उसका मूल्यांकन कौन कर रहा है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गयी है।

इसमें लिखा गया है कि पहले तो डिस-इंवैस्टमेंट कमीशन ने यह कहा था कि 40 प्रतिशत इसके शेयर बेचे जाएंगे, लेकिन अब 51 प्रतिशत बेचकर एक प्राइवेट सैक्टर कंपनी को इसका पूरा मैनेजमेंट ट्रांसफर हो गया है। इसका मूल्यांकन करने के लिए किसको निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

श्री पी०वी० राव : जो सेवानिवृत सिविल इंजीनियर हैं और केवल भूमि और भवनों का मूल्यांकन करने का लाइसेंस प्राप्त हैं और जिन्हें पिछला अनुभव भी नहीं है, उन्हें मूल्यांकक बनाया गया था। इसके बाद वह बाल्को के कोरबा स्थित मुख्य संयत्र में गए।

[हिन्दी]

चार दिन कोरबा में बिताए, दो दिन आसनसोल में बिताए और पांच दिन के अंदर-अंदर इसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यह किस प्रकार की वैल्यूएशन है?

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : सभापति जी, आप क्रम से सदस्यों को बुलाएं।

सभापति महोदय : मैं क्रम से ही बुला रहा हूं।

श्री माधवराव सिंधिया : कृपा करके मुझे बोलने दें। जो संसद की नार्मस हैं मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं।

चार दिन में कोरबा प्लांट्स का वैल्युएशन किया गया।

[अनुवाद]

श्री राव का कहना है :–

"चार दिन में कोरबा संयत्र का मूल्यांकन करने की विधि यह थी कि कंपनी के मूल्य 90 प्रतिशत के प्रतिनिधि के रूप में निश्चित आस्तियों के 10 प्रतिशत को लिया गया था।"

[हिन्दी]

यह कौन सा सिस्टम है?

[अनुवाद]

यह सिस्टम मेरी समझ में नहीं आता।

[हिन्दी]

इसके बाद उनसे पूछा गया :–

[अनुवाद]

"आपने कंपनी के 460 करोड़ रुपए के सरप्लस और रिजर्व का हिसाब कहां रखा?" इसपर उन्होंने बताया : "ये असंगत मामले हैं। हम केवल निश्चित आस्तियों को ही लेते हैं।"

[हिन्दी]

आपने रिजर्व और सरप्लस को तो मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया है।

सभापति महोदय : आपने बहुत विस्तार से अपना इश्यू रखा है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति जी, यह बहुत गम्भीर मसला है।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : इसके बाद श्री राव को कंपनी की मार्केट भागीदारी के बारे में पूछा गया। इस पर श्री राव ने बताया : "यह क्या है? मार्केट भागीदारी क्या है यह संगत नहीं है।"

[हिंदी]

यह किस प्रकार का वैल्यूएशन करने वाला नियुक्त किया गया है। इसके बायो डाटा में लिखा है कि

[अनुवाद]

कि अब तक इन्होंने सबसे बड़ा काम पांच तारा होटलों का मूल्यांकन करने का किया है और इनके बायोडाटा में बताई गई 22 उपलब्धियों में से 15 सम्पत्ति मूल्यांकन से तथा दो साइकिल फैक्ट्रियों के मूल्यांकन से संबंधित हैं। किन्तु उन्हें बालको का मूल्यांकन करने को कहा गया है और वह इस प्रकार के उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

सर, हम बहुत ही संदेह की निगाह से इसे देख रहे हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि इस मामले में वह पूरी तरह से स्पष्टीकरण दें। यह कहते हैं कि पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसी पारदर्शिता अपनाई जा रही है, इसका पूरी तरह से स्पष्टीकरण हो और सरकार बताए कि वह इस डिस-इनवेस्टमेंट पॉलिसी पर श्वेत-पत्र कब प्रस्तुत करेगी।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, बाल्को को बेचना राष्ट्र विरोधी कार्य है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अनादि साहू।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया बैठ जाइए।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, उड़ीसा में 30 में से 22 जिलों में भयंकर सूखे की स्थिति है। लेकिन किसानों को जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें ऋण अथवा सहायता प्राप्त करने में परेशानी होती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी राशि अथवा राज्य की सहायता किसानों तक नहीं पहुंची है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, इस मामले में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब मैंने श्री अनादि साहू को बुलाया है। आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री अनादि साहू : पहले किसानों को आसान किस्तों पर ऋण दिया जा रहा था और ऋण राशि को आसान किश्तों में वसूल किया जाता था। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल, आपको प्रक्रिया मालूम है। यह सही तरीका नहीं है। आपने अपना नाम नहीं दिया है। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, 7000 कामगार हैं और मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि एक साल तक कोई गड़बड़ी नहीं होगी *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सर, मजदूरों को जबरदस्ती एक साल में रिटायर किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू : महोदय, बाढ़, चक्रवात अथवा भयंकर सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त किसानों की सहायता के लिए यह आसान प्रक्रिया थी। किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के कारण वर्ष 1970 में इसे बंद कर दिया गया है। यह वह उचित समय है जबकि सरकार को सूखे की स्थिति से त्रस्त लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। वे विशेषकर बोलनगीर, कालाहांडी जिलों तथा गंजम और अन्य जिलों में ऋण सहायता प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री रूपचन्द पाल : संसद का सत्र चल रहा है। इसे बेचने का सरकार को क्या अधिकार है? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको प्रक्रिया की जानकारी है। यह उचित तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपना नाम भी नहीं दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, यह उचित तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका नाम सम्मिलित किया जाएगा।

श्री रूपचन्द पाल : सरकार को उत्तर देने दें। *(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू : विशेषकर बोलनगीर कालाहांडी, बेरहामपुर तथा उड़ीसा के अन्य भागों में जो लोग अकाल की स्थितियों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं। ऋण प्राप्त करना एक दुष्कर कार्य है। क्या मैं सरकार को यह सुझाव दे सकता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों को संशोधित किया जाए, जैसा कि 1970 में किया गया था, ताकि किसानों को तकावी ऋण प्राप्त हो सके तथा इसकी वसूली भू-राजस्व के अंग के रूप में की जा सके?

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य का समर्थन करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सभापति महोदय, आज सुबह से किसानों के बारे में माननीय सदस्य चिन्ता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों ने पानी के लिए प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के समय रखी गई उनकी मांगे मान ली गईं। जब किसान प्रदर्शन स्थल से चले गए तो चार किलोमीटर दूर पलारी में राजेश राय नामक किसान की पुलिस ने गोली मार कर हत्या कर दी। पहले उनके खिलाफ धारा 302 की कार्रवाई नहीं हुई। जिस क्षेत्र में यह हत्या हुई, वहां से वन मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने प्रयत्न किया। वह भी संदेह के घेरे में हैं। इसी कारण बाद में धारा 302 की कार्रवाई होने के बाद दोषी पुलिस अधिकारियों और राज्यों के अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। केन्द्र सरकार के गृह मंत्री को हम सभी सांसदों ने मिल कर एक ज्ञापन दिया है कि धारा 302 के अन्तर्गत कार्रवाई के बाद

उनकी गिरफ्तारी की जाए। आज किसानों को लेकर चिन्ता व्यक्त की जा रही है। उनकी मांगें मानने के बाद केवल पानी छोड़ना था। मांगें मानने के बाद उन नेताओं ने कहा कि हम गेट खोलते हैं। धोखे में रख कर उस नौजवान की हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार कटघरे में है। इसलिए केन्द्र सरकार अपनी एजेंसी से इस मामले की जांच कराए। जिस लोक सभा क्षेत्र में यह हत्या हुई वह माननीय त्रिपाठी जी का क्षेत्र है। उन्होंने भी इसका नोटिस दिया है। आप केन्द्र सरकार को निर्देश दें ताकि इस मामले की जांच हो सके। दोषी अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।

डा० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, मैं भी इसमे अपने आप को सम्बद्ध करता हुं।

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : सभापति महोदय, किसानों ने सिंचाई और बिजली की मांगों को लेकर एक फरवरी को पल्लारी में प्रदर्शन किया। संबंधित अधिकारियों से बातचीत हुई। उनकी मांगें मान ली गईं। उस प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता डाक्टर प्रमोद राय जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, कर रहे थे। आन्दोलन समाप्त होन के बाद आन्दोलन स्थल से चार किलोमीटर दूर पुलिस ने षडयंत्रपूर्वक गोली चला दी जो सीधे राजेश राय के सीने में लगी। वह प्रमोद राय के भाई हैं। गोली आर-पार हुई और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। केवाड़ी विधान सभा क्षेत्र जहां यह गोलीकांड हुआ, वह मध्य प्रदेश के एक प्रभावशाली मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र हैं। दो साल से उनके परिवार को लगातार धमकी दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि अगर यह नेतागिरी बंद नहीं की तो निपटा दिए जाओगे। यह उसी का परिणाम है। इस मामले की एफ०आई०आर० दर्ज है। मध्य प्रदेश सरकार इस मामले की लीपा पोती करने में लगी है। एफ०आई०आर० दर्ज होने के बाद आज तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र एक जांच एजेंसी नियुक्त करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रहलाद सिंह जी ने पूरा विषय रख दिया है। आपने भी अपने विचार रख दिए हैं। अब आप बैठ जाएं।

श्री रामनरेश त्रिपाठी : आप इस बारे में केन्द्र सरकार को निर्देश दें। प्रदेश सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने आपकी बात को सुना है। वह चाहें तो कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, दुःखी मन से मैं एक महत्वपूर्ण। मुद्दा उठाना चाहता हूं। 20 फरवरी, 2001 को कांग्रेस के एक विधायक श्री मधुसूदन साहा को अगरतला में एक मस्जिद के बरामदे में कुछ दुराचारी लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी और यह स्थान पूर्वी अगरतला पुलिस स्टेशन से लगभग 200-250 मीटर के रेडियस के अंतर्गत है।

अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

अपराहन 1.00 बजे

यह एक साधारण हत्या नहीं है बल्कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक हत्या है। वस्तुतः, राज्य में हत्या का यह पहला मामला नहीं है किंतु पिछले कुछ महीनों के दौरान राज्य में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं।

(व्यवधान)

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, ये लोग सी पी एम से संबंधित नहीं थे। *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : मैंने यह नहीं कहा है कि वे सी पी एम से संबंधित थे। मैंने कहा है कि वे दुराचारी लोग थे।

सभापति महोदय : श्री चौधरी, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, ऐसे सभी मामलों में, राज्य पुलिस किसी भी अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करने में असफल रही है। इस प्रकार की हत्याएं त्रिपुरा राज्य में बढ़ रही हैं और विशेषकर ऐसी अवधि के दौरान बढ़ जाती हैं जब राज्य में कोई चुनाव संबंधी गतिविधि होती है। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस प्राधिकारियों की असफलता से त्रिपुरा में कानून और व्यावस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस प्राधिकारियों की लाचारी के परिणामस्वरूप आम जनता को भय के साये में रहना पड़ रहा है।

महोदय, इन परिस्थितियों में, मैं सरकार तथा इस सभा से अनुरोध करता हूँ कि कृपया ऐसे सभी मामलों में सी बी आई से जांच कराई जाए ताकि राज्य की जनता के मन से विभिन्न संदेह, विशेषकर श्री मधुसूदन साहा की मृत्यु से संबंधित संशय दूर हो सके।

श्री समर चौधरी : महोदय, राज्य सरकार द्वारा सी बी आई, जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं।

श्री संतोष मोहन देव : कब?

श्री समर चौधरी : कल ही।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। हममें से अनेक सदस्य सभा में यह मुद्दा उठाते रहे हैं। हमने केन्द्र सरकार से कहा कि वह राज्य तंत्र की सहायता करे और यदि जरूरी हो, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए संयुक्त प्रयास किये जायें। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस मामले में असफल रहीं हैं। लोगों की अब भी गुप्त रूप से हत्या की जा रही है तथा केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों को इन हत्याओं का कोई सुराग नहीं मिला है।

महोदय, ऐसे हथियार बंद गैंग हैं जो समाज में आजादी से घूम रहे हैं तथा वे स्वयं ही कानून हैं। मैं समझता हूं कि यदि किसी ग्रुप अथवा नागरिक को आंतक वादियों द्वारा धमकी दी जाती है, तो सरकार को इसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए तथा सरकार इसी

[श्री विजय हान्दिक]

उद्देश्य हेतु सेना और अर्ध-सैन्य बलों को काफी पहले से ही तैनात करती रही है। परंतु, क्या सरकार इतनी अयोग्य हो गई है कि वह अब इन हथियारबंद ग्रुपों को लाइसेंस और बिना लाइसेंस के हथियार विशेषकर अत्यधिक आधुनिक गन रखने की अनुमति एवं प्रोत्साहन दे रही हैं ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सकें और इस प्रकार सिविल प्रशासन को अप्रासंगिक बना दे? इससे भी बड़ी बात यह है कि ये समूह अब शांतिपूर्ण नागरिकों की गुप्त हत्याओं, जबरदस्ती वसूली करने और भय उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम किसी मध्य समाज को हिंसा और रक्तपात करने वाली ताकतों के हवाले कर रहे हैं। मैं ऐसा मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इन समूहों, आतंकवादियों और कानून बनाए रखने वाले बलों के हाथों मानवाधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन हो रहा है। महोदय, दो महीने की अवधि में असम में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे परिदृश्य में यदि हिंसा की घटनाएं इसी प्रकार जारी रहती हैं तो मुझे भय है कि यह चुनाव अत्यंत रक्तपात वाले चुनावों में से एक होगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं है? मैं जानता हूं कि केन्द्र सरकार इस बात को लेकर मौन क्यों है क्योंकि वह राज्य सरकार की असफलताओं को छिपाना चाहती है।

अत: मैं पुन: एक बार मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि ये हत्याएं बंद हों और राज्य में शांतिपूर्वक चुनाव हों।

डा० (श्रीमती) सी० सुगुण्ण कुमारी (पेद्दापल्ली) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं तथा इस पवित्र सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि हाल ही में बी डी एल, हैदराबाद में एक अत्यंत गंभीर किन्तु रोके जाने लायक दुर्घटना हुई थी जिसमें 1200 'मिलन' मिसाइल्स नष्ट हो गए थे। इस दुर्घटना में सैकड़ों करोड़ रुपये की क्षति हुई थी तथा हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया था।

महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि अति उत्साही अधिकारियों ने प्रदर्शन हेतु नकली मिसाइलों के स्थान पर जीवित मिसाइलें दाग दीं। उन्हें प्रत्येक मिसाइल को सुरक्षा लॉक में बन्द स्थिति में रखना चाहिए किन्तु उसे बन्द स्थिति में नहीं रखा गया था। एक अधिकारी ने संयोग से सुरक्षा लॉक को दबाया जिसके फलस्वरूप मिसाइलें सक्रिय हो गईं। मिसाइलों को ऐसम्बल करने के कार्य में प्रयोग किए गए प्राय: सभी अतिरिक्त पुर्जे घटिया किस्म के, अनुपयोगी और हानिकारक थे। रक्षा स्थापनाओं में समस्या का यह एक छोटा-सा रूप है। इस संबंध में पूरी तरह जांच किया जाना आवश्यक है। यदि एक महत्वपूर्ण एजेंसी की ऐसी घटिया कार्य स्थिति है, तो देश की रक्षा करना अत्यंत कठिन होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगी कि इस दुर्घटना की पूरी तरह जांच कराई जानी चाहिए तथा इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उन पर संगत कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके कारणों का पता लगाकर तत्काल निवारक उपाय किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.05 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.07 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*]

सभापति महोदय : नियम 377 के अधीन हमारे पास कई नोटिस आये हैं। माननीय अध्यक्ष की इच्छा थी कि उन नोटिसों को सभा पटल पर रखा जाए और अब हम विधायी कार्य कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : एक छोड़ेंगे तो सभी को छोड़ना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : तब मुझे उन सब को अपने अपने नोटिस रखने की अनुमति देनी होगी। माननीय अध्यक्ष ने निर्णय किया था कि उन नोटिसों को सभा पटल पर रखा जाए।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : तब ऐसे वक्तव्यों की क्या आवश्यकता है? वे सभी वक्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : वे सब महत्वपूर्ण हैं।

सभापति महोदय : वे कार्यवाही वृत्तांत का भाग बनेंगे।

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) उत्तर प्रदेश के बांसगांव में राप्ती नदी पर मौजूदा पुल को दोहरा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनारायण पासी (बांसगांव) : मेरे संसदीय क्षेत्र बांसगांव के अन्तर्गत-गोरखपुर के मध्य राप्ती नदी पर जो पुल बना हुआ है, उसकी समयावधि पांच वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी है। यह पूल राष्ट्रीय राजमार्ग 28-29 पर स्थित है तथा लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, कुशीनगर

*सभा-पटल पर रखे गये।

तथा सोनौली सहित अनेक महत्वपूर्ण बड़े शहरों को जोड़ता है। इस पुल से प्रतिदिन भारी तादाद में भारी वाहन गुजरते हैं जिनकी वजह से 8 8 घंटों तक जाम लग जाता है। सामरिक दृष्टिकोण से भी इस पुल का बड़ा ही महत्व है क्योंकि काश्मीर से लेकर गोहाटी, हिमाचल प्रदेश तक को यह पुल जोड़ता है। यह पुल नेपाल सीमा के निकट है और चीन की सीमा भी इस पुल के नजदीक है। इस पुल के निकट ही वायु सेना का हवाई अड्डा और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है।

अत: केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि तुरन्त कारगर कदम उठाकर वहां पर दोहरे पुल का निर्माण अविलम्ब करायें।

(दो) उत्तर प्रदेश के जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : उत्तर रेलवे के जाफराबाद-लखनऊ रेल लाइन पर जौनपुर सिटी स्टेशन पर वहां की जनता काफी समय से कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण की मांग करती आ रही है और कई बार यह विषय सदन में उठा भी है।

उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा जनपद है और यहां के अधिकांश निवासी मुम्बई, कोलकत्ता अपनी रोजी रोटी के लिए आते जाते हैं और उन्हें रेल आरक्षण के लिए वाराणसी और इलाहाबाद जाना पड़ता है।

अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसी बजट में जौनपुर सिटी स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र की स्थापना करने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

(तीन) कर्नाटक के होलालकेरे तालुक में बंगलौर-हुबली रेल मार्ग पर अरबगटटा में हाल्ट की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा (दावणगेरे) : मैं होलालकेरे तालुक में अरवगत्ता पर हाल्ट की व्यवस्था करने के संबंध में रेल मंत्री को भेजे गए उस अभ्यावेदन की ओर रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसपर बंगलोर-हुबली मार्ग के गांवों के साथ-साथ स्थित 12 गांवों के विभिन्न समूहों और लोगों के हस्ताक्षर हैं। अरबगत्ता मध्य भाग में स्थित है तथा के. एम. संख्या 53 के रेल मार्ग के अत्यधिक नजदीक है। इन सभी गांवों के लोग दूर स्थित बाजार, कार्यालय, न्यायालय, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज जाने में कठिनाई का सामना करते हैं। इन गांवों के लोग होलालकेरे तालुक में अरबगत्ता पर हाल्ट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अरबगत्ता पर यह हाल्ट 12 गांवों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया होलालकेरे तालुक, कर्नाटक में अरबगत्ता पर हाल्ट दिए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु रेलवे प्राधिकारियों को निर्देश दें।

सभा पटल पर रखे गये।

(चार) दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत आने वाले ताप विद्युत केन्द्रों पर ठेका श्रमिकों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : दामोदर घाटी निगम के विभिन्न थर्मल स्टेशनों में ठेका मजदूरों के लिए अलग-अलग नियम लागू होते हैं। इसी प्रकार चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन और बोकारो थर्मल पावर में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी एवं मुआवजा प्रदान करने का मामला लंबित है। इन सारे बिन्दुओं पर मैंने सरकार एवं दामोदर घाटी निगम प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट कराया परन्तु आज तक कोई साकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई।

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर प्रतिष्ठान के 207 ठेके मजदूरों को वर्ष 1994 तक ग्रुप 'सी' के पद स्थायी कर लिया गया है जबकि चन्द्रपुरा में 685 कार्यरत मजदूरों में से 235 मजदूरों को ग्रुप 'सी' के पद पर स्थायी किया गया। शेष लगभग 450 मजदूर स्थायीकरण से वंचित है। बोकारो ताप विद्युत केन्द्र में 700 मजदूरों में से मात्र 45 मजदूरों को कुछ माह पूर्व स्थायी किया गया है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एक जांच दल गठित कर ठेका मजदूर एवं मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उचित न्याय दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।

[अनुवाद]

(पांच) दिल्ली में भ्रष्ट भवन निर्माताओं के कार्यकलापों की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : गुजरात में भ्रष्ट भवन निर्माताओं द्वारा निर्माण किए गए अनधिकृत भवन हाल में आए भूकम्प के दौरान सबसे पहले गिर गए जिसके फलस्वरूप जान-माल की अत्यधिक क्षति हुई।

दिल्ली में इन भ्रष्ट भवन निर्माताओं द्वारा अनेक अनधिकृत ऊंचे भवन और अन्य ऐसी इमारतें भी तैयार की गई हैं जो दिल्ली में कभी भूकंप आने की स्थिति में वैसा ही विनाश कर सकती हैं सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए तथा निवारणात्मक कार्रवाई हेतु इन सभी भवन निर्माताओं के नाम दर्ज कर लेने चाहिए ताकि दिल्ली में आगे कभी ऐसी स्थिति आने पर किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचा जा सके।

[हिन्दी]

(छह) बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : आर्थिक विकास में सूचना प्रोद्यौगिकी की बढ़ती हुई भूमिका तथा रोजगार प्रदान करने में इस क्षेत्र की संभावना को देखते हुए बिहार में राष्ट्रीय स्तर के एक सूचना प्राद्यौगिकी संस्थान (इन्स्टीन्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टैक्नोलॉजी) की स्थापना की आवश्यकता है। अभी बिहार में इक्के-दुक्के संस्थानों को, जो निजी क्षेत्र में चलाये

[श्री राजो सिंह]

जाते हैं, छोड़कर बड़े पैमाने पर सूचना प्रोद्यौगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई संगठित व्यवस्था नहीं है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्यौगिकी संस्थान शोध खुलवाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

(सात) कर्नाटक में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : स्वतंत्रता प्राप्ति के 53 वर्षों के बाद भी, देश के अधिकतर गांव पेय जल की समस्या का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक के छह जिलों आर्थात् (1) हसन के चार तालुकों (2) कोलार जिला (3) तुमकुर (4) बंगलौर के दक्षिणी भागों (5) चित्रदुर्गा तथा (6) मैसूर में यह समस्या अत्यंत व्यापक है। बेल्लारी और हिन्दुपुर जिले भी पेयजल की इस समस्या का सामना कर रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से, न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार इस बारे में कुछ कर सकी है।

कर्नाटक में कुमार धारा, केम्पूहोले नेत्रावती जैसी महत्वपूर्ण नदियां हैं। काफी मात्रा में इन नदियों का जल विशेषकर मानसून के मौसम के दौरान समुद्र में गिरकर बेकार जाता है। इन नदियों के जल का मार्ग बदलने, उसका भंडारण करने और ग्रामीण जनता के लिए पीने एवं कृषि उद्देश्यों से जल उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे उपयुक्त नदियों का जलमार्ग बदलने तथा कर्नाटक राज्य की ग्रामीण जनता की सहायता करने के लिए पर्याप्त निधियों का आवंटन करें।

(आठ) गुजरात में आए भूकंप को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : गुजरात राज्य में 26.1.2001 के आए भूकंप के परिणामस्वरूप राज्य में 8792 गांवों और लगभग 2 करोड़ लोगों पर प्रभाव पड़ा। जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके संबंध में सही आंकड़ों की अब तक जानकारी नहीं है। हजारों लोग घायल हुए हैं। लाखों घर ध्वस्त अथवा नष्ट हो गए हैं। तकनीकी कारणों से इसे 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित नहीं किया गया है। गुजरात आपदा को 'राष्ट्रीय आपदा' के रूप में समझा जाना चाहिए तथा गुजरात के जरूरत मंद लोगों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(नौ) देश में घरेलू उद्योगों, विशेषत: कृषि क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : हम अपने आर्थिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के साथ हुए समझौते के कारण हमारे किसान अपने कृषि उत्पादों के लिए कोई बाजार न पाकर आत्महत्या कर रहे हैं चावल और अन्य वस्तुएं बिना कोई आयात कर लगाए विदेशों से लाई जा रही हैं जिसके फलस्वरूप चावल और अन्य वस्तुएं घरेलू उत्पाद की तुलना में सस्ती हैं। उर्वरक पर दी जा रही राजसहायता पहले ही हटा ली गई है। अत:, उत्पादन संबंधी लागत आयातित चावल और अन्य वस्तुओं की अपेक्षा ज्यादा हैं। विकसित देशों ने अपने घरेलू बाजारों के संरक्षण के लिए कानून बनाए हैं। अमेरिकी सरकार ने उनके संरक्षण के लिए कानून तैयार किए हैं। हमारी सरकार न केवल कृषि उत्पादों बल्कि इस्पात और अन्य ऐसे उत्पादों के संबंध में भी घरेलू बाजार के संरक्षण के लिए कानून नहीं बना रही है।

अत: मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि वह घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए कानून बनाए ताकि भारत की जनता आत्मनिर्भर हो सके।

(दस) विशाखापत्तनम में नेचर पार्क के विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम शहर एक प्रमुख और मनोहर शहरी क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह एक ऐसा औद्योगिक शहर है जो तेजी से विकसित हो रहा है और राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में इसका महत्व बढ़ा है। शहर के अंदर पर्यावरणीय शिक्षा एवं मनोरंजन का स्थान होना बहुत अनिवार्य है। आंध्र प्रदेश के वन विभाग ने एक नेचर पार्क के सृजन और विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार की है। परियोजना की लागत अनुमानत: 15.82 करोड़ रुपये लगायी गयी है। नेचर पार्क कम्बलाकोंड वन क्षेत्र ब्लॉक में 6832 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है। आंध्र प्रदेश सरकार का यह अनुरोध संघ सरकार के पास लंबित हैं अत:, मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान करें तथा परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था करे ताकि विशाखापत्तनम शहर की पर्यावरणीय, शैक्षिक, मनोरंजन तथा सौंदर्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में मुगलसराय-लखनऊ-मुरादाबाद रेलमार्ग का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश होने के बावजूद प्रदेश के लिए स्वीकृत रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है। उत्तर प्रदेश का कुल रेल मार्ग किलोमीटर किसी भी प्रदेश से सबसे अधिक होने के बावजूद रेल विद्युतीकरण के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां मुख्यत: केवल एक मेन लाइन मुगलसराय-इलाहाबाद-कानपुर-अलीगढ़ होते हुए गाजियाबाद रेलमार्ग का ही विद्युतीकरण किया गया है। इस रेल मार्ग पर क्षमता से अधिक रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। अत: उत्तर प्रदेश के मुगलसराय-लखनऊ-मुरादाबाद रेलमार्ग का विद्युतीकरण आवश्यक है। इस रेल मार्ग के विद्युतीकरण से जहां पूरब की ओर कलकत्ता, पटना, वाराणसी तथा पश्चिम बंगाल में अम्बाला, चण्डीगढ़, लुधियाना आदि को बिना कर्षण बदले द्रुतगामी गाड़ियों से जोड़ा जा

सकता है वहीं इंटरसिटी लोकल गाड़ियां चलाकर क्षेत्रीय लोगों को आसपास की जगहों में जाने की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुगलसराय-लखनऊ-मुरादाबाद रेल मार्ग का विद्युतीकरण शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए।

(बारह) गुजरात में भूकंप से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता

कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली (वाशिम) : गुजरात में आये भूकम्प से मरने वाले व्यक्तियों के वास्ते सरकार क्या कदम उठा रही है? उनके परिवार के बचे हुए व्यक्तियों के रहने के लिए घर बनाने का कार्य कब तक पूरा किया जायेगा। साथ ही साथ इनके बचे परिवारजनों को नौकरी तथा उचित मुआवजा दिलाने का कष्ट किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

(तेरह) बुंदेलखंड क्षेत्र में निःशुल्क बोरवेल स्कीम लागू किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा) : उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश का उत्तरी-भू-भाग बुन्देलखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश के सात जिले तथा मध्य प्रदेश के कई जिले शामिल हैं। कई करोड़ की जनसंख्या का यह विशाल भूभाग कंकरीला-पथरीला, ऊंचा-नीचा होने के साथ-साथ इस वर्ष अल्पवृष्टि एवं समयानुकूल वर्षा न होने के कारण सूखा से प्रभावित हुआ है। धान, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि खरीफ की फसलें तथा गेहूं-चना-मटर आदि रबी की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। बिजली न मिलने तथा सिंचाई के साधनों के विस्तार में व्यवधान पड़ने के कारण सूखी खेती को बचाया नहीं जा सका। किसानों में सिंचाई के लिए लोकप्रिय फ्री बोर योजनाओं के लिए धन आबंटन नहीं किया गया जिससे फ्री बोर योजना ठप्प पड़ी है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई सुविधायें देने तथा सतत् सूखा प्रभावित क्षेत्र में ठप्प पड़ी फ्री बोर योजना को तीव्र गति से चलाने की महती आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाये।

[अनुवाद]

(चौदह) दलित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री डी० वेणुगोपाल (तिरुपत्तूर) : हमारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने युगों से दलित जीवन जिया है। हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात ही उन्हें संवैधानिक गारंटी के साथ शैक्षिणिक संस्थाओं और नौकरियों में सामाजिक न्याय के रूप में आरक्षण मिला। किंतु उन्हीं जातियों के लोग यदि ईसाई बन जाएं तो उन्हें ये अधिकार नहीं मिलते। जो दलित हजारों वर्षों से पददलित का जीवन जीते आए हों वे दलित ईसाई बनते ही उच्च वर्ग अथवा समाजिक और शैक्षिक रूप से अगड़े नहीं हो जाते। आज भी उन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। जैसा कि देश के कुछ भागों में देखा गया है, छूआछूत और जाति भेद का सबसे अधिक दुष्प्रभाव दलितों विशेषत: दलित ईसाइयों पर पड़ता है। अत: सभी दलितों को चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, संविधान द्वारा गारंटी दिये गए अधिकार और मानवाधिकार दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में वर्ष 1974 में ही सरकार ने दलित ईसाइयों को भी पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित किया था।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह संविधान को उपयुक्त रूप से संशोधित करने हेतु कदम उठाए ताकि सभी दलितों को सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव किए बिना समान सामाजिक न्याय मिल सके।

(पंद्रह) बंग्लादेश क्षेत्र में इण्डियन एन्क्लेवों में रह रहे भारतीय नागरिकों की जनगणना आरम्भ किये जाने की आवश्यकता

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : मैं बांग्लादेशी राज्य क्षेत्र में घिरे भारतीय एन्क्लेवों में रह रहे लगभग 2 लाख भारतीय नागरिकों की खराब जीवन दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनके पास आज तक कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और उनकी जीवन दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भारत की स्वतंत्रता के पचास वर्ष पश्चात भी ये भारतीय पूरी तरह से बांग्लादेशी लोगों की दया पर जी रहे हैं।

अब भारत में सब जगह जनगणना चल रही है किंतु इन एन्क्लेवों में नहीं चल रही।

विगत पचास से अधिक वर्षों में बांग्लादेशी राज्यक्षेत्र में भारतीय एन्क्लेवों में रह रहे इन भारतीयों की गणना के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है और दूसरी ओर हमारी सरकार भारतीय राज्यक्षेत्र में बांग्लादेशी एन्क्लेवों में बांग्लादेश सरकार द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली जनगणना में हमेशा पूर्ण सहयोग करती है।

अत: मेरा आग्रह है कि तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि इन भारतीय एन्क्लेवों में जनगणना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो सके।

अपराह्न 2.09 बजे

[हिन्दी]

भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।

महोदय, यह मई, 1998 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा श्री पी०सी० जैन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था जिसने इस बात का निर्णय किया कि कौन-कौन से अधिनियम, अब अपना महत्व खो चुके हैं, उन्हे निरस्त कर दिया जाये, रिपील कर दिया जाये। उसमें जो केन्द्रीय अधिनियम थे, उनमें से एक अधिनियम

[डॉ० मुरली मनोहर जोशी]

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी शामिल था। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 1904 में , उस जमाने में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता, इलाहाबाद, लाहौर, मुम्बई और मद्रास, इन पांचों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक अधिनियम बनाया था।

जिसके द्वारा पांचों विश्वविद्यालयों का काम चलता था। लेकिन इधर स्वाधीनता के पश्चात् भी और उसके पहले भी इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग आंधनियम बन गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय का अलग अधिनियम है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अलग अधिनियम है, मुम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों के भी अलग-अलग अधिनियम हैं, अलग-अलग एक्ट्स हैं और ये सभी राज्य सरकारों द्वारा चलते हैं। लाहौर का तो अब इस अधिनियम से संबंध ही नहीं है। यह अधिनियम अब महत्वहीन हो गया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमने राज्य सरकारों से भी परामर्श किया है और उनका भी यह कहना है कि अब यह अधिनियम 1904(8) किसी भी हालत में उपयोग के लिए नहीं है इसलिए इसे निरस्त किया जाए। यह एक निरुपयोगी अधिनियम के रूप में है। इसलिए मैं सदन से सिफारिश करता हूं कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और इस अधिनियम को निरस्त किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : सभापति महोदय, मुझे मंत्री महोदय से और कुछ नहीं कहना है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है लेकिन निरसन शब्द से आसान शब्द भी तो जोड़ा जा सकता है। वे तो खुद यूनीवर्सिटी के प्रोफैसर हैं, जाने-माने विद्वान हैं। निरसन शब्द इतना कठिन हो जाता है कि अंग्रेजी से भी भारी पड़ जाता है।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : कानून के शब्द का जो वैधानिक अनुवाद है, उसके अनुसार रिपील के लिए कानूनी तौर पर जो अनुवाद किया गया है, वह निरसन है। इसलिए इसे किया है।

[अनुवाद]

श्री एम०ओ०एच० फारूक (पांडिचेरी) : महोदया, मैं आपका और माननीय मंत्री जी का सुझाव तो स्वीकार करता हूं किंतु मैं एक मामला माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी को पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में जो नियम हैं। वे बड़े ही जटिल हैं। कार्यालयों में काम करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो त्यागपत्र देकर निर्वाचन में खड़े हो जाते हैं। यदि वे हार जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। यह कहां तक ठीक है? मैं इसके बारे में माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। यदि कोई राजनीति में आना चाहता है तो आए। लेकिन यह तो कोई बात नहीं कि एक पैर विश्वविद्यालय में रहे और दूसरी राजनीति में। यही कारण है कि मामला इतना बिगड़ गया है कि राजनीति विश्वविद्यालयों में पहुंच गई है।

भले ही इस विधेयक से इसका संबंध न हो फिर भी मैं माननीय मंत्रीजी की जानकारी में इसे लाना चाहता हूं। ऐसा कलकत्ता, पांडिचेरी और अन्य स्थानों में होता है। इसलिए माननीय मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी बुद्धि लगाएं और सुनिश्चित करें कि किसी को ऐसी सुविधा न मिले।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदया, मेरे साथी श्री फारूक द्वारा उठाए गए मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में माननीय मंत्रीजी बड़े उत्साही प्रतीत हो रहे हैं। इमरजेंसी के दिनों में उनकी पार्टी ने ये काम करने का प्रयास किया था, न केवल सार्वजनिक जीवन में बल्कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी जहां कहीं भी विद्रोह की आवाज उठी वहीं उसे दबाने का प्रयास किया। उनकी पार्टी ने ऐसी आवाजों को दबाने का प्रयास किया था।

महोदय, मैं इस विधान से सहमत हूं जो प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए बने आयोग का परिणाम है। यह ऐसा विधान है जो अब संगत नहीं है और पुराना पड़ गया है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई संगत विधान पहले ही प्रभावी हो चुके हैं।

इसके अलावा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ब्रिटिश राज की देन था जिसका एक मात्र उद्देश्य 'अंग्रेजों के गुलाम' पैदा करना था।

[हिन्दी]

अंग्रेजों के गुलाम के खिलाफ बिहार में जब संघर्ष चल रहा था,

[अनुवाद]

ठीक उसी समय देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय शिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा चुके थे पूर्वी भाग में भी ऐसा एक केन्द्र स्थापित किया गया था जो आज जाधवपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रवीन्द्र नाथ टैगोर, सुभाषचंद्र बोस, सुबोध मलिक और कई अन्य विख्यात शिक्षाविदों का इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहे हैं। गांधीजी के आह्वान पर कई विद्यार्थियों ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन चल रही इन संस्थाओं को छोड़ दिया था। ऐसे अनेक लोग थे किंतु मैं उनका नाम नहीं ले रहा। उदाहरण के लिए डा० त्रिगुणा सेन जो कभी इसी अध्यक्ष पीठ पर बैठते थे माने हुए शिक्षा मंत्री थे, वे भी इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। वह कुछ समय के लिए जाधवपुर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष थे।

डा० मुरली मनोहर जोशी : वह प्रोफेसर भी थे।

श्री रूपचन्द पाल : जी हां, आप ठीक कह रहे हैं। और भी कई लोग थे। मैं सभा का और समय नहीं ले रहा क्योंकि माननीय मंत्रीजी को भी यह सब पता है। मैं कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद अनेक आयोग बने हैं जैसे कोठारी आयोग और डा. राधाकृष्णन

जैसे कद्दावर शिक्षाविद हुए हैं। मैं इन सब बातों की गहराई में नहीं जा रहा। देश के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए उदार शिक्षा का उद्देश्य प्रमुख समझा जाता था। इमरजेंसी के दिनों में ही नहीं बल्कि अलग-अलग समय पर भी विचलन हुआ है, मैं इन विचलनों का जिक्र यहां नहीं कर रहा। लेकिन मोटे तौर पर कहें तो इस बात पर राष्ट्रीय आम सहमति रही है कि सभी स्तरों पर प्राथमिक स्तर से उच्चतर शिक्षा के स्तर तक, विश्वविद्यालय स्तर तक, चाहे विज्ञान की शिक्षा हो चाहे प्रौद्योगिकी की, उचित, संगत, सार्थक शिक्षा प्रणाली वाले देश का निर्माण कैसे किया जाए। आज हमारे पास तय करने के लिए लम्बा रास्ता है और हमारे विश्वविद्यालयों से सर्वश्रेष्ठ छात्र निकल कर आ रहे हैं विशेषत: भारतीय प्रौद्योगिकि संस्थानों और इन संस्थानों से तथा ये छात्र न केवल सिलिकॉन घाटी या जर्मनी या किसी अन्य स्थान पर बल्कि विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में भी अपनी धाक जमा रहे हैं। केवल प्रो. अमर्त्य सेन ही नहीं है, मेरी सम्माननीय साथी प्रो० कृष्णा बोस के पुत्र भी हैं जो हार्वार्ड विश्वविद्यालय में उच्च पद पर आसीन हैं। और भी कई हैं मैं इन सबका नाम नहीं ले रहा हूं। किंतु दुर्भाग्य से, इस सरकार के आने के बाद, मैं थोड़ा कठोर शब्द प्रयोग करूंगा, ये लोग उत्कृष्टता के केन्द्रों में, विश्वविद्यालयों में और इन सब स्थानों पर उदार वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ये लोग विकृत दृष्टि से पाठ्यक्रम को बदलकर शिक्षा को साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं तथा मन में विशेष उद्देश्य रखते हुए भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद या भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और ऐसी ही अन्य विख्यात निकायों जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिए ही समितियों का गठन किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में शीर्ष प्रशासन में राजनैतिक रूप से समर्पित अध्यापकों को रखने की जोरदार मुहिम चल रही है। इससे राष्ट्र के शैक्षणिक हितों की ही हानि नहीं हो रही बल्कि बाहर वालों की नजर में इन संस्थाओं की प्रतिष्ठा भी घट रही है।

मैं आपको कितने ही उदाहरण दे सकता हूं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनका नाम लेना मेरे लिये ठीक नहीं हैं में और यहां तक कि उत्तरी भारत में कई उत्कृष्ट एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित केन्द्रों तथा दिल्ली में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं कि इनमें सामुदायिक दृष्टिकोण वाले ऐसे वफादार व्यक्तियों को लाया जाये जो इस तरह से सभी चीजों का समायोजन करें कि उनकी गुप्त कार्यसूची में दिये वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

मेरे विचार से, इस सभा में कई बार यह मुद्दा उठाया गया है। किन्तु इस सरकार ने इससे कोई सबक नहीं लिया है। मैं इस सरकार के कुछ सहयोगियों, जो धर्मनिरपेक्षता के प्रति निष्ठा रखते हैं, से अपील करना चाहता हूं कि वे भी खड़े हो जायें और हमारी शिक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालयों को साम्प्रदायिक बनाने के प्रयास और ऐसे कुछ लोग उनका जिन्हें इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। को नियुक्त करके जिन्हे इस विषय से संबद्ध प्रबुद्ध लोगों ने कभी भी इतिहासकार नहीं माना है, अत्यन्त घटिया तरीके से इतिहास रचने के पुन: प्रयास करने का विरोध करना चाहिये।

अगली बात बजट के बारे में है वर्षों से शिक्षा और विशेष रूप से उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के लिये बजटीय प्रावधानों पर ही गाज गिरती आयी है। मेरे विचार में माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि इस क्षेत्र के लिये अधिक प्रावधान करने के लिये कुछ गम्भीरता से सोचना चाहिये। ऐसे बहुत से साधन हैं, जिनका पता लगाया जाना चाहिये। यहाँ ये सब सुझाव देने का मौका नहीं है। मैं अपने सुझाव सामान्य बजट पर चर्चा करते हुये और अन्य अवसरों पर दूंगा।

किन्तु शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा और अनुसंधान आज उनके हाथों में एक अवसाद का कारण बनी हुई है। और विशेष रूप से ऐसा तब किया जा रहा है जब सम्पूर्ण विश्व हमारी ओर देख रहा है। हमारे पास मानवशक्ति की पूंजी और बौद्धिकता के अपार स्त्रोत हैं यदि उन्हें उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है और इन मानव संसाधनों में समुचित कौशल शामिलकर लिया जाये तो हम शिक्षा के क्षेत्र में न केवल देश ही में बल्कि विदेशों में और तो और सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और कई अन्य क्षेत्रों में भी विश्व में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं।

किन्तु सरकार उच्च शिक्षा और अनुसंधान में कैसे सुधार किया जाये इस बात को गंभीरता से लेने के बजाय सभी विश्वविद्यालयों का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है और इस तरह से औद्योगिक घरानों के हितों को ही पूरा कर रही है तथा अनुसंधान कार्य व्यापक राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ता की अपेक्षा इन लोगों को सौंपा जा रहा है। मैं निजीकरण का विरोधी नहीं हूं किन्तु उच्च शिक्षा में कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र भी हैं, जहां निजी क्षेत्र के हितों के चलते कोई धनराशी प्रदान नहीं की जाएगी। वे केवल उन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान देगें, जहां वे अपने वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये कुछ लाभ अर्जित कर सके। ऐसी स्थिति में सरकार को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक बार पुन: ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही निजीकरण ऐसे उत्कृष्ट केन्द्रों को जो उन्हें मदद करने के लिए अथवा उनमें सुधार लाने के लिये मौजूद हैं, को बरकरार रखने हेतु निधियां प्रदान करने का उपाय नहीं है क्योंकि निजीकरण के जरिये ऐसा नहीं हो पायेगा।

यहां विश्वविद्यालय में शिक्षकों की समस्या है। मैं उन सभी का नाम नहीं ले रहा हूं। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह समस्या है। हमारा लक्ष्य है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च शक्ति बने किन्तु देश में सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में समझ बहुत कम है। हम पाकिस्तान से केवल एक कदम आगे हैं और जब हम विकसित प्रश्चिमी देशों के साथ ही नहीं बल्कि एशिया के छोटे देशों और कुछ अन्य देशों से तुलना करें, तो लगता है कि अभी तक वहीं पर हैं। मेरा तात्पर्य यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कुशाग्रता से है।

हमारे बेहतरीन सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यावसायिक लोग सिलीकॉन घाटी और कई अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं। हम आई आई टी और ऐसे अन्य संस्थानों से श्रेष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी प्रेशेवर लोग तैयार कर रहे हैं।

किन्तु एक मोटी गणना के अनुसार, हम आई टी संस्थानों में शिक्षकों की गम्भीर समस्या का सामना करने जा रहे हैं। अत: हमें नवीन तरीकों के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि हम उस अन्तर को भर सकें, क्योंकि अब से चार अथवा पांच वर्षों के भीतर यदि हम विदेशों के लिये ही नहीं अपितु अपनी घरेलु आवश्यकता के लिये व्यावसायिक लोगों

[श्री रूपचन्द पाल]

की अधिक संख्या को तैयार नहीं करते हैं तो हम इस क्षेत्र में वर्चस्व की अपनी विश्वव्यापी स्थिति को बरकरार नहीं रख पायेंगे। अत: केवल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही शिक्षकों की समस्या नहीं है, अपितु जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में, सीमान्त विज्ञान के संबंध में और यहां तक कि आधारभूत अनुसंधान तथा ऐसे कई अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी समस्यायें हैं।

एक निर्दिष्ट अवधि शायद 2003 तक, सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को रैंक देने की ओर कार्य चल रहा है। यह रैंक प्रदान करने का कार्य कुछ लोगों के विचारों के अनुसार नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि प्रतिष्ठित संस्थानों, जिन्होंने इस देश का मान, सम्मान और शैक्षणिक उपलब्धियाँ प्राप्त करने में योगदान दिया है, को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अत: इसे और पारदर्शी होना चाहिये। और साथ ही इसके पीछे व्यापक और अर्थपूर्ण तर्क होना चाहिए. यह रैंक अव्यवस्थित तरीके से नहीं दिया जाना चाहिये।

मानित विश्वविद्यालयों के बारे में यह अच्छा प्रयास है कि सभी श्रेष्ठ केन्द्रों जिन्हें अभी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता नहीं मिली है, के संबंध में मानित विश्वविद्यालय के रूप में विचार किया जाना चाहिये। किन्तु मानित विश्वविद्यालय के रूप में विचार करना एक बात है और ऐसे विश्वविद्यालयों के द्वारा बांछित आवश्यक निधियां प्रदान करना एक अन्य बात हैं। यहां बहुत से विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें मानित विश्वविद्यालय माना जा रहा है, किन्तु निधियां की कमी के साथ अपनी उपलब्धियां प्राप्त करना जारी रखना, श्रेष्ठ केन्द्र के रूप में अपना कार्य निष्पादन जारी रखना अत्यन्त कठिन है मैं किसी विशेष संस्थान, जो मेरे दिमाग में है, का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, किन्तु माननीय मंत्री जी को अवश्य ऐसे कुछ संस्थानों को जानना चाहिये जो मानित विश्वविद्यालय माने जाते हैं।

तत्पश्चात, विशेष रूप से विश्वविद्यालय शिक्षक एक बात के बारे में गम्भीर रूप से दु:खी हैं कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जिस योजना को चला रही हैं, उसमें यह परिषद बिलकुल भी सक्षम नहीं है और शिक्षकों ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की इस योजना को अस्वीकृत करने का आह्वान किया है।

स्वतंत्रता से आज तक एक क्षेत्रीय असंतुलन है। तथापि पूर्वोत्तर क्षेत्र में, वर्तमान में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, किन्तु देश के विभिन्न भागों में, उच्च शिक्षा के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन है। इस सरकार के लिये प्रमुख चिन्ता का विषय यह होना चाहिये कि इसे जल्दी से जल्दी कैसे सुधारा जा सकता है। मैं इस सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिये हमारे पास केवल एक घण्टा है।

श्री रूपचन्द पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं सरकार के शैक्षणिक संस्थानों को साम्प्रदायिक बनाने, पाठ्यक्रम को साम्प्रदायिक रूप देने की अपनी गुप्त कार्यसूची को मूर्त रूप देने तथा इसे आगे बढ़ाने और इस देश के इतिहास को पुन: लिखने का प्रयत्न करने के योजनाबद्ध, तरीकों का पूर्णत: विरोध करता हूं। सरकार की इन विश्वविद्यालयों को चलाने के बारे में सही सोच नहीं है और साथ ही उच्च शिक्षा अनुसंधान हेतु तथा श्रेष्ठ केन्द्रों के लिये पर्याप्त निधियां प्रदान नहीं की जाती हैं।

सरकार को इन सब पर पुन: विचार करना चाहिये और जब वे अगले बजट में अपनी अनुदान हेतु मागें रखें तो मेरा विश्वास है और आशा है कि यह सरकार इन विकृतियों को ठीक करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी और जो गलतियां अभी तक हो चुकी हैं, उन्हें ठीक करेगी और उच्च शिक्षा के केन्द्रों में उदारवादी माहोल लाने के लिये बेहतर सुविधायें प्रदान करेगी।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदया, मैं भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। यह एक पुराना अधिनियम है। यह वर्ष 1904 में अधिनियमित किया गया था, और अब इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसे बहुत पहले निरस्त कर दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने अब इसे निरस्त करने का विचार किया है और यह एक अच्छा लक्षण है।

मैं इस अवसर का उपयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में दो शब्द कहने के लिए करना चाहता हूं। मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं। आप विश्वविद्यालयों में शिक्षा औसत दर्जे की ही रह गयी है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई विश्वविद्यालयों के पास महाविद्यालयों को संबद्ध करने, उनका मार्गदर्शन करने, अपेक्षित पाठ्यक्रम का निर्णय करने तथा उसे वर्तमान आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा ए आई सी टी ई विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन कर रहे हैं परंतु उनके पास प्रत्येक विश्वविद्यालय की सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त प्रणाली नहीं है। संभवत: अनुदान उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा के आधार पर दिए जाते हैं न कि गुणात्मक परिणामों के आधार पर। संबद्ध महाविद्यालयों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि वे इस प्रकार के विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं। यह उपयुक्त समय है कि उच्च शिक्षा के मामले में विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता हासिल करने तथा अनुसंधान कार्यों को करने के लिए मार्गदर्शन किया जाए ताकि इन विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में देश की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें। इन विश्वविद्यालयों को उनकी अनुसंधान गतिविधियों, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात तथा उनकी उत्कृष्टता के आधार पर रैंक प्रदान किया जाना चाहिए जिससे ये विश्वविद्यालय प्रेरित होंगे। यदि वे रैंकिंग में नीचे होंगे तो उन्हें इसकी जानकारी होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हम विद्यार्थियों को रैंक प्रदान करते हैं, यह उपयुक्त समय है कि हम उसी प्रकार विश्वविद्यालयों को भी रैंकिंग करें।

विश्वविद्यालय अधिनियम ने हाल ही में कुछ विश्वविद्यालयों को मानित विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी है। उच्च शिक्षा के स्तर पर ये सारी चीजें भ्रम पैदा करने वाली हैं, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि वास्तविक आवश्यकता क्या है और किन्हें मानित विश्वविद्यालय माना जाता है। मानित विश्वविद्यालयों के लिए अत्यन्त साधारण शर्तें रखी गयी हैं। कुछ को तो उनकी सक्षमता की जांच किए बिना ही मानित विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जा रही है। अंतत: जब वे मानित विश्वविद्यालय बन जायेंगे तो डिग्रियां भी प्रदान करेंगे। इन

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गयी डिग्रियों का भी कुछ महत्व होना चाहिए। यह उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा तथा विद्यार्थियों को मिलने वाले नौकरियों से संबंधित होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का उदारीकरण कर दिया गया है। हम उदारीकरण के विरुद्ध नहीं हैं क्योंकि सरकार उच्च शिक्षा पर आने वाले अत्यधिक खर्च का वहन नहीं कर सकती। साथ ही, अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखना है उन्हें बनाए रखना है।

ए०आई०सी०टी०ई० के मामले में सभवत: राजनीतिक या अन्य दवाबों के कारण, जो भी आवेदन करता है उसे मान्यता दे दी जाती है जिससे इतने अधिक महाविद्यालय सामने आ गए हैं। प्रत्येक राज्य तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक महाविद्यालय स्थापित करने की होड़ में शामिल है। अंतत: इस प्रकार के महाविद्यालय एक प्रकार का मजाक बन गए हैं क्योंकि उनके पास शिक्षकों और बुनियादी ढ़ाँचे का अभाव हैं। फिर भी वे विश्वविद्यालयों पर डिग्रियाँ देने कि लिए दबाव डाल रहे हैं। पर इस डिग्री का कोई मूल्य नहीं हैं। अंतत: इसके कारण हमारे देश को नुकसान झेलना पड़ेगा।

महोदया, हम अपने सूचना प्रोद्यौगिकी स्नातकों को विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहें हैं। परंतु दुर्भाग्यवश उनमें से कई को वापस आना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वहां पर परीक्षण में सफल नहीं हो पाते हैं। अन्य देशों में परीक्षण में उनका असफल होना हमारे विश्वविद्यालय जहां से वे डिग्रियां प्राप्त करते हैं की अक्षमता को प्रतिबिम्बित करता हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो पूरा देश बहुत जल्दी अपनी शैक्षिक प्रतिष्ठा खो देगा।

महोदया, चूंकि माननीय मंत्री स्वयं एक विद्वान प्रोफेसर हैं, और उच्च शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, मैं उनसे उनुरोध करना चाहता हूँ कि वे ऐसे कदम उठाएं जिससे इस देश में उच्च शिक्षा का स्तर बनाए रखने में मदद मिले। भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर डिग्रियों का कुछ मूल्य होना चाहिए। अभी हम केवल भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे संस्थानों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों को ही महत्व देते हैं। ऐसा क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन संस्थानों ने शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखा है। अन्य विश्वविद्यालयों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता हैं? इन विश्वविद्यालयों को भी सहायता-अनुदान के रूप में एक बड़ी राशि दी जाती है परंतु वे आई०आई०टी० तथा आई०आई०एम० से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम नहीं हैं।

महोदया, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि विश्वविद्यालययों के लिए बजट तैयार करते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखें और विश्वविद्यालयों को निधियाँ आबंटित करते समय भी इन विचारों को उचित स्थान दिया जाए हमारे शिक्षा के स्तर से हमारा गौरव जुड़ा हुआ है जिसे बनाए रखने के लिए हमारे शिक्षा का स्तर ऊंचा रहना चाहिए।

महोदया, इन शब्दों के साथ मैं विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : सभापति महोदय, विद्वान मंत्री डा. जोशी जो ने जो भारतीय विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक भारत की स्वतंत्रा के पश्चात ही आ जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें लाहौर विश्वविद्यालय अभी तक सम्मिलित है। यह विधेयक जिनको लाना चाहिए था वे इसे नहीं लाए। उन लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए था। यह सरकार जो इस प्रकार के निरसन विधेयकों को निरसन करने के लिए इस सदन में ला रही है इसका सभी को समर्थन करना चहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एक कम्युनिस्ट सांसद भाई जो यहां बोले, उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास को नये सिरे से लिखा जा रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के साथ मिलकर जिस गलत इतिहास को आपने रचा है उसमें सुधार की आवश्यकता थी और सही इतिहास इस देश का लिखा जाना आवश्यक था और वह लिखा जाना चाहिए। कम्युनिस्टों को भारत के इतिहास की क्या आवश्यकता है, यह तो विदेशी इतिहासकारों से प्रेरणा लेने वाले हैं लेकिन इस देश के लोगों के लिए यह जरूरी है कि सही इतिहास लिखा जाए।

उन्होंने कहा कि उच्च-शिक्षा में सुधार नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जब से डा. जोशी जी इस विभाग में आये हैं तब से उच्च-शिक्षा में जो सुधार और पारदर्शिता आयी है उसकी पूरी देश प्रशंसा कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संपूर्ण देश में फैले हुए विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षा में एकरूपता लाने की आवश्यकता है।

भाषा अलग हो सकती है लेकिन शिक्षा में एकरूपता आये, माननीय मंत्री जी इस पर विचार करना चाहिये। महामना मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की और मैं उसी काशी नगरी से आता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में महामना की उन भावनाओं को कोई स्थान नहीं मिल रहा है और वहां तानाशाही प्रवृत्तियां पनप गई हैं, लोकतांत्रिक ढांचे को कुचला जा रहा है। यहां तक कि न्यायालय के आदेशों का समय से पालन नहीं किया जा रहा है। छात्रों का अकारण निष्कासन तानाशाही प्रवृत्ति से विश्वविद्यालय चलाना ठीक नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये एक नया विधेयक लेकर आये और उसमें प्रजातांत्रिक ढांचे को स्थान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय डा० जोशी जी द्वारा लाये गये भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। डा० जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे गुरू रहे हैं जो प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक रहा है। इसके अलावा कोलकाता, मुम्बई और मद्रास (चेन्नई) भी प्राचीन विश्वविद्यालय हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस देश को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज आदि दिये हैं। इसके अलावा

[श्री धर्म राज सिंह पटेल]

हमारे वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री को भी दिया है। इस प्रकार हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से महान विभूतियां निकली हैं। साथ ही बड़े बड़े आई. ए. एस. अधिकारी, उच्च न्यायालय के जज यहां पढ़े हुये हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक लाख छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं डा. जोशी से अपने गुरू होने के नाते अनुरोध करूंगा कि वह इलाहाबाद को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के अलावा देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का विधेयक लेकर आयें, यह मेरी सरकार से मांग है।

सभापति महोदय, आज विश्वविद्यालयों में लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। गांव में रहने वाले छात्र इतनी फीस देने में असमर्थ हैं जबकि शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग भी फीस नहीं दे पाते हैं। मेरा निवेदन है कि देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाये और शिक्षा को महंगा न किया जाये। इस देश में शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि गांवों से प्रतिभायें निकलकर शहरों की ओर आ रही हैं। निचले तबके के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न किया जाये। मैं अनुरोध करता हूं कि फीसें नहीं बढ़ाई जायें। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जिस प्रकार पानी और हवा मुफ्त मिलती है, उसी प्रकार शिक्षा को मुफ्त किया जाना चाहिये। जिस प्रकार से केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार विश्वविद्यालयों की शिक्षा को भी मुफ्त किया जाये।

आशा है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री उन पर गौर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर कोई भी आपत्ति नहीं करेगा पर जब इस सभा में इतने महत्व का प्रश्न उठाया गया है हम माननीय मंत्री महोदय से न केवल अधिनियम के अप्रचलन का संदर्भ देने की अपेक्षा करते है जिसे वे निरस्त करना चाहते हैं वरन् यह भी जानना चाहते हैं कि सरकार की देश में विश्वविद्यालयों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए क्या करने की मंशा है, जो कि दुर्भाग्यवस वर्तमान में नहीं कर रही है।

महोदया माननीय सदस्यों ने यहां यह विचार व्यक्त किया है और मैं भी उनके साथ इस मुद्दे पर अपना विचार रखना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा को एक वस्तु के रूप में मानना शुरू कर दिया है। उदारीकरण, अर्थव्यवस्था को मुक्त करने और इसका निजीकरण करने की आतुरता में यह इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि शिक्षा के साथ क्या हो रहा है।

कई वर्ष पूर्व परामर्शदात्री समिति की एक बैठक में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि विश्वविद्यालय कुछ आंतरिक संसाधनों का सृजन करते हैं तो केन्द्रीय अनुदानों का वितरण करते समय इस पर विचार नहीं किया जाएगा या उनकी गणना नहीं की जाएगी। पर आज हम क्या देख रहे हैं? महोदय मैं आपको अपने यहां का एक उदाहरण देना चाहता हूं। पंजाब विश्वविद्यालय देश का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के समय पुनर्गठन अधिनियम के अधीन इसे अन्तरराज्यीय निगमित निकाय का नाम दिया गया और बाद में 1976 में जब हरियाणा सरकार ने इस विश्वविद्यालय से अपने कॉलेजों को अलग कर लिया तो सरकार द्वारा गठित परामर्श दात्री समिति के निर्णयों के अनुरूप किए गए अनुबंधों के अनुसार यह तय किया गया कि पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र इस विश्वविद्यालय के कम पड़ने वाले खर्चों में से क्रमशः 40 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत व्यय का भुगतान करेंगे।

कुछ वर्षों तक तो दोनों ने निर्णय का पालन किया। बाद में किन्हीं कारणों से विशेषकर पंजाब राज्य में अकाली दल के सत्ता संभालने के बाद उन्हों ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपने वादे का पालन करना बंद कर दिया है।

हाल के वर्षों में जब इस विश्वविद्यालय द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 73 करोड़ रुपए तक पहुंच गयी है तो पंजाब सरकार ने इस राशि को देने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार की तर्ज पर ही संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जो सीधे केन्द्र सरकार के अधीन है ने भी यह कहा कि हमारी जिम्मेदारी पंजाब सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का केवल डेढ़ गुना राशि देने की है। क्या विश्वविद्यालयों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना उचित है? पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति देश के उपराष्ट्रपति हैं। यह एक अन्तराज्यीय निगमित निकाय है। इसलिए क्या यह भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह देखे कि विश्वविद्यालय लड़खड़ाए नहीं, विश्वविद्यालय बन्द नहीं हो जाए। निश्चित रूप से यह उनकी जिम्मेदारी है। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मितव्ययिता बरतने के अनुदेश दिए जाते हैं या संसाधन सृजित करने के लिए कहा जाता है तो यह अच्छी बात है। पर भारत सरकार की एक प्रतिबद्धता थी कि विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले मूल अनुदान को वापिस नहीं लिया जाएगा। पंजाब विश्वविद्यालय के मामले में मैं कह सकता हूं कि यह नया कदम उठाया जा रहा है।

मैं विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा के निजीकरण को उचित नहीं मानता। महोदया, आज शिक्षा के स्तर में निश्चित रूप से गिरावट आयी है। अनिवासी भारतीय श्रेणी के छात्रों के प्रवेश के मामले को लें। आप मानेंगी कि प्रवेश पाए छात्र स्तरीय नहीं हैं। विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता का केन्द्र होना चाहिए परंतु आप पैसा अर्जित करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए आप प्रमाणपत्र बेचते हैं। कोई भी, जो आकर निर्धारित धन राशि का भुगतान करता है उसे आप प्रवेश दे देते हैं। परंतु इससे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है विशेषकर उन छात्रों पर जो मेधावी हैं पर इतनी धनराशि का भुगतान नहीं कर सकते। इसलिए वे सामान्य श्रेणी में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। उनके स्थान पर आप उन लोगों को प्रवेश दे देते हैं जो उस स्तर के नहीं हैं और जो बाद में पूरी कक्षा के लिए भारस्वरूप हो जाते हैं। मैं ऐसा अनुभव से कह रहा हूं। ऐसे छात्र कक्षा पर बोझ होते हैं। डा० जोशी इसका समर्थन करेंगे।

यदि कोई अध्यापक कक्षा लेता है और वह किसी ऐसे छात्र को पाता है, जो विश्वविद्यालय में भुगतान सीट कोटा पर आया है, और जो वास्तव में अन्य छात्रों के साथ बराबरी नहीं बनाए रखता है तो निश्चित रूप से कक्षा की प्रगति वह नहीं होगी जो मेधावी छात्रों के होने से हो सकती थी।

इसलिए, आप विश्वविद्यालयों में ऐसे छात्रों को प्रवेश के लिए जोर दे रहे हैं, जो निर्धारित अंक सीमा तक नहीं पहुंचे हैं। इन्हीं बातों को छोड़ा जाना चाहिए।

मैं बहुत संक्षेप में पंजाब विश्वविद्यालय की अनुसंधान निधि का हवाला दूंगा। सारे खर्चों में से अस्सी प्रतिशत अकेले वेतन देने में चला जाता है। विश्वविद्यालय अच्छा करना चाहता है और उसने स्वयं एक अनुसंधान निधि शुरू की तथा अपने स्रोतों से जुटाई राशि को उसमें रखा। अब जबकि पंजाब सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उसकी प्रतिबद्धता को नहीं मान रहे हैं, तो विश्वविद्यालय यह धन अनुसंधान के लिए अलग से नहीं रख सकता, उसे उसका सामान्य खर्चों के लिए उपयोग करना पड़ता है। विश्वविद्यालय भारत सरकार की उपेक्षा के कारण अनिश्चित स्थिति में है।

विश्वविद्यालय अपनी रक्षा के लिए भारत सरकार को लिखता रहा है। ये विश्वविद्यालय से प्राप्त त्राहिमाम संदेशों (एस. ओ. एस. कालों) के अलावा कुछ नहीं। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी रहूंगा यदि वे हमें मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताएं और हमें विश्वास दिलाएं कि विश्वविद्यालय हमेशा की तरह निरंतर कार्य करता रहेगा। दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति नहीं है।

निजीकरण के बारे में एक जिक्र किया गया था। एक ओर यह समझा जा सकता है कि यदि कोई निजी निकाय एक डेंटल कॉलेज शुरू करता है तो वह लाखों रुपये शुल्क लेगा। वे कालेज चल सकते हैं क्योंकि उनके लिए यह वित्तीय मामला है। सरकार शायद ऐसे संस्थानों से अपने हाथ झाड़ना चाहे। आवश्यक रूप से नहीं क्योंकि गरीब छात्रों को जगह दी जानी चाहिए। किन्तु सामाजिक ज्ञान और वे विषय जिनके लिए कोई भुगतान नहीं करना चाहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप जैव विविधता में अनुसंधान में वृद्धि करने की आवश्यकता की बात करते हैं। यदि आप उसे निजी क्षेत्र को दे, तो क्या एक गरीब छात्र उसका खर्च वहन करने में सफल होगा। अत: यह पंजाब विधान विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय ही है, जो वास्तव में सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा सरकार द्वारा दी जानी होती है। यह सरकार द्वारा बेची नहीं जाती है। सरकार शिक्षा की सौदागर नहीं बन सकती हैं। दुर्भाग्य से आज वह ऐसा कर रही है और हमारी उस पर गंभीर आपत्ति हैं। मैं माननीय मंत्री जी से सदन को और इस सदन के माध्यम से देश को विश्वास दिलाने का अनुरोध करता हूं कि यह वास्तव में काम करना चाहती है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी एक शिक्षा विद होने के नाते ऐसा करना चाहेंगे। हो सकता है कि वितमंत्रालय अथवा अन्य मंत्रालयों से कोई दबाव हो किन्तु उन्हें अपना निश्चय बनाए रखना है।

मैं दिल्ली में विश्वविद्यालयों और कालेज के अध्यापकों की लम्बे समय तक चलने वाले संघर्ष का हवाला दूंगा। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से एक समय यह विश्वास दिलाया गया था कि उन्हें विश्वविद्यालय व्याख्याता माना जाएगा और उन्हे प्रोन्नति तथा वेतनमान आदि के अनिवार्य लाभ दिए जाएंगे। सरकार उससे भी पीछे हटती दिखाई दे रही है। मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले में खुले दिमाग से जांच करने और यह विश्वास दिलाने का अनुरोध करता हूं कि अध्यापकों को वह सब मिलेगा जिसका उनके साथ वायदा किया गया था।

अंत में, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं उस विषय पर वापिस आना चाहता हूं, जिस पर मैंने कुछ मिनट बोला है, अर्थात् पंजाब विश्वविद्यालय की खराब दशा जिसमें वह आज है। यह उसकी अपनी बनाई हुई नहीं है। यह भारत सरकार और पंजाब सरकार के माध्यम से चंदीगढ़ प्रशासन द्वारा की गई पतिबद्धताओं को पूरा न कर पाने के कारण है। मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले में तत्काल जरूरी कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, डॉ० जोशी जी द्वारा प्रस्तुत भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2000 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अपराह्न 2.54 बजे

[**डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

इस विधेयक के द्वारा जहां भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में एक रूपता आएगी, वहीं इसके अंतर्गत जो लाहौर विश्वविद्यालय इसमें सम्मिलित था, वह निरसन के कारण इससे अलग होगा।

जहां पर अभी तक इसके पूर्व में जिन्होंने लगातार इस देश के ऊपर राज किया है, उनकी निगाह इधर नहीं पहुंची, आदरणीय डाक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की पैनी निगाह होने के कारण उन्होंने इस बात को देखा और भारत के संविधान के अनुरूप उसे जो एक नया रूप प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इस संशोधन का, निरसन विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : आदरणीय सभापति महोदय, यद्यपि यह विधेयक पिछले 96 वर्ष से लम्बित कानूनों में से एक को हटाने के लिए जरूरी है, यह एक शताब्दी पुराना कानून बन जाएगा यदि इसे अगले चार वर्षों के लिए ऐसा ही रहने दिया जाए।

वस्तुत: यह विधेयक अग्रणी विधेयक है, जो राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय विधेयकों को बनाने के लिए बहुत से विचार देता है अत: ऐसे विधेयकों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के बाद राज्य सरकारों को समाज की जरूरतों के अनुसार कानून बनाने के लिए मार्ग निर्देश देने की भी आवश्यकता है। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसके बारे में कुछ विचार करना चाहिए और एक व्यापक विधेयक बनाना चाहिए, जो पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श हो सकता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय राज्य कानून द्वारा नियंत्रित है, जिसके अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न नियम और विनियम है। स्वभाविक रूप से यहां बहुत सी बातें हो सकती हैं, जो शैक्षणिक श्रेष्ठता के लिए उपयोग की न हो। अत: हमें व्यापक

[श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन]

विधेयक लाना चाहिए जो सभी अन्य विश्वविद्यालयों के लिए मार्ग निर्देशक बन सके। यह बहुत अच्छी बात है कि केन्द्र सरकार के पास 21 वीं शताब्दी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी संसाधान हैं। विधेयक में ऐसी बातें होनी चाहिए जो विश्वविद्यालयों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठता के स्तर तक लाने में सहायता करेगी।

मद्रास विश्वविद्यालय इसी अधिनियम द्वारा बनाया गया था । यह विश्वविद्यालय पांच तारा के रूप में मान्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र की भी आशा की जाती है। मद्रास विश्वविद्यालय का पूरा संसार में ऐसा नाम है। अब उसका अलग से परामर्श दाता विभाग का अग्रणी कार्य है।

अब शिक्षा वाणिज्यिक वस्तु के रूप में बनाई जाती है। इसे इस तरीके बनाए जाने के बजाए इसे समुदाय आधारित शिक्षा के रूप में बनाया जाना चाहिए। यदि कोई उद्योग है जिसे प्रबंधन क्षेत्र के व्यक्तियों की आवश्यकता है, यदि उद्योग कैमिस्ट चाहता हैं, यदि उद्योग इजीनियर चाहता है अथवा उद्योग कतिपय श्रेष्ठ व्यक्ति चाहता है तो विश्वविद्यालयों को यह आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। उनके बीच में सहयोग और समन्वय की व्यवस्था होनी चाहिए। यह समय की मांग है।

बहुत से स्नातक बन रहे हैं: बहुत से स्नातकोत्तर बन रहे हैं और बहुत से रिसर्च स्कोलर बन रहे हैं और वे बेरोजगार स्नातकों अथवा बेरोजगार स्नातकोत्तरों अथवा बेरोजगार डाक्टरेट उपाधिधारियो के रूप में दर्ज हो रहे हैं। अत: यह असंतुलन समाप्त किया जाना चाहिए, विशेषत: जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संसाधन विकास के लिए करोड़ो रुपया खर्च करता है। किस के लिए ऐसे संसाधन विकास का उपयोग किया जा रहा है?

श्रेष्ठ लोग जो विश्वविद्यालयों से बाहर आ रहे हैं वे पश्चिम के देशों में जा रहे हैं। उनका हमारे देश के लिए उपयोग नहीं हो रहा है। वे सीधे-सीधे बाहर जा रहे हैं। शिक्षा और उनकी श्रेष्ठता के लिए उनके विकास पर रत्तिभर भी खर्च किए बिना पश्चिमी देश हमारे विशेषज्ञों को खींच रहे हैं पश्चिमी देश हमारे प्रबुद्ध व्यक्तियों को ले रहे हैं, वे सभी मनीषियों को ले रहे हैं। लोग अनुसंधान कर रहे हैं और पेटेंट करवा रहे हैं। हम आराम से पेटेंट पा सकते हैं जो भारत में और पश्चिमी देशों में हैं। पश्चिम देशों में सभी बुद्धिजीवी भारतीय हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

अत: हम पश्चिमी देशों में उनसे एक पैसा भी लिए बिना बुद्धिजीवियों को जाने द रहे हैं। इस स्थिति की जांच की जानी चाहिए। हमें देखना है कि विश्व में हमारे देश को प्रतियोगिता में लाने के लिए भारत में ही श्रेष्ठ लोगों को अवसर दिया जाए। इस पहलू की जांच की जानी चाहिए। जब 96 साल पहले यह विधेयक लागू हुआ था, उस समय यह महत्वाकांक्षा नहीं थी। तत्कालीन शासकों की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा थी। वे हमें अपना नौकर बनाकर रखना चाहते थे, किन्तु अब हमारा यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हमें विश्व में श्रेष्ठ बनना चाहिए। अत: इसे रद्द किया जाना चाहिए। किन्तु इसके बारे में एक नया विधेयक लाना चाहिए ताकि यह अन्यों के लिए फलदायी हो सके।

अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा जैसे कई संस्थान आ रहे हैं। इस तरह के संस्थान विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। किन्तु वे विश्वविद्यालयों से संबद्ध नहीं है। वे इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं। संसद का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। यदि संसद सदस्य उनसे कोई विवरण मांगते हैं, तो वे विवरण देने को तैयार नहीं हो रहे होते हैं।

भारत के प्रधानमंत्री भी संसद सदस्यों को उत्तर देते हैं किंतु ये लोग इन सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं हैं। हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त करने वाले सभी विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों में संसद के प्रतिनिधि होने चाहिए। कोई सांसद अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले विश्वविद्यालय की सिंडिकेट का स्वयं ही सदस्य हो जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही हमें उनकी शिकायतों का पता लगेगा और तभी हम उनकी सहायता कर सकेंगे। ऐसा इसलिए है कि केन्द्रीय सरकार इन विश्वविद्यालयों को धन दे रही है। राज्य सरकारें उन्हें धन नहीं दे रहीं हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 'सीनेट' में जनता के प्रतिनिधि हों। इस प्रकार हम कोई राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। किंतु ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो उत्कृष्ट मानकों तक पहुंचने में ये लोग विश्वविद्यालयों की सहायता कर सकते हैं।

मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाए। पश्चिमी देशों में विद्यार्थियों को परीक्षा के तुरंत बाद अंकपत्र मिल जाते हैं। अंकपत्र तुरंत तैयार किए जाते हैं और उसी दिन प्रमाणपत्र भी दे दिए जाते हैं। लेकिन यहां क्या होता है? परीक्षाओं के बाद विद्यार्थियों को अंक पत्र प्राप्त करने के लिए महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। फिर उन्हें अनंतिम प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा करनी पड़ती है फिर उन्हें उपाधि के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं। इसके बाद ही वे व्यावसायिक पाठयक्रमों या नौकरियों के लिए अपने नाम दर्ज करा सकतें हैं। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए। इन्हें हर तरह से आधुनिक बनाया जाना चाहिए।

शैक्षणिक परिषदों को भी अपने रंग-ढ़ंग बदलने चाहिए। पूरी प्रणाली बदलनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण होना चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं हैं। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कई महीनों से कुलपति नहीं हैं। यह पद कई महीनों से खाली पड़ा है। ऐसा लगता है। कि भारत के उपराष्ट्रपति जी ने भी इसे स्वीकृत कर दिया है। किंतु यह लंबित पड़ा है। ये पद तुरंत भरे जाने चाहिए। जब पद पर वर्तमान व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाला हो या अपना कार्यकाल पूरा करने वाला हो तो उसके स्थान पर नियुक्त करने के लिए दूसरा व्यक्ति तुरंत ढूंढ कर रखना चाहिए ताकि पद रिक्त न रहे। हमारी नौकरशाही की प्रणाली उचित समय पर नाम स्वीकृत नहीं करती है, इससे विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी असुविधा नहीं होगी।

जब हम इस विधेयक का निरसन कर रहे हैं तो हमें दूसरा विधेयक पुर:स्थापित करना चाहिए। माननीय मंत्री जी विद्वान हैं। उन्हें समाज, प्रोफेसरों और कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं की जानकारी है।

नए विधेयक में प्रशासन और प्रोफेसरों के बीच उठे विवादों सहित सभी पहलुओं को शामिल करना चाहिए। यह एक व्यापक विधेयक होना चाहिए जो सभी राज्यों के लिए उपयोगी हो।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय सभापति जी, आदरणीय सदस्य श्री राजो सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको एक मिनट बोलने दीजिए। अभी तीन लोग एनमेंट हैं।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : एक मिनट में सैकिण्ड 60 ही होंगे न?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : एक मिनट में सामान्यतया 60 सैकिण्ड ही होते हैं।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : कभी-कभी ज्यादा भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा।

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : यह बिल सीमित बिल है। यह बिल राज्य सभा से पास होकर आया है। यह बिल जब पास हुआ था, उस समय जिस सदन ने इसको पास किया था, उसका एक सदस्य भी इस समय जिंदा नहीं होगा। यह बिल 97 वर्ष पहले आया था। इस बिल को रद्द करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने हमारे सामने रखा है। इसी सिलसिले में कुछ शब्द अपने राज्य की और देश की शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं को सामने रखे गये, मैं भी इस अवसर से लाभ उठाना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार राज्य की पटना यूनिवर्सिटी बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी ने वहां से शिक्षा ग्रहण की, जयप्रकाश बाबू ने भी शिक्षा ग्रहण की। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अपना बिल पास कराने आएंगे, अपने मंत्रालय की डिमांड लेकर आएंगे तो पटना यूनिवर्सिटी को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिणत करें।

यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : सभापति महोदय, मैं भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का निरसन करने के लिए इस विधेयक को लाए हैं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस संबंध में मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं कोई लम्बा भाषण देने वाला नहीं हूं।

जैसा कि एक सदस्य ने सुझाव दिया है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में एकरूपता नहीं है। स्वायत्तता के नाम पर वे अपने काम देख रहे हैं। विश्वविद्यालयों के गुणात्मक पहलू पर न तो राज्य सरकारों की नजर है और न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्रीय सरकार की है। इससे दी जाने वाली शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे गिर रहा है। यह एक ऐसा पहलू है जिसका हमें ध्यान रखना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकारें इसमें से कुछ विश्वविद्यालयों का गुणात्मक परीक्षण कराने वाले नहीं हैं। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने की अवश्यकता है।

सभी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का गुणात्मक मूल्यांकन भी होना चाहिए। इन विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का स्तर भी पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है। मैंने भी एक विश्वविद्यालय में 26 वर्ष पढ़ाया है। अध्यापकों के गुणात्मक पहलू का आकलन करने के लिए कोई व्यवस्था या तंत्र नहीं है। अध्यापकों का गुणात्मक मूल्यांकन एक ऐसा पहलू है जिसे शुरू करने की आवश्यकता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या उनके स्तर में उत्कृष्टता आ रही है अथवा नहीं। माननीय मंत्री जी के मार्ग दर्शन में निश्चित ही सब ठीक हो जाएगा।

अधिकांश विश्वविद्यालयों को धन की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित राज्य सरकार से ब्लॉक ग्रांट समय से रिलीज नहीं हो रही है। कुछ विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण प्रयोग शालाओं अथवा ग्रंथालयों का रखरखाव भी नहीं हो पाता है। मैं इन बातों को ही इस सम्माननीय सभा के समक्ष लाना चाहता था। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज के इस विधेयक में केवल इस विधेयक की, अधिनियम के निरसन के बारे में ही बहस नहीं की गई, बल्कि उच्च शिक्षा से सम्बन्धित बहुत से ऐसे सवाल भी सामने रखे गए हैं, जिन पर यह सदन यथासमय विचार करता, जबकि आगामी बजट के अवसर पर यह मौका आता और उन तमाम प्रश्नों पर हम यहां विचार करते। लेकिन फिर भी सवाल उठाए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं।

एक सवाल उठाया गया कि विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में बहुत से अध्यापक चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद वापस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भी पहुंच जाते हैं। अब यह एक ऐसा सवाल है जिसको अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ मिलाकर देखा जाए और भारत की पृष्टभूमि को भी मिलाकर देखा जाए। हमारे देश में ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान किया। उस समय यहां के विश्वविद्यालयों के अध्यापकों ने एक राजनैतिक स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का वातावरण विश्वविद्यालयों के अंदर बनाया। कोठारी कमीशन ने इस बात की विस्तृत चर्चा की। उन्होंने यह कहा कि राजनैतिक जीवन में देश की राजनैतिक मूलधार में समाज के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए बौद्धिक जगत से, विश्वविद्यालय से, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से एक प्रतिनिधियों की संख्या भारत की विभिन्न विधान सभाओं में संसद में होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सिफारिशें की थीं, जिसे अनेक राज्यों ने माना। केन्द्र ने भी माना। जो इस दृष्टि से कानून बने हुए हैं, उनमें बड़ी स्पष्ट व्यवस्थाएं हैं कि किन शर्तों पर विश्वविद्यालयों के अध्यापक चुनाव लड़ सकेंगे और चुनाव जीत जाने की परिस्थिति में उनको क्या करना होगा।

[डॉ० मुरली मनोहर जोशी]

मैं यह मानता हूं कि इस सदन में समाज के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। हमारे देश के किसानों का, मजदूरों का, दलितों का और महिलाओं का जहां प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है, वहां आज के वैज्ञानिक युग में समाज से सम्बन्धित टेक्नोलॉजी से लोगों का, कृषि विज्ञान से सम्बन्धित लोगों का, अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना तथा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित लोगों का प्रतिनिधित्व होना भी आवश्यक है। इसलिए इस प्रश्न पर हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे देश में अनेक विश्वविद्यालयों से और अनेक स्थलों से प्रध्यापक आगे आए और उन्होंने देश की राजनीति में, संसद की कार्यवाही में विधान सभा की कार्यवाही में बहुमूल्य योगदान दिया है।

एक सम्मानित सदस्य स्वयं अध्यापक हैं। राज्य सभा में भी हैं। यहां अनेक सदस्य ऐसे बैठे हुए हैं जो अध्यापक थे और हैं और मंत्री भी हैं। मैं भी जब पहली बार सदन में चुनकर आया था तो उस समय विश्वविद्यालय का अध्यापक था और बाद में भी जब चुनकर आया, तब भी रहा। इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं कानून में बनी हुई हैं, उनके विश्वविद्यालयों की कार्य परिषदें ठीक ढंग से पालन करें और जिस संख्या में और जिस परिस्थिति में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, वह दी जानी चाहिए।

बहुत से राज्यों में अध्यापकों को विधान सभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने में प्रतिबंध है। उन राज्यों में और विश्वविद्यालयों के कानून है, उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन बहुत से राज्य और विश्वविद्यालयों में संसदीय और विधायिका में प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था है। मैं समझता हूं वह उचित है। इसी सदन में चुनाव लड़ने के लिए प्रोफेसर मेघनाथ साह जैसे विद्वान व्यक्ति आए और दक्षिण से अनेक लोग आए।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मंत्री महोदय, यदि आप आधे मिनट के लिए मान जाएं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा।

मैं ऐसा आदमी हूं जिससे त्यागपत्र दिलवाया गया था। मैं करीब 26 वर्ष से विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था। जब मैंने चुनाव लड़ना चाहा तो मेरे विश्वविद्यालय की संविधि के अनुसार मुझे अपने पद से त्याग पत्र देने के बाद ही चुनाव लड़ना था, मैं चुनाव में जीतूं या हारूं- इससे कोई मतलब नहीं। जबकी कुछ विश्वविद्यालयों में अध्यापकों को कानून निर्माता के रूप में काम करने की और बाद में वापस आकर अध्यापन कार्य करने की अनुमति होती है। इसीलिए पूरे देश में एक समान संहिता लाने की आवश्यकता है। विधायिकाओं में विभिन्न विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व रखने की भी आवश्यकता है। अच्छा हो कि आप ऐसा करें क्योंकि यह एक अच्छा उपाय है।

[हिन्दी]

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : हमारी मान्यता यह है कि यह व्यवस्था ठीक है, जायज है और रहनी चाहिए। कुछ मित्रों ने कहा कि आजकल इस सरकार की तरफ से विश्वविद्यालयों में वातावरण को दूषित किया जा रहा है, साम्प्रदायिकता फैलायी जा रही है, हिडन एजेंडा लागू किया जा रहा है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए जो भी चयन समितियां, सलेक्शन कमेटीज बनाई हैं, उन सबके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस जे० एन० वर्मा, जस्टिस पाठक, जस्टिस भगवती ये नाम हैं जो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की चयन समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। इससे अधिक ट्रांसपेरेंसी और क्या हो सकती है? बाकी नाम तो विश्वविद्यालयों के लोग अपने यहां से भेजते हैं। नियम यह है कि विश्वविद्यालयों की तरफ से दो नाम आते हैं और एक नाम विजिटर की तरफ से आता है जो कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनको हम सिफारिश करते हैं।

मैं जब से इस मंत्रालय में आया हूं, एक भी सलेक्शन कमेटी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सिवाय किसी नये विश्वविद्यालय को छोड़कर क्योंकि जब कोई नया विश्वविद्यालय बनता है, उसमें तो मिनिस्टर का अधिकार होता है, बाकी का अधिकार राष्ट्रपति महोदय का है। हमारी सिफारिश हमेशा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के लिए रहती है और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमेशा उनकी नियुक्ति की है। मैं नहीं समझता कि आज से पहले कभी भी किन्हीं भी विश्वविद्यालयों की चयन समितियों में इतनी पारदर्शिता रही हो जितनी आजकल रही है तथा मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप मंत्रालय की तरफ से कभी नहीं हुआ और जब तक मैं मंत्री रहूंगा तब तक कभी वाइस चांसलर की नियुक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, किसी भी संस्था के अध्यक्ष को बनाने में चाहे वह एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो, कोई भी संस्था हो, हमने इस मामले में चयन की पारदर्शिता को कभी खंडित नहीं होने दिया। मैं इस बारे में विश्वास के साथ, पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि वही व्यवस्था हम आगे रखेंगे। आप अच्छी व्यवस्था के लिए सुझाव देंगे तो हम उस पर भी विचार करेंगे लेकिन मेरा निश्चित मत है कि विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में नियुक्तियों के मामले में बाहरी हस्तक्षेप मैरिट के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं होने चाहिए। अब अन्दरूनी नियुक्तियों के बारे में हमारा अधिकार नहीं होता, विश्वविद्यालय की अपनी प्रक्रियाएं हैं, उनके हिसाब से नियुक्तियां होती हैं लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर सम्मानित सदस्य मेरे सामने किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का ऐसा मामला लाएंगे जिसमें चयन समितियों के द्वारा की गई नियुक्तियों में मैरिट के अलावा किसी राजनैतिक कारण का या राजनैतिक आधार का सहारा लिया गया हो तो मैं अवश्य उस मामले में उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सावधान करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह बात ऐसे सम्मानित सदस्य कह रहे हैं जिनकी अपनी सरकार के अंदर। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम०ओ०एच० फारूक : मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दे सकता हूं।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : आप मुझे जानकारी दे सकते हैं, मैं उसकी जांच कराऊंगा। लेकिन उन सरकारों का क्या करोगे जो पूर्णत: पार्टी के आधार पर कुलपति नियुक्त करती हैं? उन सरकारों का क्या करोगे जो गैर संस्कृत विद्वानों को संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त करती हैं? उनका क्या करोगे जो सभी सिफारिशों और नियुक्ति की सभी प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहे हैं?

[हिन्दी]

इनको तो कम से कम यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं अगर आप किसी राज्य विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो माफ कीजिए वह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वह राज्य के कानून के अंतर्गत काम करते हैं लेकिन मैं वहां के कुलाधिपति और कुलपति को आपकी भावनाओं से अवगत करा दूंगा और उसकी जांच करा दूंगा। लेकिन जो चयन समितियां केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बनाई जाती हैं उनका निर्णय भी राष्ट्रपति जी करते हैं और हम जो उन्हें पैनल भेजते हैं उनमें से वे जिसे भी नियुक्त कर दें, उसमें हमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। अगर वे कभी दूसरी राय भी रखते हैं तो हमने हमेशा उसका आदर किया है। इसलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज तक हमने कभी भी महामहिम राष्ट्रपति जी की राय पर हस्तक्षेप नहीं किया। यह कहा जाता है कि हम कोई हिडन एजेंडा लागू कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों के पाठयक्रम न तो केन्द्रीय सरकार तय करती है और न ही यूजीसी तय करती है। यूजीसी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देती है कि ये कोर्सेस होने चाहिए और उसमें इस स्टैंडर्ड के पाठयक्रम होने चाहिए। पाठयक्रम क्या हो, वह विश्वविद्यालयों के अध्यापक अपने बोर्ड ऑफ स्टडीस से पाठयक्रम समिति के माध्यम से तय करते हैं और फिर वे उनकी विद्वत परिषद से, एकेडेमिक काउंसिल से स्वीकृत होते हैं। उसके बाद वे पाठयक्रम लागू होते हैं, कोई पाठयक्रम सरकार के कहने से लागू नहीं किया जा सकता है। हां, कुछ सरकारें ऐसी जरूर हैं कि जहां पार्टी के आफिस बेयरर की राय से अध्यापक नियुक्त किया जाता है, वहां से बिना क्लियरेंस लिए प्राइमरी स्कूल का मास्टर भी नियुक्त नहीं होता, विश्वविद्यालयों के अध्यापक होने की बात तो दूसरी है। वहां जरूर पाठयक्रम ऐसे ही तय होते हैं। मेरे पास वहां के पाठयक्रमों की पुस्तकें हैं, जिन्हें मैं दिखा सकता हूं कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है। भारत के स्वाधीनता इतिहास को किस तरह से विकृत किया जा रहा है और उसमें किन नेताओं के संबंध में देश के महान नेताओं के बारे में क्या लिखा जा रहा है तथा यहां के महापुरुषों के बारे में क्या लिखा जा रहा है, उसका फैसला तो यह देश करेगा। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : इसकी एक दिन पार्लियामेंट में चर्चा हो जाए।

डा० मुरली मनोहर जोशी : कई बार हो चुकी है।

अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल, मंत्री जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे।

(व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी : श्री रूपचन्द पाल, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

मैंने आपकी बात बहुत शांति से सुनी है, कृपया आप भी मेरी बात शांति से सुनिए। *(व्यवधान)* यह भी कहा गया कि यह सरकार शिक्षा को प्राइवेटाइज करना चाहती है, हमने तो कभी शिक्षा को प्राइवेटाइज नहीं किया। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि न ही हम शिक्षा को कोई कमोडिटी समझते हैं, हम शिक्षा को शिक्षा समझते हैं और शिक्षा के उद्देश्य को समझते हैं तथा शिक्षा को एक बेहतर भारतीय समाज और मानवीय समाज बनाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, कि हमने अभी तक एक भी कदम उस नीति से हट कर नहीं उठाया है जो सदन ने 1986 में न्यू एजूकेशन पॉलिसी के नाम पर तय की थी। हमने जो कुछ किया है उस नीति के अंतर्गत किया है क्योंकि वह नीति सदन से अनुमोदित हुई थी। अगर हमारे पाठयक्रम के फ्रेमवर्क में, जो मैंने हिन्दुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों को भेजा है और हिन्दुस्तान के सभी पोलिटीकल पार्टियों के नेताओं को भेजा है, उनसे कहा है कि आप हमें इसमें बताएं कि आपको इसमें क्या आपत्तिजनक लगता है और क्या संशोधन की जरूरत है। हमने बिलकुल खुल कर डिबेट की है और उसका एक भी वाक्य आप हमें दिखा दें कि वह इस सदन के द्वारा अनुमोदित नीति के विरुद्ध है या उससे हट कर है तो हम उसे वापस कर देंगे। यह हमने खुलेआम कहा है, उस पर बहस हो जाए। हमने सब को डाकुमेंट्स भेजे हैं, हम शिक्षा मंत्रियों से बात कर रहे हैं। जिस समिति ने उसके बारे में तय किया था, उसने देश के आठ-दस शहरों में जाकर डिबेट की है। इसलिए आप कोई कृत्रिम मसनूई बात कहते रहे, एक शिमरा पर का डंडा मारते रहे, हमने जो कुछ इंटरमीडियट कक्षाओं, हाई स्कूलों के लिए स्लेबस बनाया है, मै बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि वह हमारे देश की शिक्षा को बहुत आगे ले जाने वाला पाठयक्रम है। विश्वविद्यालयों के लिए भी हमने कोई पाठयक्रम तय नहीं किया, मगर हमने उन्हें कहा जरूर है कि आप परम्परागत पाठयक्रम पर निर्भर मत रहिए, उससे देश की समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा। जिस पाठयक्रम को 40-50 साल हो गए हैं उन्हें बदलिए और मैं एक शिक्षाविद् के नाते कहता हूं कि आज जिस तेजी से दुनिया बढ़ रही है और ज्ञान बढ़ रहा है तो हर पांचवे साल में पाठयक्रमों का पुनरीक्षण होना चाहिए और उसमें नयी नयी बातें होनी चाहिए।

यह नहीं हो सकता कि आज भी हम पाठयक्रम में कम्युनिस्ट मैनिफैस्टो तो रखें लेकिन रूस के अंदर कम्युनिज्म का जो एक प्रकार से दिवाला निकल गया उसका उल्लेख न करें।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : क्या आप यह पढ़ाना नहीं चाहेंगे कि कम्युनिज्म क्या है? अगर नहीं तो इससे तो अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की रैलीवेंस ही खत्म हो जाएगी। आप शायद कुछ कहना चाहते हैं इसलिए यह बात कह रहे हैं।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : जरूर पढ़ाना चाहिए लेकिन कम्युनिज्म कैसे विफल हुआ यह भी पढ़ाया जाना चाहिए। मै जानता हूं कि आपको कुछ तकलीफ होगी। मैंने कहा कि मार्कसिज्म और कम्युनिस्ट मैनिफैस्टो को ही पढ़ाया जाए और उसके आधार पर चलने वाली सोवियत व्यवस्था कैसे असफल हो गयी उसको न पढ़ाया जाए, यह नहीं चल सकता। हम जानते हैं कि आज आप इनसे दोस्ती करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पवन कुमार बंसल, वह इसे स्वीकार नहीं कर रहे।

(व्यवधान)

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : जी हां, मै इसे स्वीकार नहीं कर रहा। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हम समझ रहे थे कि इन्हे थोड़ी अधिक जानकारी होगी। *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, 'कम्युनिज्म' शब्द इनके लिए अभिशाप नहीं होना चाहिए।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मैने ऐसा नहीं कहा है। मैने यह कहा है कि *(व्यवधान)*

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) **:** समाजवादी समाज ज्ञान आधारित समाज होता है। किसी 'वाद' से काम नहीं चलेगा। हमें ज्ञान आधारित समाज चाहिए। ज्ञान से ही हमारा काम चलेगा।

[हिन्दी]

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : अगर पूंजीवाद पढ़ाया जाए तो उसके फैल्योर भी पढ़ाए जाएं, यह सवाल है। सम्मानित सदस्यों ने अभी एक बात कही कि विश्वविद्यालयों के स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं और "नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असैसमेंट कॉऊंसिल" इसीलिए बनी है। मैं इससे सहमत हूं कि विश्वविद्यालयों के अध्ययन-अध्यापन और गुणवत्ता पर गहराई से विचार होना चाहिए और उससे उन्नयन के लिए काम किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले को ठंडे दिल से विचार किया जाना चाहिए। जहां आप शिक्षा की उन्नति के लिए इतने अच्छे विचार दे रहे हैं और इस सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि इस पर मजबूति से काम करने की जरूरत है तो "नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असैसमेंट कॉऊंसिल" के काम को करवाने में हमारी मदद करें। पहले सन 2000 तक विश्वविद्यालयों को अपने स्तर की जांच करवाने की बात रखी गयी थी। हम फिर उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि भाईयो, इस स्तर के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में आप अभी कितने पीछे हैं इस बात को भली-भांति समझ लीजिए। अभी हमारे एक मित्र ने बतलाया कि मद्रास विश्वविद्यालय पांच-सितारा विश्वविद्यालय बना है। मैं कहना चाहता हूं कि वह कोई पक्षपात के साथ तो नहीं बना। उसकी कमेटी के बारे में कोई बात हो कि वहां पक्षपात था और वहां माननीय करुणानिधि जी ने बैठकर उसको पांच-सितारा विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट दे दिया और उसको मान लिया गया। ऐसी बात नहीं है। विद्वान लोग वहां जाते हैं और उसमें एक आदमी नहीं होता है, एक पूरी कॉऊंसिल है और वह खुले रूप से विचार करती है और उसके मानदंड तय हैं कि उन विश्वविद्यालयों में क्या सुविधाएं हैं लाइब्रेरी है या नहीं है, पुस्तकें कितनी हैं, छात्रावास कैसे हैं, अध्यापक हैं या नहीं है, रिसर्च हो रही है या नही है - यह सब मानदंड उसमें लिखे हुए हैं। वह मानदंड सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक हैं। वे जिस स्तर पर पहुंचते हैं वही उसकी रेटिंग होती है और यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त चीज है। हमारे मित्र बता रहे थे कि दुनिया में हमारे शिक्षा-संस्थानों की कदर होनी चाहिए। लेकिन वह तभी होगी जब हमारे विश्वविद्यालय की अन्तर्राष्ट्री रेटिंग होगी। जब उन्हें मालूम होगा कि यह पांच-सितारा, चार सितरा या तीन सितारा विश्वविद्यालयों से पढ़कर आये हैं तो वे समझ जाएंगे कि इनका स्तर क्या है? इसमें किसी प्रकार की झिझक हमें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विश्वविद्यालय स्तर में कम है तो उसके स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हमें विचार करना होगा और हम उनकी मदद भी करेंगे। जहां कमियां हैं वे भी बताएंगे और उनको सुधारने के लिए मदद भी करेंगे। मगर यह नहीं हो सकता है कि विश्वविद्यालय खुल जाएं और उनमें सुविधाएं न हों और वे सभी बराबर मान लिये जाएं। इसलिए अपने सभी माननीय सदस्यों की तरफ से जब भी किसी विश्वविद्यालय की बात की जाए कि एक्रेडिटेशन नहीं होना चाहिए।

उसका वे समाधान करें और उन्हें समझायें कि एक्रेडिटेशन आवश्यक है। अगर सदन की ओर से इस संबंध में कुछ सुझाव आते हैं या माननीय सदस्य इस संबंध में बतायेंगे कि एक्रेडिटेशन और उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिये क्या करना चाहिये, उस पर हम विचार करेंगे और जो जरूरी होगा, उनको हम स्वीकार भी करेंगे। हम चाहते हैं कि इस संबंध में सदन हमारी मदद करे। माननीय सदस्य अपने अपने राज्यों को प्रोत्साहित करें कि वे एक्रेडिटेशन करायें। श्री बंसल जी विश्वविद्यालयों की परिस्थिति से परिचित हैं। वे स्वंय पंजाब विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। आप उनसे पूछें कि एक्रेडिटेशन के फार्मस और नार्म्स क्या हैं। उसमें आपके जो सुझाव होंगे, हम उन पर जरूर विचार करेंगे और कौंसिल को भेजेंगे कि ये सुझाव अंदर शामिल करो। एक्रेडिटेशन और बेहतर हो, उसका विरोध नहीं होना चाहिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमें भी पता चले कि किस विश्वविद्यालय का स्तर कहां है।

आज देश में लगभग 250 विश्वविद्यालय हैं जिसमें कहा जाता है कि एक सैंटर फार एक्सीलेंस बनना चाहिये। कोई भी सरकार 250 विश्वविद्यालयों में सैंटर आफ एक्सीलेंस नहीं बना सकती। जिनमें क्षमता है, उनको छांटना पड़ेगा। मैंने स्वयं कैबिनट में इस बात की सलाह दी थी। इसके लिये एक कमेटी भी बनी हुई है जो छांटने का काम करेगी कि किस तरह से केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय लैवल पर ले जाने के लिये सैंटर फार एक्सीलेंस बनायें। इसमें वैज्ञानिकों की राय ली जाये कि हमारा बैंच मार्क क्या है। आपके जो सुझाव आयेंगे, उन्हे हम सहज में स्वीकार करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि आप शैक्षणिक संस्थाओं से सम्पर्क करें और जो वास्तविक कठिनाइयां हैं, उनके बारे में बतायें। हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे।

यह कहा गया है कि इसमें रीजनल इम्बैलेंमेज है। यह ठीक है लेकिन ऐसा कुछ ऐतिहासिक कारणों से है जिन्हे हम यथाशक्ति दूर कर रहे हैं। इसीलिये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का रास्ता निकला गया है ताकि हम कानूनी झंझटों में पड़कर व्यर्थ ही समय खराब न करें और विलम्ब न हो। यदि राज्य सरकार उसके लिये सहमत है तो हम उन्हे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे लेकिन एक्रेडिटेशन कराना होगा, वे उस दायरे से बाहर नहीं। अगर कुछ संस्थायें अच्छी निकलती हैं तो उन्हें आगे लायेंगे और उन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनायेंगे। हमने नैनी इंस्टीटयूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाया है। यह बहुत सालों से रुका हुआ था। माइनौरटीज इंस्टीयूट है जो क्रिश्चियन्स रन करते थे। उसको पूरा एग्जामिन किया गया और यह देखा गया कि यह कि यह अपने स्तर पर है और आज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। श्री धर्मराज सिंह जी को खुश होना चाहिए कि यह कोशिश की जा रही है। आप शिक्षा का स्तर बढ़ायें, शिक्षा को फैलायें मगर दोनों में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। ऐसा न हो कि शिक्षा का स्तर बढ़े और उसका विस्तार होता जाये। ऐसा भी न हो कि शिक्षा बढ़े लेकिन उसका विस्तार न हो। हम इसके लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि इस मामले में बहुत सी संस्थाओं की तरफ से डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाने के लिये आवेदन पत्र आये हैं जिन पर यू०जी०सी० विचार कर रहा है।

एक सवाल यहां पर उठाया गया कि विश्वविद्यालयों की गुणसवत्ता में गिरावट आयी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी०एम० सुधीरन (अलेप्पी) : सरकार ने केरल कला मंडलम को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव भेजा है।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसकी जाचं कर रहा है। यह विवरण मेरी उंगलियों पर है। इसके बारे में चिंता मत करो।

[हिन्दी]

मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में कमी आयी है, कुछ में गुणवत्ता बढ़ी भी है लेकिन राज्य सरकारों द्वारा चलाये गये कम विश्वविद्यालयों में यह गुणवत्ता बढ़ी है और ज्यादातर में यह गुणवत्ता या तो अपनी जगह पर है या गिरी है।

श्री राजो सिंह जी ने बिहार का उदाहरण दिया, मैं मानता हूं कि पटना विश्वविद्यालय एक समय देश के बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक था और हाल ही के 10-15 साल पहले तक पटना विश्वविद्यालय के कुछ संकाय, कुछ फैकल्टीज अपना बहुत ही ऊंचा स्तर रखती थीं। लेकिन जिस तरह के हालात बिहार के अंदर पिछले सालों में हुए हैं उससे पटना विश्वविद्यालय को भी गहरा नुकसान पहुंचा है। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की अगर कई महीनों तक इस बारें में हड़ताल चलती रहे कि जो वेतनमान दिये जाने चाहिए थे, वे नहीं मिले हैं और जिसका पैसा केन्द्रीय सरकार दे रही है तो उससे स्तरों में गिरावट आती है, परीक्षाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं और स्तर खराब हो जाते हैं। हम यह जरूर चाहेंगे कि अगर वहां राज्य सरकार कदम बढ़ायें और पटना विश्वविद्यालय के लिए कुछ ठोस योजनाएं बनायें, जिसे यू० जी० सी० स्वीकार करे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम वहां बन सके और पटना विश्वविद्यालय का स्तर ऊंचा उठ सके। हम जरूर चाहेंगे इस क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय बढ़े।

मै आपको बताऊं कि हमने टैक्नीकल एजुकेशन का जो आई० टी० की रिर्पोट थी, उसमें हमने बिहार इंजीनियरिंग कालिज वगैरह ऐसी संस्थाओं का उच्चीकरण करने की सिफारिश की हुई है। लेकिन हमें इस बारे में बिहार सरकार से भी सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं के प्रबंध की जिम्मेदारी वहां उनके पास है। जिस तरह से वे आगे आना चाहते हैं हम उनका उन्नयन करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे।

सम्मानित सदस्य ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में एक सवाल उठाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों का एक सम्मेलन अभी पिछले दिनों दिल्ली में हुआ था। उसमें न केवल भारत में बी०एच०यू० के पुरातन छात्र बल्कि विदेशों में बी०एच०यू० के जो छात्र गये हैं, वे सभी आये थे और उन्होने एक समिति का निर्माण करने की सिफारिश की है, जिसे हमने स्वीकार किया है और उस समिति से हमने यह कहा है कि वह बी०एच०यू० के बारे में, वहां की कार्य प्रणाली के बारे में और वहां की प्रगति के लिए अन्य सुझावों के बारे में हमें सहायता दे, हमें मदद करे और यह भी बताये कि वहां के पुरातन छात्र बी०एच०यू० के लिए किस तरह से मदद कर सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, यह कहा जा रहा है कि हम शिक्षा का प्राइवेटाइज कर रहे हैं, नहीं हम उच्च शिक्षा के अंदर एक छोटा सा यह प्रश्न रख रहे हैं कि भाई आप उच्च शिक्षित होकर गये, आपको समाज ने इतना खर्च करके पढ़ाया, डाक्टर बनाया, आपको इंजीनियर बनाया, आपको प्रोफेसर बनाया। जिस संस्था ने आपको इस लायक बनाया, उस संस्था के लिए आपका कुछ फर्ज बनता है या नहीं। भारतीय परम्परा में यह फर्ज हम लोग स्वीकार करते हैं कि ऐसी शिक्षा संस्थाओं के लिए हम कुछ करें। हमारे यहां यह परम्परा रही है।

सभापति महोदय, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं, वहां का हर कमरा समाज के किसी न किसी व्यक्ति ने अपने माता-पीता, दादा-दादी, बहन-भाई आदि के नाम पर बनवाया था। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। शिक्षा संस्थाओं में ऐसी मदद समाज के द्वारा मिले और यह मदद आज भी मिल रही है। यह मदद एक फोकस्ड रूप में विश्वविद्यालय के पास आये, हम इसकी चेष्टा कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जब यह सवाल हमने आई० आई० टी० के छात्रों के सामने रखा था तो उनमें से अनेक छात्रों ने यह पेशकश की है कि वे आई० आई० टी० की उन्नति के लिए, वहां रिसर्च बढ़े, वहां अच्छी फैकल्टीज आयें, इसके लिए अपनी सम्पत्ति में से दान देना चाहते हैं। हमने उस दान को स्वीकार करने के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। हम उसे बिना

[डॉ० मुरली मनोहर जोशी]

किसी ऐसे रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनका अधिकार उन संस्थाओं के ऊपर हो जाए। हमने उनसे कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं, अगर आप अपने कर्त्तव्य के रूप में अपना अंशदान यहां देना चाहते हैं। हम इसे जरूर स्वीकार करेंगे, हम उसे लेंगे, इसकी जरूरत है।

अभी मैं गुजरात गया था, कहा जाता है कि हमारी नीति क्या है, आपको जानकर खुशी होगी, आज मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमने 29 जनवरी को सारे गुजरात की शिक्षा का और शिक्षा संस्थाओं की स्थिति का मोटा सा आकलन किया तो 29 तारीख को डेढ़ सौ करोड़ रुपये फौर दि रीकंस्ट्रक्शन ऑफ गुजरात ऐजूकेशन हमने अपनी मिनिस्ट्री के फंड से इसी साल के बजट में दिया है।

प्रधान मंत्री राहत कोष या बाकी लोगों ने जो दिया वह अलग है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गुजरात में भारी भूकंप के बाद भी दसवीं कक्षा, बारहवीं कक्षा और विश्वविद्यालय की प्रत्येक परीक्षा समय पर होगी, रिजल्ट्स समय पर निकाले जाएंगे और पढ़ाई चालू है। सब विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। हमने जितना भी नुकसान हुआ है, उसका मूल्यांकन करके उनको पैसे दिये हैं, बल्कि उससे ज्यादा पैसे दिये हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने गुजरात में वे बच्चे जो अनाथ हो गए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की है। जो बच्चे आज सदमे में हैं, जो अभी तक उस विभीषिका की याद से ऊभर नहीं पाए हैं, उनके लिए हमने ट्रौम रिकवरी सेन्टर्स बनाए हैं। वे बच्चे जब मलबे का ढेर देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि उनका कोई रिश्तेदार उसमें दबकर मर गया था। वे बच्चे भयग्रस्त हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए हमने व्यवस्थाएं कर दी हैं। 29 जनवरी से 17 फरवरी के बीच के 18 दिनों में हमने ये व्यवस्थाएं की हैं। हम शिक्षा के लिए चिन्तित हैं और हमारा दृढ़ मत है कि ऐसा करने में हमेशा शिक्षा और शिक्षा संस्थाओंकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक सवाल विश्वविद्यालय के लिबरलाइजेशन के संबंध में उठाया गया। हिन्दुस्तान में यह प्रचार कई बार किया जाता है कि शिक्षा इस तरह से लिबरलाइज की जा रही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहती है। यह बिल्कुल भ्रामक बात है। संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार पर डाली जा चुकी है। उससे कोई बच नहीं सकता। इसके बाद भी संविधान केन्द्र सरकार के प्रति एक जिम्मेदारी डालता है स्टैण्डर्ड्ज को ट्रैक रखने का, कोर्डिनेशन करने का और सरकार को यह उम्मीद है कि हमारी जो नीति है कि अगर इस देश ने उन्नति करनी है, अगर इस देश को हमें आगे ले जाना है तो हमारे देश के नौजवान उच्चतम शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनमें प्रतिस्पर्द्धा हो और हम उन्नति करें। इसमें सरकार आगे आएगी, उद्योगपति आगे आएंगे और पुराने छात्र आगे आएंगे। यह सम्मिलित प्रयास हो, इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटेगी नहीं, लेकिन सरकार बाकी समाज को भी अपनी जिम्मेदारी से परिचित कराएगी। हमने उद्योगपतियों के साथ यू० जी० सी० के साथ, साइंस एंड टैक्नोलॉजी की कमेटी के साथ बराबर विमर्श किया है और हम जानते हैं कि जब तक आने वाले 10-20 सालों की औद्योगिक नीति, रिसर्च नीति और शिक्षा नीति में तालमेल नहीं होगा, तब तक देश की बहुत सी समस्याओं का निवारण नहीं होगा। इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि देश को इन नए विषयों की आवश्यकता है। उन नए विषयों की तरफ विश्वविद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। यह हिडन एजेन्डा नहीं है, सैफ्रनाइजेशन नहीं है, मौडर्नाइजेशन है। शिक्षा को भारत के वर्तमान और भविष्य से जोड़ने का प्रयत्न है। अभी जनगणना के आंकड़े आएंगे। तो आपको पता लगेगा कि पिछले दो-तीन सालों में हमने शिक्षा में क्या प्रगति की है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो कुछ नए आंकड़े आ रहे हैं, जो सर्वेक्षण किये गये हैं, एन०एस०एम०ओ० और एन०एफ०डी० के द्वारा, वे बहुत उत्साहजनक हैं और देश को प्रसन्न होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं।

एक बात फीस की उठाई गई। मैं इस बारे में बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि फीस बढ़ाने का उद्देश्य गरीब छात्रों को वंचित करना नहीं है। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मेरी बी० ए० की फीस 12 रुपये जाती थी और विश्वविद्यालय के एक अध्यापक की तनख्वाह 250 रुपये से 300 रुपये होती थी। आज सन् 2001 में भी अनेक विश्वविद्यालयों में फीस 12 रुपये या 15 रुपये है जबकी अध्यापक की तनख्वाह 12000 से 15000 रुपये है। जब मैं पढ़ता था तो इंटरनेशनल जर्नल का दाम करीब 1500 रुपये था और आज वह 15000 रुपये से 20000 रुपये में आता है।

जब मैं पढ़ता था तब भी होस्टल के डबल सीटेड रूम का किराया दस रुपया था और आज भी बहुत से विश्वविद्यालयों में वही है। उस जमाने में बिजली की यूनिट दो आने या चार आने होती थी लेकिन आज वह कहां पहुंच गई है? यह यूजर्स के चार्जेज, बिजली खर्च का पैसा कौन देगा? होस्टल में जो छात्र रहेंगे, वही देंगे या उनके अभिभावक देंगे।

आज यह कहा जाता है कि गरीब और निर्धन वर्ग के छात्रों को ऊंची शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो यह बात गलत है। मैं आपको बड़े शहरों के उदाहरण देता हूं कि वहां क्या हो रहा है। दिल्ली के विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है? जो बच्चे जिनके माता-पिता 1000 रुपये, 1200 रुपये, 2000 या 3000 रुपये महीना खर्च करके उन्हें पढ़ा रहे हैं, वह अच्छे अंक से इंटरमीडिएट पास कर रहे हैं और वही अपने अंकों के बल पर सेंट स्टीफन या बाकी और कालेजेस में आ रहे हैं। ऐसा हमने सर्वेक्षण कराया है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां सालाना खर्च 1 लाख 80 हजार रुपये प्रति छात्र है और वही छात्र जब विश्वविद्यालय में आये और 12 रुपये फीस दे और फीस बढ़ने के ऊपर आंदोलन करे तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। संभवत: सदन के सभी सम्मानित सदस्य भी उससे सहमत नहीं होंगे। हां, वे मेधावी बच्चे जो निर्धन हैं या जो 12 रुपये भी फीस के नहीं दे सकते, हम उनके लिए व्यवस्था करते हैं। उसके लिए उनकी छात्रवृत्तियां दी जायें, पुस्तकें दी जायें और अगर जरूरी समझें तो उनको ऋण भी दिया जाये जिसको सौफ्टलोन कहते हैं लांग टर्म पैमेंट के आधार पर मगर उसमें भी कठिनाइयां आती हैं। जिन विषयों के पढ़ने पर उद्यम या नौकरी सुनिश्चित है, उसके लिए ऋण सरलता से मिल जाते हैं लेकिन जिन विषयों के पढ़ने के बाद कोई व्यवसाय, उद्यम, धंधा या नौकरी मिलना कठिन है, उनके लिए ऋण भी कठिनाई से

मिलता है। हमारे देश में अभी ऐसे ट्रस्ट और फाउंडेशन नहीं हैं जैसे दुनिया में और स्थानों पर है जो छात्रों की मदद करते है। मैं चाहूंगा कि इस दृष्टि से देश विचार करे और कुछ न कुछ व्यवस्थायें उनके लिए की जायें। मगर सरकार के स्तर पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कोई मेधावी छात्र इसलिए शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा कि वह फीस नहीं दे पा रहा। यह मेरा सदन को आश्वासन है कि जो स्कीम्स हमने बनाई हैं, उसमें इस बात का प्रावधान है लेकिन जो दे सकते हैं, वे दें। जब मैं विश्वविद्यालयों के छात्रों को देखता हूं कि वे महीने में एक या दो बार और कुछ तो उससे भी ज्यादा सिनेमा जाते हैं तो आज सिनेमा के एक टिकट का दाम क्या है-50 या 100 रुपये। विश्वविद्यालय की फीस क्या है- 12 रुपये। ऐसी स्थिति में अगर हम यह कहते हैं कि विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ाई जाये तो यह कोई अनुचित बात नहीं। इससे विश्वविद्यालयों के साधन भी बढ़ेगे और विश्वविद्यालयों के पास कुछ अपना पैसा भी आयेगा। जो ऐसा खर्चा है जिसे वह बर्दास्त कर सकते हैं जैसे सिनेमा का खर्चा छात्र बर्दास्त कर सकता है तो फीस भी 12 रुपये के बदले 50 रुपये या जो भी विश्वविद्यालय तय करे, वह दे सकता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस सवाल को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय कहां से पैसा लायेगा। सरकार जितना दे सकती है, उसमें अगर 20 प्रतिशत भी वृद्धि हो जाये तो भी काम चलने वाला नही है। जिस गुणवत्ता की हम चिंता करते हैं और जिसके बारे में हम आग्रह कर रहे हैं तो उस गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ेगा। और सबको मिल कर साथ देना पड़ेगा। मैं इस मामले में सदन का सहयोग चाहता हूं उन सभी लोगों से और खाशकर उन सभी पार्टियों से जो फीस वृद्धि का विरोध अनुचित कारणें से कर रहे हैं। हां, अगर विश्वविद्यालय की फीस 1000 रुपये हो गई तो उसे जरूर हमारे सामने लाइये। हम उसको दुरस्त करेंगे लेकिन एक सीमित दर से धीरे-धीरे विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ाने का एक बहुत ही उचित और सटीक तर्क है और उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालयों के कुछ अध्यापक अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं। सदन में कल इस मामले में एक प्रश्न आया था परन्तु दुर्भाग्य से सदन नहीं चल सका। उस प्रश्न के उत्तर में मैंने सब बातें स्पष्ट की हैं। जुलाई 1998 में जो वचन हमने विश्वविद्यालय के अध्यापकों को दिये थे, उसमें से हमने हरेक को निभा दिया है। किसी को हमने पीछे नहीं छोड़ा है। जिस कैरियर प्रमोशन की बात की जा रही है, उसके बारे में यू० जी० सी० ने उन्हे साफ कह दिया है कि वह मान्य नहीं है। वह कैरियर प्रमोशन स्कीम कालेज में रीडर तक भी लागू है और विश्वविद्यालयों के विभाग में प्रोफेसर तक के लिए भी लागू है।

मैं सभी अध्यापक मित्रों से अपील करना चाहता हूं कि वे इस मामले को ठंडे दिल मे सोचें। आज जब गुजरात जैसी त्रासदी हमारे सामने है, पिछले एक वर्ष में जहां कारगिल युद्ध और उड़िसा का सुपरसाइक्लोन और इतने बड़े प्रकरण हमारे देश में त्रासदी के हुए हैं, ऐसे समय उन्हें बच्चों के इम्तहान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनकी जो भी बातें है, वह यू०जी०सी० से हो रही हैं, होती रहेंगी, बातचीत से हमेशा चीजें सुधर सकती हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो बात संभव नहीं है, अनुचित है।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : आपने अभी जो कहा, फैडकूटा के लोग कल हमसे मिले थे। विभिन्न दलों के कुछ एम० पीज० और भी थे। सभी से मिले थे, बात हुई थी। हम नहीं जानते कि उसका केस कितना सही है, कितना गलत है। हमने केवल यह जरूर कहा कि हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि उनके पक्ष को भी सुन लिया जाए, वह भी सरकार के पक्ष को सुनें और कोई व्यावहारिक रास्ता निकाल लिया जाए। जहां तक परीक्षाओं के समय में हड़ताल या स्ट्रीट्स में आने का सवाल है, हम सारे मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट ने स्पष्ट रूप से उनसे कह दिया कि यदि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारी कोई सहानुभूति आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : बहुत-बहुत धन्यवाद। मै इसी राय का हूं।

एक बात अंत में और कही गई है। *(व्यवधान)*

सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप उन्हे बुला लें बात कर लें।

(व्यवधान)

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मेरी विद्यालय में उनसे पूरी बात होती रहती है। इस मामले में एक नैशनल लैवल का बिल आना चाहिए जो सारे विश्वविद्यालयों के लिए एक गाइड का काम करे। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों में विभिन्न विचार धाराओं से शिक्षा के बारे में काम करने वाले लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इस मामले में कोई कनसैन्सस बने और बिना शक-ओ-शुबहा के बने।

आज सवाल यह है कि अगर कोई अच्छे से अच्छा कदम उठाया जाता है तो उसका एक राजनैतिक विरोध जरूर कर दिया जाता है। वह आप करें लेकिन कम से कम उसके अंदर जो शिक्षा की प्रगति के लिए कदम उठाए गए हैं, उनमें सुधार करने की और उनको आगे करने की मदद भी करें। शिक्षा से केवल मैं, मेरी पार्टी या मेरी सरकार ही प्रभावित नहीं है, सारा देश प्रभावित हो रहा है। बच्चे सभी राजनैतिक पार्टियों से संबंधित हैं। उनके माता-पीता किसी न किसी पार्टी में तो होंगे ही। यह देश है, जनतंत्र है। लेकिन देश की प्रगति के लिए सभी नवयुवकों का, उनकी प्रतिभा का विकास होना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : इसलिए आपको सही रास्ते में आना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : यह तो घिसा-पिटा तर्क है। कृपया एक ही बात को बार-बार मत कहो। इसे कोई नहीं सुनता।

(व्यवधान)

[डॉ० मुरली मनोहर जोशी]

[हिन्दी]

वह बहुत अच्छी तरह से सुन लिया गया है और माफ कीजिए, देश पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। सब लोग शिक्षा नीति को उचित मान रहे हैं और हमारे कदम का समर्थन कर रहे हैं। आपको उसका विरोध करने की पूरी आजादी है और मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके विरोध के बावजूद यह देश शिक्षा में आगे बढ़ेगा और बढ़ कर दिखाएगा। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : आपके एन०डी०ए० के अंदर भी लोग सहमत नहीं है। *(व्यवधान)*

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मुझे आपसे इतना ही कहना है कि आप पश्चिम बंगाल को शिक्षा में पीछे मत रखिए, उसे देश की मुख्य धारा के साथ मिलने दीजिए, उसे आगे लाने दीजिए, वर्ना मुझे कहने पर मजबूर मत कीजिए कि अनइम्प्लॉयमैंट रेट सबसे ज्यादा आपके यहां बढ़ रहा है। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : एक करोड़ रिफ्यूजीस आए थे, सरकार की तरफ से क्या किया गया? आपने भी नहीं किया, पिछले कांग्रेस राज ने भी नहीं किया।

डॉ मुरली मनोहर जोशी : शिक्षा के मामले में आपकी चिन्ता मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। *(व्यवधान)* मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हुई है *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : पंजाब यूनीवर्सिटी के रिसोर्सेस का मसला आपके पास है।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मेरे पास अभी नहीं आया है। हो सकता है कि मंत्रालय में नीचे कमेटी के सामने विचार हो रहा हो। *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : कृपा करके आप उसको कर दीजिए, बहुत मुश्किल हो रही है।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मेरे पास आएगा तो मैं उसे जरूर देखूंगा। लेकिन मुझे यह भी देखना पड़ेगा कि उसमें केन्द्र सरकार का कितना दायित्व है और किस-किसने अपना दायित्व नहीं निभाया है। *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : यूनियन टैरीटरी है, उस पर आप करवा दीजिए।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मैंने आपकी बात सुन ली है और कहा है कि इस मामले में मेरे मंत्रालय से संबंधित जो बात होगी, उसको देखेंगे। यूनियन टैरीटरी का विश्वविद्यालय होने से वह गृह मंत्रालय के मार्फत हमारे पास आता है।

उस पर सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अधिकार नहीं है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार चलाती है, उससे सीधे हमारा सम्पर्क है, उस तरह से यदि पंजाब विश्वविद्यालय चलाती होती तो सीधे हमारे पास आता, लेकिन वह गृह मंत्रालय से घूम कर आता है। इसलिए उनके साथ विचार-विमर्श करना पड़ता है। हम उनसे विचार-विमर्श करेंगे। लेकिन आप पंजाब विश्वविद्यालय के उपकुलपति से तो संतुष्ट हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : जी हां।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : यह एक और नमूना है, हमारे चांसलर महोदय ने नियुक्ति की है, ढंग से नियुक्त किया है और पैनल को समझकर नियुक्त किया है।

श्री पवन कुमार बंसल : जो बात वे कह रहे हैं, वे मान लें। वहां हालत खराब हो रही है।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : आपकी चिंता मैं समझता हूं, क्योंकि आप चंडीगढ़ से सम्बन्धित हैं। इसलिए उसका क्या भविष्य होगा, मैं समझता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : तीन करोड़ रुपये का डेफिसिट बढ़ा है।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मैं सम्मानित सदस्यों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि जो आज यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसे पारित करें और इस 1904 के अधिनियम को हमारी स्टेचुटरी बुक से निकालने के लिए सरकार को आदेश दें। यह राज्य सभा द्वारा पारित हो चुका है इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड एक विधेयक का संक्षिप्त नाम

[हिन्दी]

संशोधन किया गया :

पृष्ट 1, पंक्ति 2-

"2000" के स्थान पर "2001" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(डा० मुरली मनोहर जोशी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

[हिन्दी]

संशोधन किया गया :

पृष्ट 1, पंक्ति 1,-

"इक्यावनवें" के स्थान पर "बावनवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(डा० मुरली मनोहर जोशी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह संशोधन विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

चिट फंड (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : महोदय, मैं श्री यशवन्त सिन्हा की ओर से निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

चिट फंड अधिनियम, 1982 को चिट प्रचालनों के लिये कुछ स्थापित प्रचालनीय सुरक्षा प्रदान करने, और चिट ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिये सम्पूर्ण देश में चिट संस्थानों के लिये प्रयोज्य प्रावधानों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय अधिनियम के रूप में बनाया गया था। चिट फंड मूल रूप से एक व्यवस्था है जिसका बचतों को बढ़ावा देने और उनका चिट के सदस्यों के पारस्परिक लाभ के लिये उपयोग के लिये किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके राज्य सरकारें अधिनियम के अधीन नियम बनाती है, जिनका सम्बद्ध राज्य सरकारों के अधिकारियों और प्राधिकारियों के द्वारा पालन किया जाता है। अभी तक अधिनियम 16 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।

अधिनियम की संवैधानिक वैधता और उसके विभिन्न प्रावधानों के विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्य न्यायालय ने 13 जुलाई, 1993 को अपने निर्णय में अधिनियम की संवैधानिक वैधता का समर्थन किया और अन्य बातों के साथ यह टिप्पणी की कि यदि समय-समय पर मांग इस तरह उठाई जाती है, तो यथोचित प्राधिकारी अधिनियम की धारा 13 के अधीन चिट की कुल राशि की सीमा बढ़ाता है। कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों, अखिल भारतीय चिट फंड संगठन और सर्वोच्य न्यायालय की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुऐ चिट फंड अधिनियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया जा रहा हैं :-

अधिनियम की धारा 6 की उप धारा 3 में व्यवस्था की गई है कि छूट की अधिकतम राशि, चिट राशि की 30 प्रतिशत जिसे पुरस्कृत ग्राहक को छोड़ना पडता है, से अधिक न हो। छूट की सीमा को वर्तमान 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

अधिनियम की धारा 13 में विभिन्न प्रकार के मुखियाओं के लिये कुल चिट राशि की सीमाएं निर्धारित हैं। सर्वोच्य न्यायालय की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मुखिया के लिये कुल चिट राशि की सीमा 25000/ रू० से 1,00,000/ रू० तक और साझेदारी और व्यक्तियों के संगठन के मामलों में 1,00,000/ रू० प्रति साझेदार से 6,00,000/ रू० तक की सीमा तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

अधिनियम की धारा 20, प्रत्येक मुखिया के लिये व्यवस्था करती है कि अनुमति प्राप्त करने के लिये और चिट के प्रचालन और आयोजन के लिये अनुमत बैंक में रजिस्ट्रार के नाम में चिट राशि के बराबर राशि जमा करानी होती है। यह प्रस्ताव किया गया है कि रजिस्ट्रार

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

के पास मुखिया के द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि 50 प्रतिशत नकदी में और 50 प्रतिशत बैंक गारण्टी के रूप में जमा करवाई जा सकती है।

यह विधेयक बिना किसी संशोधन के राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया है। मैं अनुरोध करता हूं कि यह माननीय सभा भी इस विधेयक पर कृपया विचार करे और इसे पारित करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : मुझे बुलाने के लिये धन्यवाद। मैं इस विधेयक पर आम रूप से सहमत हूं क्योंकि मैं केरल का हूं और केरल वास्तविक रूप से चिट फंड का जन्मदाता है और अधिकतम चिट फंड केरल में चल रहा है। बहुत से चिट फंड मुक्त रूप से चल रहे है और इसका मेरे राज्य में उदाहरण दिया गया है। और इसी कारण सामान्यत: मैं माननीय मंत्री द्वारा सुझाए गए संशोधनों का स्वागत करता हूं।

चिट फंड वास्तव में ब्याज में कमी और बैंक दरों में कमी के लिये विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रयास करने के कारण अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बैंको में जमाओं में बचतें कम हो जायेगी। अत: ग्राम स्तर पर लघु स्तर बचतों को चिट फंड के माध्यम से बढावा दिया जा सकता है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह छूट बहुत अच्छी है, विशेष रूप से धारा 6 का संशोधन संख्या 2 और धारा 13 और धारा 20 का संशोधन। वे अत्यधिक सुविधा पहुंचायेंगे और चिट फंड को पनपने में बढावा देंगे।

मेरा अनुरोध है कि सरकार को देखना चाहिये कि अधिकारियों द्वारा लघु चिट फंडों के मुखियाओं को कोई पेरशानी न हो। ग्राम स्तर पर मुखिया बेशक उन्हें चला रहे हैं। किन्तु अधिनियम के लागू होने के कारण, अधिनियम के आर्विभाव के कारण, अधिनियम को पारित करने के बाद सरकारी अधिकारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य सरकारें ऐसा कर रही हैं। किन्तु माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी चिट फंड के लिये प्रोत्साहित की जाए। वह दिन आ रहा है यह दूर नहीं है जब बैंकों में जमा कम हो जायेंगे, यदि ब्याज दरों को घटाया जाता है। यह उद्योग की मांग है।

महोदय, पहले हमारे देश का स्वास्थ्य लघु स्तर उद्योगों के हाथों में होता था। हमारी बचत दर 22 से 24 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। मुझे आशंका है कि यदि बैंक दरें घटती है, तो बचतें कम हो जायेंगी। अत: हमें इस तरह की लघु बचतों को बढावा देना ही चाहिये। अत: मैं माननीय मंत्री जी से कुछ और कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि चिट फंड को बढावा दिया जा सके।

महोदय, सामान्य रूप से, मैं इस संशोधन की प्रशंसा करता हूं और एक बार पुन: माननीय मंत्री जी से अधिक व्यापक विधेयक, जो भविष्य में चिट फंड को बढावा देगा, प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : सभापति महोदय, चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2000 के इस संशोधन में सरकार जो प्रस्ताव लाई है- धारा छ: में, धारा 13 और धारा 20 में, वह स्वागत योग्य है। चिट फंड विशेषकर दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रचलित है और सबसे अधिक वहां हो रहा है। मेरे राज्य बिहार में चिट फंड की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यह एक तरह का कोआपरेटिव सिस्टम है। उसमें चिट फंड के द्वारा लोगों के आर्थिक विषयों के समाधान करने की जो व्यवस्था हैं, उसका स्वागत है। चिट फंड के अलावा भी बहुत से ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीटयूशंस खुल गए हैं, जिन्होंने लोगों की बहुत बड़ी राशि जमा करा ली, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई जिससे उनकी सुरक्षा की जा सके। लोगों का करोड़ों रुपए का घपला हुआ, लोग करोड़ों रुपए लेकर चले गए। इस बारे में सरकार को कुछ ऐसा प्रावधान लाना चाहिए, जिसमें कि आर्थिक जुल्म करने पर कुछ केपिटल पनीशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर जो फोरमैन की व्यवस्था की गई है, जो 50 प्रतिशत की राशि बैंकों में है, वह भी सराहनीय है, लेकिन ऐसा हो कि लोग धोखाधड़ी न करें और जो भी डिपोजिटर्स हैं, जिनके साथ छोटे लोगों ने, जिन्होंने अपने आर्थिक सुधार के लिए राशि जमा की है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें लोग धोखा न दें, इसके लिए आर्थिक रूप से दोषी लोगों के लिए केपिटल पनीशमेंट की भी व्यवस्था चिट फंड के प्रावधान में लानी चाहिए, जिससे कि लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें। उनकी जो राशि जमा की गई है वह सुरक्षित रहे और उन्हें जब उसकी आवश्यकता पड़े तो वह राशि उन्हें मिल जाए।

महोदय, सरकार जिस प्रावधान को लाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

चिट फंड (संशोधन) विधेयक एक शुभ संकेत है। परंतु आज अनेक लोग इन चिट फंड कंपनियों द्वारा ठगे जा रहे हैं। चिट फंड कंपनियां हर दिन अलग-अलग नाम से सामने आ रही हैं। वास्तव में, सरकार का इन चिट फंड कंपनियों की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

चिट फंड कंपनियों का पंजीकरण किया जा रहा है, किन्तु बिना पंजीकरण के भी चिट फंड कंपनियों का कारोबार चल रहा है।

यह बहुत महत्वपूर्ण विधान है। चिट फंड कंपनियों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए संशोधन करने की बात की जाती है, किन्तु इन संशोधनों से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि वे उसे 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत ही कर रहे हैं। इसके अलावा, जमा

राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये की जा रही है। कोई भी चिट फंड कंपनी इन शर्तों को पूरा कर सकती है। अवश्य ही, यह एक बड़ी शर्त है कि किसी अनुमोदित बैंक से चिट राशि के 50 प्रतिशत के समतुल्य बैंक गारंटी दी जाये। लेकिन ये सभी शर्तें नियामक की तरह हैं और इन्हें लागू किया जाना कठिन है।

गैर-बैंकिंग कंपनी अधिनियम, जिसके अधीन चिट फंड कंपनियां स्थापित की जा रही हैं, को इस प्रकार से विनियमित किया जाना चाहिए कि चिटों में अपना धन जमा कराने वाले लोगों को ठगे जाने की स्थिति में इन कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। जुर्माना किये जाने की अपेक्षा किसी दंडात्मक कार्रवाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए। केवल वही तरीका अपनाकर लोगों को बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चिट फंड कंपनियों के खातों की भी नियमित अंतराल पर लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए। जब तक कि प्रत्येक छमाही अथवा तिमाही में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब तक चिटफंड कारोबार को नियंत्रित ढंग से चलाना अत्यंत कठिन हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि चिट फंड कंपनियों की बेनामी नामों से भी जमाराशियां हैं। मान लीजिए कि किसी विशेष चिट में 50 व्यक्ति हैं। उनमें से आधे लोगों की चिट बेनामी नामों से हैं। अत: यह पता लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि क्या किसी चिट विशेष के सभी सदस्य सच्चे हैं अथवा नहीं। इसलिए इस संबंध में यथार्थता क्या है इसे भी विनियमित किया जाना जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि चिट फंड कंपनियों द्वारा अपनी अतिरिक्त जमाराशियों के निवेश के संबंध में एक निर्धारित फार्मूला होना चाहिए। बैंकिंग अधिनियम के अधीन मामले की तरह ही, यहां भी चिटों के माध्यम से प्राप्त की गई अतिरिक्त धनराशियों अथवा रकमों के निवेश हेतु निर्धारित सिद्धांत होने चाहिए। अन्यथा धनराशियों का अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है और अतंत:, बोली लगाने वालों को भुगतान किए जाते समय धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। जब धनराशि उपलब्ध न हो, तो वे ऐसी चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध कैसे कार्रवाई करेंगे चाहे वे चिट फंड कंपनियां अपने ऊपर लगाई गई सभी शर्तों को क्यों न पूरा करती हों? इसलिए, इस तरह से समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि निश्चित दिनों के अंदर ही रकम का भुगतान किया जाये। बैंक में जमा राशि के मामले में, हम बैंक जाते हैं और अपना धन वापस ले लेते हैं किन्तु किसी चिट फंड के मामले में, यदि वे धनराशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अत: यदि बोली लगाने वाले व्यक्तियों को एक निश्चित नोटिस, जैसे 30 दिन अथवा 15 दिन का नोटिस दिए जाने के बाद भी धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सख्त सजा की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन सब बातों पर ध्यान देंगे तथा चिट फंडों को विनियमित करने के लिए उपयुक्त समय पर एक व्यापक विधान लाएंगे क्योंकि अबोध लोगों को पूरे देश में ठगा जा रहा है। बुद्धिमान लोगों को ठगा नहीं जा रहा है क्योंकि वे अपना धन बैंकों में जमा कर रहे हैं। केवल वे लोग जो शीघ्र धन अर्जित करना चाहते हैं अथवा जो बैंक नहीं जा सकते हैं, वे ही चिट फंडों पर आश्रित हैं। वित्तीय रूप से, वे अधिक सक्षम लोग नहीं हैं। अत:, उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए ताकि चिट फंड कंपनियों को विनियमित किया जा सके। ऐसा करके ही इस देश के साधारण लोगों के साथ न्याय किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2000 का समर्थन करती हूं और साथ ही वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि वे यह बिल यहां लाये और जनता की बचत की भावनाओं को प्रोत्साहित किया। साथ ही सामूहिक रूप से आर्थिक कठिनाइयों से जूझने के लिये जनता को समाधान दिया है।

हम सब भली प्रकार से जानते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से साधारण जनता को लोन लेने में कितनी कठिनाइयां हो रही हैं। यह देखा जा रहा है कि सहकारी संस्थाओं से व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पा रही है। ऐसे समय में इन व्यवस्थाओं के चलते हुये चिट फंड को प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। हमारे देश में वर्तमान में बहुत सी संस्थायें चिटफंड की व्यवस्था कर रही हैं लेकिन इनमें से बहुत सी संस्थायें ऐसी हों जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। ऐसी संस्थायें जनता के धन के साथ बहुत बड़ी धोखा-धड़ी कर रही हैं। इस धोखा-धड़ी से बचने के लिये और आर्थिक व्यवस्था में विश्वसनीयता लाने के लिये सहज और सुलभता लाने के लिये यह संशोधन विधेयक वरदान सिद्ध होगा।

सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने 19 फरवरी के अभिभाषण में स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया है। आज देश के गांवों में 70 प्रतिशत जनता निवास करती है जिन्हें शहरों में चलने वाली चिटफंड संस्थाओं से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन स्वयं सहायता संस्थाओं के गठन के बाद नाबार्ड से मिलने वाली सहायता से इन्हें चिट फंड संस्थाओं से जोड़ने के लिये विचार करेंगे। इससे गांव में रहने वाले गरीब लोगों के काम की बात बनेगी। बचत की भावना को प्रोत्साहन देना और चिटफंड से जोड़ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। आज बैंकों में गिरती हुई ब्याज दर और इसके साथ ही बैंकों के अंदर छोटे लोगों को जगह न मिलना, यह सारी व्यवस्था इस बात की ओर इशारा करती है कि हम देश का समग्र विकास किस तरह से कर सकते हैं। आम जनता को आर्थिक व्यवस्था का सम्पूर्ण लाभ किस तरह से देना चाहिये, यह सारी व्यवस्था यदि चिटफंड व्यवस्था द्वारा मिले, उनकी विश्वसनीयता मिले, रजिस्ट्रेशन मिले तो गांव के गरीब आदमी को पूरी सहायता मिल सकती है। शहरों में जिसे हम चिटफंड कहते है। उसे हम गांव में हंडिया बोलते हैं। यदि कोई भाई-बहन उसमें अपना धन लगाता है तो कई बार उसे धोखा खाना पड़ता है। वह रोता हुआ घर पहुंचता है। ऐसी स्थिति में यह चिटफंड संशोधन विधेयक लाया गया है, इसमें गांव के लोगों की भागीदारी जोड़ी जाये और उन लोगों को विश्वसनीयता

[श्रीमती जस कौर मीणा]

दी जाये तो निस्संदेह यह देश के विकास के लिये वरदान साबित होगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात पुनः यह कहना चाहूंगी कि गांव में बड़े भोले लोग रहते हैं, अनपढ़ हैं जिन्हे सरकार की ऊंची-ऊंची व्यवस्थाओं और वित्त मंत्रालय की व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता। गांव की 80 प्रतिशत जनता को इस व्यवस्था से न जोड़कर 20 प्रतिशत लोगों को जोड़ा जाता है जबकि हम चाहते हैं कि गांव के लोगों के धंधों और कारोबार से उन्हें जोड़ा जाये। ऐसा स्थिति में इन स्वंय सहायता समूहों को मदद देनी चाहिये ताकि इनकी विश्वसनीयता बनी रहे और वे आर्थिक उन्नति कर सकें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि उन्हें पुरजोर इस बिल का समर्थन करना चाहिये। मैं यह बात भी अवश्य कहना चाहूंगी कि देश में महिलाओं की आबादी 50 प्रतिशत है और इस 50 प्रतिशत में से भी ज्यादातर गांवों में रहती हैं।

जिन्हें चिट फंड का कुछ पता नहीं है, वे पांच-पांच रुपये आज भी एकत्रित करके, दस बहनों का एक ग्रुप बनाकर अपने धन को एकत्रित करती हैं। हारी-बीमारी या आवश्यक कार्य आदि होने पर वे उसी धन में से लोन लेती हैं और उस लोन पर दो से तीन रुपया प्रतिमाह प्रति सैकड़ा प्रतिशत तक ब्याज देती हैं। चूंकि उस समय उन्हें धन की आवश्यकता होती है। साहूकार भी उन्हें धन नहीं देता है। ऐसी स्थिति में छोटे-छोटे धन की बचत करके वे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ जाती हैं। ऐसे में यदि इन स्वयं सहायता समूहों को चिट फंड के सिस्टम में ही ढाल दिया जाए तो निसंदेह हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे इन विचारों को वे इस संशोधन विधेयक में कही न कहीं अवश्य स्थान देंगे।

[अनुवाद]

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा) : माननीय महोदय, इस विधेयक में वस्तुतः सभी निरसन अधिनियम दिखाए गए जो ऐसी स्थिति में नहीं थे जिन्हें अब अपनाया जा सके, किन्तु इसके साथ-साथ ही, हम इस अवसर पर बताना चाहेंगे कि आधुनिक बीमा

श्री बालासाहिब विखे पाटील : चिट फंड विधेयक पर चर्चा चल रही है।

सभापति महोदय : चिट फंड विधेयक पर चर्चा चल रही है।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन : महोदय, चिट फंड विधेयक पर बोलने के लिए मेरा नाम भी शामिल है।

इस चिट फंड विधेयक के संबंध में, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चिट फंड अब एक कुटीर उद्योग बन गया है। प्रत्येक गांव में चिट फंड की व्यवस्था निधियां जुटाने तथा कानून के शिकंजे से बचने के तरीके के रूप में की गई है। वास्तव में, इस अधिनियम और संशोधन में ऐसे लोगों पर काफी ध्यान दिया गया है जिनका नियमित वाणिज्यिक कारोबार है और उन लोगों का भी ध्यान रखा गया है जो अपनी फर्म अथवा कोई अन्य कानूनी कंपनी पंजीकृत करवा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि साधारण लोग, जो गांवों में रह रहे हैं और गरीब लोग, जो चिट फंड में अपने धन की बचत कर रहे हैं, यह महसूस करते हैं कि वे चिट फंडों में अपना धन लगाकर अधिक ब्याज और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छोटे गांवों और शहरी गरीब मध्यम वर्ग के स्तर पर इन कार्यकलापों को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए।

विशेषकर तमिलनाडु में हम हर दिन किसी समाचारपत्र, मीडिया अथवा टेलीविजन में ऐसी रिपोर्ट देख सकते हैं कि किसी महिला अथवा व्यक्ति द्वारा जो धन एकत्र करने का कार्य करते थे लाखों रुपये ठग लिए गये। लोग उस घर पर छापा मारते हैं तथा वहां कुछ नहीं पाते हैं। हम इसे किस प्रकार नियंत्रित करने जा रहे? इसलिए अधिनियम में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि छोटी-छोटी चिट फंड कंपनियाँ भी स्वयं को पंजीकृत करवायें और उन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप चलना चाहिए अर्थात् उन्हें इस अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि वे एकत्र की गई राशि का 40 प्रतिशत भाग जमा करें अथवा जो भी निर्धारित राशि हो, उसे किसी बैंक अथवा डाकघर में जमा करें अथवा कोई बांड खरीदकर राशि का निवेश करें। इससे उन चिटों में शामिल लोगों का और विश्वास बढ़ेगा क्योंकि यदि कोई दुर्घटना हो तो वे अपना धन वसूल कर सकें। इसी के साथ ही, हमें चिट फंडों के कार्यकलाप को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां ग्रामीणों को इस प्रकार का जीवन जीने की आदत हैं अर्थात् जब उनके यहाँ विवाह होता है तो उन्हें उपहार के रूप में धन प्राप्त होता हैं तथा जब उनके परिवार में विवाह हो रहा हो तब उन्हें इन चिट फंडों से लिए गए धन को लौटाना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में, ऐसी प्रथा है जिसे हम 'मोई' कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने विवाह के अवसर पर धन प्राप्त किया है पर इस धन को किसी दूसरे व्यक्ति के विवाह के अवसर पर नहीं लौटाता है तो धन देने वाले व्यक्ति द्वारा उससे यह कहा जाएगा: 'आप धन क्यों नहीं लौटा रहे हैं? आप वह उपहार दे रहे हैं। वह उपहार ही मेरे विवाह से संबंधित अंशदान है।' वहां ऐसी ही सामाजिक व्यवस्था है तथा इस व्यवस्था ने ग्रामीणों को कमोवेश सुरक्षा प्रदान की है।

अब, यह व्यवस्था चिट फंड के रूप में है। यहां, हम व्यक्ति और परिवार के प्रति दायित्व निभाते हैं। अतः, हमें उन व्यक्तियों और परिवार दोनों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी जो लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं अथवा इस धन का लाभ उठा रहे हैं।

चेन्नई में, 35 फर्मों को काली सूची में डाला गया है क्योंकि उन्होंने लोगों को ठगा है। हजारों लोग पुलिस स्टेशनों का घेराव कर इन मामलों के समाधान की मांग कर रहे हैं। पुलिस तो धारा 420 आई पी सी के अधीन मामला दर्ज कर रही है। वे इस मामले को खींच रहे हैं तथा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए, कोई माध्यस्थम प्रावधान होना चाहिए ताकि तत्काल कोई कार्रवाई की जा सके। उन्हें इन फर्मों की परिसंपत्तियों का पता लगाना चाहिए, नगद राशि वसूल करनी चाहिए तथा धन का भुगतान निर्धारित समय-सीमा में किया जाना चाहिए ताकि संबंधित मध्यम-वर्ग के परिवारों, जिन्होंने अपनी कठिन मेहनत से धन की बचत की, के संताप को दूर किया जा सके। इसी प्रकार

के अनेक मामले हर दिन देखे जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ, हमें यह पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है परंतु कोई नकद राशि उपलब्ध नहीं है। बैंक धन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे विभेदक ब्याज दर के साथ कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। कोई भी बैंक जरूरतमंद और सच्चे लोगों को धन मुहैया कराने के लिए आगे नहीं आ रहा है।

उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो शुल्क तथा चंदा दे कर बी. ई या एम.ई. की पढ़ाई करना चाहता है और वह उचित ब्याज पर ऋण लेने के लिए तैयार है परंतु बैंक उसे ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। बैंक लोगों को इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे है? एक ओर तो हम लोगों को चंदा और शुल्क लेने की अनुमति दे रहे हैं। पर साथ ही गांवो में रहने वाले लोगों के बच्चों को पेरशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि व्यावसायिक कालेजों में पढ़ने के लिए उन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा है यह बहुत सारी चिट फंड कंपनियों के सामने आने का मुख्य कारण है। यदि लोग विवाह या चिकित्सा राहत जैसे किसी आपात प्रयोजनों के लिए धन चाहते हैं तो हम उसे उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। बीमा कंपनियां उन परिवारों तक चिकित्सा बीमा के रूप में सहायता नहीं पहुंचा पा रही हैं। इसलिए उन्हें तुरन्त धन पाने के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ता है। अधिक व्यय या बड़ी मात्रा में खरीद करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है। भूमि खरीदने के दौरान उन्हें अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो सकती है। इन सभी बातों पर बैंकों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। यही मुख्य कारण है कि चित फंड कंपनियां बहुत बड़ी संख्या में पैदा हो रही हैं। वे धन इकट्ठा कर रही हैं और आम लोग उनका शिकार हो रहे हैं। इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य बैंकों चाहे वे वाणिज्यिक हों या गैर-वाणिज्यिक में इस प्रकार के लोगों की मदद के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि बैंकों में बहुमुखी जमा योजनाएँ चलाई जाती हैं। फिर ये बैंक क्यों नहीं खुद इस प्रकार के चिट फंड शुरू करते हैं? वे ऐसा भली-भांति कर सकते हैं। लोग उन पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं। इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद): सभापति महोदय, चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2000 के संबंध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे चीट फंड कहा जाता है, पता नहीं साउथ में कहा जाता है या नहीं। इस किस्म की संस्थाएं मैं समझता हूं कि मेरी निगाहों में अभी तक नहीं आई जबकि मैं दो कांस्टीटयूएंसीज को रिप्रेजेन्ट कर चुका हूं। जब मैं छोटा था तब चिट फंड जरूर होते थे।

आज दिक्कत यह है कि जो अमैंडमैंट आपने धारा 20 में की है, उस संबंध में मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप चिट फंड को चलाना चाहते हैं तो जो बैंक गारंटी आपने 50 परसेंट की है, उसे 100 परसेंट करें। अगर यह आपसे संभव नहीं है तो जो बैंक 50 परसेंट की गारंटी दे, उसके आफिसर एक चिट फंड को लुकओवर करें तब वह चिट फंड उत्तर प्रदेश की कंडीशन में चल सकता है। अन्यथा चीट फंड चलता रहेगा और इसी तरीके से लोगों को पैसा हड़प होता रहेगा। चूंकि बैंक के कानून इन चिट फंडों के ऊपर भी लागू होते हैं लेकिन अमूमन देखने में यह आया है कि बैंक के कोई कायदे कानून इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। और जो भी उसके मैम्बरान हैं, वे अपने हिसाब से उसके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे का गबन करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब किसी मैम्बर को लोन की जरूरत होती है या खातेदार को पैसे की आवश्यकता होती है तो चिट फंड में रुपया ही नहीं होता। उन परिस्थितियों में क्योंकि छोटे-छोटे लोग इसमें धीरे-धीरे अपना रुपया इकट्ठा करते हैं और जब उनको वक्त पर रुपया नहीं मिलता तो एक असहाय की स्थिति उन गरीब मजदूरों के सामने हो जाती। मैं यह बताना चाहता हूं कि ये सारी चिट फंड की व्यवस्थायें सिर्फ शहरों तक ही सीमित हैं जबकि सरकार के द्वारा स्वंय सहायता समूह चलाये जा रहे हैं और उनमें यह देखने में आया है कि जो इस किस्म के समूह बने हैं, वे यदि महिलाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं तो ज्यादा सुचारू रूप से और बेहतर ढंग से चल रहे हैं। एस्टीमेट कमेटी में होने के नाते मुझे बहुत सारे आर.आर.वीज को देखने का मौका मिलता है। मैंने पाया कि जितने महिला समूह हैं या जिनकी अध्यक्ष महिला हैं, वे सारे के सारे समूह बढ़िया काम करते हैं। मैं आपसे अपनी बात कह रहा हूं कि चिट फंड में यदि महिलाओं को रजिस्ट्रेशन में प्रिविलेज दें तो चिट फंड निश्चित ही अच्छी तरह से काम कर सकेगा। जैसे बैंक का साल में एक बार ऑडिट होता है क्योंकि बैंक में करप्ट प्रैक्टिसेस कम है और बैंक में उतनी धोखाधड़ी का मामला देखने में नहीं मिलता है जबकि चिट फंड में यह आये दिन की बात है। सरकार की निगाह में यह सारी बातें हैं। मैं चाहूंगा कि ऑडिट के साथ इसको मंथली या ट्वाइस इन मंथ जैसा भी संभव हो सके, इसकी इंसपेक्शन जरूर करनी चाहिए चाहे जो बैंक गारंटी ले रहा है, उसी के किसी अधिकारी को लगायें। यदि आप उसका इंसपेक्शन समय समय पर कराते रहेंगे तो निश्चित ही चिट फंड जो गरीबों के लिए है या ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास पैसा कम है, उनका भी काम चल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि चिट फंड को चलाने के लिए आपने सार्थक प्रयास किया है।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है जिसे सरकार ने इस विशेष समय में सामने लाया है। जैसा कि मेरे मित्र श्री चन्द्रभूषण सिंह ने कहा है, अधिकांश स्थानों पर ये 'चिट फंड' कमोवेश कुछ लोगों से धन हड़पने और कुछ लोगों को धनवान बनाने का साधन हो गये हैं। चिट फंड कंपनियो में तेजी से वृद्धि हुई हैं। यह गतिविधि कई

[प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

वर्षों और दशकों से अधिकांश गांवों में चल रही हैं। यह गतिविधि किसी के ध्यान में आए बिना कई वर्षों से लगातार चल रही हैं।

महोदय, इधर से ये चिट फंड कंपनियां धन को जुटाने का साधन बन गयी हैं और ये लोगों की बचत को हड़पकर गायब हो जाती हैं। वर्तमान परिस्थितियों में यह अत्यन्त उपयुक्त विधेयक है जो छोटे जमाकर्त्ताओं तथा इस गतिविधि से जुड़े व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामने लाया गया है। वास्तव में; विधेयक के खंड 20 में यह व्यवस्था दी गयी है कि कुल जमा का कम से कम 50 प्रतिशत बैंकों में रहना चाहिए और शेष 50 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में रहना चाहिए। परंतु इसकी कुछ सीमाएँ भी होनी चाहिए।

अन्य विनियमन बोली लगाए जाने वाली राशि के संबंध में है। जहाँ तक चिटों के लिए निधियाँ जुटाने का प्रश्न है बोली की राशि सबसे आकर्षक प्रावधान है। कुछ मामलों मे 1000 रु. के चिट के लिए 500रु और अधिक की राशि की बोली लगायी जाती है। हलाँकि बोली की राशि में पूल के सदस्य ही साझा रूप में भागीदार होते हैं पर यह राशि बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। यह बैंक दर के आस पास किसी दर पर स्थिर की जानी चाहिए ताकि यह लोगों को चिट फंड की ओर आकर्षित करने का मुख्य कारण नहीं हो। यदि बोली की राशि को सीमित कर दिया जाता है तो इससे इस क्षेत्र में अनाचार में वृद्धि पर रोक लगेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि चिट फंड कंपनियों का लेखा परीक्षण नियमित रूप से किया जाए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। बेनामी लेन-देन का पता लगाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए। चिट की पूरी राशि पर या तो बैंक में जमा के रूप में गारंटी या 100 प्रतिशत बैंक गारंटी दी जानी चाहिए। इस मामले में बैंक केवल एक राष्ट्रीयकृत बैंक ही होना चाहिए ताकि लोगों को अपने जमा राशि की सुरक्षा के बारे में कोई शंका नहीं हो।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री एम॰ओ॰एच॰ फारूक (पांडिचेरी) : सभापति महोदय, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूँ जो चिट फंड कंपनियों के कार्यकरण से संबंधित हैं।

जमाकर्ताओं को कुछ अच्छे चिट फंड कंपनियों के साथ कारोबार करते समय भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये चिट फंड कंपनियां प्रोसेसिंग प्रभार, नामांकन प्रभार, विधिक व्यय तथा अन्य व्यय जैसे प्रभार लगाती है। जमाकर्ताओं को इन भुगतानों के लिए कोई रसीद नहीं दी जाती है। यदि चिट की राशि एक लाख रुपये है, तो कंपनी द्वारा इन प्रभारों के लिए 1000 से 2000 रू. तक मांगे जाते हैं। इनमें से भी किसी भुगतान के लिए कोई रसीद नहीं दी जाती है, यह बहुत अच्छी कंपनियों जिनका बाजार में बहुत अच्छा वित्तीय आधार है के मामलों में भी हो रहा है, मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्रकार की प्रवृति को गंभीरता से ले और इस प्रकार रोक लगाए।

मैं एक और मुद्दे के बारे में कहना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में दो चिटों जो प्रत्येक 30,000 रु० धनराशि के हैं का ग्राहक हूँ। मैं इन खातों में से प्रत्येक में 28,000 रु० जमा कर चुका हूँ। जब मैं पहली चिट राशि को गारंटी के रूप में देते हुए, दूसरे खाते की अपनी चिट राशि को निकालना चाहता हूँ तो कंपनी उसे स्वीकार नहीं करती। कंपनी कहती है, कि दो चिटों को एक साथ मिलाया नहीं जा सकता क्योंकि न्यायालय ने इसके खिलाफ एक निर्णय दिया है। अन्तोगत्वा कंपनी ग्राहकों को परेशानी में डाल देती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वे प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ग्राहकों को ऐसी समस्या से बचाएं। कंपनी द्वारा संग्रहित निधियों के लिए उचित गारंटी दी जानी चाहिए।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : सभापति महोदय, मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वाद-विवाद में हिस्सा लिया और विधेयक का समर्थन किया।

मैं सदस्यों द्वारा की गई कुच्छेक टिप्पणियों से सहमत हूँ। कुछ निजी चिट फंड कंपनियां तथा अपंजीकृत कंपनियां हैं, सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारी इन प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

श्री एम॰ओ॰एच॰ फारूक ने यह मुद्दा उठाया कि प्रक्रिया लागतों तथा अन्य खर्चों के संबंध में रसीद नहीं दी जाती है, परन्तु यह एक अपराध है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, हम राज्य सरकारों को निदेश देंगे कि वे उन्हें इस संबंध में सलाह दें, कि बिना रसीद दिए कोई धनराशि नहीं ली जाए।

दूसरे, मैं इस बात से सहमत हूँ कि दक्षिण भारत विशेषकर केरल तथा तमिलनाडु में इस तरह का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, वहां से कई शिकायतों की रिपोर्ट आयी है। परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं यह संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, और हम उन्हें उचित कार्रवाई करने का अनुदेश देंगे।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने लेखा परीक्षण के मामले में दो तीन टिप्पणियां की हैं। प्रत्येक वर्ष उन्हें लेखा-परीक्षण कराना पड़ता है। यह अनिवार्य है। वे धारा -24 के अनुसार अनिवार्य रूप से तुलन-पत्र प्रकाशित करते हैं, और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, इसके साथ ही नियमों की अवहेलना किए जाने पर दण्ड का प्रावधान भी है, यह केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत ही लागू नहीं होती, बल्कि अधिनियम की धारा-26 के अधीन इस तरह के अपराध के लिए दो साल तक की कैद या पांच हजार रू० तक का जुर्माना या दोनों जैसा भी मामला हो की सजा दी जा सकती है।

महोदय, मैं पूरे सदन के विचार का समर्थन करता हूँ कि इस तरह के कारोबार में गरीबों का पैसा लगा हुआ है। इसलिए किसी को भी पैसा लगाने से पहले कंपनी से जुड़े लोगों के चरित्र का पता लगाना चाहिए। इस संबंध में समाज में जागरूकता लाए जाने की आवश्यकता है ताकि कोई भी गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सके। इस आधार पर कि गरीब लोगों की पहुँच बैंकों तक नहीं है।

मैं सहमत हूँ कि शादी या किसी उत्सव में इस पैसे का प्रयोग हो सकता है। इस पैसे को लड़कियों या लड़कों की शादियों में उपहार स्वरूप दिया जा सकता है।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने पंजीकरण की समस्या का मुद्दा उठाया था। हमने इस पर ध्यान दिया है। हमने सप्रयोजन गारंटी ली थी, क्योंकि इसमें 100% जमा है। हमने इसे हतोत्साहित करने का प्रयास किया था क्योंकि यदि किसी को 100% जमा करने की आवश्यकता हो तो वह चिट फंड में क्यों जाएगा। स्वाभाविक रूप से यदि 50% जमा और 50% बैंक गारंटी हो तो निश्चित ही, पूरा काम न हो तब तक गारंटी का प्रतिसंहरण नहीं होना चाहिए।

मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि अनुसूचित बैंक इन सब चीजों के लिए उत्तरदायी हैं या नहीं, इसलिए हम अनुसूचित बैंक व्यवस्था के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम राष्ट्रीयकृत या गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए नहीं कह सकते। कुछ सहकारी बैंक भी इसमें शामिल हैं। मैं सहमत हूं कि बैंक प्रणाली में कुछ समस्याएं हैं किंतु मुझे खुशी है कि:

[हिन्दी]

बैंको में धोखाधड़ी कम हो रही है, फिर भी लोगों का विश्वास बढ़ रहा है।

[अनुवाद]

हमारे विचार से बैंक आम आदमी के लिए भी विश्वास की प्रमुख संस्था है। किंतु समस्या यह है, कि हम हर व्यक्ति को गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि पहुँच इतनी अधिक आसान नहीं है। और अभी तक बैंकों में आवश्कता आधारित वित्त प्रबंधन नहीं होता है। इसलिए जब आवश्यकता आधारित वित्त की नीति उठाने वाली है तो स्वाभविक रूप से व्यवस्था में और सुधार होगा।

महोदय, उस तरफ से किसी ने सुझाव दिया था कि इसमें महिलाओं को अधिक शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि महिला संगठन अच्छा निष्पादन कर रहे हैं और वे अधिक ईमानदार हैं। यहां हम यह कह कर महिलाओं के क्रिया कलापों का समर्थन कर रहे हैं कि वे बहुत अच्छा निष्पादन कर रही हैं, किंतु साथ ही हम यहां पर महिला आरक्षण विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं? खैर कुछ भी सही, हम देश की महिलाओं पर भरोसा कर रहे हैं और इस क्षेत्र में हम अधिकाधिक महिलाओं को शामिल करेंगे।

महोदय, यह भी सुझाव आया था कि 'नाबार्ड' की सहायता लीजिए। जब हम 'नाबार्ड' के माध्यम से इन सब संस्थाओं की सहायता कर रहे हैं और यदि पंजीकृत चिट फंड है तो 'नाबार्ड' इसकी सहायता क्यों नहीं करेगा, भले ही वह केन्द्र के माध्यम से क्यों न हो? हम गैर सरकारी संगठनों को भी सहायता दे रहे हैं। इसलिए मैं इस मामले की जांच करूँगा और 'नाबार्ड' में संबंधित प्राधिकारियों से बात करूँगा और पता लगाऊँगा कि ऐसा केसे हो सकता है।

इसी तरह, माननीय सदस्यों के बड़े ही वाजिव और इस विधेयक से संबंधित सुझाव आए थे। इन सब का ध्यान रखा जाएगा।

महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार में चिट फंड को 'चीट फंड' कहा जाता है क्योंकि यहां बहुत ठगी हो चुकी है। किंतु अब उच्चतम न्यायालय के निदेश आ गए हैं, इसलिए हम इसे विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

अत: यह तो मानव स्वभाव है। चीटिंग (ठगी) नहीं होनी चाहिए। पारदर्शिता विधेयकों में ही नहीं बल्कि जीवन में भी होनी चाहिए। यदि हर व्यक्ति का जीवन पारदर्शी हो जाए तो ये सब बुराइयां और ठगी आदि समाप्त हो जाएंगी। आज की स्थिति यही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बारे में बोला था। सभा को पूरी तरह से पता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अधिनियम पुर: स्थापित हो चुका है। यह विचाराधीन है। यह अलग मुद्दा है। हम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तुलना चिट फंडों से नहीं कर सकते। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अधिक फैली हुई हैं किंतु चिट फंड वाकई गरीब आदमी का फंड है। इन्हें अच्छी तरह संरक्षण देना चाहिए। हम इस सभा के माध्यम से राज्य सरकारों से अनुरोध करेंगे कि गैर पंजीकृत फंड या बेईमान लोग फायदा न उठा पाएं और ग्राहकों को न ठग पाएं। यदि माननीय सदस्य कुछ विशेष घटनाएं बताएं तो हम निश्चित ही उन्हें राज्य सरकारों की जानकारी में लाएंगे। केन्द्रीय सरकार को इसकी चिंता है। हम अवश्य ही यह सुनिश्चित करेंगे कि इनका कार्यकरण सुचारु हो।

माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए हैं। शिक्षा के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। मैं मानता हूँ कि ट्यूशन फीस के बारे में कुछ समस्या थी। किंतु जैसा कि सभा को पता ही है, माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने राज्य सभा को आश्वासन दिया है कि जहां तक शिक्षा का सवाल है, गरीब लड़कों के लिए ट्यूशन फीस कोई समस्या नहीं होगी।

इंडियन बैंक्स ऐसोसिएशन की समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं समझता हूँ, माननीय मंत्री जी शीघ्र ही बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव लाएंगे और अवश्य ही गरीब लोगों को उसका लाभ मिलेगा।

मुझे माननीय सदस्यों के सभी सुझावों का ध्यान है। अब मेरा अनुरोध है कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार बिचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-1 विधेयक का संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3-

"2000" के स्थान पर

"2001" प्रतिस्थापित किया जाए (2)

(श्री बालासाहिब विखे पाटील)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1.-

"इक्यावनवें वर्ष" के स्थान पर

"बावनवें वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री बालासाहिब विखे पाटील)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मंत्री जी विधेयक पारित करने का प्रस्ताव करें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.50 बजे

बीमा विधि कारबार का अंतरण और आपात उपबंध निरसन विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा में मद सं० 21 को लिया जायेगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि एलयांज उंड स्टटगार्टर लाइफ इंश्योरेंस बैंक (अंतरण) अधिनियम, 1950, जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम 1956 और साधारण बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह सम्माननीय सभा को याद होगा कि सरकार ने इस सभा के पिछले सत्र में बीमा विधि (कार-बार अंतरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक, 2000 पुर:स्थापित किया था। यह विधेयक सरकार द्वारा प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा पर आयोग, जिसकी स्थापना 8 मई, 1998 को केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी, द्वारा दी गई सिफारिशों पर तदन्तर पुर: स्थापित किया गया। इस आयोग ने निम्नलिखित अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की है।

1. एलयांज उंड स्टटगार्टर लाइफ इंश्योरेंस बैंक (अंतरण) अधिनियम, 1950,
2. जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956, और
3. साधारण बीमा (आपात उपबंध)अधिनियम, 1971।

उक्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने उक्त उल्लिखित अधिनियमों को निरस्त करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इनका कोई उद्देश्य नहीं रह गया है और ये बेकार हो गये हैं।

एलयांज उंड स्टटगार्टर लाइफ इंश्योरेंस बैंक (अंतरण) अधिनियम, 1950, एलयांज उंड स्टटगार्टर जीवन बीमा बैंक लिमिटेड् के कारोबार का यूनाइटिड लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अंतरण करने के लिये अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को जीवन बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीकृत होने से पहले अधिनियमित किया गया था। 1956 में जीवन बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण के बाद और भारतीय जीवन बीमा निगम को भारत में जीवन बीमा व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिये जाने के साथ ही 1950 के इस अधिनियम की उपयोगिता समाप्त हो गई है।

जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 सार्वजनिक हित में लम्बित राष्ट्रीयकरण के चलते जीवन बीमा व्यवसाय के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के उपबंधों में, अधिनियम के आरम्भ में ही जीवन बीमा व्यवसाय का प्रबंधन सरकार के हाथ में देने की व्यवस्था है। जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण पर और 1-7-1956 से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के लागू होने के साथ ही जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम 1956 की उपयोगिता समाप्त हो गई है।

साधारण बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 सार्वजनिक हित में ऐसे व्यवसाय के लंबित राष्ट्रीयकरण के चलते साधारण बीमा व्यवसाय के प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए प्रवर्तित किया गया था। साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के माध्यम से, देश में साधारण बीमा व्यवसाय का प्रबंध भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी चार सहायक कम्पनियों को दे दिया गया। साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 को पारित किए जाने के साथ ही साधारण बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971, के उपबंधों की उपयोगिता समाप्त हो गई है।

वर्तमान् विधेयक अर्थात बीमा विधियां (कार-बार का अंतरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक, 2000 उक्त उल्लिखित तीन अधिनियम जो अनुपयोगी बन गये हैं को निरस्त करने के लिये इस सभा के समक्ष लाया गया है।

सभापति महोदय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि एलयांज उंड स्टटगार्टर लाइफ इंशोरेंस बैंक (अंतरण) अधिनियम, 1950 जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : माननीय सभापति महोदय, वास्तव में हम इन तीन अधिनियम जो भारतीय लोगों को नया जीवन दे रहे थे, के जन्म का समारोह मना रहे हैं।

साधारण बीमा निगम का स्वामित्व सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था; और उसने सम्पूर्ण भारत के विकास में भी और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी 50 वर्ष दिये हैं, इससे न केवल व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचा है और परिवारों को लाभ पहुँचा है, बल्कि उन लाखों शिक्षित लोगों को थे जो बेरोजगार थे, को भी इससे लाभ पहुँचा हैं। उनकी बीमा क्षेत्र में भर्ती हुई थी। उन्हें समुचित वेतन और अन्य परिलब्धियों का लाभ प्राप्त हुआ है।

हम इन चीजों की निजी क्षेत्र से अपेक्षा नहीं करते। एकत्र की गई और बीमा क्षेत्र में जमा की गई राशि का सम्पूर्ण देश के लाभ के लिये उपयोग किया गया था, जैसे सड़कें बनाने के लिए, पेयजल सुविधा विकसित करने के लिए, कृषि विकास के वित्तपोषण के लिये, औद्योगिक विकास के वित्तपोषण के लिये, इत्यादि। इस धनराशि का प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया गया था। बहुत से लोगों को उससे लाभ पहुँचा है। उद्योग विकसित हुये हैं; कृषि क्षेत्र विकसित हुआ है, और आधारभूत ढांचा विकसित हुआ है। इस अधिनियम ने करोड़ों लोगों के जीवन को संवारा है लेकिन यह अधिनियम बाद के अधिनियमों के अधिनियमित किये जाने के कारण बेकार हो गया है, जो इस सरकार द्वारा इस वायदे के साथ अधिनियमित किये गये थे कि बीमा का यह कारोबार प्रतिस्पर्द्धा को कम किये बिना जारी रखा जायेगा। हमें आशा है कि सरकार अपने इस आश्वासन को बनाये रखेगी और यह करोड़ों लोगों जो इन अधिनियमों के लागू होने पर बहुत खुश हुये थे, के हितों की रक्षा करेगी। अब यह निरस्त होने जा रहा है।

पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने जिस महत्वाकांक्षा से यह किया था, उसे याद करना चाहिये। इसी तरह, जब श्रीमती इंन्दिरा गांधी ने साधारण बीमा को राष्ट्रीयकृत किया उसे भी याद करना चाहिये। यह लोगों के लिये और राष्ट्र के लिये किया गया था। हमने कई वर्षों और कई दशकों में इसे प्राप्त किया है हमने यह दिखाया है कि जो हमने किया है वह ठीक है। करोड़ों लोगों ने इससे लाभ उठाया है, और इससे लाभ उठा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब आप प्रतियोगिता को देख रहे हैं तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि निजी क्षेत्र में बीमें के फलस्वरूप निधियां ही निगलने वाली बात न हो जाये, जैसा कि चिट फंड कम्पनियों ने किया हैं उन्हें निधियों को नहीं निगलना चाहिये। उन्हें राष्ट्र को एक आश्वासन देना चाहिये कि आम आदमी के हितों की भी रक्षा की जायेगी। हम निजी कम्पनियों के लिये जमा राशि का 20 अथवा 22 प्रतिशत घटा रहे हैं। हो सकता है वे प्रतियोगिता कर रहे हों। हो सकता है कि वे कारोबार के उद्देश्य से प्रतियोगिता कर रहे है। बाद में वे एक दम से पीछे हट जायेंगे। इस प्रकार की घटनायें पश्चिमी देशों में हो रही है सरकार को अत्यन्त सावधान रहना चाये और यह देखना चाहिए कि बीमा कम्पनियां जनता को धोखा न दें। कोई भी कार्य उचित ढंग से किया जाना चाहिए और अनावश्यक प्रतियोगिता को भी हटाया जाना चाहिये। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के अधिकार अब धीरे-धीरे निजी क्षेत्र में जा रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिये। क्योंकि वे अनुभवी अधिकारी, जिन्हें हमने प्रशिक्षित किया है और जो हमारे लिये कार्य कर रहे हैं, अब निजी कम्पनियों में जा रहे हैं, मध्यम स्तरीय अधिकारी और निम्न स्तरीय कर्मचारी नुकसान उठा रहे हैं। उनकी रक्षा की जानी चाहिये और उनका भी सही ध्यान रखा जाना चाहिये।

अब जबकि विधेयक निरस्त करना आवश्यक है अत: मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह इन अधिनियमों को बनाते समय जो भी आकांक्षायें थी उन्हें पूरा करने के लिए एक नया विधेयक लायें।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं बीमा विधियां (कारबार का अंतरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूँ। यह उस नये अधिनियम के कारण आवश्यक हो गया है जिसके परिणामस्वरूप बीमा विनियामक प्राधिकरण वजूद में आया। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया तथा साधारण बीमा का 1970 में राष्ट्रीयकरण किया गया। पूरे विश्व में यह नई धारणा बनी है कि निजी क्षेत्र के लिए बीमा कार्य की शुरूआत की जानी चाहिए। नये प्रावधानों तथा बीमा कार्य की शुरूआत के साथ ही, अब काफी प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को लाभ होगा। एक समय ऐसा था जब जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम का बीमा क्षेत्र में एकाधिकार था। इस क्षेत्र में प्रतियोगिता की स्थिति नहीं थी।

अब, साधारण बीमा और अन्य प्रकार के बीमा की शुरूआत के साथ ही, प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन गई है तथा सामान्य रूप में देखा जाए तो लोगों को लाभ हो रहा है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य यह है कि अनेक वर्षों से बीमा क्षेत्र में देखे जा रहे एकाधिकार अथवा

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर]

राष्ट्रीयकरण को रद्द किया जा रहा है। इसमें इससे अधिक और कुछ नहीं है। इसकी अत्यंत सीमित भूमिका है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि साधारण बीमा के अंतर्गत सभी पुरानी व्यवस्था है। विश्व में व्यवस्थाएं बदल गई हैं। दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। बीमा पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नयी प्रणाली अपना ली गई है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत, बीमा कंपनी सिर्फ कार का ही बीमा नहीं करती बल्कि कार चलाने वाले का भी बीमा करती है। वे इस तथ्य पर भी विचार करते हैं कि क्या बीमा किये गये व्यक्ति अथवा कार की पहले कभी कोई दुर्घटना हुई थी। यदि पहले कोई दुर्घटना हुई हो, तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम की दर बढ़ा दी जाती है। भारतीय बीमा व्यवस्था में यह प्रणाली नहीं रही है।

इस नयी प्रणाली की शुरूआत के साथ यह आशा है कि दुर्घटनाएं कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो सुशिक्षित नहीं हैं परंतु जो उन तरीकों से लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं जिनकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा। यदि कोई अशिक्षित ड्राईवर ट्रक चलाता है, तो उसका प्रीमियम अधिक होना चाहिए। ड्राइवर को यह जानकारी होनी चाहिए कि मार्ग के संकेतों को कैसे पढ़ा जाए। परंतु उसे इन संकेतों की जानकारी नहीं होती है। जब अनावश्यक रूप से वाहनों को ओवरटेक करता है। इसी वजह से सड़कों पर इतनी ज्यादा मौतें होती है। अब, बीमा क्षेत्र के खुलने के साथ, हमें आशा है कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा तथा इस क्षेत्र में कोई एकाधिकार नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, हमारी आशंकाएं सत्य साबित हुई हैं। बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा के समय, हममें से कुछ सदस्यों ने कहा था कि इस अनर्थपूर्ण विधान से इस देश को नुकसान होगा। तथा जीवन और साधारण बीमा निगम जैसी दोनों प्रतिष्ठित और गौरवपूर्ण संस्थाओं को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। ये आशंकाएं सही सिद्ध हुई हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा।

आपको याद होगा कि गुजरात में एक अपूर्व चक्रवात आया था तथा गुजरात के अनेक क्षेत्रों में फसल और अन्य उत्पादों को अत्यधिक क्षति हुई थी। ऐसा बहुत पहले नहीं बल्कि केवल तीन वर्ष पहले ही हुआ था। गुजरात को इसलिए बचाया जा सका क्योंकि साधारण बीमा निगम ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान के बल पर किसानों और अन्य लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में अत्यधिक सहायता राशि प्रदान करने की सफलतापूर्वक व्यवस्था की थी। हमने कहा था कि आपात स्थिति हो, प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो अथवा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का मामला हो, बीमा क्षेत्र ने योजनाओं को सहयोग प्रदान किया है। नौवीं योजना में भी बीमा क्षेत्र ने 1,00,000 करोड़ की व्यवस्था की थी। देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो हमारी योजनाओं को पेयजल, सड़कों और ऐसी ही अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के कार्य में हमारी योजनाओं को इतनी वित्तीय सहायता प्रदान कर सके।

अंत में, मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा आपत्तियां उठाई जा रही हैं। यदि उन्होंने उस समय सत्ता पक्ष के साथ सहमति व्यक्त करने की बजाए आपत्ति उठाई होती, तो स्थिति पूर्णत: भिन्न होती। मैं स्थायी समिति से जुड़ा रहा था। मैंने असहमति व्यक्त की थी। आपको याद होगा कि समिति का सभापतित्व किसने किया था। आप समिति की कार्यवाहियां देख सकते हैं। मैंने असहमति व्यक्त की थी।

निजी ऑपरेटर, जो इस नये क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, क्या वे राष्ट्रीय हित अथवा किसानों के हित अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों के हितों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे केवल ऐसे क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं जहां लाभ प्राप्त हो सके। आज तक, उन्होंने केवल लाभ वाले क्षेत्रों में कार्य करने का इरादा जाहिर किया है।

बैंकों के मामले में क्या हुआ? जब विदेशी बैंकों जिनके नाम मैं नहीं ले रहा हूं को ऑपरेट करने की अनुमति दी गई, तो उन्होंने यह निश्चित किया कि वे भी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तरह, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के संबंध में व्याप्त मार्गनिर्देशों का पालन करेंगे। हमने इसकी जांच की और पाया कि किसी भी विदेशी बैंक ने कृषि अथवा लघु उद्योग क्षेत्र में कोई भी प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण प्रदान नहीं किया है। अब उन्हें आई.आर.डी.एफ. के बांड और ऐसे ही बांड खरीदने को कहा जा रहा है। वे आयकर अदा नहीं कर रहे हैं। वे जो चाहते हैं, वैसा ही कर रहे हैं। वे जहां भी अपने कार्य के संबंध में दबाव बनाना चाहते हैं, वैसा ही कर लेते हैं। इसी प्रकार, बीमा क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है। इसकी पहले ही शुरूआत हो चुकी है। इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि आई.आर.डी.ए. नियम तैयार करने आदि का कार्य इस तरीके से कर रहा है जो हमारे राष्ट्री कृत क्षेत्र के लिए पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है।

उस समय, इस सरकार ने हमें यह आश्वासन देने का प्रयास किया कि सरकारी क्षेत्र की रक्षा की जाएगी तथा सरकारी क्षेत्र को ऐसा सहयोग और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। संसद उच्चतम और सम्प्रभु निकाय है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि क्या उन्होंने जी आई सी आई अधिनियम में भी संशोधन किया है? यदि इसमें संशोधन नहीं किया गया है तो आपने किस प्राधिकार और प्रक्रिया द्वारा चार नियंत्रक कंपनियों को सहायक कम्पनियों में बदल दिया है। मुझे यह कहानी मालूम है। किसी उचित समय, मैं सभी पत्रों को सभा पटल पर रखने का प्रयास करूंगा। पहले मामले में, ऐसा मौखिक रूप से किया गया। कम्पनियों के प्रमुखों को बुलाया गया और उन्हें ऐसा करने को कहा गया। तत्पश्चात् वित्त मंत्री के कार्यालय के आदेश पर शब्दों को बदला गया। यह 'हो सकता है' अथवा 'होगा' जैसे एक शब्द को बदलने संबंधी साधारण प्रश्न नहीं है। लेकिन शब्दों को इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि आदेश इतना अस्पष्ट था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता। संसद यहां है किन्तु संसद के अधिनियमों की वित्त मंत्री द्वारा यूं ही उपेक्षा की जा रही है। मैं इस सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि वे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं तथा इस संसद से बचने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मूल अधिनियम में संशोधन नहीं किया है। वे केवल मौखिक निदेशों, सरकारी आदेशों, तथा अर्ध सरकारी पत्रों के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? मैं यह मामला उठा रहा हूं और मंत्री महोदय ने इस संसद में इसकी जिम्मेदारी ली है। यह अवसर उन अनेक बातों की व्याख्या करने का नहीं है

जो पर्दे के पीछे हो रही हैं। मैं सही समय पर सभा पटल पर सभी मामले रख दूंगा। लेकिन यह सरकार उन प्रतिष्ठित और गौरवपूर्ण संस्थाओं को नष्ट करना चाहती है जिन्होंने राष्ट्रीयकरण के समय अर्थात् 1956 और 1972 से ही राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान किया है।

इस सरकार को पूरी जानकारी है कि विदेशी ऑपरेटर्स किस प्रकार अपने घरेलू पूरक संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार वे इस निकाय को प्रभावित कर रहे हैं। मैं इस संबंध में कितने ही उदाहरण दे सकता हूं कि विदेशी बीमा कंपनियों द्वारा इस देश में स्वयं आई.आर.डी.ए. कार्यालय का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। मैं इसे अधिक विस्तार से नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह अप्रचलित हो चुके तीन विधानों को निरस्त करने संबंधी एक सामान्य निरसन विधेयक है। ऐसा पहले भी किया जा सकता था।

अपराह्न 5.11 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं]*

इस सरकार के विरुद्ध मेरा आरोप यह है कि यह सरकार यह स्पष्ट करने के लिए आगे नहीं आ रही है कि बीमा क्षेत्र के खुलने के समय से लेकर आज तक सरकार ने किस प्रकार कार्य और व्यवहार किया है तथा देश को किस प्रकार नुकसान हो रहा है।

मैं फसल बीमा के बारे में एक और उदाहरण दे सकता हूं। साधारण बीमा निगम ने सरकार के समर्थन के बिना ही अपने बल पर एक व्यापक फसल बीमा नीति तैयार की थी। सरकार ने भी सभा में अनेक आकर्षक बातें कहीं थीं तथा अनेक आश्वासन दिए थे। परंतु फसल बीमा का क्या हुआ? कौन सी निजी बीमा कंपनी इस देश के किसानों की रक्षा के लिए आगे आ रही हैं? कोई भी नहीं। कौन सी निजी बीमा कंपनी हमारे उन लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों की रक्षा के लिए आगे आ रही है जो अत्यंत गंभीर कठनाइयों का सामना कर रहे हैं? कोई भी नहीं।

इस देश के अनेक भाग भयंकर अकाल की चपेट में हैं। पश्चिम बंगाल को अपूर्व बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, गुजरात को अभूतपूर्व भूकंप के कारण क्षति उठानी पड़ी है तथा उड़ीसा में महाचक्रवात ने नुकसान पहुंचाया है। इनके साथ-साथ ही, देश के अनेक अन्य भाग जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा भी प्रभावित हुए हैं। उड़ीसा में लोग भूख से मर रहे हैं उड़ीसा से निर्वाचित सदस्य मेरी बात का समर्थन करेंगे। आज भी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बोलंगीर में एक मां ने अपने बच्चे को 5000 रुपये लेकर बेच दिया है। सरकार चुपचाप बैठी है, मुझे पता नहीं इस देश क्या होगा। इतने महीने बीत गए फिर भी उड़ीसा में लाखों लोग परेशान हैं। मैंने पहले एक बार इस मभा में यह मामला उठाया था। जो लोग उड़ीसा गए हैं उन्हें पता है कि कहीं-कहीं तो अभी भी लाखों लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं।

गुजरात भूकंप बहुत गम्भीर मुद्दा है। अनेक लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन नुकसान और परेशानी उड़ीसा में तथा बंगाल में भी बहुत अधिक है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी संस्था आगे नहीं आ रही है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। निस्सन्देह देश के विभिन्न भागों से और विदेशों से जनता गुजरात की सहायता कर रही है। ऐसा होना चाहिए। लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी भारत के ही हिस्से हैं। वहां के नुकसान और परेशानी की बात को सरकार ने भी स्वीकार किया है। यदि जी.आई.सी. ने गुजरात सहित देश के इन भागों में अपनी सही भूमिका निभाई होती तो इससे इन्हें बहुत सहायता मिलती जैसी कि पहले गुजरात में चक्रवातीय तूफान आने के समय मिली थी।

मैं गैर सरकारी बीमा क्षेत्र में हुई प्रगति की विस्तार से बात नहीं करना चाहता। स्वास्थ्य क्षेत्र की भी अनदेखी हो रही है जबकि सरकार अनेक वायदे कर रही है। मेरा आरोप यह है कि सरकार जी.आई.सी. को कमजोर करने पर तुली है।

ऐसे सुझाव आए हैं कि इसे अलग नहीं किया जाना चाहिए। अपितु जी.आई.सी.आई. इतना बड़ा निकाय सहित चार सहायक कम्पनियों में आने वाली विदेशी बीमा कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता हो सकती थी। इसके बजाय उन्हें अलग करके चार सहायक कंपनियां बना दी गईं। यह क्या हो रहा है? मैं एक उदाहरण दूंगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंश कंपनी सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली सहायक कंपनियों में से एक है। आपको पता है कि ऊपर के अधिकांश अधिकारी कंपनी छोड़ गए हैं। क्या मैं उनके नाम बताऊं? बड़ी-बड़ी इस्पात कंपनियां, टाटा या रिलायंस जो विदेशी बीमा कंपनियों के साथ मिल कर काम कर रही हैं। द न्यू इंडिया इंश्योरेंश कंपनी लगभग खाली हो गई है। यह सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली सहायक कंपनी है। मैं कितने ही उदाहरण दे सकता हूं जिससे पता लगेगा कि यह शिकार चोरी जारी है और प्रतिभावान लोगों को किस तरह आकर्षित किया जा रहा है। एक विनियामक निकाय है और मैं उस निकाय के नेतृत्व पर आरोप लगाता हूं कि वे लोग गलत ढंग से काम कर रहे हैं जिससे गैर-सरकारी बीमा कंपनियों और विदेशी बीमा कंपनियों के हित सध रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार अपने आचरण का स्पष्टीकरण इस सभा को दे कि मूल अधिनियम में संशोधन किए बिना वे अधिशासी आदेश, केवल मौखिक अनुदेश और अर्धशासकीय पत्र लिख-लिखकर इस तरह से कैसे काम जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बीमा विधि (कारबार का अंतरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं उन्हें धन्यवाद भी देती हूं कि उन्होंने एक ऐसे समय इस विधेयक को प्रस्तुत किया है जब इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। आज जब हम भारत के आम नागरिक को साधारण बीमा निगम और लाइफ इंश्योरेंस की सुविधाओं से जोड़ रहे हैं, उस समय इस विधेयक को प्रस्तुत कर बहुत अच्छा काम किया है।

सभापति महोदया, अभी तक हमारे देश में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामूहिक बीमा की सुविधा उपलब्ध हो गई है और उसका लाभ इस क्षेत्र के श्रमिक उठा रहे हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अभी तक बीमा लाभ से वंचित हैं। असंगठित क्षेत्र में भी यदि मैं

[श्रीमती जस कौर मीणा]

यह कहूं कि अधिकांश भाग कृषि से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है जिसमें 80% श्रम शक्ति महिलाओं की है क्योंकि आज कटाई, बुवाई या कृषि के आधुनिक उपकरण जिनका प्रयोग किया जा रहा है वे केवल मात्र पुरुषों की श्रम शक्ति को बचाने के लिए काम में लाए जाते हैं। प्रचलित आधुनिक कृषि यंत्रों से महिलाओं की श्रम शक्ति की बचत बिलकुल नहीं होती है और आज भी 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में श्रम लगाकर उत्पादन कर रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इंश्योरेंस का लाभ उनको नहीं मिलता है। साधारण बीमा से भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि पशुओं का इंश्योरेंस कराने की न तो उनकी हैसियत है और न ही उनको ज्ञान है क्योंकि वे अशिक्षित हैं। ऐसी स्थिति में साधारण बीमा निगम का ध्यान उस ओर जाना चाहिए और गरीब तबकों, महिलाओं तथा कृषि मजदूरों को भी लाभ मिलना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहती हूं और वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि ग्रामों में आजकल यातायात में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। गांवों में आवागमन के साधन के रूप में जो वाहन उपयोग में लाए जाते हैं, नियमानुसार उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लेकिन हम देख रहे हैं कि उन्हें रजिस्टर्ड करने के लिए नियमों में प्रावधान नहीं है। आप सभी माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं, मैं आपका ध्यान राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की ओर दिलाना चाहती हूं जहां ग्रामों में आवागमन के लिए मुख्य साधन के रूप में ''जुगाड़'' नामक वाहन चलता है। ''जुगाड़'' उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीजों को इधर-उधर से मिलाकर एक वाहन तैयार कर लिया जाता है जो आवागमन के रूप में गांवों में बहुतायत से उपयोग किया जाता है, लेकिन उन वाहनों का न तो कहीं रजिस्ट्रेशन होता है और न ही उन्हें वैधानिक रूप से मान्यता मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस वाहन का 80% उपयोग होता है।

ऐसी स्थिति में उसमें बैठे हुए यात्री का जब दुर्घटना में निधन हो जाता है तो न तो उसको दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है और न ही किसी तरह का अन्य लाभ जो उसके जीवन को सिक्योर करने के लिए होता है, वह मिलता है। ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहूंगी कि दुर्घटना बीमा की व्याख्या की जाये और दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों को आम आदमी तक हम पहुंचा सकें, उस अशिक्षित आदमी तक पहुंचा सकें जो वाहनों के अभाव में इन जुगाड़ वाले साधनों का उपयोग करके यात्रा करते हैं। मैं पुन: यह कहना चाहूंगा कि आज जीवन को सुरक्षित करने के लिए इस जीवन बीमा का लाभ हिन्दुस्तान में बहुत कम लोगों को मिल पा रहा है। यह लाभ और अधिक लोगों को मिल सके, ऐसा भी कोई प्रावधान मंत्री जी इस विधेयक के अंदर लायें। इस तरह के प्रावधान के लिए मैं सुझाव भी देना चाहूंगी कि यदि असंगठित श्रम कहीं श्रम कर रहा है तो भले ही उनकी सामूहिक रूप से कहीं गणना न हो सके लेकिन ग्राम सरपंच इकाई को आज बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है, उस सरपंच से भी डेटाज लिये जा सकते हैं और उनको जीवन के इंश्योरेंस का लाभ दिया जा सकता है। यह लाभ हमारे अन्त्योदय परिवार से जुड़े हुए भाई-बहनों के लिए तो किया है लेकिन वह बहुत ही आंशिक है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10 हजार रुपये मात्र उस परिवार को मिलते हैं। उस 10 हजार रुपये में आज के समय में उनकी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती।

दूसरी बात मैं यह भी जोड़ना चाहूंगी कि महिलाओं की भागीदारी में जो महिला राजकीय सेवा में है, उसको जीवन बीमा का लाभ मिलता है लेकिन जो महिला राजकीय सेवा में नहीं है, उसको पति के साथ ज्वाइंट इंश्योरेंस पालिसी के माध्यम से जो पालिसी दी जाती है, उसमें उसको अलग से कोई लाभ न मिलकर उसको पति के साथ ही लाभ मिलता है। क्या महिला अपने आप में हिन्दुस्तान की एक अलग इकाई नहीं है जिसको उसके सम्पूर्ण जीवन का और उसके जीवन के पश्चात उसके परिवार को, उसके पति को उसके जीवन का लाभ मिल सके। इस तरह का भी कोई प्रावधान इस विधेयक में जोड़ा जा सकता है तो माननीय मंत्री जी उसे अवश्य जोड़ें।

मैं पुन: इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी भावनाओं को आपके साथ और इस बिल के साथ कहीं न कहीं समाहित करने के लिए अनुरोध करती हूं।

[अनुवाद]

डा० बी०बी० रमैया (एलूर) : महोदया, आपने मुझे बीमा विधि (कारबार अंतरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक, 2000 पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने वे अनुपयोगी हो चुके और जिन्हें निकाल दिये जाने की आवश्यकता हो, ऐसे कानूनों और अधिनियमों की समीक्षा के लिए 1998 में आयोग का गठन किया था। ये अधिनियम हैं जीवन बीमा बैंक (अंतरण) अधिनियम, जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम और साधारण बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम। उक्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इन अधिनियमों को निरसित किये जाने का निर्णय लिया गया था क्योंकि अब इनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ये अप्रयुक्त हो गए थे और इनकी जगह ये अधिनियम लाने की आवश्यकता थी। यही प्रमुख प्रयोजन है जिसके कारण सरकार यह विधेयक लायी है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह और भी पहले लाया जाना चाहिए था।

जब हम बीमा अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। आज अगर आप देखें तो, या तो जीवन बीमा है या साधारण बीमा इनमें बहुत कम प्रतिशत लोगों को और कम प्रतिशत परिसम्पत्तियों को दायरे में लाया गया है। इसे बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में सेवा देने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो तो सामाजिक दायित्व भी इसके दायरे में आ सकते हैं। जैसा कि श्री रूपचंद पाल ने कहा है, आज किसानों के संबंध में फसल बीमा योजना भी पर्याप्त नहीं है। वे बार-बार सभा के समक्ष उपबंध ला रहे हैं और कह रहे हैं कि वे इसमें और बातें जोड़ रहे हैं तथा इसे अधिक सेवायोग्य व उपयोगी बनाएंगे। किंतु आज तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज किसान बहुत परिश्रम करता है। चक्रवात या सूखा जैसी आपदाओं के बावजूद वे कठिन परिश्रम करके बहुत अधिक फालतू खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं चाहे

यह चावल हो या गेंहू या फिर चीनी। इसलिए उनके लिए कुछ बीमा राशि होनी चाहिए। कृपया पूरे देश में आ रही प्राकृतिक आपदाओं को देखिए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी विशेष बीमा का प्रावधान होना चाहिए।

चिकित्सा बीमा के दायरे में अनेक लोगों को नहीं लिया गया है। आज इलाज बहुत मंहगा हो गया है। जब तक अधिकांश लोगों के लिए बीमा नहीं होगा तब तक चिकित्सा संबंधी दायित्व एक समस्या बना रहेगा। सरकार जनता को अधिक मात्रा में औषधियां उपलब्ध नहीं करा पाती। कम से कम बीमा कंपनियां औषधियों का तो ध्यान रखेगी। और भी बातें हैं। जिनके बारे में अंतराष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय लेने की आवश्यकता है जैसे कि इसका दायरा विस्तृत कैसे होना चाहिए, इससे अधिकाधिक लोगों को कैसे सेवा दी जानी चाहिए।

मैं समझता हूं कि वे रोजगार लोगों को भी बीमा के दायरे में लाना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है। इन लोगों का बीमा करने से इनकी सहायता होगी।

ऐसे और भी बीमा क्षेत्र हैं जिनका अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। विमानयात्रा बीमा का दायरा भी बढ़ाया जाना चाहिए और वाहन बीमा को भी। दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं। सभी प्रकार के वाहनों दुपहिया और तिपहिया वाहनों को भी बीमा दायरे में लाया जाना चाहिए । बिना बीमा दायरे के लाए उन्हें सड़क पर नहीं चलने देना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों और हालात में यह नितांत आवश्यक हो गया है। इस संबंध में जनता की सहायता करने के लिए सरकार को विभिन्न प्रकार की नई योजनाएं लानी होंगी।

बीमा प्रीमियम के रूप में एकत्र राशि देश के विकास, प्रगति और सम्पन्नता के लिए उपयोग की जानी चाहिए। सरकार को पता लगाना चाहिए कि बीमा प्रीमियम का उपयोग किस तरह किया जाए। सरकार को इन बातों के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने चाहिए।

मुख्य बीमा विधेयक के संबंध में चर्चा के समय उक्त बातों पर विचार किया जाना चाहिए। मैं अन्य बातों के बारे में चर्चा करना नहीं चाहता क्योंकि यह निरसन विधेयक का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यह निरसन विधेयक तो बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। कुछ भी सही, हम सब इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, वर्तमान कानून में त्रुटि है जिसे ठीक किए जाने की आवश्यकता है। और यह त्रुटि है फसल बीमा के बारें में। जब तक फसल खेत में खड़ी होती है तब तक ही उसका बीमा रहता है। फसल कटने के बाद इसे सूखने, इकट्ठा करने और इसकी पेरई करने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय चाहिए। विशेषकर फसल की इस स्थिति में उसका बीमा नहीं रहता है। जब फसल खेत में सपाट है तब तक यह खेत उन्मुखी फसल है। जब तक फसल की कटाई और पेरई होकर उसका उत्पाद किसान के घर तक न पहुंच जाए तब तक फसल का बीमा रहना चाहिए। यह सच है कि इस अवधि विशेष में बाढ़ आदि के कारण उत्पाद बह जाता है और उस फसल बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह त्रुटि है जिसे ठीक किया जाना चाहिए।

दूसरा, वाहन बीमा के बारे में, अधिकांश मामलों में थर्ड पार्टी का बीमा नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग इन ट्रकों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं और जब उनकी दुर्घटना होती है तो उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिलता।

तीसरे, इनमें से अधिकांश मामलों में दुरुपयोग बहुत हो रहा है। हमें पता होना चाहिए कि इनमें से अधिकांश गोदामों और भण्डागारों में से गोदामों का बीमा होता है किंतु इन गोदामों में भरे उत्पाद का बीमा नहीं होता। जब आग लगने की दुर्घटना होती है तो गोदाम के मालिक को बीमा धन मिल जाता है जबकि इन अधिकांश किशानों को बीमा लाभ नहीं मिलता जिनका उत्पाद इन गोदामों में भरा होता है।

इनमें से कुछ विसंगतियां ठीक करनी होगी। जब तक ये पूर्णतया ठीक नहीं होती वास्तविक गरीब आदमी को इस बीमा दायरे का लाभ नही मिलेगा।

यह वस्तुस्थिति है। जहां तक बीमा का संबंध हैं, आज भी केवल समाज का उच्च वर्ग और व्यवसायी ही बीमा का लाभ उठा रहे हैं। ट्रकों में यात्रा करते समय मारे जाने वाले गरीब लोगों और गोदामों में अपना उत्पाद रखने वाले अधिकांश किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल रहा। इन सभी बातों को ठीक करना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बीमा विधियों (कारबार का अंतरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक, 2000 लाने के लिए माननीय् मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : सभापति महोदया, सर्वप्रथम मै माननीय् सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होनें इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया और निरसन विधेयक का समर्थन किया। उन्होनें कई मुद्दे उठाए जो सम्पत्ति सहित विभिन्न मानवीय पहलूओं से संबंधित हैं। परंतु इस विधेयक का क्षेत्र निरसन तक ही सीमित है और सभी इससे अवगत हैं।

श्री रूपचन्द पाल ने कई मुद्दों को उठाया है। मै उनका अभी उत्तर नही दूँगा। जब हम संशोधन लायेंगे तो उन मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा। मूल अधिनियम में, जी. आई. सी. एक पूर्व बीमा कंपनी थी। यदि सरकार ने विधेयक लाने में शीघ्रता की होती तो स्वाभाविक था कि कुछ विदेशी कंपनियां इस क्षेत्र में आ जाती पूरा पूर्ण बीमा व्यवसाय विदेशी कंपनियों के हाथों में चला जाता। इसलिए जी.आई.सी. को पूर्ण बीमा कंपनी बनाया गया।

मैं माननीय् सदस्यों से सहमत हूं कि बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद इन कंपनियों द्वारा प्रीमीयम के रूप में संग्रहित राशि सड़कों के निर्माण, पेय जल की व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाएं आदि जैसे राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में निवेश की जाती थी। आजकल वे इन पैसों को सूचना प्रोद्यिगिकी के क्षेत्र में लगा रहे हैं। बीमा क्षेत्र में आया पैसा न केवल योजना या गैर-योजना व्ययों बल्कि देश के समग्र विकास

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

के लिए एक बड़ी परिसम्पत्ति बन गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में बीमा व्यवसाय की स्थिति से यहां की तुलना की है। परंतु मै माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि माननीय् वित्त मंत्री जब ये संशोधन पेश करेंगे तो इसमें समाजिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जाएगा।

माननीय सदस्यों द्वारा कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। परंतु जहां तक वाहन बीमा का संबंध है, कई मुद्दे सामने आए हैं जिनमें तीसरे पक्ष का बीमा भी शामिल है। प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु ने भी इसी बात का उल्लेख किया है। जब विधेयक में संशोधन किया गया और वाहन बीमा के मामले में तीसरे पक्ष को पूरी बीमा सुरक्षा दी गयी, यात्रियों को उससे अलग रखा गया। इस पहलू पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। बसों आदि जैसे सार्वजनिक परिवहन के साधनों के मामलें में यात्री टिकट लेकर यात्रा करते हैं। बसों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के बीमा के मुद्दे पर बारीकी से ध्यान दिए जाने की जरूरत है क्योंकि इससे अंततोगत्वा टिकट (भाड़ा) के मूल्य में भी वृद्धि होगी। गैर पंजीकृत वाहनों का मुद्दा भी एक बहुत गंभीर मामला है। राज्य सरकारों को इस मामले को देखना पड़ेगा क्योंकि वाहन पंजीकरण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुझे समझ में नही आता है कि राज्य सरकारें इस अवैध व्यवसाय को क्यों चलने दे रही हैं। केन्द्र सरकार सभी वाहनों का पंजीकरण नहीं कर सकती।

जहां तक फसल बीमा का संबंध है मै माननीय् सदस्यों के इस विचार से सहमत हूं कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित हुआ है परंतु इसकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने तीन वर्षों की अवधि में बहुत बड़ी संख्या में किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाया है और इससे कई फसलों को बीमा के अंतर्गत लाया गया है। हम शीघ्र ही सभी फसलों को बीमा के अन्तर्गत ले आयेंगें। यह कार्य धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। हमने सदन को पहले ही आश्वासन दिया है कि फसल बीमा निगम की जल्द ही स्थापना की जाएगी और यह इन सभी पहलुओं का ध्यान रखेगा। निकट भविष्य में इसके लिए विधेयक लाया जाएगा। अभी जी.आई.सी. तथा अन्य सहयोगी संस्थाएं इस कार्य को कर रही हैं।

आखिरी वक्ता श्री उम्मारेड्डी ने एक सुझाव दिया है। मैं इसकी जांच करवाऊँगा कि यह किस प्रकार खड़ी फसल तथा तैयार की हुई फसल/कटी फसल तथा बाद में फसल उगाने वाले किसान से संबंधित है। पर जहां तक मेरी जानकारी है हम इसे समग्र रूप से सुनिश्चित करते हैं।

मैं महिला सदस्य के विचार से सहमत हूं कि संगठित क्षेत्र ही इन सभी योजनाओं का लाभ उठा ले जाते हैं। परंतु असंगठित क्षेत्र के खेतिहर श्रमिक चाहे वह महिला हो या पुरुष, इन सरकारी योजनाओं के हमेशा शिकार ही होते हैं क्योंकि न तो उन्हें जानकारी होती है और न ही वो साक्षर होते है। वे इन योजनाओं के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। देश भर में सभी गैर-सरकारी संगठन और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वे इस दिशा में पूरा प्रयास कर रहे हैं। परंतु किन्हीं कारणों से उनकी उपेक्षा हो रही है। हम निश्चित रूप से इस मामले पर ध्यान देगें। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा सुझाव है कि हम यह देखें कि किस प्रकार बीमा क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र लाभ उठा सकता है। सभी प्रयास केवल संगठित क्षेत्र के लिए ही नहीं होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र, चाहे वे निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक हो या खेतिहार श्रमिक, निश्चित रूप से एक उत्पादक क्षेत्र हैं। मैं इसके विवरणों में नहीं जा रहा। पर ये अच्छे सुझाव हैं।

फिर, सूखा या प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाऐं भी हैं जो गुजरात तथा पश्चिम बंगाल में हुई हैं। मै श्री रूपचंद पाल को बताना चाहूंगा कि जब मैं पश्चिम बंगाल गया था, मैने राज्य के वित्त मंत्री के साथ सबसे पहले बैठक की और फिर एक समीक्षा बैठक भी की। उन्हें समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं से भी पता लगा होगा कि वे बीमा कंपनियों तथा बैंकिंग क्षेत्र द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को की गयी सहायता से पूरी तरह संतुष्ट थे। उन्होने बैंको के प्रतिनिधियों तथा कंपनियों के कर्मचारियों के सामने व्यक्तिगत रूप से कहा कि वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। फिर भी, बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि हर बार आप सभी चीजों का समाधान नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है। इसमें कुछ समय लगता है।

जहां तक गुजरात में आए भूकम्प का संबंध है, मैं बीमा कंपनियों तथा बैंकों के कर्मचारियों को बधाई देता हूं। इस आपदा से उबरने के कार्य में लगे गुजरात राज्य तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भी सम्पति नष्ट हो गयी और उन्हें तथा उनके रिश्तेदारों को चोटें आयी। उन्होंने इस सदमे से अपने आप को उबारा और आम जनता की सेवा की। बीमा कंपनियां बीमा के दावे के बदले करोड़ों रुपए का भुगतान कर रही हैं जिसमें फसल बीमा भी शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र भी इसी प्रकार सहायता कर रहे हैं।

जब कोई आपदा आती है, तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को भी नुकसान सहना पड़ता है। उन्हें इस सदमे से उबरने में एक या दो दिन लग जाते हैं। आखिर वे भी मानव हैं। एक घंटे के भीतर इससे उबरकर सहायता के लिए सामने आना मुश्किल है।

जहां तक गुजरात का संबंध है, हमें निश्चित रूप से उनको बधाई देनी चाहिए। मैं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र द्वारा किए गए कठिन कार्य की सराहना करता हूं।

जहां तक फसल बीमा का संबंध है, बैंक तथा बीमा कंपनियों ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की क्षति के बीमा की राशि किसानों को नकद दी जा रही है ताकि वे अपनी चीजों को फिर से बना सकें और सभी कार्य समय में हो सके। किस्तों के भुगतान से तत्काल राहत दिए जाने के लिए दो वर्षों के ऋण स्थगन की सुविधा दी गई है। ऐसा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किया गया है। निजी बीमा कंपनियां सामने आ रही हैं। सभी चीजों की व्यवस्था कर ली जाएगी।

मेरे विद्वान मित्र ने सही कहा कि संगणना किए जाने की आवश्यकता है। जब फसल बीमा विधेयक पर चर्चा की गयी थी, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री द्वारा सभी चीजों को विस्तार से बताया गया था। हम जनता की मांगों को इसमें अधिक से अधिक शामिल करना चाहते हैं। इसका

विस्तार अधिकाधिक लोगों तक होना चाहिए ताकि समाज का कोई भी हिस्सा, कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहे। यह सरकार का उद्देश्य है। मुझे विश्वास है, हम इसे प्राप्त करने में सफल होंगे।

मैं सदन के सभी वर्गों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब मैं बिल पारित किए जाने का अनुरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एलयांज उंड स्टटगार्टर लाइफ इंश्योरेश बैंक (अंतरण) अधिनियम, 1950, जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-1 **विधेयक का संक्षिप्त नाम**

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, –

"2000" के स्थान पर "2001" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री बालासाहिब विखे पाटील)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, –

"इक्यावनवें वर्ष" के स्थान पर "बावनवें वर्ष"

प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री बालासाहिब विखे पाटील)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.43 बजे

कलोनियल प्रिजनर्स रिमूवल (निरसन) विधेयक

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कलोनियल प्रिजनर्स रिमूवल अधिनियम, 1884 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

महोदया, मैं इस सभा के सामने एक अक्रीयाशील अधिनियम को निरस्त किए जाने के लिए एक सरल और हानिरहित, कलोनियल प्रिजनर्स रिमूवल (निरसन) विधेयक, 2000 विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

वस्तुत: यह इतना, इतना अप्रासंगिक है कि अंग्रेजों के जाने के बाद से इसका कोई महत्व नहीं रह गया है और यहां तक कि प्रशासनिक विधियों की समीक्षा के लिए गठित आयोग, जिसकी अध्यक्षता श्री पी॰सी॰ जैन कर रहे थे, ने सिफारिश की थी कि संविधि पुस्तकों से इस प्रकार के विधेयकों को निश्चित रूप से हटाया जाना चाहिए। इस विधेयक के माध्यम से हम इस अधिनियम को निरस्त करना चाहते हैं जिसकी न तो कोई क्रियात्मक वैद्यता है और न ही इससे किसी उद्देश्य की प्राप्ति होती है सिवाय इसके कि इससे संविधि पुस्तकें मोटी होती हैं।

कलोनियल प्रिजनर्स अधिनियम उस समय पारित किया गया जब ब्रिटिश सरकार के अधीन कई उपनिवेश थे और यह कैदियों तथा उन्मत अपराधियों को एक उपनिवेश से दूसरे उपनिवेश या मुख्य भूमि तक ले जाने की दृष्टि से बनाया गया था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही इस अधिनियम की प्रासंगिकता खत्म हो गयी। वस्तुत: इसे बहुत पहले ही निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। यह अधिनियम अब अप्रयोज्य हो गया है संविधि पुस्तकों में इसे बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

इसलिए मैं इस सभा से अनुरोध करूँगा कि यह कलोनियल प्रिजनर्स निरसन विधेयक, 2001 जो मूल अधिनियम को निरस्त करने के उद्देश्य से लाया गया है, उसे पारित किया जाय, यदि सभा अनुमति दे तो मैं समझता हूँ कि इस पर किसी वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अप्रासंगिक, आपत्तिजनक तथा कार्यात्मक रूप से मृत विधेयक है और केवल संविधि पुस्तक के पृष्ठों की शोभा ही बढ़ाता है।

आयोग ने भी सिफारिश की है कि इस प्रकार के सभी विधेयकों को समाप्त किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कलोनियल प्रिजनर्स रिमूवल अधिनियम, 1884, का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० नितिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : महोदया इस पर कोई वाद-विवाद न किया जाए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे पास एकतरफा अधिकार नहीं है। मेरे पास नामों की सूची है। उन्हें सवाल करने दीजिए।

श्री नाच्चीयपन, क्या आप बोलना चाहते हैं। आप खड़े होकर इसका समर्थन कर सकते हैं।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदया, हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं पर हम इस अवसर का उपयोग कुछ शिकायतों को सामने रखने के लिए करना चाहेंगे।

सभापति महोदय : ठीक है, आप पांच मिनट समय ले सकते हैं।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : मैं माननीय मंत्री का ध्यान केन्द्र सरकार से संबंधित मादक पदार्थ (नारकोटिक) या कस्टम्स या फेमा या आई पी के मामलों से जुड़े कैदियों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूँ *(व्यवधान)* यद्यपि 'कारागार' राज्य सरकार का विषय है पर मैं बताना चाहता हूँ कि कारागारों का रख-रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है और कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। केन्द्र सरकार को इस पहलू की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि केन्द्र सरकार कारागारों के रख-रखाव के लिए धन भी देती है। विशेषकर तमिलनाडु बिहार, तथा इस प्रकार के अन्य राज्यों में कैदियों की दशा में बहुत अधिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। कैदियों को कारागार से बाहर लाकर न्यायालय में लाये जाने और फिर कारागार वापस लाये जाने के दौरान उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें मीडिया के समक्ष आने का मौका दिया जाना भी जरूरी है जब तक उनका दोष सिद्ध नहीं हो जाता वे निर्दोष हैं। तमिलनाडु में कैदियों के कमीजें निकालकर उनके फोटो खींचे गए हैं। वे दूरदर्शन पर भी दिखाए गए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन इस प्रकार से क्यों किया जा रहा है।

हवाला तथा अन्य मामलों में इतना कुछ सामने आने पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। उनके प्रतिष्ठा को इतनी अधिक क्षति हुई, उसका क्या होगा? इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस पहलू की ओर दिलाना चाहता हूँ।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि कैदियों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उनका दोष सिद्ध होने तक उनसे एक नागरिक जैसा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और दोष सिद्ध होने के बाद भी उनके साथ मानवों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस से संबंधित एक प्रश्न करूँगा। जैन आयोग ने सिफारिश की थी कि लगभग 1100 अप्रचलित कानूनों को रद्द कर दिया जाए। ऐसा एक विधेयक जो निरसन और संशोधन विधेयक है, इस सभा के विचाराधीन है।

मेरा सुझाव है कि विधेयकों को खंडशः लिए जाने के बजाए, इन सभी विधेयकों को एक साथ लिया जा सकता है ताकि इस सभा का कुछ समय अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सके *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : किन्तु अभी तो हर एक व्यक्ति प्रत्येक विधेयक पर बोलने के लिए जोर देगा।

श्री अनादि साहू : महोदया, यह एक अप्रचलित विधेयक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सत्रहवीं शताब्दी के आस्ट्रेलिया की 'बांटनी बे' को देखें, जब इंग्लैंड ने 'पीनल' सेटलमेंट के रूप में कैदियों की बस्ती बसाई थी और वहां कैदियों को ले जाया जाता था। अब यह बस्ती एक बड़े राज्य में परिवर्तित हो गई है और बहुत से लोग वहां रहते हैं। उन्होंने खरगोशों का भी आयात किया। फिर वहां खरगोशों की बहुतायत हो गयी और वैसे भी यह एक शांतिप्रिय प्राणी है। इस आज के संदर्भ में, मैं कहूँगा कि ऐसे कठोर कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।

हम सभी जानते हैं, अंडमान एक 'पीनल सेटलमेंट' रहा था। 1897 के अपराध प्रक्रिया अधिनियम में विभिन्न दंड प्रावधान थे। एक मृत्यु दंड, दूसरा जीवन भर के लिए देश निकाला और तीसरा आजीवन कारावास और सभी अन्य बातें। 1957 में जीवन भर के लिए देश निकाला को हटा दिया गया था।

ये कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। चूंकि अब हम दंड संहिता में सुधारात्मक प्रावधानों को लाने की सोच रहे हैं, न कि दंडात्मक प्रावधानों को तो हमें इन सभी, हमें इन सभी अधिनियमों को क्यों रखना चाहिए? कुछ अन्य अधिनियम भी हैं, जो इस संदर्भ में अप्रासंगिक हैं और इन्हें तुरन्त हटाया जाना चाहिए। चूंकि समय निकला जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उन सभी दंड प्रावधानों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है, जो दंडात्मक प्रवृत्ति के हैं। यह रानी विक्टोरिया के राज में 31 वें वर्ष में अधिनियमित किया गया था और यह प्रावधान अब प्रासंगिक नहीं है। चूंकि हम आजाद हैं, अतः इन बातों को हटाया जाना चाहिए और मैं इन प्रावधानों का समर्थन करता हूँ।

डा० नीतिश सेनगुप्ता : मेरा एक सुझाव है। इन सभी अधिनियमों को एक ही बार में लिया जाना चाहिए और तब ही रद्द किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं मंत्री जी से केवल एक बात जानना चाहती हूँ। मैं नही जानती कि वे अभी भी यहां बैठे हैं। अभी हाल तक राजा के जन्म दिन पर जेल अधिनियम के भाग के रूप में सभी जेल कर्मियों के लिए छुट्टि होती थी। मैं नहीं जानती कि क्या इसमें संशोधन कर दिया गया है अथवा नहीं किन्तु किसी ने भी अभी हाल तक यह महसूस नहीं किया था यह विधि पुस्तक में था।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : क्या ये कैदी अभी भी उस छुट्टी का आनन्द ले रहे हैं?

सभापति महोदय : मैं नहीं जानती। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछ रही हूँ। बहुत से पुराने कानूनों की वास्तव में कभी जांच नहीं की गई है कि कौन से प्रावधान अपनी महत्ता खो चुके हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदया, शायद सरकार ने विधि मंत्रालय में यह निर्णय लिया है कि सभी मंत्रालयों को अपने अप्रचलित कानूनों को अलग से रद्द करना चाहिए। इसलिए वे एक एक करके आ रहे है। अन्यथा मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कार्यविधि हो सकती है जिसके द्वारा सभी विधेयकों को एक ही समय में एक ही मंत्रालय द्वारा लाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक विधेयक को कैबिनेट में जाना पड़ता है। प्रत्येक विधेयक को विधि मंत्रालय में जांच के लिए जाना पड़ता है। उन्हें जरूर हटाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : यहां तक कि प्रक्रिया अप्रचलित घोषित की जानी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदया, कानून मंत्रालय उनमें से कुछ को इकटठा कर रहा है। मैं समझता हूँ राज्य सभा में एक विधेयक है, जिसमें 21 विधेयक है। हम यथा संभव अधिक विधेयकों को रद्द करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदया, मैं कोलोनियल प्रिजनर्स रिमुवअल अधिनियम, 1884 के रद्द करने के लिए इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। मुझे हैरानी है कि इसे इतनी देर तक क्यों रखा गया है।

सभापति महोदय : यह ठीक है। हम सभी को हैरानी है।

श्री प्रमोद महाजन : हमने आपके लोक सभा में आने की प्रतीक्षा की और इन सभी बातों का स्वागत करते हैं।

श्री एम.ओ.एच फारूख (पांडिचेरी) : आईए हम इसे पारित करें।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : अब पचास वर्ष हो गए हैं। यह किया जाना चाहिए था। मैं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता। किन्तु हमें अच्छे कार्य के साथ स्पर्धा करनी चाहिए, जो श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा किया गया है, जब वे गृह मंत्री थे। यह श्रेय उनको जाता है। उन्होंने उनको छोड़ दिया है, जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : वह उन लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं?

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : इसलिए उन्होंने इस तरह के अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने इस आधुनिक समाज में बिना आरोप पत्र बिना किसी कारण के जेल में फंसे लोगों की संख्या 30000 से घटाकर 1500 अथवा 1600 कर दी है।

सभापति महोदय : श्री मूर्ति उनमें से अधिकतर महिलाएं हैं, जिनके विरुद्ध आरोप पत्र कभी दाखिल नहीं किया है और उन्हें जमानत भी नहीं मिली है।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : मैं उससे सहमत हूँ। किन्तु वहां कोई भेदभाव नहीं है। क्या इन महिलाओं को न्यायालय के समक्ष लाया गया था अथवा नहीं किन्तु उनमें से कई बिना किसी कारण के जेल में बन्द हैं। मैं इस विधेयक को रद्द करने का स्वागत करता हूँ। इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री जी क्या आपके पास कहने को कुछ है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदया, मेरे पास उन्हें यह विश्वास दिलाने के अतिरिक्त कहने को कुछ नहीं है कि जहां तक भारत सरकार का संबंध है, तो हम राज्य सरकार को हमेशा काफी धन देते हैं, यद्यपि हमारी वित्तीय सहायता कुछ निश्चित श्रेणियाँ जैसे परिवहन, संचार, चिकित्सा देखभाल, भवनों की मरम्मत आदि के लिए है। जेल मूलत: राज्य का विषय है।

किन्तु माननीय सदस्यों ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। जहां तक कैदियों के मानवाधिकार का संबंध है, मैं समझता हूँ कि मानवाधिकार आयोग और सभी अन्य अदालतें भी उनके लिए उपलब्ध हैं। किन्तु अभी भी माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये है। हम निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखेंगे और हम उचित समय पर राज्य सरकार को उनका ध्यान रखने के लिए भी लिखेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि यह विधेयक, जो अनपकारी है, जो पुराना है और अप्रचलित है, पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कलोनियल प्रिजनर्स रिमूवल अधिनियम 1884 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति - 4 :

"2000" के स्थान पर

"2001" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री ईश्वर दयाल स्वामी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 पंक्ति 1 –

"इक्यावनवें" के स्थान पर

"बावनवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री ईश्वरा दयाल स्वामी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : हमारे पास तीन मिनट बाकी हैं। क्या आप यह चाहेंगे कि विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री अगला विधेयक पेश करें?

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : नहीं, नहीं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : इस बिल को 15 मिनट में पास करवा दें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : छः बजे का मतलब छः बजे होना चाहिए।

सभापति महोदय : इसके लिए एक घंटे का समय दिया है।

अपराह्न 5.56 बजे

न्यायिक प्रशासन विधियां (निरसन) विधेयक

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सिविल न्यायालय अमीन अधिनियम, 1856 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों, का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

केन्द्रीय सरकार ने पी.सी. जैन समिति को विधान के ऐसे अप्रचलित अंशों से संबधित प्रश्न पर विचार करने हेतु नियुक्त किया था जो संविधि पुस्तक में बने हुए हैं तथा पी.सी. जैन समिति ने 1323 ऐसी विधियों की पहचान की थी जो संविधि पुस्तक में शामिल हैं परन्तु जो अपने संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में असंगत हो गए हैं। ऐसा विधान के अनुवर्ती अंशों के कारण है या तो ये विधान के अनुवर्ती अंशों या फिर समानांतर विधानों के कारण अप्रचलित हो गए हैं।

विभिन्न विभागों द्वारा इन विधियों में से प्रत्येक विधि की तथा न्याय की व्यवस्था संबंधी मामले की जांच की जा रही है। ऐसे 17 विधान हैं जो न्याय की व्यवस्था के क्षेत्र में वस्तुतः असंगत हो गए हैं और इस संबंध में उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। ऐसी प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम संविधि पुस्तक का अवशोधन करना कहते हैं। अर्थात् संविधि पुस्तक में जो भी असंगत है उसे हटा दिया जाना चाहिए, न्याय की व्यवस्था से संबंधित इन 17 विधानों को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव है।

यदि मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी ही करना चाहूं कि, वास्तव में, किस विषय के क्षेत्र में वे बने हुए हैं तो इस संबंध में पहला विधान सिविल न्यायालय अमीन अधिनियम है। यह 1856 का अधिनियम है। अधीनस्थ न्यायालयों में अमीन की प्रथा पहले ही समाप्त कर दी गई है।

मुम्बई उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट) अधिनियम, 1866 द्वारा लेखन संबंधी दो त्रुटियां सुधारी गइ जिन्हें बाद में बम्बई उच्च न्यायालय अधिनियम के अनुवर्ती संशोधन द्वारा सुधारा गया। अब इसकी और आवश्यकता नहीं है।

बिना दावे वाले निक्षेप अधिनियम, 1866 और 1870 ऐसे दो विधान हैं जो प्रेसिडेन्सी नगरों में देय ब्याज से संबंधित हैं। प्रेसिडेन्सी नगरों की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।

कार्यकारी न्यायाधीश अधिनियम, 1867 असंगत है क्योंकि संविधान के लागू होने के बाद नियुक्तियां अनुच्छेद 224 के अन्तर्गत की जाती है। अनुच्छेद 224 के अधीन अपर न्यायाधीशों की व्यवस्था है और इसलिए एक्टिंग न्यायाधीशों संबंधी व्यवस्था असंगत है।

सांय 6.00 बजे

पांचवीं विधि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय से संबधित हैं। उत्तर प्रदेश का कोई उच्च न्यायालय नहीं है। क्योंकि विद्यमान न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है।

प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट (न्यायालय फीस) अधिनियम प्रेसिडेन्सी नगरों से संबंधित है।

पंजाब न्यायालय (अनुपूरक) अधिनियम, 1919 लाहौर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबधित है।

फैडरल न्यायालय 1950 में समाप्त कर दिया गया था अत: फैडरल न्यायालय अधिनियम को निरस्त करना होगा।

इसी प्रकार, फैडरल न्यायालय क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम को निरस्त करना होगा।

प्रिवी कांउसिल क्षेत्राधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता है क्योंकि अब इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश संविधान के दायरे में आता है।

भोपाल और विंध्य प्रदेश अब राज्य नहीं हैं। न्यायिक आयुक्त न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया है। अत:, अधिनियमों की आवश्यकता नहीं है।

अब मैसूर उच्च न्यायालय नहीं है। वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय है। अत:, मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम को समाप्त करना होगा।

इसी प्रकार, मणिपुर न्यायालय-फीस अधिनियम अनावश्यक हो गया है।

चूंकि गोवा, दमण और दीव न्यायिक आयुक्त न्यायालय को सम कर दिया गया है, अत: उपर्युक्त अधिनियम को निरस्त किया जा

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैडम, उन्हें समय का ध्य रखना चाहिए तथा समय बढ़ाए जाने की मांग करनी चाहिए। मैं उ और समय देने को तैयार हूं। उन्हें विनम्र होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : मैडम, मैं श्री संतोष मोहन देव के प्रति आभारी हूं। मैंने एक मिनट का समय और दिए जाने की मांग की है।

ये 17 विधान ऐसे हैं जो असंगत हो गए हैं और, इसलिए, उन्हें इस एक अधिनियम द्वारा निरस्त किए जाने की आवश्यकता है।. ..(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सिविल न्यायालय अमीन अधिनियम, 1856 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

मैं समझता हूं कि हम इसे कल पारित करें क्योंकि अब छह बज चुके हैं। क्या हम इसे बिना चर्चा के पारित कर सकते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

सभापति महोदय : ठीक है, हम इसे कल पारित करेंगे। अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 23 फरवरी, 2001/ 4 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरुवार,22 फरवरी,2001/3 फाल्गुन ,1922(शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची(i)	20	समितियों के लिए पूर्वाचन	समितियों के लिए निर्वाचन
27	17	सभी	भी
40	2	आयात-भर	आयात-भार
135	6	जीर्ण-शीर्ष	जीर्ण-शीर्ण
135	23	श्री अनंत गुंढे	श्री अनंत गुढे
260	4	श्री वी.एस.सुधीरन	श्री वी.एम.सुधीरन

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।